सप्तम माला, खंड 33, अंक 20, शुक्रवार, 5 नवम्बर, 1982/14 कार्तिक, 1904 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(दसवां सत्र)

सत्यमेव जयते

[खंड 33 में अंक 11 से 20 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 20, शुक्रवार, 5 नवम्बर, 1982/14 कार्तिक, 1904(शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख :	1-3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	3-23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 373 से 375 और 377 से 379	3-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	23-228
तारांकित प्रश्न संख्या : 376, 380 से 393 और 186	23-38
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4081 से 4314 और 4314 क	39-228
अतारांकित प्रश्न संख्या 403 दिनांक 9-7-82, अतारांकित प्रश्न संख्या 2053 दिनांक 15-12-82 और अतारांकित प्रश्न संख्या 3215 दिनांक 22-10-82 में शुद्धि करने वाले विवरण	229-235
सभा पटल पर रखे गये पत्र	235-246
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति कार्यवाही-सारांश	246
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति कार्यवाही सारांश	246
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति, अन्तिम उत्तरों का विवरण	246
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति अध्ययन-दौरों सम्बन्धी प्रतिवेदन	247
लोक-लेखा समिति	247
104वां, 121वां और 122वां प्रतिवेदन	
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	247
52वां और 53वां प्रतिवेदन	
याचिका समिति	248
11वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश	
रेल अभिसमय समिति	248
सातवां प्रतिवेदन	
हीरा व्यापारियों की तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों के बारे में दिनांक 22-10-82 के तारांकित प्रश्न संख्या 302 के उत्तर को शुद्ध करने के लिए वक्तव्य श्री पट्टाभि राम राव	248-249
संविधान (47वां संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित	250-252
नियम 377 के अधीन मामले	252-264
(1) देश में कुछ इस्पात परियोजनाओं की विस्तार योजनाओं को कार्यान्वित करने में विलम्ब श्री चिन्तामणि जेना	252
(2) सरकार के लेखन-सामग्री कार्यालयों के कर्मचारियों को बोनस श्री सोमनाथ चटर्जी	253

* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(3) उड़ीसा में कोयला खानों का विकास श्री रास बिहारी बहेरा	253
(4) सुकिन्दा (उड़ीसा) में निकल परियोजना स्थापित करना श्री अनादि चरण दास	254
(5) दुर्ग-भुसावल रेल लाइन का प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण करने की आवश्यकता श्री केशवराव पारधी	255
(6) वित्तीय सहायता देने की दृष्टि से छोटे किसानों का पता लगाने के लिए उचित सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता श्री अर्जुन सेठी	255
(7) चीनी उद्योग का विकास करने के लिए एक स्वस्थ चीनी नीति बनाने की आवश्यकता श्री बी० डी० सिंह	260
(8) राजस्थान के बांसवाग, डूंगरपुर स्थित लघु तथा कुटीर उद्योगों को सुविधायें देने की आवश्यकता श्री भीखा भाई	261
(9) महाराष्ट्र में कक्षा आठ की इतिहास की पाठ्य-पुस्तक को बाधित करने की मांग श्री जी० एम० बनातवाला	261
(10) डिंडीगुल, तमिलनाडु के लोगों को पेयजल तथा बिजली की आपूर्ति श्री के० मायातेवर	262
(11) कृषि मजदूरों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु उनकी मजदूरों में वृद्धि करने की तत्काल आवश्यकता श्री हरीश कुमार गंगवार	262
(12) सोडा-ऐश की कृत्रिम कमी श्री रतनसिंह राजदा	263
नियम 377 के अधीन वक्तव्य और विशेषाधिकार का प्रश्न डा० गोलम याजदानी	256-260
विमान अपहरण निवारण विधेयक और सिविल विमानन सुरक्षा विधि-विरुद्ध कार्य दमन विधेयक विचार करने का प्रस्ताव	264-279
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	264
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	267
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	269
श्री ए० के० राय	270
श्री भागवत झा आजाद	278
विमान अपहरण निवारण विधेयक खंड 2 से 11 और 1 पारित करने का प्रस्ताव श्री भागवत झा आजाद	278

विषय	पृष्ठ
सिविल विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्य दमन विधेयक	
खंड 2 से 10 और 1	
पारित करने का प्रस्ताव	278
श्री भागवत झा आजाद	279
संघ लोक सेवा आयोग	279-281
29वां, 30वां और 31वां प्रतिवेदन	
श्री पी० वेंकटसुब्बया	279
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	280
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
52वां प्रतिवेदन	282
विधेयक पुरःस्थापित	
मंदिरों, मठों और अन्य धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्तियों का प्रबन्ध विधेयक	
श्री रणजीत सिंह	282
भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक	282-283
(धारा 4 आदि का संशोधन)	
श्री जार्ज फर्नान्डीस	283
पशु बीमा विधेयक	283
श्री पी० राजगोपाल नायडू	283
खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक	
(धारा 16क आदि का अन्तःस्थापन)	283
श्री बापूसाहिब परुलेकर	283
दंड विधियां (संशोधन) विधेयक	284
श्री बापूसाहिब परुलेकर	284
पैतृक सम्पत्ति में समान भागीदारी विधेयक	
श्री पी० राजगोपाल नायडू	284
भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक	284-285
(धारा 3 आदि का संशोधन)	
श्री ए० टी० पाटिल	284
राष्ट्रीय उपवन विधेयक	
श्री पी० राजगोपाल नायडू	285
वन राजस्व (संरक्षण) विधेयक	
श्री जी० नरसिन्हा रेड्डी	285
एकान्तता अधिकार विधेयक वापिस लिया गया	285-303
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री ए० टी० पाटिल	286
श्री अमल दत्त	286
श्री वृद्धिचन्द्र जैन	291
श्री रामावतार शास्त्री	294
श्री गिरधारी लाल व्यास	297

विषय	पृष्ठ
श्री गुलाम नबी आजाद	299
श्री वी० एन० गाडगिल	301
अगरतला में एक उच्च न्यायालय की स्थापना विधेयक	303-321
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री अजय विश्वास	303
श्री विजय कुमार यादव	308
श्री सोमनाथ चटर्जी	309
श्री हरीश कुमार गंगवार	313
श्री चित्त बसु	316
श्री हरीश रावत	318
श्री गुलाम नबी आजाद	318
श्री अजय विश्वास	320
देवदासी तथा मुरली प्रथा (उन्मूलन) विधेयक	
विचार करने का प्रस्ताव—चर्चा असमाप्त	321
श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी	321
आधे-घण्टे की चर्चा	321
बैलगाड़ी के पहिये का सुधरा हुआ डिजाइन प्राप्त करना	321
श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार	321
श्री आर० वी० स्वामीनाथन	326
श्री रामावतार शास्त्री	328
श्री रामविलास पासवान	328
श्री अजित कुमार मेहता	329
श्री बुद्धि चन्द्र जैन	329
राज्य-सभा से सन्देश	330
पंजाब की स्थिति के बारे में चर्चा—चर्चा असमाप्त	331
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	331

लोक सभा

शुक्रवार, 5 नवम्बर, 1982/14 कार्तिक, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर 2 मिनट पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : एक बात है, रोजाना जो काम किया जाये, उसकी आदत पड़ जाती है यह आदत बुरी होती है। घंटी बजवाने की आदत रोज की अच्छी नहीं है। आदमी को इसकी आदत पड़ जाती है।

प्रो० मधु दण्डवते : जो सेन्ट्रल हाल में बैठे हैं उनको पता नहीं चलता कि घंटी किसके लिए बजती है।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण मुझे सभा को अपने दो पुराने साथियों श्री एच० आर० गुरुवा रेड्डी तथा डा एन० सी० सामन्तसिन्हार के निधन की सूचना देनी है।

श्री एच० आर गुरुवा रेड्डी 1947 से 1950 तक मैसूर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य रहे।

एक शिक्षाविद् के रूप में श्री रेड्डी मैसूर विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य रहे। वे बंगलौर जिला बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे।

एक समाज सुधारक के रूप में वे भूतपूर्व मैसूर राज्य के पिछड़े लोगों के उद्धार सम्बन्धी आन्दोलन से सम्बद्ध रहे।

एक सांसद के रूप में उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में गहन रुचि ली।

श्री रेड्डी का निधन 5 अक्तूबर 1982 को बंगलौर में हुआ।

डा० एन० सी० सामन्तसिन्हार दूसरी लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने 1957 से 1962 तक उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक स्वतंत्रता सैनानी के रूप में उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया तथा कई बार जेल गए।

एक चिकित्सक तथा समाज सेवक के रूप में उन्होंने गरीब वर्ग के लोगों के उद्धार तथा शिक्षा के प्रसार में विशेष रुचि ली। वे बहुत सी शिक्षा संस्थाओं तथा सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध रहे।

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना करने तथा विद्यार्थियों, किसानों, तथा श्रमिकों को संगठित करने में गहन रुचि ली।

डा० एन० सी० सामन्तसिन्हर का उड़ीसा के बेलगांव में 18 अक्तूबर, 1982 को 70 वर्ष की आयु में निधन हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मुझे निश्चय है कि शोक-संतप्त परिवारों को सान्त्वना देने में सभा मेरे साथ है।

दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सभा कुछ क्षणों के लिए मौन खड़ी रहेगी।

तत्पश्चात् सदस्य गण कुछ क्षण के लिए मौन खड़े हुए।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, मैं यहां आपकी पोजीशन साफ करने के लिए एक कहना चाहता हूं। आज के हिन्दुस्तान में एक खबर छपी है कि बिहार में प्रेजाइडिंग आफिसर्स की जो कान्फ्रेंस हो रही है, उसको प्रेस वाले कवर नहीं करेंगे। प्रेस बिल के सम्बन्ध में उनकी जो शिकायत है, आप उनकी शिकायत पर ध्यान क्यों नहीं देना चाहते। उनकी शिकायत को खतम क्यों नहीं करते। (व्यवधान)

देखिए, आप पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए, वरना मेरी बात अधूरी रह जाएगी। आप लोग इस सदन के हेड हैं। किसी पार्टी के लोगों से आपका सम्बन्ध नहीं है। इस जनतन्त्रीय ढांचे के अन्दर आपको किसी पार्टी या किसी पक्ष का व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। जिस दिन आप बन जाओगे, उस दिन से देश में डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। यदि अखबार वालों को आपके खिलाफ कोई शिकायत है तो आपको खुलकर उनकी शिकायत को दूर करना चाहिए। आप लोगों के खिलाफ यदि उन्हें कोई शिकायत नहीं है तो आप लोगों की खबर को उन्हें डिसओन नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री नीरेन घोष : कभी कभी वे सही बातें कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप भी कभी कभी उनसे सहमत होते हैं। (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हमें श्री मनीराम बागड़ी को सदन का अध्यक्ष चुन लेना चाहिये और इस तरह समस्या का समाधान हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : यह आपने गलत बोला है, मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता। खलिस्तान वाले मामले से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके बजाए कि मैं अपनी पोजीशन साफ करता, आपने स्वयं मेरी पोशीशन साफ कर दी है। इसलिए मुझे उसमें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने मेरी और तमाम प्रेजाइडिंग आफिसर्स की पोजीशन साफ कर दी है, हमारा किसी पोलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमें आप लोगों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं और नियमों के अनुसार सदन का संचालन करना होता है। और हम अपनी योग्यतानुसार ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी आत्मतुष्टि के लिए हम ऐसा करने का प्रयास करते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या आज प्रश्न काल का निलम्बन कर दिया गया है ?

श्री राम विलास पासवान : यहां पर और बाहर जो रोज हल्ला हो रहा है, आप उसकी तरफ क्यों नहीं देखते और गवर्नमेंट को क्यों नहीं डायरेक्ट करते··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ह्वाई ुड आई···मैं ऐसा क्यों करूं ? उन्हें यह बात स्वयं समझनी चाहिये।

श्री राम विलास पासवान : आप चेयर पर हैं और संसद की भावनाओं को देखते हैं। इसलिए आपको डायरेक्ट करना चाहिए···

अध्यक्ष महोदय : उनके कान भी तो बन्द नहीं हैं···यह बात आपको करनी चाहिये।

श्री राम विलास पासवान : आप सरकार को कहिए कि हमारे अंडर की बात नहीं है। केन्द्र सरकार के पास मामला अटका हुआ पड़ा है। आप कहिए···

अध्यक्ष महोदय : मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आदमी को अपनी सीमाओं का पता होना चाहिए कि कहीं वह अपनी सीमाओं को तो नहीं लांघ रहा है। कहीं वह उस लकड़ी को तो नहीं काटना शुरू कर दे जिस टहनी पर वह बैठा हुआ है। अति सर्वत्र वर्जयेत्। दैन ह्वाट विल हैप्पन···तब क्या होगा···मैं किसी को निर्देश नहीं देता न तो सरकार को न ही विपक्ष को। मैं किसी को निर्देश नहीं देता। अतः इस सम्बन्ध में कोई समस्या नहीं है। इस बात को और अधिक मत खींचिए। मैं इसे पसन्द नहीं करता। (व्यवधान)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पर्यटन अनुसंधान तथा जागरुकता कार्यक्रम

*373. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या पर्यटन मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन अनुसंधान तथा जागरुकता कार्यक्रम का गठन, कार्य तथा उसके उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या पर्यटन अनुसधान तथा जागरुकता कार्यक्रम द्वारा किये गये कार्य का कोई मूल्यांकन किया गया था; और

(ग) क्या पर्यटन अनुसंधान तथा जागरुकता कार्यक्रम को अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

पर्यटन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

पर्यटन अनुसंधान तथा जागरुकता कार्यक्रम (टी० आर० ए० पी०) प्रशांत सागरीय क्षेत्र यात्रा संघ (पाटा) भारत चैप्टर द्वारा तैयार किया गया है और पाटा (भारत) द्वारा गठित समिति इसे क्रियान्वित कर रही है; श्री राम निवास मिर्धा, संसद सदस्य, इस समिति के अध्यक्ष हैं और इसमें पर्यटन उद्योग, पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि, एक पर्यटन विशेषज्ञ तथा कार्यकलापों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियुक्त एक पूर्णकालिक निदेशक है । इस कार्यक्रम के लिए पाटा (भारत) द्वारा धन-राशि जुटायी जाती है और पर्यटन के महत्व तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में इसके योगदान, विरासत तथा संस्कृति के संरक्षण, राष्ट्रीय एकता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना आदि के बारे में सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के बीच जागरुकता उत्पन्न करना इसका लक्ष्य है । टी० आर० ए० पी० की गतिविधियों की नियमित पुनरीक्षा पाटा (भारत) द्वारा की जाती है ।

श्रीमती माधुरी सिंह : मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगी कि उनकी बताई गई सुविधाओं के बावजूद भी कौन से अन्य कारण हैं जिससे विदेशी पर्यटक अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में इतनी कम संख्या में भ्रमण करने आते हैं···

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको सुनाई दे रहा है···

श्री अशोक गहलोत : कुछ-कुछ सुनाई दे रहा है···

अध्यक्ष महोदय : कुछ का जवाब कुछ होगा । इसलिए आप पूरा सुनिये···यू बैटर कम निअर दी माइक एण्ड स्पीक लाउडली···

श्रीमती माधुरी सिंह : मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहती हूँ कि उनके द्वारा बताई गई सुविधाओं के बावजूद भी, कौन से अन्य कारण हैं, जिससे विदेशी पर्यटक अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में इतनी कम संख्या में भ्रमण करने आते हैं । क्या इस विषय पर सरकार

द्वारा कोई अध्ययन अथवा रिसर्च की गई है कि देशी और विदेशी पर्यटकों की क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं तथा वे क्या चाहते हैं ? एशियाई देशों से पर्यटकों को भारत की ओर आकृष्ट करने के लिए कौन सी विशेष स्कीम बनाई जा रही है ? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि गत वर्ष 40 लाख जापानी पर्यटकों में से केवल 31 हजार ही हमारे देश में घूमने आए।

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मान्यवर, यह सवाल तो टूरिज्म रिसर्च एंड ऐवेयरनैस प्रोग्राम के मुताल्लिक है। माननीय सदस्या ने उससे हट कर पूछा है कि हमारे देश में इतने कम पर्यटक, टूरिस्ट, क्यों आते हैं। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे देश में टूरिस्टों की जो वृद्धि हुई है, वह ऐसी नहीं है, जो चिन्ताजनक या निराश करने वाली हो। 1952 में हमारे देश में कुल 17,000 टूरिस्ट आए थे, जबकि 1981 में 1.2 मिलियन टूरिस्ट यहां पर आए। यह जरूर है कि जापान से जो टूरिस्ट दूसरे देशों में गए, उनमें हमारा हिस्सा अभी भी कम है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर हम ज्यादा प्रचार करें, खास तौर पर उन जगहों का, जो बुद्धीस्ट मजहब से ताल्लुक रखती हैं, ताकि बुद्धिस्ट मजहब को मानने वाले ज्यादा से ज्यादा यहां आए। उनके लिए हमने डाकुमेंटरीज तैयार की है। हमारे आफिसिज से इस बारे में जापानी, इंडोनेशन और अंग्रेजी जुबानों में लिट्रेचर वहां पर दिया जाता है। इसके साथ ही हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे के साथ मिल कर एक खास ट्रेन चलाई जाए, जो बुद्धिस्ट टूरिस्ट को बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज प्लेसिज को ले जाए। वह एयर-कन्डीशन्ड गाड़ी होगी, जहां उन लोगों के लिए प्रेयर वगैरह का भी इन्तजाम होगा।

श्रीमती माधुरी सिंह : क्या मन्त्री महोदय इस कार्यक्रम को गति देने के लिए संसद-सदस्यों तथा अन्य सुप्रसिद्ध पर्यटकों का एक संगठन बनाने पर विचार करेंगे जो, विभिन्न पहलुओं पर विचार करके इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर सके ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मान्यवर, हम पूरी कोशिश करते हैं कि इस देश में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आएं। हमारी जो सलाहकार समिति है, वह हमें जो सुझाव देती है, हम उन्हें अपने ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा ट्रेवल ट्रेड की तरफ से जो भी सुझाव आते हैं, हम उन पर भी अमल करते हैं। होटल फेडरेशन के सुझावों पर भी गौर किया जाता है। जो संस्थाएं टूरिज्म के साथ डायरेक्टली इनवाल्ड हैं, जब उनकी तरफ से सुझाव आते हैं, तो उन पर पूरा ध्यान दिया जाता है और कोशिश की जाती है कि हम उन पर ज्यादा से ज्यादा अमल कर सकें। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, जिनको शायद हम तत्काल पूरा न कर सकें।

श्री नीरेन घोष : महोदय, माननीय मन्त्री महोदय पर्यटन प्रोत्साहन के बारे में बोल रहे थे। मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि बंगाल और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पर्यटकों का आना जाना क्यों नहीं बढ़ रहा है ? मैं यह कहना चाहूँगा कि सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है कि विशेषरूप से दार्जिलिंग, सुन्दरवनों आदि में पर्यटकों के आने में वृद्धि हो। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कलकत्ता में भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल के निर्माण

का विचार भी छोड़ दिया है। इस क्षेत्र में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष ध्यान न देने के कारण ही दार्जिलिंग में काफी सीमा तक विदेशी पर्यटकों के आने में बाधा उपस्थित हो रही है। अतः मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान क्यों नहीं दिया और विशेष उपाय क्यों नहीं किए ताकि इस क्षेत्र में, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अधिक पर्यटक आते।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं यह लक्ष्य जानता हूं कि पर्यटकों को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जाने के लिए कुछ हद तक निरुत्साहित किया जा रहा है। किन्तु मैं यहां पर इस बात का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं कि कुछ स्थान प्रतिबन्धित एवं वर्जित हैं। मुझे अफसोस है कि मैं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सकता। इस बारे में गृह मन्त्रालय ही कुछ कर सकता है।

श्री नीरेन घोष : क्या दार्जिलिंग एक वर्जित क्षेत्र है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : दार्जिलिंग के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : विदेशी पर्यटकों को श्रीनगर एवं अन्य स्थानों पर जाने की अनुमति है किन्तु दार्जिलिंग, जोकि पश्चिम बंगाल में एक ही पहाड़ी स्टेशन है, में जाने की अनुमति नहीं है। केवल यही एक ऐसा पहाड़ी स्टेशन है जहां विदेशियों के लिए परमिट की आवश्यकता होती है।

श्री खुर्शीद आलम खां : यह मामला गृह मन्त्रालय के साथ उठाया जाना चाहिये। हमने यह मामला उठाया है और हमने गृह मन्त्रालय को अपने विचारों से अवगत करा दिया है। हमने कहा है, हां ऐसा करिये। किन्तु सुरक्षा सम्बन्धी बातों पर उन्हें निर्णय लेना होता है।

डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में सदन को सूचित करेंगे कि क्या 'पाटा' ने भारत के मन्दिरों एवं स्मारकों, वनों एवं वन्य जीवन, भारत के नृत्य एवं संगीत तथा अन्य अनेक विषयों पर एक पैकेज कार्यक्रम बनाने का सुझाव दिया है ताकि उन्हें विश्व भर में कार्यरत विभिन्न विदेशी यात्रा एजेन्सियों की सहायता से विदेशों में अग्रिम रूप से बेचा जा सके ? 'पाटा' द्वारा दिए गए इस सुझाव का क्या हुआ ? क्या हमने उस सम्बन्ध में आगे कुछ कार्य किया है ? कितनी प्रगति हुई है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : हमने यह सुझाव नोट कर लिया है और हम प्रचार माध्यमों तथा वृत्तचित्रों द्वारा तथा आवश्यक साहित्य उपलब्ध कर इस सम्बन्ध में सक्रिय प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हम ट्रेवल एजेन्टों के साथ 'भारत सान्ध बैठकों' का आयोजन करते हैं। इसके अतिरिक्त हम यात्रा एजेन्टों को भारत में आमन्त्रित करते हैं कि वे हमारे आतिथ्य पर आकर भारत में ठहरें और भारत को देखें। इन सभी प्रयासों के कुछ परिणाम निकले हैं, और

मुझ पूर्ण विश्वास है कि इन भरसक प्रयासों के परिणामस्वरूप हम इस देश में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित कर सकेंगे। हमने एयर इण्डिया, इण्डियन एयरलाइन्स तथा रेलवे के साथ मिल कर कई पैकेज कार्यक्रम तैयार किए हैं। वे सभी उपलब्ध हैं और पर्यटकों को दिए जा रहे हैं।

अहमदाबाद में आयकर विभाग के छापे

*374. **श्री रामजी माई मावणि :** क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने 11 अक्तूबर, 1982 को अहमदाबाद में कुछ व्यापारियों, उद्योगपतियों और व्यापार-गृहो पर छापे मारे थे और तलाशी ली थी और उपरोक्त व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा व्यापार गृहों के कुछ कार्यालयों को सील कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त छापों और तलाशी के क्या कारण हैं;

(ग) वहां पायी गई अवैध सामग्री/सोना, चांदी बिना लेखे की धनराशि, दस्तावेज चल एवं अचल सम्पत्ति तथा अन्य वस्तुओं का ब्योरा क्या है;

(घ) उसमें सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और इसमें अन्तर्ग्रस्त पार्टियों, व्यक्तियों तथा अन्य लोगों का क्या विवरण है; और

(ङ) गुजरात में 1 जून से 15 अक्तूबर, 1982 तक मारे गए अन्य छापों एवं ली गई तलाशियों का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) सूचना प्राप्त होने पर आयकर प्राधिकारियों ने 11 और 12 अक्तूबर, 1982 को अहमदाबाद के डा० प्रशान्त एस० शाह के रिहायशी और कार्यालय परिसरों की तलाशियां लीं। कोई मूल्यवान वस्तुएं नहीं पकड़ी गई। तलाशी के परिणामस्वरूप कुछ दस्तावेज और कागजात पकड़े गये थे, जिनकी छानबीन की जा रही है। एक बैंक लाकर सील कर दिया गया था।

(घ) आय कर अधिनियम और अन्य प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जाएगी।

(ङ) 1 जून, 1982 से 15 अक्तूबर, 1982 तक की अवधि के दौरान गुजरात में 37 तलाशियां ली गई थीं। मामलों की बड़ी संख्या को दुखते हुए, सभी तलाशियों के ब्योरे प्रस्तुत करना व्यवहार्य नहीं है। लेकिन, यदि माननीय सदस्य किसी मामले विशेष के बारे में सूचना चाहते हों, तो वह प्रस्तुत कर दी जायगी।

श्री रामजी भाई मावणि : अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने बताया है कि डा० प्रशांत एम० शाह के यहां रेड हुई जिसमें कुछ डाकूमेन्ट्स मिले हैं। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं :

(क) जो इंफार्मेशन आपको मिलती है उसके सम्बन्ध में रेड करने से पहले आप कोई जानकारी प्राप्त करते हैं या नहीं ?

(ख) जो लाकर्स सील किए गए उनमें कुछ निकला या नहीं ?

(ग) कुछ लोग जो कर चोरी करते हैं उनके यहां रेड की जाती है लेकिन कुछ लोग जो कर चोरी नहीं करते, उनके यहां भी रेड की जाती है इसलिए रेड्स कैसे की जायें—इस बारे में भी क्या सरकार कुछ विचार कर रही है या नहीं ?

श्री पट्टाभि राम राव : यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति विशेष ने बम्बई में एक फ्लैट बेचा था और उसने विक्रय सम्बन्धी आंकड़े बहुत ही कम दिए थे और तत्पश्चात. एक निजी कम्पनी के निदेशकों ने गुजरात उच्च न्यायालय में इस आधार पर मुकदमा किया था कि उसने एक फ्लैट 25 लाख रुपए में बेचा था किन्तु उसने उसका मूल्य 5.75 लाख रुपये ही दिखाया था। अतः न्यायालय में उन्होंने मुकदमा दायर किया कि उसे 25 लाख रुपए में बेचा गया। वास्तव में, हमारे विभाग के पास पर्याप्त सूचना उपलब्ध है कि काफी काला धन उपलब्ध है।

श्री रामजी भाई मावणि : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में यह बतलाया गया है कि लार्ज-स्केल पर रेड्स की गई हैं, जब कि केवल 37 सर्चेज हुई हैं जो लार्ज-नम्बर नहीं है। "झोपड़-पट्टी एन्क्रोचमेन्ट्स" की लिस्ट 100-100 आदमियों की देते हैं, जबकि जिनके यहां रेड्स हुई हैं उनकी संख्या केवल 37 है, इसके बारे में क्यों नहीं बतलाया जाता है ?

श्री पट्टाभि राम राव : गुजरात में 37 मामलों में तलाशियां की गईं। समूचे भारत के मामले में यह संख्या काफी अधिक होगी। 37 छापों में से यदि माननीय सदस्य किसी मामले विशेष के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं उन्हें यह सूचना भेज सकता हूं। किन्तु सभी 37 मामलों के बारे में सूचना देना सम्भव नहीं है। इसमें समय लगेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि गोल्डन तम्बाकू कम्पनी के श्री संजय डालमियां ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियम सम्बन्धी अधिनियम का उल्लंघन किया है और क्या वास्तव में गोल्डन तम्बाकू कम्पनी करोड़ों रुपये के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी की है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा मारे गये अनेक छापों के परिणामस्वरूप एवं छापे मारने के बाद, क्या यह सत्य है कि श्री संजय डालमियां ने वित्त मन्त्रालय से सम्बन्ध स्थापित किया और मन्त्रालय पर यह दबाव डालने का प्रयास किया कि आगे छापे न मारे जायें और जांच पड़ताल बन्द कर दी जाये ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : इस प्रश्न का सम्बन्ध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से है और और जो प्रश्न पूछा गया है वह प्रत्यक्ष करों के बारे में है। माननीय सदस्य यह बात जानते हैं कि देश के किन्हीं भागों में कुछ छापे लगभग प्रतिदिन मारे जाते हैं और यह संख्या हजारों में जाती है। उदाहरण के तौर पर, पिछले वर्ष हमने 4,800 से अधिक छापे मारे थे। यदि माननीय सदस्य को किसी मामले विशेष के बारे में रुचि है तो उन्हें उसके लिये विशेष सूचना देनी होगी और मैं उसकी सूचना उपलब्ध कर दूंगा। किन्तु मैं एक ही बात का स्पष्टीकरण दे सकता हूं। जहां तक छापों, तलाशियों एवं उनके दौरान पकडी गई वस्तुओं का सम्बन्ध है, मन्त्रालय उस सम्बन्ध में कभी हस्तक्षेप नहीं करता; यदि कभी मन्त्रालय हस्तक्षेप करता भी है तो सम्बद्ध अधिकारीगण उसे सुनते ही नहीं हैं क्योंकि इस सम्बन्ध में उन्हें कानूनी शक्तियां उपलब्ध हैं और वे इन कानूनी शक्तियों का प्रयोग करने हैं; और जब एक बार इनका प्रयोग आरम्भ होता है तो कानून की अपनी प्रक्रिया चलती है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपसे मार्ग दर्शन चाहता हूं। वे कहते हैं कि यह मामला विशेष है और वे उसकी छानबीन करेंगे और सूचना देंगे। किन्तु मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किसी अन्य नियम के अन्तर्गत, मैं आपको सिकन्द कन्सट्रक्शन कम्पनी के सम्बन्ध में तथा इसके द्वारा की गई कर चोरी की धनराशि और की गई धोखाधड़ी के बारे में अनेक दस्तावेज भेज चुका हूं। मैंने आपकी दस्तावेजों की फोटोस्टेट प्रतियां भेजी हैं किन्तु हमें आपके कार्यालय से अथवा वित्त मन्त्रालय से कोई उत्तर नहीं मिला। हम कार्य कैसे करें ?

अध्यक्ष महोदय : हम तो शीघ्र ही कार्यवाही करते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : आप तो करते हैं किन्तु उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है ? मैंने प्रधान मन्त्री को 115 दस्तावेज दिए हैं किन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर दिया जाएगा। आप मुझे दस्तावेज दीजिए। मैं उनकी जांच करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : सिकन्द कंस्ट्रक्शन कम्पनी के बारे में मैं आपको दस्तावेज भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनकी जांच करूंगा।

श्री के० मायातेवर : भारत भर में केन्द्रीय सरकार किसानों से तथा छोटे-छोटे दुकानदारों से छोटे-छोटे ऋण वसूल करने के लिये कड़ी कार्यवाही कर रही है। सरकार को सरकारी ऋण सोसायटी एवं बैंक ऋण एकत्रित करने के सम्बन्ध में आम आदमी विशेष रूप से मध्यम वर्ग की जनता से अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से कोई सहानुभूति नहीं है जबकि देश में अर्थशास्त्रियों की ताजा रिपोर्टों के अनुसार 35,000 करोड़ रुपये तक काले धन का लेनदेन होता है। काले धन वालों, तस्करों एवं जमाखोर एक सामान्तर सरकार चला रहे हैं। देश में फिल्मी

कलाकार कर की चोरी कर रहे हैं। एक मुख्य मन्त्री हैं जिनकी ओर 28 लाख रुपए के करों की धनराशि बकाया है और एक अन्य फिल्मी कलाकार, हेमा मालिनी··· (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : फिल्मी अदाकारों।

श्री के० मायातेवर : वह श्री स्वामी की घनिष्ट मित्र हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह मेरी घनिष्ट मित्र नहीं हैं।

श्री के० मायातेवर : उनकी तरफ लगभग 82 लाख रुपए बकाया हैं।

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी, क्या आपकी पुरुष सिने कलाकारों में रुचि है अथवा महिला सिने कलाकारों में ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं हेमा मालिनी से कभी नहीं मिला।

श्री के० मायातेवर : वह भी वहीं की हैं जहां के श्री स्वामी हैं। इसलिए उन्होंने संबंध का दावा किया है।

अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार 'एम० जी० आर०' और हेमा मालिनी तथा अन्य उद्योगपतियों से उनकी तरफ पिछले 15 वर्ष से जो बकाया आयकर तथा अन्य देय धनराशि है उन्हें वसूल करेगी··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री के० मायातेवर : मुख्य मन्त्री, तस्करों और जमाखोरों, बड़े-बड़े एकाधिकारियों की ओर सरकार की आयकर की भारी धनराशियां बकाया हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आपका प्रश्न क्या है ? आप प्रश्न पर आइए।

श्री के० मायातेवर : मैं जानना चाहता हूं कि मुद्रा स्फीति को कम करने के लिए··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ? मैं चाहता हूँ कि आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री के० मायातेवर : मुख्य मन्त्रियों, सिने कलाकारों तथा अन्य व्यक्तियों से उनकी ओर लम्बे अरसे से चले आ रहे आयकर की बकाया धनराशि वसूल करने के लिए तथा मुद्रा स्फीति कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुद्रा स्फीति को कम करने में हेमा मालिनी कैसे बाधक है ?

श्री के० मायातेवर : वह उसकी घनिष्ट मित्र हैं। वे बेहतर जानते हैं। अत: मैं तो यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस देश के उन उद्योगपतियों से, जो इस सरकार तथा लोगों

के साथ धोखा कर रहे हैं; उनके विरुद्ध लम्बे अरसे से चली आ रही आयकर की बकाया धन-राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक कर की बकाया धनराशि को वसूल करने की बात है, हेमा मालिनी से भी हम उसे वसूल करने के लिए सभी कदम उठाते हैं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें सिने महिला कलाकारों में अधिक रुचि है।

श्री सुनील मैत्रा : आपने 4,800 तलाशियों और जब्तियों के मामलों का उल्लेख किया है। इन 4,800 मामलों में से··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब पश्चिम बंगाल के एक कलाकार··· (व्यवधान)

श्री सुनील मैत्रा : इन 4,800 तलाशियों एवं जब्तियों के मामलों में कितनों में मुकदमे चलाए गए ? इन मुकदमों में से कितनों में दोष सिद्धि हुई ?

श्री प्रणव मुखर्जी : 4 82 छापे मारे गए और 390 मुकदमे चलाए गए। पहले भी मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि मुकदकों की संख्या कम है। जहां तक दोष सिद्धि की बात है, मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : किसी भी मामले में दोष सिद्ध नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जी : आप श्री सोमनाथ चटर्जी से दोष सिद्ध के मामलों के आंकड़े पूछ सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इस प्रकार के मामलों को निपटाने का काम नहीं करता हूं :

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री हीरालाल परमार ?

श्री हीरालाल आर० परमार : मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि पिछले दो साल से गुजरात के उद्योगपतियों और बड़े-बड़े बिजनेसमैनों और बिल्डिंग कांट्रेक्टरों के यहां छापे मारे गये हैं और अखबारों में यह बात आई है कि उनके यहां से दो नम्बर की बहुत सी किताबें पकड़ी गई लेकिन एक दो महीने के बाद वह मामला निपट जाता है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इसमें कोई सौदेबाजी होती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो धूल की रस्सी बटने वाली बात है।

श्री प्रणव मुखर्जी : माननीय सदस्य द्वारा जो बात पूछी जा रही है, मैं उस बारे में कुल आंकड़े बता सकता हूं। जो कार्यवाही की जाती है उसमें केवल मुकदमा चलाना ही शामिल नहीं होता। उसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि कर लगाया जाता है और कर निर्धारण का

मूल्यांकन किया जाता है और यह देखा जाता है कि कर की दर क्या होनी चाहिए और कर की दर राशि कितनी होनी चाहिये और उसके बाद हम उस कर को वसूल करने के लिए कार्यवाही करते हैं। यह सभी की गई कार्यवाही-कार्यक्रम का हिस्सा होता है। यदि माननीय सदस्य कुल संख्या के बारे में जानना चाहते हो तो मैं वे आंकड़े दे सकता हूं। किन्तु जब तक वे किसी मामले विशेष के बारे में नहीं पूछते, उसका ब्योरा देना सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह केवल प्रश्न पूछ रहे हैं ? श्री मनमोहन टुडु।

'विजयंत' टैंक का बदला जाना

*375. **श्री मनमोहन टुडु :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने 'विजयंत' टैंक को बदल कर उसके स्थान पर मुख्य लड़ाकू टैंक (एम० बी० टी०) बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) किस वर्ष तक 'विजयंत' टैंक के बदले जाने की आशा है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) मुख्य युद्धक टैंक (एम० बी० टी०) के लिए जनरल स्टाफ गुणात्मक आवश्यकता पहली बार अगस्त, 1972 में जारी की गई थी। भावी एम० बी० टी० के विकास की परियोजना को सरकार ने 1974 में मंजूरी दी थी। मूल परियोजना में आयातित इन्जन लगाने और अन्य कल पुर्जों को देश में ही बनाने की व्यवस्था थी। परन्तु आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के विचार से इंजन को भी देश में विकसित करने के चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए निर्णय 1980 में किया गया। इस बीच जनरल स्टाफ गुणात्मक आवश्यकता को संसार की उत्तम श्रेणी के टैंकों के अनुसार अद्यतन किया गया है।

गोला-बारूद प्रणाली, गोला-बारी नियन्त्रण प्रणाली तथा संयुक्त कवच जैसी विभिन्न प्रणालियों के विकास में काफी प्रगति हो चुकी है। परन्तु हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो देश में पहली बार आधुनिक उच्च कार्य निष्पादन इन्जन का विकास करने में बिलकुल सामान्य होती हैं। अनुसंधान तथा विकास और अन्य एजेन्सियां इन समस्याओं पर काबू पाने का प्रयत्न कर रही हैं।

विजयन्त टैंक अच्छा कार्य कर रहा है और उसके स्थान पर अन्य टैंक लाने के प्रश्न पर हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए उत्कृष्ट विकल्प उपलब्ध होने के बाद ही विचार किया जाएगा।

श्री मनमोहन दुडु : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि स्वदेशी प्रयास से इन्जन विकसित करने की प्रक्रिया कब तक पूरी होने की आशा है ?

श्री आर० वेंकटरामन : मूल जनरल स्टाफ गुणात्मक आवश्यकता में इन्जन आयात करने का विचार किया गया था। अपनी आत्मनिर्भरता में सुधार करने के उद्देश्य से, हमने 1980 में आधुनिकतम इन्जन बनाने का निर्णय लिया। हमने इस पर कार्य आरम्भ कर दिया है। सौभाग्य से यह सम्भव हो गया है, कि 1983 तक हम टैंक का प्रथम नमूना तैयार कर पायेंगे।

श्री मनमोहन दुडु : जनरल स्टाफ गुणात्मक आवश्यकता 1972 में जारी की गई थी। क्या मंत्री महोदय सदन को बतायेंगे कि इस टैंक के विकास को पूरा करने के लिए अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है और इसके पूरे होने के लिए और कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

श्री आर० वेंकटरामन : जी० एस० क्यू० आर० 1972 में जारी की गई थी। लेकिन सरकार ने इस परियोजना को 1974 में मंजूरी दे दी थी। मूल जी० एस० क्यू० आर० में इन्जन आयात करने की व्यवस्था थी और इसलिए उस समय 15 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई थी। इस समय 56 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है, क्योंकि हम स्वयं अपना इन्जन विकसित करने जा रहे हैं। अब तक कुल 18.2 करोड़ रुपए खर्च किये जा चुके हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जब इससे देश की सुरक्षा होगी तो हमें इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि जानकारी कहां से आती है। देश के लिए हमें इसे प्राप्त करना ही है। मुख्य लड़ाकू टैंक, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने वक्तव्य में किया है, के बारे में कुछ विवाद है। मैं नहीं जानता कि जिस मुख्य लड़ाकू टैंक बनाने का उन्होंने विचार किया है, वह कितना अच्छा है।

निश्चय ही, मैं कहूंगा कि यदि वह मेरी सहायता चाहते हैं तो मैं उन्हें बहुत अच्छा मुख्य लड़ाकू टैंक इस्राइल से दिलवा सकता हूं। हाल ही में मैं वहां गया था। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने देश में प्रकाशित कुछ पत्रिकाओं में, मुख्य लड़ाकू टैंक परियोजना के बारे में की गई टिप्पणियां देखी हैं और क्या उन्हें आत्म-निर्भरता और आधुनिकता के बारे में कुछ कहना है ?

श्री आर० वेंकटरामन : जहां इस्राइल से सहायता दिलाने का सम्बन्ध है, मैंने इसे नोट कर लिया है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं।

जहां तक समाचारपत्रों में प्रकाशित विभिन्न आलोचनाओं का सम्बन्ध है, मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि वे सूचनाएं गलत और अधूरी जानकारी पर आधारित हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वामी स्वयं नहीं।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं रक्षा की परामर्शदात्री समिति का सदस्य हूं। अतः वह मुझे वहां सब कुछ बताते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : अतः मात्र 1.5 भाग ही सूचना दी गई है।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने सदन को इस हद तक विश्वास दिला सकता हूं कि इससे देश की सुरक्षा को कोई आंच नहीं आएगी अथवा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने टैंक में मार करने की शक्ति, गतिशीलता का विकास कर लिया है और इसमें प्रतिरक्षा को विकसित कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आरम्भ में इसका नमूना 1983 तक उपलब्ध होगा। इस बारे में बहुत गलत आलोचना की गई है। किसी ने कहा है कि हमने 600 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। हमने केवल 18.2 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसमें बहुत थोड़ा-सा अन्तर है।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो देश में अपने कुछ उपकरण बेचना चाहते हैं और वे हमारे अनुसंधान और विकास सम्बन्धी प्रयासों को कम करते जा रहे हैं। विदेशी उपकरणों को यहां बेचने का एक तरीका यह है कि पहले तो वे देशी प्रयत्नों को समाप्त कर दें और फिर यह कहते रहें कि यह असफल हो गया वह असफल हो गया और फिर यह कहें कि अच्छा है, वह अच्छा है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह कोका-कोला और शुद्ध पेय पदार्थों जैसे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : रक्षा मंत्रालय को हर तरह के दबावों, जिसमें इन बाहरी लोगों द्वारा जो अपने शस्त्र बेचना चाहते हैं, डाले जा रहे दबाव भी शामिल हैं, को रोकना है। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। इंजन के बारे में भी आलोचना की गई है। यहां तक कि वहां भी उन्हें विषय की सूचना नहीं दी गई थी। हमने पहले इंजन बनाया और फिर टर्बो-चार्जर, जो ढाई गुना हार्स-पावर पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, हमने 400 हार्स-पावर के इंजन का विकास किया है। टर्बो-चार्जर से इसे 1000 हार्स-पावर तक ले जाया जा सकता है। और समाचार पत्र लिखते हैं कि हमने केवल 400 हार्स-पावर का इंजन विकसित किया है। यह सब बातें अज्ञानता पर आधारित हैं।

मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम बहुत ही संतोषजनक उन्नति कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस के बारे में जो कुछ कहा मैं उसमें केवल एक बात और जोड़ना चाहता हूं। आप जानते हैं, यदि आप ईश्वर को गाली दें तो आप स्वर्ग में जाते हैं और यदि आप वेंकटरामन को गाली दें, तो आपको मेगसेसे एवार्ड मिलेगा। (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसे सुनहरे शब्दों में लिखा जाना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे दुःख है; रक्षा मंत्री को मेगसेसे पुरस्कार पर किसी तरह का आक्षेप नहीं करना चाहिए था। यह अच्छी बात नहीं है। यह अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पुरस्कार है। उस पुरस्कार को इस चर्चा में क्यों लाया जाना चाहिए। मुझे इस पर कड़ी आपत्ति है।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने यह मजाक में कहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री हालदर, आपकी इसमें क्या दिलचस्पी है? आपका पारम्परिक हथियार 'हल' है। (व्यवधान)

श्री कृष्णचन्द्र हालदर : मैं अपनी रक्षा और आत्म-निर्भरता के लिए इस टैंक का देशी उत्पादन करने के पक्ष में हूँ। लेकिन अभी भी समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि भारत सरकार हमारी सुरक्षा के लिए अत्यधिक आधुनिक और शक्तिशाली टैंक का निर्माण करने के लिए सोवियत प्रौद्योगिकी लेने का प्रयत्न कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है अथवा वह इस सम्बन्ध में क्या कहना चाहते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : जहां तक प्रौद्योगिकी का सम्बन्ध है, हमारी नीति देशी प्रौद्योगिकी विकसित करने की है। लेकिन विश्व में कोई भी देश अपनी प्रौद्योगिकी का विकास स्वयं नहीं करता। आज, आधुनिक प्रौद्योगिकी विकास विभिन्न अन्य देशों के सहयोग से ही होता है। उदाहरण के लिए नवीनतम टैंक का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी जर्मनी के बीच हुआ। कई ऐसे देश हैं, जो रक्षा प्रौद्योगिकी का विकास करने के मामले में एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं। जहां तक भारत का सम्बन्ध है, जहां कहीं भी हम प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में समर्थ हैं, हम उसे इस शर्त पर लेने का प्रयत्न करेंगे कि हम उस प्रौद्योगिकी के मालिक हैं और हम इसका प्रयोग अपने लिए करने में समर्थ हैं।

पेंशन भोगियों को भुगतान न करने में बैंकों द्वारा विलम्ब

*377. **श्री के० लकप्पा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीयकृत बैंक, विशेषकर यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया पेंशन और बढ़ाई हुई घोषित राहत को पेंशनभोगियों के खाते में जमा करने और भुगतान करने में काफी समय लेते हैं जिससे उन्हें अत्यधिक कठिनाई होती है;

(ख) क्या यह विलम्ब बैंकों को सरकार के समय पर अनुदेश न मिलने के कारण होती है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है कि ऐसी

राहत ऐसी घोषणा की तारीख के एक महीने के भीतर पेंशनभोगियों के खातों में, विशेषकर युनाइटेड बैंक आफ इंडिया में, स्वत: और साथ-साथ जमा कर दी जाए; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ङ) लगभग 15 लाख पेंशनभोगियों को पेंशन तथा राहत की अदायगी केवल सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ही नहीं बल्कि सारे भारत वर्ष में फैले हुए खजाना कार्यालयों और डाकखानों के माध्यम से भी की जा रही रही है। पेंशन तथा राहत की शीघ्र अदायगी करने के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। अदायगी सम्बन्धी कार्यविधि को सुव्यवस्थित कर दिया गया है और समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। जब कभी भी अदायगी में विलम्ब के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इसमें आने वाली रुकावटों को, जो भी हो, दूर करने के लिए कार्यवाही की जाती है।

श्री के० लकप्पा : आज मैं इस देश के पेंशनभोगियों की ओर से बोल रहा हूं। मैंने विशिष्ट प्रश्न रखा है, जिसके 5 खण्ड हैं—(क), (ख), (ग), (घ), और (ङ)। वास्तव में, यदि आप इसे देखें तो भाग (क) में कहा गया है—

> "क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीयकृत बैंक, विशेषकर युनाइटेड बैंक आफ इंडिया पेंशन, और बढ़ाई हुई घोषित राहत को पेंशनभोगियों के खाते में जमा करने करने और भुगतान करने में काफी समय लेते हैं जिससे उन्हें अत्यधिक कठिनाई होती है।"

यद्यपि मैंने विशिष्ट प्रश्न पूछा है, लेकिन नियमों के अनुसार उसका विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया है। प्रश्न इस बैंक द्वारा की जा रही अत्यधिक देरी के सम्बन्ध में है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या पेंशनभोगियों ने भी इस बैंक के विरुद्ध कुछ शिकायतें की हैं। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बैंक के विरुद्ध किस तरह की शिकायतें की गयीं और क्या इस बैंक ने वित्त मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन किया है। और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या क्या है।

श्री पट्टाभि राम राव : हमारे ध्यान में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं लाई गई। यदि माननीय सदस्य इस बैंक के विरुद्ध किसी विशेष शिकायत की ओर हमारा ध्यान दिलायेंगे, तो हम अवश्य इसकी जांच करेंगे।

श्री के० लकप्पा : माननीय मंत्री द्वारा दिये गए उत्तर को देखते हुए कि पेंशन की अदायगी सम्बन्धी कार्यविधि को समय-समय पर सुव्यवस्थित कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया को निर्देश उपलब्ध कराये गये हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें यह निदेश भी दिया गया है कि वे निर्देशों के अनुसार शीघ्र भुगतान करें।

श्री पट्टाभि राम राव : पहले, पेंशन का भुगतान केवल खजाने से किया जाता था। बाद में राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी पेंशन का भुगतान करने की अनुमति दी गई, ताकि बहुत से पेंशनभोगी पेंशन जल्दी निकाल सकें। निर्देशों के अनुसार किसी व्यक्ति को सेवानिवृत्ति से 6 महीने पहले सम्बन्धित अधिकारी को नोटिस देना होता है कि वह अमुक तिथि को सेवानिवृत्त हो रहा है। इस बीच वे पेंशन सम्बन्धी कागजात तैयार करेंगे और उन्हें उस बैंक को भेज देंगे जहां से भुगतान किया जाना है।

आवश्यक वस्तुओं के बारे में कानूनों में संशोधन

*378. श्री भीकू राम जैन : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1981 और काला बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु सप्लाई अधिनियम में छोटे तथा तकनीकी अपराधों और काला बाजारी आदि में भेद नहीं रखा गया है और अधिनियमों में संशोधन करने तथा उन्हें सरल बनाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) व (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत वास्तविक अपराधों पर कार्यवाही की जाती है, जबकि चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 में समाज के लिए आवश्यक वस्तुओं की चोरबाजारी रोकने तथा उनकी सप्लाई बनाये रखने और उससे सम्बन्धित बातों के प्रयोजन से कुछ मामलों में नजरबन्दी की व्यवस्था है। यह मान लेना सही नहीं है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसे आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 द्वारा संशोधित किया गया है, में एक ओर छोटे/तकनीकी अपराधों और दूसरी ओर घोर अपराधों के बीच भेद नहीं रखा गया है। संशोधित अधिनियम में विभिन्न किस्मों के अपराधों के लिए अलग-अलग कानूनी दंडों की व्यवस्था बनी हुई है।

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 को हाल ही में 1.9.82 से क्रियान्वयन के लिये अधिसूचित किया गया है। चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 भी हाल ही में बनाया गया है। अतः सरकार इस अवस्था में इन अधिनियमों में कोई और संशोधन करना आवश्यक नहीं समझती है।

श्री भीखूराम जैन : अध्यक्ष जी, जो सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री है वह बुद्धिमान मिनिस्टर श्री भागवत झा आजाद के पास है और मैं यह पूछना चाहता हूं कि जितने कानून बनाये हैं यह

कानून कन्ज्यूमर्स की बेहतरी के लिए हैं। क्या यह सच है और उनकी नालेज में है कि इन कानूनों का लाभ सिर्फ इन्सपेक्टर्स और आफिसर्स को पहुँच रहा है और आये दिन इस प्रकार की शिकायतें होती हैं कि या तो अधिक कीमत पर मिल रही हैं चीजें या नहीं मिल रही हैं ? और अगर यह कानून इस बात को अरेस्ट करने में असमर्थ है तो क्या आप सोच रहे हैं कि कोई और रीयलिस्टिक कानून बनाया जाये जिससे कि सामान सप्लाई करने में सुविधा मिले और कन्ज्यूमर को फायदा पहुंचे ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : अध्यक्ष जी, इस प्रश्न में इस बात का उल्लेख है कि एसेंशियल कमोडिटीज स्पेशल प्रोवीजन एक्ट और प्रीवेंशन आफ ब्लैक मार्किटिंग एक्ट जो कानून बनाये गये हैं उनमें बड़े और छोटे अपराध में कोई फर्क नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मूल एक्ट में सैक्शन 3 (2) (एच) और (आई) से सम्बन्धित दो प्रकार के अपराध हैं जिनके सम्बन्ध में कम से कम सजा का निर्धारण नहीं है, मगर मैक्सिमम 1 वर्ष का जेल है। वही बात स्पेशल प्रोवीजन एक्ट में भी है, और समरी ट्रायल का प्रोवीजन जब 1981 में बना उसमें मैक्सिमम सजा 7 वर्ष से घटा कर 2 वर्ष कर दी गई है यह मिनिमम ओफेंस के लिये 3 महीने स्थिर रखी गई है।

जहां तक जो प्रश्न इन्होंने पूछा है कि यह कानून वास्तव में उपभोक्ता को बचाने के लिए किया गया है, तो हमको उपभोक्ता ने तो शिकायत नहीं की है, मगर ट्रेडर्स का कहना है कि उनको तकलीफ है। और जहां तक इन्सपेक्टर्स का सवाल है वह तो सुबह से उठिये और शाम तक सेनिटरी इन्सपेक्टर्स से लेकर ड्रग इन्सपेक्टर तक आपको बहुत से इन्सपेक्टर मिलेंगे··· वह तो मुकाबला करना ही पड़ेगा। असल में अपराधी को कैसे रोका जाये, यह प्रश्न है, उसी का प्रावधान हमने इस कानून में किया है।

श्री भौकू राम जैन : मैंने प्रश्न किया था कि जो टैक्नीकल ओफैन्स पर मिनिमम और मैक्सीमम सजा दी हुई है, यदि इन्सपेक्टर का भाव उससे बढ़ता है, वह उद्देश्य है तो ठीक बात है, लेकिन यदि उपभोक्ता के लाभ के लिए यह किया गया है तो मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार के नालेज में यह चीज है कि पिछले 20 वर्षों में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और अब स्पेशल प्रावीजन एक्ट के बनाये जाने के बावजूद यह तमाम तकलीफें उपभोक्ताओं की आती हैं, तो क्या इस चीज का प्रश्न पैदा नहीं होता है कि इन तमाम दोनों-तीनों एक्ट में जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति नहीं हुई है अगर पूर्ति हुई है तो रेट्स के बढ़ाने में, रिश्वत का बाजार ज्यादा गर्म करने में। अगर यह चीज है, जैसा माननीय मंत्री जी कहते हैं कि सुबह उठने से शाम के सोते तक इन्सपेक्टर का राज्य चलता है, तो उस राज्य को हटाने के लिए, उपभोक्ता के लाभ के कारण क्या कोई ऐसा काम हो सकता है कि उपभोक्ता तो ठीक हो जाये और जो रिएलिटी है, वह सामने आ जाये, न कि मक्खी पर मक्खी मारते हुए कानून बनाते चले जायें ? अगर कानून से

ही काम चल रहा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर ब्लैक मार्किटयर्स को तो सजा दी जानी चाहिये, लेकिन अगर कानून ठीक नहीं चल रहा है और उपभोक्ता को रोज रोज की शिकायतें इस हाउस में, सदन में, अखबारों में और शायद मिनिस्ट्री में भी आती हैं तो फिर क्या साधन अख्त्यार करना चाहिये जिससे उपभोक्ता की तकलीफ दूर हो जाये ?

श्री भागवत झा आजाद : मैंने इसी प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दिया और उसको मैं पुनः दोहराता हूं कि यह कानून ब्लैक मार्किटिंग और होर्डिंग को रोकने, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और वितरण और उनकी सप्लाई के सम्बन्ध में है। मेरे मंत्रालय में जो शिकायतें अब तक आई हैं, वह ट्रेडर-क्लास की बहुत आई हैं, उपभोक्ताओं की कम आई हैं।

उन्होंने पूछा है कि आने पर क्या करेंगे, तो उपभोक्ता की शिकायत आने पर निश्चय ही हम उसकी जांच करते हैं और यह देखते हैं कि वह कैसे दूर की जाये।

मैंने यह बात नहीं कही कि इन्सपेक्टर का राज्य है, मैंने कहा कि आपको सुबह से शाम तक इन्सपेक्टर की आवश्यकता पड़ जाती है।

श्री बी० डी० सिंह : क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि फेयर प्राइस शाप्स बहुत बड़ी कालाबाजारी के कामों में संलग्न हैं ? उनकी जो अच्छा माल एफ० सी० आई० से मिलता है, उसको तो ये लोग ट्रेडर्स में बेच देते हैं और जो खराब माल होता है, वह अपनी दुकानों पर बेचते हैं। ऐसी रिपोर्ट अखबारों में भी आई है, मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है और अगर है, तो यह कालाबजारी अधिनियम के अन्तर्गत वह क्या कर रहे हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : इस कानून के अन्तर्गत मैंने कहा कि उत्पादन और वितरण होता है। वितरण फेयर प्राइस शाप्स के द्वारा होता है। वितरण से सम्बन्धित कानून इस बात के लिए है कि जब कोई ऐसी शिकायत आये तो उस शिकायत को रोकने के लिये इस कानून के प्रावीजन सैक्शन 7 में उनको पकड़ते हैं और सजा दिलवाते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें से ऐसी ध्वनि निकलती है कि अगर उचित शिकायतें भी व्यापारी की ओर से आयेंगी तो उन्हें सुना नहीं जायेगा। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय का यह आशय नहीं हो सकता है।

व्यापारी भी एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। अगर वह चोरबाजारी करते हैं तो सजा के हकदार हैं, लेकिन यह जो कानून बना है, इसमें सजा में तो अन्तर किया गया है, लेकिन अपराध के स्वरूप और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही का विवरण, इसमें कोई अन्तर नहीं है।

मेरे पास अभी एक मामला आया है कि व्यापारी को पूरे माल का हिसाब रखना पड़ता है, लेकिन अगर थोड़ा माल उसने बेच दिया और हिसाब में उसका इन्दराज नहीं कर पाया और इसी बीच में इन्सपेक्टर महोदय पधार गये तो क्या ऐसे व्यापारी को भी कानून के अन्तर्गत उतनी

ही कड़ी सजा मिलनी चाहिये, उतनी ही परेशानियों का भागीदार बनाया जाना चाहिए जितना एक ऐसे व्यापारी को जो कि चोरबाजारी का दोषी है ?

मेरा निवेदन है कि जो भी शिकायत आई हैं, उन पर सहानुभूति के साथ विचार करके, अगर छोटे दुकानदारों को परेशानी से बचाया जा सकता है तो क्या मन्त्री महोदय को उसमें कोई गुरेज है ?

श्री भागवत झा आजाद : ध्वनि माननीय सदस्य को सुनाई पड़ी, मेरे प्रश्न के उत्तर में कोई ध्वनि नहीं थी। उन्होंने कहा था कि क्या आपको उपभोक्ता की शिकायत आई है, मैंने स्पष्ट जवाब दिया, बिना ध्वनि लगाये, उसमें मैंने कहा कि शिकायत आई है ट्रेडर्स की, उपभोक्ता की उतनी नहीं आई है। इसलिए ध्वनि मेरे पास नहीं, आपके पास है; आप उसको निकाल दीजिये। फर्क-फर्क करने की जो दूसरी बात आपने कही, यह बात सही है कि, अभी जैसे हमारे आर्डर्स हैं, उदाहरण के लिये मान लीजिए कि दालों के सम्बन्ध में हमारा नियम है कि आप कितनी भी मात्रा में उन्हें रखें। लेकिन यहां पर प्रश्न यह है कि जिस रूप में आप वस्तुएं रखते हैं, सीधे रूप में यदि आप उसको बेचते हैं, फिर यदि इंसपेक्टर भी आ जाए, वह आपको पकड़ेगा भी तो क्या होगा। इसलिए ऐसा आर्डर निकाला गया है कि जब तक हम दालों या दूसरी वस्तुओं के सम्बन्ध में रखने के बारे में सीमा निर्धारित न करें तब तक हमारे सामने यह कठिनाई आ रही थी। इसीलिए हमने नियम बनाकर उसकी सीमा बांध दी कि इस मात्रा से अधिक कोई नहीं रख सकेगा। इंसपेक्टर तो घूमता ही है, हमने उसको यह नहीं कहा कि जो सही मोटिव से बेचे, उसको भी आप पकड़ें। यदि कोई कानून के विरूद्ध जाकर काम करेगा तो वह पकड़ा जाएगा। लेकिन जहां तक आपने कहा, फर्क की बात, मैं आपको उदाहरण के लिए खण्ड 3-दो आई का उल्लेख करना चाहता हूं। फिर तीन-(दो)-एच में स्टैटिस्टिक्स और इन्फार्मेशन देने का हवाला दिया गया है। उसके उल्लंघन के लिए सजा बहुत हल्की है, लेकिन यदि कोई आवश्यक वस्तुओं के वितरण में चोरबाजारी, सप्लाई रोकने या दूसरे ऐसे ही अपराध करेगा, उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। यह तो फर्क करना पड़ेगा।

जापान द्वारा लौह अयस्क के आयात का रोक दिया जाना

*379 **श्री जयपाल सिंह कश्यप :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान ने भारत से लौह अयस्क का आयात एकाएक रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और :

(ग) उस देश को लौह अयस्क का निर्यात फिर से शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : अध्यक्ष जी, 8 अक्तूबर के समाचारपत्रों में काफी बड़े हैडिंग्स के साथ यह समाचार छपा था कि जापान ने भारत से लौह अयस्क का आयात एकदम रोक दिया है। जितना आयरन ओर वह इण्डिया से लिया करता था, उसको अब उसने लेने से इंकार कर दिया। उसके साथ हमारा पहले जिस प्रकार का एग्रीमेंट था, उसके अनुसार वह हमसे आयरन ओर लेने के लिए आगे तैयार नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे देश में हम हर वर्ष कितना आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी मात्रा क्या है, उसमें से कितने मूल्य का आयरन ओर हम जापान को सप्लाई करते हैं, उसका कितना मूल्य बनता है और वह कुल एक्सपोर्ट का कितना प्रतिशत है। कुल मूल्य का वह कितने प्रतिशत है। क्या सरकार ने ऐसे प्रयास किए हैं कि जितना आयरन ओर हम जापान को अब तक एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं, वह बरकरार रहे। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इन प्वाइंटस को स्पष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय : आपको भी तो कहीं स्वनि संदेह नहीं हो गया है।

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : श्रीमन् जो समाचार उस पत्र में आया था, वह दुरुस्त नहीं था। जिस पत्र की तरफ से यह समाचार दिया गया था, हमने उसको पत्र लिखकर भी मालूम किया है। उन्होंने जो मालूमात दी है, वे दुरुस्त नहीं हैं। जापान ने हमसे आयरन ओर लेना बन्द नहीं किया है। जितना आयरन ओर उन्होंने हमसे गत वर्ष लिया था, उतना ही इस साल भी लिया है। जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है 1980 में जापान को 7.37 मिलियन टन, 1981 में 7.37 मिलियन टन और 1982 में 7.55 मिलियन टन आयरन ओर गया है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जितना आयरन ओर हम दूसरे देशों को बेचते हैं, क्या उसको हम कच्चा-माल बना कर, उससे देश में ही दूसरी तरह से उपयोग में नहीं ला सकते। जिससे हमारी भविष्य की जरूरतें पूरी हो सकें। उससे हम स्टील बना सकते हैं, इस्पात बना सकते हैं या दूसरे प्रोडक्टस बनाकर अपने प्रयोग में ला सकते हैं। यदि उसके बाद बचे तो उसको निर्यात भी किया जा सकता है। क्या सरकार इस ओर कोई प्रयास कर रही है कि हम अपने आयरन ओर को स्वयं अपने ही देश में स्टील और इस्पात आदि तैयार करने के लिए उपयोग में लायें, ताकि हमारे लिए उसकी अधिक उपयोगिता हो सके।

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमन्, दूसरे देशों को हम जितना आयरन ओर बेचते हैं, वह पूरे मूल्य पर बेचते हैं। कम मूल्य पर आयरन ओर हम कभी बाहर के देशों को नहीं बेचते।

यहीं पर आयरन ओर इस्तेमाल करने के लिए हम जगह-जगह कारखाने लगा रहे हैं ताकि यहीं पर उस आयरन ओर का उपयोग हो सके।

श्री राजेश कुमार सिंह : समाचारपत्रों से पता चलता है कि पहले से 25 लाख टन कम आयरन ओर एक्सपोर्ट किया गया है। लेकिन मंत्री महोदय ने इस बारे में जो फिगर्ज दी हैं, मैं उन्हें मान लेता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट के भाव और हमारे देश के भाव में कितना अन्तर है। मंत्री महोदय ने माननीय सदस्य के इस सवाल का जवाब नहीं दिया है कि जापान को किस भाव पर आयरन ओर बेचा जा रहा है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आयरन ओर के लिए कोई और मार्केट खोजने का प्रयास किया गया है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : 1982-83 में कुल मिला कर 28 मिलियन टन आयरन ओर एक्सपोर्ट करने का सोचा गया है, जिसकी पूरी कीमत 404.30 करोड़ रुपए होती है। हम जो आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं, वह हर साल वाल्युम टर्म्ज में कम होता जा रहा है और वैल्यु टर्म्ज में बढ़ता जा रहा है।

श्री राजेश कुमार सिंह : मैंने अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट के भाव और इस देश के भाव की बात भी पूछी है, जिसका जवाब नहीं दिया गया है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : हम आयरन ओर को अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट के काम्पीटीशन में बेच रहे हैं। सबसे ज्यादा आयरन ओर ब्राजील से एक्सपोर्ट किया जाता है। उसको जो भाव मिलता है, हमें उससे भी ज्यादा मिलता है। लेकिन हम आस्ट्रेलिया और दूसरे छोटे देशों के मुकाबले में किस प्रकार से बेच रहे हैं, यह पूरी मालूमात तो बाद में लिख कर दी जा सकती है। लेकिन आयरन ओर बेचने वाले बड़े से बड़े देशों में मुकाबले में हमें अच्छी कीमत मिल रही है। हम अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में प्राइस के काम्पीटीशन में अच्छी तरह काम कर रहे हैं।

डा० कृपासिंधु भोई : मंत्री महोदय ने सामान्य उत्तर दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हाल ही में एफ० ओ० बी० और सी० आई० एफ० का लन्दन के मेटल्स बुलेटिन और अंतर्राष्ट्रीय मेटल्स बुलेटिन में उद्धत दर क्या हैं और एम० एम० टी० सी० को क्या दर मिल रही है। मैं मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहता हूं कि एम० एम० टी० सी० ब्राजील की अपेक्षा कम मूल्य पर लौह अयस्क बेच रही है दूसरे, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है या नहीं कि एम० एम० टी० सी० पारादीप बंदरगाह के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और उड़ीसा की खानें और उनके मालिकों के साथ भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, और यदि नहीं तो 1975 से 1980 तक और 1981 से 1982 तक उन खान मालिकों का कितना कोटा था, क्या इसे कम किया गया है अथवा बढ़ाया गया है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : लौह अयस्क विदेशों को उनसे बातचीत करके बेचा जाता है। और जब बातचीत होती है, तो हम अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और उन देशों द्वारा, जो काफी मात्रा में

लौह अयस्क निर्यात करते हैं, बताए गए मूल्य को ध्यान में रखते हैं। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि उन तिथियों विशेष पर क्या मूल्य थे। लेकिन मैं उन्हें यह सूचना लिखित रूप में दे सकता हूं।

माननीय सदस्य द्वारा दूसरा प्रश्न यह पूछा गया है कि क्या हम उड़ीसा की खानों और खान मालिकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। यह सही नहीं है। हम उड़ीसा से भी लौह अयस्क निर्यात करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन पत्तन की कठिनाइयों के कारण, उड़ीसा से लौह अयस्क निर्यात करना सम्भव नहीं हो पाया है। यदि पत्तन की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं, तो हमारे लिए यह करना भी सम्भव हो जाएगा।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय आयरन ओर का निर्यात एक तरह से हमारे औपनिवेशिक भूतकाल का चालू रहना है। मेरा सरकार से आग्रह है कि आयरन ओर को निर्यात करने के बजाए गोवा मे या कर्नाटक के पश्चिमी हिस्से में इस्पात कारखाना खोलकर उससे इस्पात तैयार किया जाए। क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि हम फिनिश्ड स्टील ही बाहर निर्यात करें या देश के काम में लायें और आयरन-ओर का निर्यात करने की तरफ बढ़ें क्योंकि हमारे कच्चे माल से हमारा इस्पात ज्यादा कीमती होगा। क्या सरकार गोवा में कोई इस्पात कारखाना खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह तो हमारी सरकार की नीति ही है कि जहां तक सम्भव हो खनिज-पदार्थों को कम से कम मात्रा में बाहर भेजा जाए। हम उसको फिनिश्ड गुड के रूप में ही बाहर भेजने की कोशिश करते हैं। इसीलिए विजाग तथा दूसरी जगहों पर इस्पात के कारखाने लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि आयरन ओर को दूसरे आयरन्स में बदलकर भेजा जा सके।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

एशियाड में भाग लेने वालों के लिए पैकेज भ्रमण कार्यक्रम

376. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाड में भाग लेने वालों के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा कोई पैकेज भ्रमण कार्यक्रम बनाए गए हैं; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या; और

(ख) क्या देश में विदेशी पर्यटकों के आवागमन के लिए नागर विमानन विभाग तथा रेलवे के साथ परामर्श करके कोई समन्वित योजना तैयार की गई है ?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम ने एशियाड में भाग लेने वालों के लिए "एशियाड आन ए बजट" नाम से निम्नलिखित स्पेशल टूअर्स का आयोजन किया है :—

1. पुरानी दिल्ली (आधा दिन)
2. नई दिल्ली (आधा दिन)
3. दिल्ली-आगरा (पूरा दिन)
4. दिल्ली-जयपुर (पूरा दिन)
5. दिल्ली-जयपुर (ओवरनाइट)
6. दिल्ली-आगरा-भरतपुर-जयपुर-दिल्ली (3 दिन)
7. वन्य जीव टूअर्स—दिल्ली के चिड़ियाघर/सुलतानपुर पक्षी विहार स्थल की यात्रा (पूरा दिन)
8. राज टूअर—सचिवालय कम्पलैक्स, पोलो/क्रिकेट मैच और विन्टेज ट्रेन्स म्यूजियम की यात्रा, हाथी की सवारी आदि (पूरा दिन)
9. दिल्ली में "रिदम्स इंडिया टूअर" (शाम को)
10. ध्वनि और प्रकाश टूअर—लाल किला दिल्ली (शाम को)
11. दिल्ली में "हैंडिक्राफ्ट्स टूअर" (शाम को)
12. दिल्ली में "आर्टस टूअर" (आधा दिन)

देश के अन्तर्गत विदेशी पर्यटकों के आवागमन के लिए, भारत पर्यटन विकास निगम ने रेलवे, इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के सहयोग से योजनाएं तैयार की हैं और निम्न प्रकार से हैं :—

1. बौद्ध पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए "दी ग्रेट इंडियन रोवर" नामक बौद्ध यात्रा टूअर्स का संवर्धन ।
2. विभिन्न पर्यटक केन्द्रों के लिए "सी इंडिया" टूअर्स ।
3. दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के प्रमुख महानगरों के लिए "स्टाप-ओवर इंडिया" टूअर्स ।
4. "ओपशनल टूअर्स" दिल्ली से आगरा, जयपुर, बम्बई से औरंगाबाद, गोआ, मद्रास से महाबलीपुरम-कांचीपुरम, कलकत्ता से भुवनेश्वर आदि ।

इनके अलावा, भारत पर्यटन विकास निगम "इंडरेल" और "पैलेस आन व्हील्स" टूअर्स के टिकटों का विक्रय कर रहा है।

शत प्रतिशत निर्यात इकाइयों को विशेष सुविधाएं

*380. श्री बी० एस० विजयराघवन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शत प्रतिशत निर्यात इकाइयों की कतिपय विशेष सुविधाएं देने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन क्षेत्रों में शत प्रतिशत निर्यात इकाइयां स्थापित करने की अनुमति दी जाती है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) निर्यात अभिमुख एककों को उपलब्ध सुविधाओं का उल्लेख सरकारी संकल्प सं० 8 (15) 178-ई० पी० दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 में किया गया है जिसकी एक प्रति 20 फरवरी, 1981 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं० 79 के उत्तर में सदन के समापटल पर पहले ही रखी जा चुकी है। उन उत्पादों की एक व्याख्यात्मक सूची भी उक्त संकल्प में दी गई है जिनके सम्बन्ध में सुविधाएं दी गई हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राप्त जमा धनराशि और दिए गए ऋण

*381. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार में प्रति व्यक्ति प्राप्त जमा-धनराशि और दिए गए ऋण की तुलना में समूचे देश में प्रति व्यक्ति अधिक जमा-धनराशि प्राप्त हुई है और ऋण दिए गए हैं; और

(ख) बिहार में जमा-धनराशि ऋण का लगभग वही अनुपात सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बिहार में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रति व्यक्ति जमा राशियां और ऋण दिसम्बर, 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार क्रमशः 277 रु० और 109 रु० बैठते हैं जब कि समतुल्य अखिल भारतीय औसत क्रमशः 672 रु० और 458 रु० है।

किसी क्षेत्र में समग्र ऋण की मात्रा, जो कि ऋणों के प्रति व्यक्ति स्तर को निर्धारित करती है, आर्थिक गतिविधि के स्तर, विशेषत: मझोले और बड़े उद्योग और व्यापार एवं वाणिज्य के संगठित क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधि से शासित होती है, जो स्वयं अनेक कारकों से प्रभावित होती है जैसे परिवहन और बिजली जैसी मूलभूत ढांचे की सुविधाओं की उपलब्धता, बाजारों तक पहुँचने की सुविधा, स्थानीय उद्यम आदि; और ये कारक मात्र ऋण की उपलब्धता से ही सीधे प्रभावित नहीं हो सकते।

फिर भी, शाखा जाल के सुनियोजित विस्तार के माध्यम से, कम बैंक वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है और बैंक, आर्थिक गतिविधि के विकेन्द्रित भागों में इसका स्तर ऊंचा उठाने के उद्देश्य से, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के छोटे ऋणकर्ताओं को ऋण की मात्रा बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण की मात्रा की वृद्धि पर बढ़ता हुआ जोर, ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया के सरलीकरण, ऋण मंजूर करने की शक्तियों के विकेन्द्रीकरण, विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से सुनियोजित ऋण संवितरण पर अधिकाधिक जोर, और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बैंकों की और अधिक सक्रिय अन्तर्ग्रस्तता आदि इसी उद्देश्य के प्रति उन्मुख हैं।

सुनिश्चित उपादानों के लिए मूलभूत ढांचे की सेवाओं के समुचित विकास और साथ ही, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभान्वितों के उत्पादों के विपणन को सुनिश्चित करने के लिए तथा व्यापक लाभ के लिए धन के आदान-प्रदान की सुविधा बढ़ाने के वास्ते, बैंकों की देय राशियों की समय से वसूली सुनिश्चित करने के लिये, राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वे अपने विकास/विस्तार तंत्र को मजबूत बनायें।

वन-लाजों और झीलों पर आवास स्थान

*382. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वन लाजों और झीलों पर उपयुक्त आवास स्थान की व्यवस्था करने के लिए तीन परियोजनाओं की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो उन तीन परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) ये परियोजनाएं किन-किन स्थानों पर क्रियान्वित की जाएंगी; और

(घ) उपरोक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) छठी पंच-वर्षीय योजना की बकाया अवधि में, मंत्रालय के निम्नलिखित स्थानों पर वन गृहों के निर्माण/विस्तार के प्रस्ताव हैं :—

(1) बेतला, पालामाऊ क्रीड़ा अभ्यारण्य, बिहार

(2) ललंग, सिमलीपाल नेशनल पार्क, उड़ीसा

(3) रणथम्बौर, सवाई माधोपुर, राजस्थान (विस्तार)

(4) दुधवा/कार्बेट नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश

मन्त्रालय ने 46.70 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर बेतला की परियोजना को अन्तिम रूप दे दिया है। रणथम्बौर के मामले में, इसके नवीकरण-विस्तार के लिए मंत्रालय द्वारा अपने अंशदान के रूप में 16.52 लाख रुपए खर्च किए जाने की संभावना है। जहां तक ललंग (उड़ीसा) और दुधवा/कार्बेट नेशनल पार्क (उत्तर प्रदेश) में वन गृहों का सम्बन्ध है परियोजनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। यह अनुमान है कि इन स्थानों पर प्रत्येक वन गृह पर लगभग 50-55 लाख रुपए की लागत आएगी; रणथम्बौर वन गृह का काम प्रारम्भ हो गया है। बेतला में परियोजना के दिसम्बर, 1982 में शुरू किए जाने की संभावना है।

राउरकेला-भुवनेश्वर-सम्बलपुर के लिए वायुदूत सेवा

*383. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राउरकेला-भुवनेश्वर-सम्बलपुर में वायुदूत सेवा आरम्भ करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वायुदूत का निदेशक बोर्ड

*384. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुदूत के निदेशक बोर्ड को किस प्रकार का बनाया गया है;

(ख) इसे कब बनाया गया और कितने सदस्यों सहित बनाया गया;

(ग) इसके गठन के बाद उक्त बोर्ड की कितनी बैठकें हुई हैं;

(घ) क्या बोर्ड की बैठकों की अनुपस्थिति में कोई नीति-निर्णय किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ये निर्णय किन्होंने लिए ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) और (ख) वायुदूत की नियमावली के अनुसार कम्पनी के निदेशक-मंडल की नियुक्ति इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया के निदेशक-मंडलों द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से की जाती जाती है। वर्तमान निदेशक-मंडल का गठन निम्नलिखित है :—

1. श्री के० के० श्रीवास्तव, : निदेशक
   भूतपूर्व महानिदेशक (पर्यटन)
2. एयर मार्शल एम० एस० डी० वोलन, : निदेशक
   पी० वी० एम० एस०, वी० एम०, एयर आफिसर
   कमांडिंग-इन-चीफ,
   पूर्वी कमान
3. श्री सी० एम० चतुर्वेदी, : निदेशक
   संयुक्त सचिव,
   नागर विमानन मंत्रालय
4. कुमारी पी० लाल, : निदेशक
   संयुक्त सचिव,
   नागर विमानन मंत्रालय
5. श्री तरुन गोगोई, : निदेशक
   भूतपूर्व संसद् सदस्य
6. श्री एम० बरेटा, : निदेशक
   वाणिज्यिक निदेशक,
   एयर इंडिया
7. कैप्टन के० चड्ढा, : निदेशक
   प्रबन्ध निदेशक,
   इंडियन एयरलाइंस
8. श्री आर० प्रसाद, : निदेशक
   उप निदेशक (वित्त),
   इंडियन एयरलाइंस

पहली बार निदेशक मंडल का गठन 4 फरवरी, 1981 को 11 सदस्यों के साथ किया गया था।

(ग) वायुदूत की स्थापना से लेकर निदेशक-मंडल की चार बैठकें हो चुकी हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। निदेशक-मंडल द्वारा नीति सम्बन्धी निर्णय किए जाते हैं।

राजमुन्द्री (आन्ध्र प्रदेश) के निकट माधुरुपुडी हवाई पट्टी में सुधार

*385. **श्री कुसम कृष्ण मूर्ति** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोदावरी बेसिन में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की गतिविधियों में पिछले कुछ दिनों में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखकर पूर्वी गोदावरी जिले के राजमुन्दरी (आन्ध्र प्रदेश) के निकट माधुरुपुडी की हवाई पट्टी में सुधार की आवश्यकता महसूस की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां। वायुदूत सेवाओं के विकास के दूसरे चरण में परिचालन किए जाने के लिए अनुमोदित स्थानों की सूची में राजमुन्द्री (माधुरुपुडी) सम्मिलित है।

(ख) सुधार योजना उचित समय पर बनाई जाएगी।

एयर इण्डिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा वायुदूत से हो रहे घाटे को आपस में बांटा जाना

*386. **श्री पीयूष तिरकी** :

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायुदूत से भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो घाटे सम्बन्धी मास-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया वायुदूत से हो रहे घाटे को आपस में बांट रहे हैं; और

(घ) वायुदूत के घाटे को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) जी, हां। वायुदूत को दिनांक 31.8.1982 तक लगभग 98 लाख रुपयों की कुल हानि हुई है।

(ख) चालू वित्त वर्ष में वायुदूत को प्रतिमाह लगभग 6.5 लाख रुपयों की हानि हो रही है।

(ग) वायुदूत एक कम्पनी है जो कम्पनी नियम के अधीन निगमित है। इसकी हानियों को इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के लेखाओं में अभी तक नहीं दिखाया गया है।

(घ) वायुदूत सेवा को आर्थिक दृष्टि से विकासक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:—

(i) वायुदूत इंडियन एयरलाइन्स से पट्टे पर लिए गए विमान की पट्टा-शर्तों पर पुनः समझौता कर रही है।

(ii) सुरक्षित तथा आर्थिक दृष्टि से विकासक्षम विमान के चयन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(iii) जिन क्षेत्रों में हाल ही में यह सेवा आरम्भ की गई है, वहां विमान यात्रा के लिए अधिक उन्मुखता से भार गुणक में वृद्धि होगी।

पटसन के बोरों के निर्यात में गिरावट

*387. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन के बोरों के निर्यात में आई गिरावट पर चिन्तित होकर वाणिज्य मंत्रालय ने अन्तर्राष्ट्रीय टेंडरों को हासिल करने के लिए संयुक्त प्रयास करने हेतु निर्यात करने वाली मिलों और राज्य व्यापार निगम का एक संघ बनाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पड़ोसी देशों से कड़ी प्रतियोगिता का मुकाबला करने हेतु केवल छूट देने के मामलों में निर्यात व्यापार में हुई हानि का बंटवारा राज्य व्यापार निगम और पटसन मिलों में होगा;

(ग) मंत्रालय ने अधिक संख्या में निर्यात के क्रयादेशों को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए हैं; और

(घ) निर्यात में भारी गिरावट आने के क्या मुख्य कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1981-82 में पटसन बोरों के निर्यात 1980-81 में हुए निर्यातों से मे. टन भार में 53.85% अधिक थे। तथापि, 1982-83 के पहले चार महीनों में जुलाई 1982 के अन्त तक पटसन के बोरों के निर्यात के परिमाण में कमी का रुख देखा गया है।

2. राज्य व्यापार निगम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विश्वव्यापी निविदाओं में भाग लेने के जरिए निर्यातों के माध्यम से सैकिंग/हैसियन मदों के भेजने में उद्योग की मदद के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के निर्यातकों के साथ एक सार्थसंघ बनाया है। राज्य व्यापार निगम तथा इन निर्यातकों के बीच विद्यमान प्रबन्ध के अनुसार हानियों को राज्य व्यापार निगम तथा सार्थसंघ सदस्यों के बीच बट्टाकृत बिक्रियों के मामले में पारस्परिक सहमति के आधार पर बांटा जाएगा ताकि पड़ोसी देशों से प्रबन्ध प्रतिस्पर्द्धा का सामना किया जा सके।

3. भारत के पटसन बोरों के निर्यात में कमी का मुख्य कारण है पड़ोसी देशों से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्द्धा और साथ ही उपभोक्ता देशों में ऊंची ब्याज दरों के रूप में धनराशि की बढ़ती हुई लागत जिससे उपभोक्ताओं को अपनी खरीदारियां कम से कम करने तक सीमित रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इन कारणों के अलावा विकसित देशों में स्थानीय तौर पर उत्पादित संश्लिष्ट प्रतिस्थापनों को प्रोत्साहन द्वारा पैकेजिंग सामग्री में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की भी प्रवृत्ति है।

4. पटसन के माल के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) पटसन माल की लगभग सभी निर्यात योग्य मदों पर नकद मुआवजा सहायता तथा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से बिक्रियों के लिए बल्क निविदाओं के आधार पर सकिंग के निर्यात पर नकद उपदान का जारी रखा जाना।

(2) परम्परागत मदों के लिए बाजार प्राप्त करने के लिए राज्य व्यापार निगम का अधिकाधिक सहयोग।

(3) अनुसंधान तथा विकास प्रयासों के माध्यम से उत्पाद श्रृंखला का विविधीकरण।

(4) संश्लिष्टों की तुलना में पटसन उत्पादों की कीमतें स्थिर करने के लिए संयुक्त कार्यवाही कार्यक्रम के लक्ष्य स्वरूप अंकटाड, एस्कैप, एफ० ए० ओ० आदि के तत्वावधान में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के परामर्श आयोजित किए जाते हैं। संयुक्त विपणन नीति का संवर्धन करने के लिए पटसन उत्पादक देशों के बीच सरकारी स्तर पर क्षेत्रीय स्तर के परामर्श भी आवधिक एस्कैप प्रायोजित विचार-विमर्शों में किए जाते हैं।

(5) विदेशों में व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों में सहभागिता और बाहर चुने हुए देशों के बाजार अभिमुख प्रतिनिधिमंडल प्रायोजित करना।

विद्युत करघा निर्मित कपड़ों का हथकरघा वस्तुओं के रूप में निर्यात

*388. श्री जगदीश टाईटलर : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) उन बेईमान निर्यातकर्ताओं सम्बन्धी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है जो विद्युत करघा निर्मित कपड़ों का हथकरघा वस्तुओं के रूप में निर्यात कर रहे थे;

(ख) ऐसे निर्यातकर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) ऐसे बेईमान निर्यातकर्ताओं द्वारा छवि बिगाड़े जाने की इस स्थिति को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जब कभी कदाचार के विशिष्ट मामलों का पता चलता है तभी कानून के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जाती है। आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और उसके अन्तर्गत आदेशों (समय-समय पर संशोधित रूप में) के संगत उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा प्रत्येक मामले के तथ्यों और उसके स्वरूप के आधार पर ऐसी कार्यवाही करने के फौजदारी कार्यवाही भी शामिल हो सकती है।

(ख) बेनीलक्स और ब्रिटेन से सम्बन्धित विशेष मामलों में जिनमें गैर-हथकरघा मदों के रूप में प्रमाणित करके किया गया निर्यात किया गया था, कुछ निर्यातकों और वस्त्र समिति के अधिकारियों के खिलाफ पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

(ग) ऐसी आशा है कि अपचारी निर्यातकों और अधिकारियों के खिलाफ कानून के अंतर्गत तत्काल कार्यवाही करने से तथा प्रमाणीकरण प्रणाली को कठोर बनाने से इन कदाचारों की द्विरावृत्ति कम से कम हो जायेगी। वस्त्र समिति में निवारण सतर्कता भी तीव्र कर दी गई है।

नीलामी द्वारा सेना वाहनों की बिक्री

*389. श्री अनन्त रामुलु मल्लु : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न वाहन डिपुओं द्वारा खुली नीलामी में ठेकेदारों को विभिन्न प्रकार के सेना वाहन बेचे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो खुली नीलामी में किस प्रकार के वाहन बेचे जाते हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्हें कितने मूल्य पर बेचा गया था;

(ग) क्या संसद सदस्यों को वाहन निर्धारित मूल्य पर बेचे जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे वाहनों के कथित निर्धारित मूल्य क्या थे ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) विभिन्न प्रकार के बेकार घोषित सेना वाहनों की बिक्री, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय तथा डिपो प्राधिकारियों द्वारा खुली नीलामी के माध्यम से की जी जाती है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खुली नीलामी के जरिए कई प्रकार के वाहन बेचे गए थे । पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कुछ किस्मों के वाहनों की उपलब्ध औसत नीलामी की दरें परिशिष्ट 1 से 6 में दी गई हैं ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 5674/82]

(ग) जी, हां । संसद सदस्यों को जीप, जोंगा, मोटर साईकिल और अम्बेसडर कार निर्धारित मूल्यों पर बेची जाती हैं । ये कीमतें पिछले छः महीने के दौरान महानिदेशक, पूर्ति और निपटान/ डिपो प्राधिकारियों द्वारा की गई खुली नीलामी बिक्री में इन विभिन्न किस्मों के वाहनों की बिक्री के औसत मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाती जाती है ।

(घ) पिछले तीन वर्षों में संसद सदस्यों को बेचे गए वाहनों के मूल्य (प्रत्येक परिशिष्ट के नीचे पाद-टिप्पणी में टिप्पणियों के अन्तर्गत) परिशिष्ट i से vi में दिए गये हैं ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 5674/82]

रक्षा के क्षेत्र में फ्रांस की भारत को सहायता

*390. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि रक्षा के क्षेत्र में हमारे देश को सहायता देने की आवश्यकता पर भारत तथा फ्रांस के बीच चर्चा हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या फ्रांस के रक्षा मंत्री ने अक्तूबर, 1982 में भारत का दौरा किया था;

(ग) यदि हां, तो चर्चा के पश्चात क्या निर्णय लिए गए; और

(घ) क्या मिराज विमानों तथा अन्य उपकरणों की पूर्ति के सम्बन्ध में कोई परिणाम निकला है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) रक्षा के क्षेत्र में फ्रांस के साथ सहयो-

के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये हैं। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने मी 11 से 13 अक्तूबर, 1982 तक भारत का दौरा किया था। उनके साथ विचार-विमर्श के दौरान इस बात पर सहमति हुई कि फ्रांस कतिपय निर्धारित क्षेत्रों में सूचना और प्रौद्योगिकी की सूचना भारत को प्रदान करेगा। फ्रांस भारतीय अफसरों को फ्रांस की संस्थाओं में तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए भी सहमत हो गया है। इस सम्बन्ध में और अधिक ब्योरा प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

(घ) फ्रांस से मिराज-2000 विमान प्राप्त करने के लिए भारत सरकार और फ्रांसीसी निर्माताओं के बीच 15 अक्तूबर, 1982 को एक करार हो गया है।

दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में पर्यटन का प्रचार

*391. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच जहां पर्यटन की बहुत क्षमता है पर्यटन के विकास के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं;

(ख) इन देशों से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन देशों में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ग) बैंकाक और सिंगापुर में पहले से ही भारत सरकार के पर्यटक कार्यालय कार्य कर रहे हैं तथा दो और कार्यालय काठमांडू तथा कोलम्बो में शीघ्र खोले जा रहे हैं। ये कार्यालय विज्ञापन, उपभोक्ता तथा व्यापार संवर्धन, मीडिया तथा यात्रा व्यवसाय के साथ सम्पर्क, पर्यटक सूचना प्रदान करने, पर्यटक प्रचार साहित्य के वितरण, आदि के रूप में प्रचार तथा संवर्धन कार्य करते हैं।

विवरण

1979 से 1981 के दौरान दक्षिण, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से भारत की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण।

क्षेत्र/देश	1979	1980	%अन्तर	1981	%अन्तर
दक्षिण एशिया					
अफगानिस्तान	10,276	10,766	4.8	12,841	19.3
श्री लंका	61,263	68,402	11.7	75,842	10.9
ईरान	19,624	20,921	6.6	12,314	—41.1

नेपाल (केवल हवाई मार्ग द्वारा)	6,744	7,008	3.9	11,851	69.1
अन्य	592	828	39.9	936	13.0
जोड़	98,499	107,925	9.6	113,784	5.4
दक्षिण पूर्व एशिया					
इंडोनेशिया	1,878	2,085	11.0	2,161	3.7
मलेशिया	23,877	26,405	10.6	26,458	0.2
फिलीपीन	2,698	3,474	28.8	3,893	12.1
सिंगापुर	14,222	16,637	17.0	17,950	7.9
थाईलैंड	8,106	10,866	34.0	12,157	11.9
अन्य	849	1,209	42.4	2,560	111.3
जोड़	51,630	60,676	17.5	65,179	7.4

मिराज 2000 के लिए भारत-फ्रांस समझौता

*392. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री राम विलास पासवान : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस ने 12 अक्तूबर, 1982 को 40 मिराज-2000 खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) कितने मिराज सप्लाई किए जायेंगे;

(घ) समझौते की शर्तें क्या होंगी; और

(ङ) फ्रांस भारत को रक्षा क्षेत्र में किस प्रकार की सहायता करने पर सहमत हुआ है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) 40 मिराज-2000 विमान, सहायक सप्लाई के साथ, प्राप्त करने के लिए विमान निर्माताओं के साथ 15 अक्तूबर, 1982 को एक करार किया गया है ।

(ख) से (घ) इस करार में, उड़ाए जाने की स्थिति में 40 मिराज-2000 विमान, फालतू कल-पुर्जों तथा अन्य उपस्कर जैसी सहायक सप्लाई के साथ, दिये जाने की व्यवस्था है । इस करार में इस तरह की संविदाओं के लिए लागू होने वाली सामान्य संविदा सम्बन्धी व्यवस्थाएं

हैं। विमान प्राप्त करने की लागत मुख्यत: केडिट-प्रबन्ध के अन्तर्गत की गई है; जिसके लिए फ्रांस सरकार तथा फ्रांसीसी सप्लाई कर्ताओं के साथ विचार-विमर्श करने के बाद संतोषजनक शर्तों का निर्णय किया गया है। इस बारे में और ब्योरा देना लोक हित में नहीं होगा।

(ङ) रक्षा सप्लाई के क्षेत्र में सहयोग के लिए फ्रांस सरकार के साथ एक समझौता-ज्ञापन तैयार किया गया है। इस ज्ञापन में हमारे हितों के रक्षा उपकरणों से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी की सप्लाई/हस्तांतरण पर दोनों देशों के बीच विचार-विमर्श के लिए एक प्रारूप तैयार करने की व्यवस्था है।

सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यातकर्ताओं का पंजीकरण रद्द करना

*393. **श्री आनन्द पाठक :**

श्री एम० राजशेखर मूर्ति : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सरकार ने सिले-सिलाए वस्त्रों के अनेक निर्यातकर्ताओं द्वारा विदेशों में खरीददारों से धोखाधड़ी किए जाने पर उनका पंजीकरण रद्द करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो उसे निर्यातकर्ताओं की संख्या क्या है और उनका ब्योरा क्या है;

(ख) क्या इन मामलों में टेक्सटाइल कमेटी के अधिकारी भी अन्तर्ग्रस्त हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या क्या है और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या उक्त कार्यवाही विदेशों की सरकारों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर की गई अथवा स्वयं केन्द्र सरकार द्वारा पता लगाये गये धोखेबाजी के मामलों के आधार पर की गई है;

(ङ) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा पंजीकरण रद्द किये गये निर्यातकर्ताओं को पुन: उनके कदाचारों के बावजूद, सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात करने की अनुमति दे दी गई है; और

(च) क्या उन निर्यातकर्ताओं में से जिनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है कुछ को 100% निर्यातोन्मुख एकक अथवा अग्रिम आयात लाइसेंस दे दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। ग्यारह प्रधान निर्यातकों का पंजीकरण उनके द्वारा किये गये सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात के सम्बन्ध में देखे गए विभिन्न कदाचारों के कारण समाप्त किया गया है। दस मामलों में पंजी-

करण समाप्त करने का-काम अपेरेल निर्यात संवर्धन परिषद ने किया और एक मामले में आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय ने किया। इन पार्टियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) तथा (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन मामलों में ऐसा कोई मामला जानकारी में नहीं आया है जिनमें वस्त्र समिति का स्टाफ अन्तर्ग्रस्त हो। तथापि, यदि ऐसी कोई अन्तर्ग्रस्तता बाद में जाहिर होती है तो समुचित कार्यवाही की जाए।

(घ) परिधान निर्यातों की मानोटरिंग सामान्य प्रक्रिया के दौरान अनियमितता जानकारी में आई।

(ङ) अपेरेल निर्यात संवर्धन परिषद ने इन अपंजीकृत निर्यातकों को कोटे का आवंटन बन्द कर दिया है।

(च) जी, नहीं।

विवरण

परिधान निर्यातकों की सूची जिन्हें अपंजीकृत किया गया :

1.	मै० हेमला एम्ब्राइडरी मिल्स प्रा० लि० नई दिल्ली।	अपेरेल निर्यात सम्बर्धन परिषद, नई दिल्ली द्वारा अपंजीकृत।
2.	मै० दादू एंटरप्राइजिज प्रा० लि० नई दिल्ली।	
3.	मै० एक्सपोर्ट मरचैंट, नई दिल्ली।	
4.	मै० हैंडीक्राफ्ट इंटरनेशनल, लखनऊ, यू०पी०	
5.	मै० भारत इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कारपोरेशन, नई दिल्ली।	
6.	मै० इन्डियन अपेरेलस इन्डस्ट्रीज, नई दिल्ली।	
7.	मै० इन्पेक्स इंटरनेशनल, बम्बई।	
8.	मै० शिवानी एक्सपोर्टस इंक, नई दिल्ली।	
9.	मै० बिजिनेस एसोसिएटस, नई दिल्ली।	
10.	हरी इंटरनेशनल, नई दिल्ली।	
11.	मै० शर्मा कलादियरस्	आयात निर्यात के मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा अपंजीकृत।

विमानों का अपहरण

*186 . **श्री चित्त महाटा :** क्या नागर विमानन मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनवरी, 1980 से आज तक अपहृत होने वाले विमानों की संख्या एवं ब्योरे क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने विमानों के अपहरण के कारणों की जांच की है; और

(ग) सरकार का भविष्य में विमान अपहरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जनवरी, 1980 से देश के विमानक्षेत्रों से चार विमानों का अपहरण किया गया। इनके ब्योरे इस प्रकार हैं :—

(i) दिनांक 29.9.1981 : इंडियन एयरलाइन्स के बोइंग-737 उड़ान आई सी-423 दिल्ली श्रीनगर का एक यात्री द्वारा अपहरण कर लिया गया जो उक्त विमान पर दिल्ली से सवार हुआ था।

(ii) दिनांक 29.6.1982 : दिल्ली होते हुए रोम-टोकियो की उड़ान संख्या ए जैड-1790 पर एक अलीतालिया विमान का एक यात्री द्वारा अपहरण कर लिया गया जो उक्त विमान पर दिल्ली से सवार हुआ था;

(iii) दिनांक 4.8.1982 दिल्ली श्रीनगर की उड़ान सं० आई सी-423 के इंडियन एयरलाइन्स के बोइंग-737 विमान का एक यात्री द्वारा अपहरण कर लिया गया जो उक्त विमान पर दिल्ली से सवार हुआ था।

(iv) दिनांक 20.8.1982 : बम्बई-उदयपुर-जोधपुर-जयपुर-दिल्ली की उड़ान सं० आई सी-492 के इंडियन एयरलाइन्स के बोइंग-737 विमान का एक यात्री द्वारा अपहरण कर लिया गया जो उक्त विमान पर उदयपुर से सवार हुआ था।

(ख) जी, हां। अपहरण दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में से है। यह सारे विश्व में पाया गया है कि कड़ी सतर्कता तथा सुरक्षा के बावजूद बहुत से उग्रवादी/आतंकवादी समूह/राजनीतिक संगठन अपने कार्यकलापों के प्रति ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह तरीका अपनाते हैं।

(ग) सरकार का सदैव यह प्रयत्न रहता है कि भारत में विमान क्षेत्रों पर अपहरण प्रतिरोधी सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जाए और सुदृढ़ किया जाए जिससे कि नागर

विमानन में अपहरण और गैर-कानूनी दखलंदाजी के अन्य तरीकों को रोका जा सके। सभी सम्बन्धितों को यह सुनिश्चित करने के लिये अनुदेशों को दोहराया गया है कि विमान पर चढ़ने से पहले यात्रियों तथा उनके हाथ के सामान की बारीकी से जांच की जाए जिससे की कोई सम्भावित अपहरणकर्ता हथियार, विस्फोटक पदार्थ तथा अन्य प्राणघातक वस्तुएं विमान पर न ले जा सके। इस उद्देश्य से परिष्कृत/आधुनिकतम वैद्युत धातु उपकरण, हस्त-धारित धातु खोजी, डोर फ्रेम खोजी और हाथों के सामान की एक्सरे से जांच करने वाली मशीन जैसे आधुनिकतम इलेक्ट्रानिक उपस्कर बराबर लगाए जा रहे हैं।

गारमेंट इन्सपेक्शन स्टाफ में अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

4081 **श्री बी० बी० देसाई** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा समिति के क्वालिटी गारमेंट इन्सपेक्शन स्टाफ ने देश से निर्यात किये जाने वाले वस्त्रों की जाच को एक मजाक बनाया हुआ है;

(ख) क्या सरकार को इन कर्मचारियों द्वारा बड़े पैमाने पर किये जाने वाले भ्रष्टाचार के विषय में बताया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कपड़ा समिति अधिनियम, 1963 की धारा 23 के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि समिति केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से विनियम बनाए तथा इनको सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाए;

(घ) क्या यह भी सच है कि 1977 में विनियमों को केन्द्र द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था;

(ङ) क्या सरकार ने गारमेंट इन्सपेक्शन स्टाफ में कर्मचारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जाँच की है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने विभाग में बताए गये इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) गलत प्रमाणीकरण के कतिपय मामले तथा वस्त्र समिति के निरीक्षण स्टाफ में भ्रष्टाचार के बारे में आरोप सरकार के ध्यान में लाए गये हैं।

(ग) जी, हां। वस्त्र समिति अधिनियम की धारा 23 केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से समिति की विनियम बनाने तथा उन्हें अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करती है।

(घ) जी, हां।

(ङ) विशेष मामलों में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जांच की जाती है और समुचित कार्यवाही की जाती है।

(च) वस्त्र समिति को सरकार द्वारा हिदायतें जारी की गई हैं कि यह निरीक्षण उन नियमों तथा विनियमों के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिनमें उद्देश्य यथा सत्यापनीय मापदण्ड दिये गये हैं ताकि निरीक्षणकर्ता स्टाफ की ओर से व्यक्तिपरता तथा भेदभाव को कम किया जा सके। समिति को यह भी हिदायत दी गई है कि निरीक्षणकर्ता स्टाफ के विरुद्ध कोई भी शिकायत हो उनकी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा तत्काल जांच की जानी चाहिए और दोषी पाये जाने वाले स्टाफ के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। समिति से निवारक सतर्कता सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का तेजी से पालन करने लिये भी कहा गया है।

परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के अन्तर्नियमों का संशोधन

4082 **श्री अशफाक हुसैन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली की कार्यकारी समिति की दिनांक 5 जून, 1982 को हुई बैठक के कार्यवाही सारांश तथा परिषद के अन्तर्नियमों के संशोधन के बारे में मद 7 (चार) के अन्तर्गत पारित संकल्प की ओर ध्यान दिया है; और

(ख) कार्यकारी समिति में सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों ने कम्पनी विधि बोर्ड के निदेश का पालन करने सम्बन्धी अपने कृत्य का निर्वाह करते हुए क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यकारी समिति के लिये नामजद सरकारी अधिकारियों ने समिति पर जोर डाला है कि संस्था के अन्तर्नियमों को कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप बनाने के लिये उनमें उपयुक्त रूप से संशोधन करने की आवश्यकता है। तथापि, अब मामला न्यायालय में न्यायाधीन है।

फेरा के प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा अपने ही आदेश के खिलाफ अपील

4083. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान एक व्यक्ति के कब्जे में 25,000 अमेरिकी डालर के सम्बन्ध में 21 अगस्त, 1982 के ब्लिट्ज में "ह्वाट इन टू जीरो फार इंफोर्समेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

यदि हां, तो प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा अपने ही आदेश के विरुद्ध अपील करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रवर्त्तन निदेशक के न्याय निर्णयन पर 24,600 रुपये की पकड़ी गई भारतीय मुद्रा की जब्ती के अलावा, पार्टी पर 65,000 रुपये का कुल अर्थदण्ड लगाया गया था। भारत के राष्ट्रपति को लिखी गयी एक दया-याचिका की प्राप्ति पर वित्त मंत्रालय में मामले की सावधानी पूर्वक जाँच की गई थी तथा चूँकि न्याय निर्णयन आदेश को कठोर पाया गया था, इसलिए प्रवर्त्तन निदेशालय को सलाह दी गयी थी कि वे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 52 (4) के अधीन आदेश की संवीक्षा करने के लिए मामले को विदेशी मुद्रा विनियमन अपील बोर्ड को भेजें। तदनुसार, प्रवर्त्तन निदेशालय ने मामले को बोर्ड को भेजा। बोर्ड ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन तथा 24,600 रु० की जब्ती के सम्बन्ध में न्याय निर्णयन अधिकारी के आदेश की पुष्टि की परन्तु मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अर्थदण्ड की कुल राशि को 65,000 रुपये से कम करके 700 रुपये कर दिया।

भारतीय होटल-मालिकों द्वारा मिल कर विदेशों में होटल स्थापित किया जाना

4084. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या पर्यटन मंत्री भारतीय होटल मालिकों द्वारा मिल कर विदेशों में होटल स्थापित किए जाने के बारे में 6 अगस्त, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4393 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी, इस बीच, एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या वे इसे सभा पटल पर रखेंगे; और

(ग) यदि नहीं तो अपेक्षित जानकारी एकत्र करने में कितना और समय लगेगा ?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना, जो अब एकत्र कर ली गई है, संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5675/82]

पंजाब और सिंध बैंक के दो कार्यकारी अधिकारियों की पत्नियों को ऋण की मंजूरी।

4085. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब और सिंध बैंक के दो वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों (जो कि सगे भाई हैं) की पत्नियों को मद्रास में वाणिज्यिक भवन के निर्माण के लिए 7.50 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि इन दो कार्यकारी अधिकारियों ने व्यक्तिगत तौर पर पहले ही बैंक की रियायती आवास ऋण सुविधा प्राप्त कर ली है;

(ग) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि इन दो महिलाओं को मंजूर किया गया भारी ऋण बैंक की आवास ऋण सुविधा के अन्तर्गत ब्याज की रियायती दर पर मंजूर किया गया था;

(घ) क्या इस ऋण का प्रयोजन भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण आयोजना कार्य के अनुकूलन है; और

(ङ) इस बैंक के अन्य कितने कार्यकारी अधिकारी/अधिकारी को ऐसे विभिन्न प्रकार के ऋणों से लाभ पहुँचा है तथा इसमें ली हुई कुल राशि क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही और यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

अधिक नगरों में यात्री-निवास होटलों का निर्माण

4086. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अतिरिक्त अन्य नगरों में भी यात्री-निवास होटलों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ) : (क) और (ख) दिल्ली में यात्री निवास होटल, जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट है, के परिचालन सम्बन्धी परिणामों का सरकार द्वारा मूल्यांकन किए जाने के बाद ही, दिल्ली के अतिरिक्त अन्य शहरों में यात्री निवास होटलों के निर्माण पर विचार किया जाएगा ।

रबर बोर्ड द्वारा रबर एकरों का पंजीयन

4087. **श्री बी० के० नायर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि केरल तथा अन्य स्थानों पर हजारों एकड़ों के रबर बागानों, जिनमें से अधिकांश का पहले से ही उपयोग हो रहा है, को रबर-बोर्ड के रजिस्टर में शामिल नहीं किया गया है और इस तरह ये बागान सभी अनुवर्ती प्रतिबन्धों, उत्पादन आँकड़ों तथा विकासपूरक कार्यों के विस्तार से अलग रखे जाते हैं;

(ख) क्या इन एकरों को पंजीकरण के अन्तर्गत लाने हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ग) क्या स्टाफ, जो बोर्ड के लिए आवश्यक है, की अपर्याप्त संख्या जैसी संगठनात्मक सीमा को, यदि कोई है, बिना किसी अविलम्ब दूर करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार को जानकारी है कि कुछ ऐसे रबड़ बागान यूनिट है जो अभी तक रबड़ बोर्ड के पास पंजीकृत नहीं हैं। तथापि यह सही नहीं है कि विकसित गैर-पंजीकृत क्षेत्रों से प्राप्त रबड़ की फसल को संगणित उत्पादन आंकड़ों में शामिल किया जाता है। यह भी सही नहीं है कि गैर-पंजीकृत क्षेत्रों को विकास कार्यों से अलग रखा जाता है।

(ख) जी, हां। रबर बोर्ड विकसित गैर-पंजीकृत यूनिटों का शीघ्र पंजीकरण करने के लिए आवश्यक उपाय कर रहा है।

(ग) सरकार रबड़ बागानों का पंजीकरण करने और आवश्यक मंजूरी देने सहित कार्य की सभी मदों पर कार्यवाही करने के लिये रबड़ बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु समय सयय पर उसके द्वारा प्रस्तुत प्रस्थापनाओं पर विचार करती रही है।

बम्बई स्थित सिगरेट कम्पनी पर छापा मुथुकुमारन

4088· **श्री आर० मुत्तुकुमारन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में छपे उस समाचार की जानकारी है जो बम्बई स्थित सिगरेट कम्पनी पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/आयकर विभाग के द्वारा मारे गये छापे के बारे में है और यदि हां, तो इसमें अन्तर्ग्रस्त कम्पनी का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या उत्पाद-शुल्क के किसी अपवंचन का पता लगाया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) कम्पनी के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) कम्पनी की मूल्य सूची पर उत्पादन-शुल्क विभाग की स्वीकृति की क्या स्थिति है और इस विभाग के अनुसार उत्पादन शुल्क की क्या क्या देयताएं बकाया हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) माननीय सदस्य महोदय ने किसी विशेष समाचार का उल्लेख नहीं किया है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अपवंचन रोधी निदेशालय ने 16-9-1982 को बम्बई स्थित गोल्डन तम्बाकू कम्पनी के परिसरों पर छापे मारे थे। छापों में बहुत से कागजात पकड़े गए हैं और मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। जांच-पड़ताल के परिणामों के आधार पर संगत कानून (कानूनों) के अन्तर्गत यथाउचित कार्यवाही की जाएगी।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

अल्प विकसित क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजना की स्थापना के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता

4089. श्री गुलाम मोहम्मद खां : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे अन्य विकसित जिलों और क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है, जहां गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने सहायता प्रदान की है;

(ख) इन क्षेत्रों में नए उद्यमियों को सहायता देने के क्या मानदंड हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में सहायता के लिए किस-किस किस्म की परियोजनाओं का चयन किया गया है; और

(घ) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की भूमिका कृत्य और महत्व को तथा युवा शिक्षित और गम्भीर मनोवृत्ति वाले उद्यमियों को दिए जा रहे प्रोत्साहन को उपयुक्त प्रचार देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उन अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों के ब्यौरे जिनमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) ने पिछले वर्षों के दौरान औद्योगिक परियोजनाओं को सहायता स्वीकृत और संवितरित की है, नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष (जुलाई से जून तक)	स्वीकृतियां जिलों/क्षेत्रों की संख्या	राशि	जिलों/क्षेत्रों की संख्या	संवितरण राशि
1979-80	56	72.77	84	51.92
1980-81	63	103.26	73	52.00
1981-82	74	130.83	94.02	90.02

(ख) आई० एफ० सी० आई० द्वारा सहायता स्वीकृत करने के बारे में कसौटी रहती है किसी योजना की वित्तीय और आर्थिक सक्षमता तथा तकनीकी संभाव्यता एवं राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से उनकी अनुरूपता/किसी परियोजना में प्रायोजक की रुचि बराबर बनाए रखने के लिए अपेक्षित प्रायोजक के अंशदान का हिस्सा सामान्यतः परियोजना लागत के 20 प्रतिशत के बराबर निर्धारित किया जाता है किन्तु नए उद्यमी, टैक्नोशियनों, उद्यमी और कम विकसित क्षेत्रों के स्थानीय आधार वाले उद्यमी के मामले में प्रायोजक के अंशदान में छूट देकर उसे 1

प्रतिशत बना दिया जाता है और निर्धारित पहाड़ी इलाकों में अवस्थित परियोजनाओं के मामले में उसे और भी घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया जाता है। आई० एफ० सी० आई० नए उद्यमियों के पक्ष में आ-साम्या अनुपात और हामीदारी सहायता के मामलों में भी उदार रवैया अपनाता है।

(ग) आई० एफ० सी० आई० के परिचालनों का शासन करने वाली सांविधि के उपबन्धों के अनुसार केवल भारत में निगमित और पंजीकृत लिमिटेड कम्पनियां और सहकारी समिति/समितियां ही आई० एफ० सी० आई से सहायता पाने की हकदार हैं। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सांविधि के उपबन्धों के अनुसार वित्तीय सहायता की पात्र अर्थक्षम परियोजनाओं और उद्योगों को आई० एफ० सी० आई० द्वारा सहायता मंजूर की जाती है।

(घ) आई० एफ० सी० आई० अपने भावी ग्राहकों में आई० एफ० सी० आई० की सहायता विषयक गतिविधियों के बारे में जागरुकता की सुविधा के लिए प्रचार पुस्तिकाएं प्रकाशित करता है। आई० एफ० सी० आई० द्वारा बनाई गई राज्य/जोन/क्षेत्रीय सलाहकार समितियां भी इस प्रकार के मंचों के रूप में कार्य करती हैं जिनके द्वारा आई० एफ० सी० आई० के विकास कार्यक्रम और सहायक गतिविधियां जिनमें पिछड़े क्षेत्रों और नए तथा टेक्नीशियन उद्यमियों विषयक आयोजनाएं शामिल हैं, उद्योग के सदस्यों में प्रचारित होती हैं।

विकास और प्रबन्ध प्रशिक्षण परियोजना के बारे में भारत-अमरीका करार

4090. श्री एन० ई० होरो : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत और अमरीका ने 'विकास और प्रबन्ध प्रशिक्षण परियोजना' नामक किसी करार पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना के प्रयोजन से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है तथा परियोजना की लागत क्या होगी ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। 'विकास और प्रबन्ध प्रशिक्षण' नामक परियोजना के लिए अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के साथ 30 सितम्बर, 1982 को 2.3 करोड़ रुपए (24 लाख डालर) की राशि के एक अनुदान करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना का उद्देश्य है सरकारी क्षेत्र की प्रबन्धकीय और तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करना और जहां उपयुक्त हो वहां दोनों पक्षों के परस्पर हितों के क्षेत्रों में गैर-सरकारी क्षेत्र की जनशक्ति को सुदृढ़ करना। इस परियोजना की कुल लागत 7.8 करोड़ रुपए है जिसमें अमेरिकी अंशदान लगभग 5.9 करोड़ रुपए का होगा, जिसके किस्तों में उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

स्वदेशी काटन टैक्सटाइल मिल्स लि० की टैक्सटाइल यूनिटों को अपने अधीन लेना

4091. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० डी० आर० अधिनियम की धारा 18-कक के अन्तर्गत स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि० की छः टैक्सटाइल यूनिटों को अपने हाथ में लेने के मामले में दिनांक 13 जनवरी, 1981 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि० के तत्कालीन प्रबन्धकों को मंजूर की गई सुनवाई की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) क्या यूनिटों तथा कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि० के छः वस्त्र एककों को नियन्त्रण में लेने के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 13 जनवरी 1981 के अनुसरण में स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि० के भूतपूर्व प्रबन्ध को एक सुनवाई का मौका दिया गया। सुनवाई के परिणामस्वरूप अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) इस मामले में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

भारतीय खाद्य निगम आदि को घटिया किस्म की बोरियों की सप्लाई

4092. **श्री भीखा भाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन उद्योग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भाण्डागार निगम तथा अन्य खाद्यान्न एजेंसियों को 1.21 किलोग्राम के मानक वजन वाली 'ए' श्रेणी की बोरियों की सप्लाई करे, लेकिन उसकी बजाय 850 ग्राम तथा 950 ग्राम वजन वाली बोरियां सप्लाई की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा घटिया किस्म की बोरियां सप्लाई करने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) वर्ष 1978-79, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान पटसन उद्योग ने भारतीय खाद्य निगम को कुल कितने मूल्य की कितनी बोरियां सप्लाई कीं; और

(घ) इस सम्बन्ध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा क्या कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उत्पादित किए जा रहे 43—1/2×26—1/2 इंच साइज के बी-टिबल का मानक वजन गुंजाइश (—75 ग्राम तथा +100 ग्राम प्रति बैग) तथा 20

प्रतिशत नमी पुनर्ग्रहण के साथ प्रति बैग 1005 ग्राम है। यह सही है कि कुछ मामलों में 850 ग्राम से 950 ग्राम प्रति बैग के बीच के वजन वाले बैग सप्लाई किये जा रहे हैं।

(ख) 20 प्रतिशत नमी पुनर्ग्रहण के साथ 930 ग्राम का बैग तकनीकी तौर पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्वीकार्य है। यदि शुष्क क्षेत्रों में नमी कम है तो वास्तविक वजन अपेक्षाकृत कम हो सकता है और यह निष्कर्ष निकालने से पहले कि बैग अवमानक है अथवा नहीं इसे ठीक करना होता है। अवमानक बैगों की सप्लाई की रिपोर्ट के मामले में निम्नलिखित कार्यवाहियां की जाती हैं :

1. अवमानक माल की पूरी लागत तथा ऊपरी खर्चों को फर्म के बिलों से रोक लिया जाता है।
2. आई. एस. आई. कंसाइनी और सम्बन्धित फर्म द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाता है।
3. फर्म से स्वीकार्य क्वालिटी का माल प्रतिस्थापित करने के लिए कहा जाता है।
4. आई० एस० आई० से कड़ा क्वालिटी नियन्त्रण लागू करने के लिए कहा गया है।

(ग) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :

वर्ष	खरीदी गई मात्रा (गांठों में)	कुल लागत (करोड़ रु० में)
1978-79	2,32,035	27.99
1979-80	2,82,085	42.19
1980-81	3,68,242	49.55
1981-82	2,19,892	30.09

(घ) 1978-79, 1979-80, तथा 1980-81 के वर्षों के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। 1981-82 के दौरान केवल 10,351 गांठों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 1,598 गांठें संयुक्त निरीक्षण में स्वीकार की गईं। 1,191 गांठें सम्बन्धित फार्मों द्वारा प्रतिस्थापित की गईं। मूल्य में समुचित कटौती के साथ शेष 7,562 गांठों को स्वीकार करने के लिए एक प्रस्ताव भारतीय खाद्य निगम के विचाराधीन है।

कताई मिलों की स्थापना

4093. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में और अधिक कताई मिलों की स्थापना करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में कितनी कताई मिलों की स्थापना की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में वर्ष 1982-83 का सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 50,000 तकुओं तक की क्षमता वाली कताई मिलों की स्थापना को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार का विभिन्न राज्यों में अपनी कताई मिलें स्थापित करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) तथा (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहायता से उड़ीसा में पांच सहकारी कताई मिलें स्थापित किए जाने की सम्भावना है। उनमें से किसी भी कताई मिल ने उत्पादन करना आरम्भ नहीं किया है।

असम सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय दरों पर महंगाई भत्ता दिया जाना

4094. **श्री अजय बिश्वास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम राज्य सरकार का केन्द्रीय दरों पर महंगाई भत्ते की स्वीकृति प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों में राज्य के कर्मचारियों को मिल रहे महंगाई भत्ते तथा महंगाई भत्ते की केन्द्रीय दरों में कितना-कितना अन्तर है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार असम राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की केन्द्रीय दरों को लागू करने करने के बारे में विचार कर रही है जबकि अधिकांश राज्यों ने इसे लागू कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब लागू किया जाएगा ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पटना जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

4095. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की संख्या क्या है;

(ख) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान इन राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा-धनराशियों का पृथक-पृथक ब्योरा क्या है; और

(ग) पटना जिले में इन बैंकों में से प्रत्येक बैंक ने कितनी धनराशि के ऋण दिए ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जून, 1982 के अंत की स्थिति के मुताबिक बिहार के पटना जिले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 191 शाखाएं कार्यरत थीं।

(ख) और (ग) जमाराशियों तथा अग्रिमों के सम्बन्ध में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जिलेवार आंकड़े उपलब्ध हैं। दिसम्बर, 1981 के वास्ते पटना जिले के सम्बन्ध में ताजा आंकड़े तथा दिसम्बर, 1980 के वास्ते समनुरूप आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

निम्नलिखित वर्षों के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के मुताबिक	सूचित करने वाले अधिकारियों की संख्या	जमाराशियां	ऋण (करोड़ रुपये)
दिसम्बर, 1980	177	279.30	139.19
दिसम्बर, 1981	191	372.03	189.15

एन० सी० सी० अधिकारियों को सुविधाएं

4096. **श्री केयूर भूषण** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल कैडेट कोर में सशस्त्र सेना के अधिकारियों तथा एन० सी० सी० (स्थायी कमीशन प्राप्त) अधिकारियों को समान किस्म की ड्यूटी करनी पड़ती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके वार्षिक अवकाश की संख्या में अन्तर है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन दो मामलों में सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टियों की संख्या में भी अन्तर है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि एन० सी० सी० अधिकारियों के मामले में सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी की एवज में नगद भुगतान नहीं किया जाता है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) यद्यपि ले० कर्नल के पद तक के सैनिक अफसरों और एन० सी० सी० के स्थाही कमीशन प्राप्त अफसरों द्वारा निष्पादित ड्यूटियां न्यूनाधिक एक जैसी ही होती हैं। फिर भी कुल मिलाकर उनकी जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं। इसलिए उनकी सेवा शर्तें, जिनमें वार्षिक छुट्टी तथा सेवानिवृत्ति-पूर्व/सेवान्त छुट्टी भी सम्मिलित हैं, भी अलग-अलग होती हैं।

एन० सी० सी० के स्थायी कमीशन प्राप्त अफसर अपनी वार्षिक छुट्टी के अलावा किसी सेवानिवृत्त छुट्टी के हकदार नहीं हैं। परन्तु उनकी सेवानिवृत्ति के वर्ष में अधिकतम 30 दिनों की बकाया छुट्टी के बदले नकद राशि का भुगतान किया जा सकता है।

अवन्तीपुर एयरफील्ड, श्रीनगर से बिना किसी अधिकार के सीमेंट का हटाया जाना

4097. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वर्ष 1978 से वर्ष 1982 में अब तक की अवधि के दौरान अवन्तीपुर एयरफी श्रीनगर के प्रतिबन्धित क्षेत्र से, वहां काम कर रहे एम० ई० एस० कर्मचारियों/ठेकेदारों/अ व्यक्तियों द्वारा बिना किसी प्राधिकार के सीमेन्ट को अवैध रूप से बाहर ले जाने के कोई माम वायु सेना प्राधिकारियों के ध्यान में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो अवन्तीपुर एयरफील्ड के वायुसेना प्राधिकारियों के नोटिस में आ प्रत्येक मामले का ब्योरा क्या है;

(ग) कितनी मात्रा में सीमेन्ट निकाला गया है तथा इस काम में किन लोगों का हाथ था; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा शुल्क मुक्त दुकानों का चलाया जाना

4098. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम देश के विभिन्न भागों में कुछ शुल्क मुक्त दुकानें चलाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) दिल्ली (दो दुकानें), बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, त्रिचीं और त्रिवेन्द्रम में भारत पर्यटन विकास निगम सात शुल्क मुक्त दुकानों का परिचालन कर रहा है। ये दुकानें "आउटगोइंग टूरिस्टों" को, विदेशी मुद्रा में भुगतान पर, शापिंग-सुविधाएं देती हैं। बिक्री की मदों में लिकर, सुगंधित द्रव्य, सिगरेट, कैमरे, घड़ियां, इलेक्ट्रानिक गुड्स आदि शामिल हैं। 1981-82 के दौरान ₹86.63 लाख रुपए का लाभ हुआ था।

दिल्ली के आयकर आयुक्त का घेराव

4099. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मन्त्रालय ने घेराव को कर्मचारियों की मांगों पर बातचीत करने के एक तरीके के रूप में स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या दिल्ली के आयकर विभाग के आयकर आयुक्त, दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा अनेक बार घेराव किया गया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो सरकार का उन एसोसिएशनों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है, जिन्होंने दिल्ली के आयकर आयुक्त का घेराव किया था ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी; नहीं ।

(ख) आयकर विभाग, नई दिल्ली के कर्मचारियों ने 24-9-1982 को आयकर आयुक्त दिल्ली-I, नई दिल्ली का घेराव किया था ।

(ग) यह मामला विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर के काशीनाथ सेठ बैंक में लाकरों से चोरी

4100. **श्री अनवर अहमद** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर के काशीनाथ सेठ बैंक के लाकरों से कितनी बार चोरी हुई है;

(ख) क्या इस बारे में स्थानीय लोगों तथा शाहजहांपुर थाने के अधिकारियों द्वारा शिकायतें दर्ज कराई गईं और यदि हां, तो किस-किस तारीख को शिकायतें दर्ज कराई गईं;

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की तथा क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में स्थिति का पता लगाया जा रहा है और उसे प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

आयकर अदा करने वाले व्यक्ति

4101. **श्री ए० के० राय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत दस वर्षों से आयकर का भुगतान कर रहे व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा इसका वर्ष-वार ब्योरा क्या है;

(ख) उनमें से वेतनभोगी व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में, स्वतंत्र व्यवसाय करने वाले व्यक्ति, तथा डाक्टर, वकील, व्यापारी आदि आयकर नहीं देते हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इस आशय से कोई मूल्यांकन किया है, यदि हां, तो विस्तृत तथ्य क्या हैं और उनके सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) पिछले दस वर्षों के दौरान विभाग के रजिस्टरों में वास्तविक आयकर निर्धारितियों की संख्या निम्नानुसार है :—

वर्ष	वास्तविक निर्धारितियों की संख्या	
1972-73	3388259	
1973-74	3460843	
1974-75	3637434	
1975-76	3796258	
1976-77	3758753	
1977-78	3955244	
1978-79	3969965	
1979-80	4175615	
1980-81	4594425	
1981-82	4660750	(अनन्तिम)

(ख) वेतन-भोगी कर-निर्धारितियों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

एयर इण्डिया द्वारा नई दिल्ली में भवन किराए पर लेना

4102. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या एयर इण्डिया, नई दिल्ली ने एम ब्लाक, कनाट प्लेस, नई दिल्ली में अपने कार्मिक तथा क्रय कार्यालय के लिए एक भवन किराए पर लिया है;

(ख) यदि हां, तो लीज की शर्तें क्या हैं तथा इसके दैनिक रख-रखाव तथा वार्षिक मरम्मत के लिए कौन जिम्मेवार है तथा इनमें से प्रत्येक मद के अंतर्गत अनुमानित वार्षिक व्यय क्या है;

(ग) क्या एयर इण्डिया ने हाल ही में इस कार्यालय को नवीकृत किया है, यदि हां, तो

कितनी राशि व्यय हुई तथा किस प्रकार ठेका दिया गया था; क्या कोई निविदाएं आमंत्रित की गई थीं तथा किस पार्टी या पार्टियों को अन्तिम रूप से यह कार्य सौंपा गया; और

(घ) क्या उनका विचार उनके मंत्रालय द्वारा नियुक्त कुछ तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मामले की जांच कराने का है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) जी, हां।

(ख) पट्टे की शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(1) दिया जाने वाला किराया 19,623 रुपये और 60 पैसे प्रतिमाह।

(2) दिन-प्रतिदिन के रख-रखाव की एयर इन्डिया की जिम्मेदारी है।

(3) एक वर्ष में एक बार रंगदार सफेदी तथा आवश्यकता होने पर मरम्मत, मालिक की जिम्मेदारी होगी।

(4) यदि उक्त शर्तों के अनुसार रंगदार सफेदी/मरम्मत नहीं की जाती तो एयर इंडिया इन्हें करवा सकता है बशर्ते कि ऐसे कार्यों की लागत एक महीने के किराए से अधिक नहीं होगी।

दिन प्रतिदिन के रख-रखाव पर वार्षिक व्यय 21,120 रुपये है।

वर्ष 1980-81 तथा वर्ष 1981-82 में इस भवन में कोई बड़ी मरम्मत नहीं की गई है।

(ग) भंडार तथा कार्मिक विभागों को स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1980 में आंतरिक पार्टिशन/वातानुकूल/बिजली का काम करवाया गया था। मुहरबन्द निविदाएं मंगवाई गईं थीं तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समिति की सिफारिश पर, निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार इस कार्य का ठेका दिया गया था :—

	कार्य का नाम	धनराशि	जिनको ठेका दिया गया
(I)	आंतरिक पार्टिशन करना/छत कार्य	2,63,494 रुपये	मैसर्स रलया राम मेला राम
(II)	वातानुकूलन/बिजली का काम	2,41,683 रुपये	मैसर्स यूटिलिटी इन्जीनियर्स
(III)	वास्तुकरों का शुल्क (वीरेन्द्र खन्ना एंड एसोसिएटस्)	19,389 रुपये	— —

(घ) जी, नहीं।

पटसन मिलों का बन्द होना

4103. **श्री निहाल सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय बंद पड़ी पटसन मिलों की कुल संख्या कितनी है और इन मिलों को फिर से चालू करने और लाभकारी मूल्यों पर पटसन की वसूली करने हेतु गत एक वर्ष के दौरान क्या कदम उठाए गये;

(ख) भारतीय पटसन निगम द्वारा जनवरी, 1982 से सितम्बर 1982 तक की अवधि के लिये कच्चे जूट के क्या मूल्य निश्चित किये गये और कितनी मात्रा में पटसन की खरीद की गई;

(ग) क्या यह सच है कि पटसन उत्पादकों को अपना पटसन अत्यन्त कम मूल्यों पर बेचना पड़ा था; और

(घ) इन मिलों को फिर से चालू करने और इस अवधि के दौरान पटसन की खरीद करने की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने पटसन मजदूरों और केन्द्रीय मजदूर संघों के प्रतिनिधियों के साथ कितनी बार बातचीत की थी ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) प्रत्येक जूट मौसम (जुलाई से जून) के लिये कृषि मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा कच्चे जूट की खरीद की कीमतें निर्धारित की जाती हैं। जूट वर्ष 1882-83 के लिये श्वेत जूट (आधार। 8 ब्ल्यू 5 एक्स असम) की न्यूनतम सांविधिक कीमतें 175 रु० प्रति क्विंटल की दर से निर्धारित की गई हैं। श्वेत तथा टोसा/देसी जूट के बीच कीमत अन्तर 10.50 रु० प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 12.50 रु० प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बाजार में नई फसल केवल जुलाई, 1982 से आनी शुरू होती है। भारतीय जूट निगम तथा सहकारी समितियों द्वारा इस मौसम में सितम्बर, 1982 तक कच्ची जूट की 180 किग्रा० वाली कुल 3,34,973 गाठें खरीदी गई थी।

(ग) सरकार को अभी तक आयात बिक्री के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(घ) चूंकि श्रमिकों का मामला राज्य सरकारों से सम्बन्धित है और इस प्रकार के विचार-विमर्श राज्य के श्रम विभाग द्वारा किये जाते हैं।

विवरण

19 अक्तूबर, 1982 को 10 मिलें बंद थी। उनमें तालाबन्दी थी। ये प्राइवेट मिलें हैं। इन मिलों को फिर से खोलने के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये उपायों में जूट माल

बाजार में मांग में तेजी लाने और सप्लाई मांग असन्तुलन को सही करने सम्बन्धी उपाय शामिल हैं ताकि तालाबन्दी वाली मिलों को फिर से चालू करने के लिए जूट उद्योग के लिए अनुकूल आर्थिक वातावरण सृजित किया जा सके। चूंकि श्रमिक सम्बन्धी मामला राज्य सरकारों से सम्बन्धित है तथा इस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना सम्भव नहीं है। 1982-83 के लिए भारतीय जूट निगम की कार्यसंचालन योजना ने इसके लिए बढ़ी हुई भूमिका की व्यवस्था है। स्वीकृत योजना के अनुसार निगम को मात्रा सम्बन्धी लक्ष्य की किसी भी सीमा से बाहर, कीमत समर्थन कार्यों के अधीन सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सांविधिक कीमतों पर उत्पादकों द्वारा पेश की गई कच्चे जूट की किसी भी मात्रा को खरीदना होता है। सरकार ने भारतीय जूट निगम के बाजार सम्बन्धी क्षेत्र में विस्तार करने का निर्णय लिया है और यथानुसार सात अतिरिक्त विभागीय खरीद केन्द्र तथा 14 उप-केन्द्र स्थापित किये गये हैं। ये सभी उपाय ग्राम "हाट" तथा ग्राम में चुनिन्दा संग्रहण केन्द्रों पर उत्पादकों के सीधे जूट खरीदने सम्बन्धी भाग में वृद्धि करने की दृष्टि से खरीद कार्यों में वृद्धि करने के लिए किए गये हैं।

दिल्ली पर्यटन विकास निगम में कार्य कर रहे तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने का प्रस्ताव

4104. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पर्यटन विकास निगम में कार्य कर रहे तदर्थ कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) ये कर्मचारी कब से तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या इस प्रकार के उन तदर्थ कर्मचारियों को, जो वहां गत तीन वर्षों से नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं; नियमित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या हैं; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है जो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 372

(ख) दिल्ली पर्यटन विकास निगम को वर्ष 1979 में सौंपे गए आई० एम० एफ० एल० ट्रेड जैसे तदर्थ कार्यकलापों को चलाने के लिए निगम के कर्मचारियों के एक बड़े हिस्से की भर्ती की गई थी। अतः कार्यकलापों में बढ़ोतरी की वजह से जरूरत के मुताबिक समय-समय पर तब से और उसके बाद से इस स्कीम के अन्तर्गत अस्थाई और तदर्थ नियुक्तियां की गई थीं।

इसके अलावा, एशियाड 82 तथा सीजनल टूरिस्ट ट्रेड जैसे अस्थाई कार्यकलापों के लिए टूरिजम एण्ड ट्रांसपोर्ट डिविजनों में और साथ ही निगम के नियमित कार्यकलापों के लिए भी

भर्ती पद्धति के अनुसार कर्मचारियों का जब तक नियमित आधार पर चयन हो तब तक के लिए कुछ तदर्थ नियुक्तियां की गई थी।

(ग) जब तक आई०एम०एफ०एल० व्यवसाय को स्थाई नहीं बना दिया जाता और जब तक यह दिल्ली प्रशासन की आबकारी नीति के अनुसार दिल्ली पर्यटन विकास निगम के पास साल-दर-साल आधार पर अस्थाई रहता है (फिलहाल 31.3.1983 तक), इस स्कीम के अन्तर्गत नियमित स्टाफ की भर्ती नहीं की जा सकती। तथापि, उपर्युक्त कर्मचारियों के अलावा जो कर्मचारी निगम के नियमित कार्यकलापों के लिए अपेक्षित हैं, उन्हें निर्धारित भर्ती पद्धति के अनुसार भर्ती/नियमित किया जाएगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई पहले से ही की जा रही है।

(घ) जैसाकि ऊपर स्पष्ट किया गया है।

कृषि प्रयोजनों हेतु हवाई जहाजों का उत्पादन

4105. **श्री के० मालन्ना** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कीटनाशक दवाओं और उर्वरकों को छिडकाव करने जैसे कृषि सम्बन्धी कामों के लिए हवाई जहाजों का उत्पादन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या काम के लिए हवाई जहाजों के निर्माण करने पर विचार किया जा सकता है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पो० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय इस प्रयोजन के विमानों का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है।

पालम सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा 'कोफीपोसा" के अन्तर्गत की गई गिरफ्तारियां

4106. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम के सीमाशुल्क अधिकारियों ने पिछले एक साल में "कोफीपोसा" या तस्करी के अपराधों के अन्तर्गत कितने लोगों को गिरफ्तार किया है;

(ख) इन मामलों में कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त रही है; और

(ग) कितने मामलों में पुनर्निर्यात की अनुमति दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में तस्करी रोकने के लिए विदेशी-मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के अंतर्गत

नजरबन्दी के आदेश दिल्ली प्रशासन द्वारा दिये जाते हैं न कि पालम के सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा। पिछले एक वर्ष में पालम के सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गये तस्करी के मामलों के सम्बन्ध में 22 व्यक्तियों को नजरबन्दी के ऐसे आदेश जारी किये गये थे। इन मामलों में ग्रस्त माल का कुल मूल्य चौंतीस लाख रुपये था। इनमें से किसी भी मामले में अभिगृहीत माल के पुनर्निर्यात की अनुमति नहीं दी गई।

तस्करी के सामान का मूल्य

4107. श्री मोहन लाल पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 में देश के विभिन्न भागों में जोन-वार कितने मूल्य का तस्करी का सामान पकड़ा गया है; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में जोन-वार कितने आदमी गिरफ्तार किए गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) 1981 और 1982 (अगस्त तक) में सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा देश के विभिन्न भागों से, जिनमें पश्चिमी समुद्र तट क्षेत्र, पूर्वी समुद्री तट क्षेत्र और पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश और बर्मा के साथ-साथ लगने वाली भू-सीमाएं भी शामिल हैं, पकड़े गये तस्करी के माल का कुल मूल्य और उसी अवधि में तस्करी क्रिया-कलापों में ग्रस्त होने के कारण गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है:—

वर्ष	पकड़े गये माल का अनुमानित मूल्य (करोड़ रुपयों में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1981	39.72	2175
1982 (अगस्त तक)	43.68	1580

गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में विधि सम्मत उपर्युक्त कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

भारतीय ऊनी वस्त्र और ऊनी सिले-सिलाए कपड़ों की मांग

4108. श्री डी० पी० जवेजा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में भारतीय ऊनी वस्त्रों और सिले-सिलाये कपड़ों की बहुत अधिक मांग है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान कितने मूल्य के ऊनी कपड़ों का किन देशों को निर्यात किया गया;

(ग) उन मिलों के नाम क्या हैं जो ऊनी वस्त्रों का निर्यात करती हैं और उपर्युक्त अवधि में इन कम्पनियों ने कितने मूल्य के कपड़ों का निर्यात किया है;

(घ) क्या यह सच है कि 'वूल टाप्स" का निर्यात किया जा रहा है, यदि हां, इस पर वार्षिक कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ङ) क्या देश के भीतर ही "वूल टाप्स" का निर्माण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है, यदि, हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) विदेशों में भारतीय ऊनी माल की अच्छी मांग है।

(ख) तथा (ग) वर्ष 1980-81 तथा 1982-82 के दौरान निर्यात किये गये ऊनी कपड़े (फैब्रिक्स) का मूल्य निम्नोक्त प्रकार है :

	(मूल्य लाख रु०)	
1980-81	[309.68]	अनन्तिम
1981-82	[429.71]	

पार्टी-वार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। जिन देशों को ऊनी फैब्रिक्स निर्यात किये गये वे हैं :

(1) कनाडा

(2) आस्ट्रेलिया

(3) ब्रिटेन

(4) डेनमार्क

(5) फिनलैंड

(6) मध्य पूर्व देश तथा खाड़ी के राज्य

(7) सं० रा० अमरीका

(8) सोवियत संघ आदि।

(घ) 1982-82 की आयात नीति के अन्तर्गत ऊन टाप्स के आयात पर रोक है। तथापि, पंजीकृत निर्यातकों के लिए आर० ई० पी० हकदारी के अधीन ऊन टाप्स के आयात की अनुमति

है। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वर्ष 1981-82 के लिये ऊन टाप्स के आयात के 1980-81 तथा आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :—

वर्ष	मात्रा (लाख किग्रा०)	मूल्य (लाख रु०)
1980-81	9.00	432.00
1981-82	15.00	950.00

(ङ) देश के भीतर इस समय लगभग 23 यूनिट ऊन टाप्स का विनिर्माण कर रहे हैं। इसकी लाइसेंस क्षमता 71.13 मि० पौंड है लेकिन स्थापित क्षमता लगभग 52.25 मिलियन पौंड है।

कपड़ा उद्योग

4109. श्री चिन्तामणि जेना : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा उद्योग संकट में है और देश की अधिकांश कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हैं और इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) देश और मजदूरों के हित में इस उद्योग को बचाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) 30 सितम्बर, 1982 की स्थिति के अनुसार श्रमिक समस्याओं और वित्तीय कठिनाइयों के कारण 29 वस्त्र मिलें बन्द कर दी गई थीं।

(ग) समय समय पर किये गये उपायों में शामिल हैं—सुलभ ऋण योजना लागू करना, कन्ट्रोल के कपड़े के दायित्व वाली गैर-सरकारी क्षेत्र की मिलों को राहत प्रदान करना, नये लाइसेंसों को प्राप्त किये बिना करघे को करघे से बदलने की अनुमति देना, और वस्त्र उद्योग की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति स्थापित करना। इसके अतिरिक्त सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप पिछले रूई वर्ष में रूई की कीमतों में स्थिरता आई है और वही स्थिरता का रुख चालू वर्ष में जारी है।

गणेश आटा मिल्स का राष्ट्रीयकरण

4110. श्री चन्द्रपाल शैलानी : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अमृतसर तेल मिल्स की तरह गणेश आटा मिल्स का राष्ट्रीयकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) से (ग) गणेश फ्लोर मिल्स कं० लि० के भावी ढांचे का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया के पेंशनरों को मंहगाई भत्ते की देय किस्त

4111. श्री केशव राव पारधी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टेट बैंक आफ इण्डिया के पेन्शनरों को मंहगाई भत्ते की कितनी किस्तें देय हो गई हैं;

(ख) उनमें से कितनी किस्तें दे दी गई हैं और कितनी किस्तें अभी देना बाकी हैं;

(ग) पेंशनरों को मंहगाई भत्ते रिलीज करने तथा उनका भुगतान करने के आदेशों को जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) मंहगाई भत्ते की सभी देय किस्तों और बकाया धनराशि का भुगतान करने के आदेश कब तक जारी किए जायेंगे; और

(ङ) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया की दिल्ली शाखा पेंशनरों को भुगतान करने और अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन करने में सब से पीछे है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि 1 दिसम्बर, 1978 से 1 अप्रैल 1982 तक बैंक के पेंशनरों को मंहगाई भत्ते की 17 किस्तें देय थीं। पेंशनरों को ये सभी किस्तें जारी कर दी गई हैं। सरकार ने 1 जून, 1982 से अपने पेंशनरों को एक और किस्त जारी की है अतः, बैंक भी अपने पेंशनरों को 18 वीं किस्त जारी करने की प्रक्रिया में है। बैंक ने सूचित किया है कि पेंशनरों को मंहगाई भत्ते की देय किस्तों के जारी किये जाने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है और सरकारी से सूचना प्राप्त होते ही, बैंक के कार्यालयों को निरपवाद रूप से अनुदेश जारी कर दिये जाते हैं।

(ङ) बैंक के अनुसार, दिल्ली स्थित इसकी किसी भी शाखा से, बैंक के पेंशनरों को मंहगाई भत्ता जारी किये जाने में विलम्ब के सम्बन्ध में में कोई शिकायत नहीं मिली है।

भारत को दी जाने वाली विदेशी सहायता के सम्बन्ध में अमरीकी रवैया

4112. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हमारे प्रधान मंत्री की अमरीकी यात्रा के बाद भारत के प्रति अमरीकी सहायता नीति की संकल्पना में कोई परिवर्तन आया है; और

(ख) यदि हां, तो इससे भारत के विभिन्न आर्थिक कार्यक्रम कितने प्रभावित हुए हैं और सहायता अन्तर को पूरा करने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) गत जुलाई-अगस्त में प्रधान मंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान अमेरिकी प्राधिकारियों को रियायती सहायता के प्रवाह के बारे में भारत के दृष्टिकोण से अवगत करा दिया गया था। जहां अमेरिकी सरकार ने हमारी इस सम्बन्ध में प्रकट की गई चिन्ता को विशेष रूप से कुछ एक विकास परियोजनाओं के बारे में हमारी चिन्ता को उचित ठहराया वहां उन्होंने बजट सम्बन्धी अपनी कठिनाइयों का भी जिक्र किया।

बरेली को वायुदूत सेवा में शामिल करना

4113. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के बरेली कस्बे को वायुदूत सेवा से शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) वायुदूत सेवा का देश में प्रावस्थाबद्ध रूप में विस्तार किया जा रहा है, इसलिए सभी स्टेशनों को तुरन्त ही इसके अंतर्गत लाना सम्भव नहीं है। बरेली इस समय कार्यान्वित किए जा रहे विस्तार कार्यक्रम की चालू प्रावस्था में सम्मिलित नहीं है।

पूर्वी क्षेत्र की कपड़ा मिलें

4114. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि पूर्वी भारत के कपड़ा मिलों की हालत ठीक नहीं है और अधिकांश मिलें 8.33 प्रतिशत बोनस देने की स्थिति में नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार पूर्वी क्षेत्र में कपड़ा मिलों तक सीमित किसी विशिष्ट प्रस्ताव पर विचार

नहीं कर रही है। रुई की कीमतों में स्थिरता से आशा है कि उन मिलों के सामने, जो कार्यात्मक दृष्टि से कुशल हैं; अनुचित कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

निर्यात गृह

4115. श्री एम० राजशेखर मूर्ति : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात नीति 1982-83 के अन्तर्गत निर्यात गृहों को कुछ सुविधाएं प्राप्त हैं;

(ख) क्या उपरोक्त उल्लिखित किसी गृह को शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर शत-प्रतिशत से अधिक के वर्तमान निर्यात पर भी उपरोक्त लाभ नहीं मिलेंगे; और

(ग) यदि उपरोक्त (ख) का उत्तर नहीं में है, इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) एक अनुमोदित शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक द्वारा विनिर्मित उत्पादों के निर्यात भी निर्यात सदन योजना के अन्तर्गत लाभों के पास होते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा सफाई कर्मचारियों का चपरासी संवर्ग में अन्तरण के लिए ली जाने वाली परीक्षा

4116. श्री राम प्यारे पनिका : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा सफाई कर्मचारियों का चपरासियों के संवर्ग में अंतरण के लिए कोई परीक्षा ली गई थी; यदि हां, तो सेवा अनुभव तथा शैक्षणिक योग्यताओं का न्यूनतम योग्यता मानदण्ड क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, यदि हां, तो सफल सफाई कर्मचारियों की क्षेत्र-वार संख्या क्या है;

(ग) चपरासियों के संवर्ग में अन्तरण हेतु परीक्षा में शामिल हुए सफाई कर्मचारियों की क्षेत्र-वार संख्या क्या है;

(घ) उपर्युक्त परीक्षा के आधार पर चपरासियों के संवर्ग में अन्तरित सफाई कर्मचारियों की क्षेत्र-वार संख्या क्या है; और

(ङ) क्या गृह मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 2 फरवरी, 1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42015/1/76—स्थापना (ग) के अनुसार निदेशित सेवा अनुभव के न्यूनतम योग्यता मानदण्ड तथा शैक्षणिक योग्यता को लागू किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ङ) सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि सफाई कर्मचारियों के, चपरासियों के संवर्ग में स्थानान्तरण के वास्ते बैंक के अहमदाबाद, बम्बई, हैदराबाद, लखनऊ, कलकत्ता तथा पुणे क्षेत्रों में परीक्षायें आयोजित की गई थीं। बैंक के मद्रास, चण्डीगढ़, भोपाल तथा पटना क्षेत्रों में कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी, क्योंकि वहां पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे। बैंक के दिल्ली क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों के चपरासियों के संवर्ग में स्थानान्तरण के वास्ते कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। बैंक ने दिल्ली क्षेत्र को सलाह दी है कि यदि निर्धारित पात्रता मानदण्डों को पूरा करने वाले उम्मीदवार मौजूद हों तो शीघ्र ही परीक्षायें आयोजित की जायें।

परीक्षा के वास्ते पात्रता के प्रयोजन के लिए बैंक के कर्मचारी की सफाई-कर्मचारी/फराश/हमाल के रूप में 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा तथा साक्षर होना आवश्यक है जिससे कि वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ सके।

बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड, गृह मन्त्रालय, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के तारीख 16 जनवरी 1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42015/3/75-संस्थापना (सी) और तारीख 2 फरवरी, 1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42015/1/76-संस्थापना (सी) के अनुदेशों के अनुसार हैं।

(ख) से (घ) सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि जहां कहीं उक्त परीक्षायें आयोजित की गई थी, उनके परिणाम घोषित कर दिये गए थे। इन परीक्षाओं में बैठे उम्मीदवारों की क्षेत्रवार संख्या तथा उनमें से सफल हुए उम्मीदवारों की संख्या निम्नलिखित है:—

क्षेत्र	परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की संख्या	सफलता प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या
अहमदाबाद	2	2
बम्बई	19	19
हैदराबाद	2	2
लखनऊ	3	2
कलकत्ता	48	34
पुणे	3	1

सभी साठ सफल उम्मीदवारों को चपरासियों के संवर्ग में स्थानान्तरण कर दिया गया है।

मंत्रालय के स्थाई कर्मचारियों का सरकारी उपक्रमों से स्थानान्तरण

4117. श्री डूंगर सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान उसके मंत्रालय के कितने स्थाई कर्मचारियों को सरकारी उपक्रमों में स्थानान्तरित किया गया; और

(ख) क्या ऐसे व्यक्तियों को यथा-अनुपात पेंशन लाभ दिए गये थे तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) दो ।

(ख) एक मामले में यथानुपात पेंशन लाभ पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं और दूसरे मामले में इस तरह के लाभ देने की कार्रवाई चल रही है ।

बम्बई में निर्यात वस्त्र घोटाला

4118. श्री सुधीर कुमार गिरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अगस्त, 1982 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बम्बई में निर्यात के वस्त्रों में घोटाला होता है;

(ख) क्या यह सच है कि बिजली चालित करघों और मिलों में बने वस्त्र वास्तव में हथकरघों को इस उद्योग से बाहर कर रहे हैं;

(ग) क्या गुणवता नियन्त्रण की निरीक्षण प्रणाली की पुनरीक्षा करने के लिये परिधान निर्यातकों ने कोई सुझाव दिया है; और

(घ) इस मामले में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्यात, आयातक देशों आदि में समय-समय पर विद्यमान विभिन्न तथ्यों पर निर्भर होते हैं जैसे उपभोक्ता पसन्द, बाजार मांग, कीमत, आर्थिक स्थितियां । कुछ आयात देशों में कई प्रकार के हथकरघा वस्त्रों के लिए मांग में हाल में कमी हुई है ।

(ग) जी, हां । परिधान निर्यातकों की ओर से सुझाव प्राप्त हुए हैं कि कई वर्षों से सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात में वृद्धि और निर्यातकों में क्वालिटी के बारे में स्वयं बढ़ती

जागरुकता को ध्यान में रखते हुए परिधानों के सम्बन्ध में चल रही निरीक्षण प्रणाली में परिवर्तन किया जाए।

(घ) सरकार ने वस्त्र समिति को अनुदेश दिया है कि नियमों तथा विनियमों में रखे गये उद्देश्य और जांच मानदण्ड के आधार पर जाँच की जाए।

उद्योगपतियों के परिसरों पर सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क वालों के छापे

4119. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :**

श्री फूल चन्द वर्मा :

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमाशुल्क और उत्पादन शुल्क विभाग ने सितम्बर, 1982 में 4 बड़े शहरों के कुछ उद्योगपतियों के घरों में छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगपतियों का ब्योरा क्या है और इन छापों में पकड़े गए सामान का ब्योरा क्या है;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

संसद सदस्यों द्वारा नागरिक पूर्ति मन्त्री, सचिव, आयुक्त आदि को लिखे गये पत्र

4120. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद सदस्यों द्वारा खाद्य और पूर्ति आयुक्त, दिल्ली को लिखे गए पत्रों की गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार न तो पावती भेजी जाती है और न ही उनका उत्तर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं;

(ग) संसद सदस्यों के पत्रों के शीघ्रता पूर्वक निपटान को सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है; और

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान नागरिक पूर्ति मंत्री, सचिव, नागरिक पूर्ति मंत्रालय, खाद्य और पूर्ति आयुक्त, दिल्ली प्रशासन आदि द्वारा कितने पत्र प्राप्त किए गए और उनका ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 1.10 1981 से 30.9.1982 की अवधि के दौरान, संसद सदस्यों ने खाद्य तथा पूर्ति आयुक्त, दिल्ली को 1046 पत्र और नागरिक पूर्ति मंत्री को 119 पत्र मिले थे। पिछले एक वर्ष के दौरान नागरिक पूर्ति मंत्रालय के सचिव को संसद सदस्यों से कोई पत्र नहीं मिला है।

खाद्य तथा पूर्ति आयुक्त को मिलने वाले पत्रों में से अधिकांश पत्रों में उत्तर नहीं मांगा गया होता है। जिनमें उत्तर माँगा गया था अथवा जिनके उत्तर देने की आवश्यकता थी, उनके उत्तर तुरन्त दे दिए गए थे। नागरिक पूर्ति मंत्री को संसद सदस्यों से मिले पत्रों की पावती निरपवाद रूप से भेज दी गयी थी। कुल 119 पत्रों में से 89 पत्रों के उत्तर भेजे जा चुके हैं।

बैंक ऋण प्रतिबन्धों का औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव

4121. श्री मूल चन्द डागा : क्या वित्त मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक ऋणों पर लगाए गए प्रतिबन्धों के कारण केमिकल्स, स्टील, कागज आदि जैसे अनेक उद्योग अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाने में असमर्थ हैं और उनका उत्पादन घट गया है;

(ख) यदि हां तो इस वर्ष किस उद्योग ने अपना उत्पादन घटा दिया है और वह कितने प्रतिशत घटाया है; और

(ग) सरकार का विचार इस समस्या को हल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) 1982 के पहले सात महीनों में औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचक अंक में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। कतिपय उद्योगों जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग, जूट वस्त्र उद्योग, इस्पात, और कृषि के काम आने वाले ट्रैक्टरों आदि के उत्पादन में कमी देखी गई है लेकिन अलग-अलग उद्योग के सम्बन्ध में इसके अलग-अलग कारण हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की लगातार समीक्षा की जाती है और उनकी ऋण सम्बन्धी उचित आवश्यकता की पूर्ति की सुनिश्चित व्यवस्था करने

के लिए कार्रवाई की जाती है। 1981-82 के व्यस्त मौसम में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 25 अक्तूबर, 1982 को घोषित ऋण नीति में विशिष्ट समस्याओं को हल करने और ऋण सम्बन्धी उचित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

घड़ियों का आयात

4122. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : उनके मंत्रालय में पिछले तीन वर्षों में घड़ियों का आयात करने के कितने लोगों ने लाइसेंस लिये हैं और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : आयात नीति में कलाई घड़ियों के संघटकों के आयात लाइसेंस देने की व्यवस्था है, पूरी कलाई घड़ियों के नहीं। तथापि, किये जाने वाले सभी आयात लाइसेंसों का विवरण आयात-निर्यात के मुख्य नियन्त्रक द्वारा जारी लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट लाइसेंसिज एण्ड इण्डस्ट्रियल लाइसेंसिज के साप्ताहिक बुलेटिनों में प्रकाशित किया जाता है, जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

भारतीय खाद्य निगम का गेहूं काले-बाजार में बिक्री हेतु ले जाता हुआ ट्रक

4123. श्री जगपाल सिंह : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम गोदाम से राशन का 81 क्विंटल गेहूं काले बाजार में बेचने के लिए ले जाते हुए एक ट्रक पश्चिम दिल्ली की पुलिस ने कीर्ति नगर से आगे रुई मंडी में पकड़ा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली पुलिस ने पीछा करके कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र से आगे ट्रक के ड्राइवर तथा क्लीनर को गिरफ्तार किया। यह ट्रक कुछ बेईमान व्यापारियों की ओर से भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से गेहूं ले जा रहा बताया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7/10/55 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है और इसकी जांच की जा रही है। गेहूं के बारे में तथा ट्रक कब्जे में ले लिये हैं।

कृषि विकास गतिविधियों के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान लीवर को आयकर में छूट

4124. श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को 1955 से आज तक कृषि विकास गतिविधियों

के सम्बन्ध में आयकर में छूट देने से किए गए बहुत बड़ी धनराशि के भुगतान के बारे में सरकार को शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो अन्तर्ग्रस्त धनराशि का वर्ष-वार ब्योरा क्या है और प्राप्त शिकायतों के बारे में जांच की प्रगति क्या है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटिड द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35-ग के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये गलत दावों के आरोपों की जांच करने पर पता चला कि कम्पनी ने मटर को डिब्बा बन्द करने और उसके निर्जलीकरण का काम 1972 में बन्द कर दिया था और 1973 तथा इसके बाद, उसके सम्बन्ध में, आयकर अधिनियम की धारा 35-ग के अन्तर्गत कोई दावा नहीं किया है। तथापि उसने ऐसे व्यय के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 35-ग के अन्तर्गत काफी अधिक कटौती का दावा किया है, जो उसने प्रत्यक्षतः अथवा विधिवत् अनुमोदित एसोसिएशनों के जरिए ऐसे उत्पादों के काश्तकारों, उत्पादकों तथा निर्माताओं को समान, सेवायें तथा सुविधायें उपलब्ध कराने पर खर्च किया है जो उसके द्वारा तैयार उत्पादों के निर्माण अथवा संसाधन में कच्ची सामग्री के रूप में इस्तेमाल किये जाते हैं। उसके द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 1972-73 से 1982-83 तक के लिए, इस सम्बन्ध में, अधिनियम की धारा 35-ग के अन्तर्गत किया गया दावा निम्नानुसार है :

कर-निर्धारण वर्ष	आयकर अधिनियम की धारा 35-ग के अन्तर्गत किया गया दावा
	(रुपये)
1972-73	4,14,948
1973-74	3,34,386
1974-75	1,80,608
1975-76	2,14,513
1976-77	6,09,889
1977-78	13,49,630
1978-79	13,44,157
1979-80	16,37,103
1980-81	15,55,954
1981-82	16,78,475
1982-83	15,69,169

इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, कर-निर्धारण वर्ष 1981-82 तक के कर-निर्धारण, दावों की विधिवत् पुष्टि करने के पश्चात, पूरे कर लिए गए हैं।

नई दिल्ली से नागपुर तक दौरे के लिए एक संसद सदस्य के लिए वायुसेना का विशेष विमान

4125. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :**

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक संसद सदस्य को सितम्बर, 1982 के दूसरे सप्ताह में नई दिल्ली से नागपुर तक तथा वापसी के लिए उसके दौरे के लिए वायुसेना का एक विशेष विमान उपलब्ध कराया गया था;

(ख) क्या इस वायुयान का आदेश कांग्रेस (ई) द्वारा नागपुर में कांग्रेस (ई) के यूथ कैम्प में अपने सदस्य के उपस्थित होने के लिए दिया गया था; और

(ग) क्या इस विशेष विमान के प्रयोग करने का भुगतान प्राप्त हो चुका है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) सितम्बर, 1982 के दूसरे सप्ताह में दिल्ली से नागपुर और वापसी की यात्रा के लिए किसी संसद सदस्य को कोई विशेष विमान नहीं दिया गया था। परन्तु, उप रक्षा मंत्री सरकारी कार्य से 15 सितम्बर, 1982 को भारतीय वायु सेना के विमान में नागपुर गए थे। तीन संसद सदस्यों ने भी उनके साथ उसी विमान में यात्रा की थी। उनके बारे में देय राशि प्राप्त हो गई है।

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा ग्रामीण विकास स्वैच्छिक एजेंसी संघ को दिया गया ज्ञापन

4126. **श्री सुभाष यादव :**

श्री एस० रामगोपाल रेड्डी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ने 1978-79 और 1979-80 के दौरान एक संस्था, ग्रामीण, विकास स्वैच्छिक एजेंसी संघ को क्रमश: 8.60 लाख रुपये और 10.53 लाख रुपये दिये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ग्रांटी द्वारा यह धन राशि भारत सरकार के निर्णय संख्या 8 जी० आर० एस० 1149 (2) का उल्लंघन करके अन्य संस्थाओं को दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 29-9-1982 में यह देखा गया है कि एसोसिएशन आफ वालुन्टरी एजेंसीज फार रूरल डेवलपमेंट (अवार्ड) ने अपने सदस्य अभिकरणों को अनुदान दे दिया है। भारत सरकार के निर्णय के उल्लंघन, यदि कोई हों, के प्रश्न पर अवार्ड से लेखा-परीक्षित लेखा विवरण प्राप्त होने के बाद विचार किया जाएगा। अवार्ड से अपने लेखापरीक्षित लेखा विवरण तत्काल प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है।

हिन्दुस्तान लीवर की चुकता पूंजी

4127. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर का काम केवल 1 लाख रुपए की चुकता पूंजी से वर्ष 1933 में आरम्भ हुआ था और आज कम्पनी की चुकता पूंजी 2196 लाख रुपए से अधिक है;

(ख) क्या 1487.36 लाख रुपए की चुकता पूंजी जो अधिकांशत: बोनस शेयर जारी करने के बाद लाभ का पूंजीकरण करने के माध्यम से आई हैं; यूनिलीवर के पास है;

(ग) क्या चुकता पूंजी अर्थात यूनिलीवर के 1036.33 लाख रुपए में उसे प्राप्त बोनस शेयर शामिल है और यह चुकता पूंजी का लगभग 72 प्रतिशत है;

(घ) क्या भारत में एक सहायक कम्पनी मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर द्वारा मूल कम्पनी को जारी बोनस शेयर से यह अन्तर पूरी तरह से पूरा किया गया है; और

(ङ) क्या बोनस शेयर पहले ही लगभग 20 बार जारी किया गया है और यहां तक कि कम्पनी ने सरकार पर यह दबाव डाला है कि वह बोनस शेयर जारी करके उसके लाभ का पूंजीकरण करे; यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ) मैसर्स लीवर ब्रादर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का निगमन भारत में 1933 में हुआ था। 1933/34 में इस कम्पनी की पूंजी 28 लाख रुपए थी। 31 दिसम्बर, 1981 को मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी 2916.39 लाख रुपए थी जिसमें से 1487.36 लाख रुपए के शेयर मैसर्स यूनीलीवर, पी० एल० सी०, यू० के० के पास हैं। यह बात ठीक नहीं है कि यूनीलीवर द्वारा धारित समग्र प्रदत्त शेयर पूंजी, जारी किए गए बोनस शेयरों की है क्योंकि 2916.39 लाख रुपए की कुल शेयर पूंजी में से 2086.25 लाख रुपए की पूंजी का निर्माण संचित लाभों तथा शेयर प्रीमियम के पूंजीकरण के कारण हुआ है। यूनीलीवर द्वारा धारित 1487.36 लाख रुपए की शेयर पूंजी

में से, 1214.02 लाख रुपए की पूंजी इसके द्वारा अर्जित बोनस शेयरों के आधार पर है जो कि भारतीय कम्पनी की कुल प्रदत्त पूंजी का लगभग 41.66 प्रतिशत है। कम्पनी ने 27.10.1955 को पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनने के बाद से 5 बार बोनस शेयर जारी किए हैं तथा पब्लिक कम्पनी के रूप में परिणत होने से पूर्व 12 बार बोनस शेयर जारी किए हैं।

सरकार के पास इस समय कम्पनी द्वारा और बोनस शेयर जारी करने के लिए दिया गया कोई भी प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है।

बंदूक, रिवाल्वर, पिस्तौल और राइफलों के कारतूसों का आयात

4128. श्री नरसिंह मकवाना : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से बंदूक, रिवाल्वर, पिस्तौल और राइफलों के कारतूस आयात करने के लिए अनुमति देने में सरकार का क्या आशय है;

(ख) गत वर्ष देश में कुल कितनी मात्रा में क्या कितने मूल्य की ऐसी सामग्री आयात की गई; और

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि ऐसी आयातित सामग्री समाज विरोधी तत्वों के हाथों पड़ जाती है और यदि हां, तो सरकार ने इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) घरेलू मांग को पूरा करने के लिए उल्लिखित गोला-बारूद के आयात की व्यवस्था की गई है।

(ख) 1981-82 के आयात आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

'आई० ए० एफ० मिग क्रेश्ड एट मोहाली इन पंजाब" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

4129. श्री एन० के० शेजवलकर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैसा कि 5 सितम्बर, 1982 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है भारतीय वायुसेना का एक मिग विमान पंजाब में मोहली के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया है;

(ख) क्या दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच न्यायालय की स्थापना की गई है, यदि हां, तो समिति की रिपोर्ट सभा पटल पर कब रखी जाने की संभावना है; और

(ग) यह मिग विमान किस देश से खरीदा गया था, यह कब खरीदा गया था, इसका वैमानिकी प्रमाणपत्र कब समाप्त होना था, क्या यह वैमानिकी प्रमाणपत्र के समाप्त होने के बाद भी नियमित उड़ान पर था, यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) 3.9.82 को भारतीय वायु-सेना का एक विमान पंजाब में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

(ख) एक जांच अदालत के आदेश दे दिए गए हैं। जांच अदालत की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) दुर्घटनाग्रस्त विमान भारत में निर्मित हुआ था और इसे उड़ान भरने योग्य वैध प्रमाण पत्र मिला था।

सिक्किम के रोके गए 6 चीनी राष्ट्रिकों के बारे में समाचार

4130. श्री हरिकेश बहादुर : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 सितम्बर, 1982 के 'अमृत बाजार पत्रिका' में सिक्किम में रोके गए 6 चीनी राष्ट्रिकों के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत वर्ष भारत-चीन सीमाओं और भारत पाकिस्तान सीमाओं पर ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं और उनका पूरा ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) सरकार ने समाचार देखे हैं। दो निःशस्त्र तिब्बती चरवाहे गुम हुए अपने याकों की तलाश में जुलाई 1982 के तीसरे सप्ताह में सिक्किम में हमारी सीमा में घुस आए थे। उसके अगले दिन दो अन्य तिब्बती चरवाहों ने संभवतः पहले दो की तलाश में सीमा पार की थी। सभी चारों चरवाहों को बाद में चीनी अधिकारियों को सौंप दिया गया था।

(ख) पिछले वर्ष के दौरान चीन-भारत सीमा और भारत-पाक सीमाओं पर कुछ व्यक्तियों द्वारा सीमा पार कर हमारी ओर आने की घटनाएं हुई हैं। इस बारे में ब्यौरे प्रकट करना वांछनीय नहीं है।

रक्षा-व्यय में वृद्धि

4131. श्री वृद्धि चन्द्र जैन :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व में प्रति व्यक्ति न्यूनतम तथा अधिकतम रक्षा व्यय में वृद्धि करने वाले विकसित तथा विकासशील देशों के नाम क्या हैं;

(ख) पाकिस्तान तथा चीन का प्रति व्यक्ति रक्षा व्यय क्या है;

(ग) क्या विकसित देशों के रक्षा व्यय में लगातार वृद्धि की दृष्टि से भारत का रक्षा व्यय में वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब से इसमें वृद्धि की जाएगी तथा किस प्रकार की वृद्धि की जायेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) कुछ देशों के बारे में "सैन्य तुल-पत्र 1981-82" में दी गई सूचना के अनुसार सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) आपातिक स्थिति से निपटने के लिए वार्षिक बजट के माध्यम से पर्याप्त स्त्रोतों की व्यवस्था करने की हमारी नीति है।

विवरण

क्र० सं०	देश	$ प्रति व्यक्ति 1975	1980	1981
1.	अर्जेन्टिना	41	123	उपलब्ध नहीं है
2.	आस्ट्रेलिया	184	272	उपलब्ध नहीं है
3.	ब्रिटेन	198	437	512
4.	बलगारिया	52	128	151
5.	कनाडा	130	177	205
6.	चीन	उपलब्ध नहीं है	56	उपलब्ध नहीं है
7.	चेक्योस्लोवाकिया	116	229	उपलब्ध नहीं है
8.	पूर्वी जर्मनी	148	285	415
9.	फ्रांस	264	374	483
10.	जर्मनी	259	410	405
11.	इजराइल	1045	1133	1835
12.	जापान	42	75	98
13.	मलेशिया	31	108	157
14.	मेक्सिको	10	12	17
15.	पाकिस्तान	10	उपलब्ध नहीं है	17
16.	सउदी अरब	1153	2518	2664
17.	सोवियत संघ	490	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
18.	स्वीडन	303	432	455
19.	थाईलैंड	13	23	26
20.	यू. एस. ए.	417	644	759

तिस्ता नदी पर लोहे के पुल को बदलना

4132. श्री पी० एम० सुब्बा : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तिस्ता नदी पर लोहे के पुल के स्थान पर उपयुक्त आर० सी० सी० पुल बनाने का है;

(ख) क्या वर्तमान पुल आपातस्थिति में सैनिक आवाजाही के लिए उपयुक्त नहीं है; और

(ग) सरकार द्वारा इन मुख्य सड़कों का रखरखाव भलीभाँति न करने के क्या कारण हैं जो कि नाथूला, गेलप ला, कांगसिला जैसे महत्वपूर्ण दर्रों, जो कि रक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, को जाती हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हाँ। राष्ट्रीय राज्य मार्ग 31 पर तिस्ता नदी से 31 किलोमीटर पर, मौजूदा बेली पुल के स्थान पर एक स्थायी पुल बनाने का मामला विचाराधीन है।

(ख) आपातकालीन स्थिति में सेना के संचालन के लिए मौजूदा पुल उपयुक्त है।

(ग) इन दर्रों की ओर जाने वाली सभी सड़कों का रख-रखाव, रक्षा-जरूरतों के अनुसार किया जा रहा है।

इंडियन मेटल्स एण्ड फेरो एलाय लिमिटेड, उड़ीसा द्वारा मैसर्स कलिंग ट्यूब्स को अपने अधिकार में लेना

4133. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डिया मेटल्स एण्ड फेरो एलाय लिमिटेड, उड़ीसा ने मैसर्स कलिंग ट्यूब को अपनी सहायक कम्पनी के रूप में अपने अधिकार में लेने के बाद 1980-81, 1981-82 अथवा किसी वर्ष में आयकर विभाग को कोई घाटा दिखाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसने उस समय आयकर विभाग को उड़ीसा में चौदुआर के मैसर्स कलिंग ट्यूब लिमिटेड पर कितना घाटा दिखाया था जब इसने इसको अपने अधिकार में लेने के लिए कब आवेदन किया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) उड़ीसा उच्च न्यायालय ने दिनांक 11-12-1981 के अपने आदेश में यह निदेश दिया है कि मैसर्स कलिंगा

ट्यूब्स लि० का कारबार, मैसर्स इण्डियन मैटल्स एण्ड फेरो अलायस लिमिटेड के साथ मिला दिया गया है और यह भी कि 1-1-1979 से, समामेलक कम्पनी का कारबार समामेलित कम्पनी द्वारा चलाया जा रहा समझा जाता है। उच्च न्यायालय के उक्त आदेश से पूर्व, मैसर्स इण्डियन मैटल्स एण्ड फैरो अलायस लिमिटेड ने, करनिर्धारण वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए निम्नलिखित लाभ दर्शाये थे :—

कर-निर्धारण वर्ष	दर्शाया गया लाभ (रुपये)
1980-81	1,01,51,620
1981-82	2,47,60,760

उड़ीसा उच्च न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप, मैसर्स इण्डियन मैटल्स एण्ड फेरो अलायस लिमिटेड, मैसर्स कलिंगा ट्यूब्स लिमिटेड की, उनकी, करनिर्धारण वर्ष 1976-77 से 1979-80 से सम्बन्धित 6,35,05,310 रुपये की पिछली हानि का दावा कर रही है।

मैसर्स इण्डियन मैटल्स एंण्ड फेरो अलायस लिमिटेड ने, मैसर्स कलिंगा ट्यूब्स लि० की हानि को अपने लाभ के प्रति समायोजित करने हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72 क के उपबन्धों के अन्तर्गत, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किया है लेकिन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस आवेदन पर अभी कोई आदेश पारित नहीं किया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को एसोसिएशन/यूनियन का गठन करना/मान्यता प्रदान करना

4134. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आयुक्त वर्ष 1973-74 से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के प्रयोजन से प्रत्येक संगठन/सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की कम से कम एक "सर्विस एसोसिएशन" को मान्यता प्रदान करने के लिए लगातार सिफारिश कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि विभिन्न बैंकों में काम कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की एसोसिएशनों/यूनियन अपने निजी प्रबन्धकों (बैंकों) से शीघ्र मान्यता प्राप्त करने का बार-बार अनुरोध कर रही है, लेकिन "इण्डियन बैंकर्स एसोसियशन" ने अपने सदस्य बैंकों से इन एसोसियशनों को मान्यता प्रदान न करने की तथा उनके पत्रों के उत्तर न देने की सलाह दी है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) सरकार किसी प्रयोजन के लिए जाति, पन्थ, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित सरकारी कर्मचारियों के संघ को नीति विषयक मामले के तौर पर मान्यता नहीं देती । यह महसूस किया गया है कि एक बार सेवा में आ जाने पर, सभी कर्मचारियों के सेवा हित एक समान होते हैं और उन्हें अपनी शिकायतों को एक समान सेवा संघों के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को सुलभ कराए गए आरक्षण के वास्ते जारी किये गए आदेशों के अलावा, सरकार ने संस्थागत तथा प्रक्रिया सम्बन्धी सुरक्षण निर्धारित किये हैं । सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार बैंकों ने सेवाओं में अनु० जातियों, अनु० जनजातियों के वास्ते आरक्षण से सम्बन्धित मामलों का निपटाने के लिए सम्पर्क अधिकारियों को नियुक्ति की है ।

कर्मचारी संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों को बैंकों द्वारा जांच की जाती है तथा जहां आवश्यक समझा जाता है, उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं । परन्तु, कर्मचारी संघों के साथ पत्राचार करने की कोई प्रथा नहीं है ।

बैंक ड्राफ्ट जारी करने हेतु अलग काउन्टर

4135. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकों में बैंक ड्राफ्ट जारी करने हेतु अलग काउन्टरों का प्रावधान नहीं किया गया है और बैंक ड्राफ्ट जारी कराने में ग्राहकों का बहुत अधिक समय बरबाद होता है; और

(क) यदि हां, तो बैंकों में प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) कार्य की मात्रा के अनुसार, बैंक, जहां आवश्यकता होती है, ड्राफ्टों को जारी करने के वास्ते अलग काउंटरों की व्यवस्था करते हैं । जिन बैंकों ने संगणक प्रणाली "टेलर सिस्टम" आरम्भ की है, वे प्रतीक्षा समय को कम करने की दृष्टि से, टैलरों को कुछ विशिष्ट राशियों तक के ड्राफ्टों जारी करने सम्बन्धी कार्य सौंपने के प्रश्न की जांच कर रहे हैं ।

पुणे छावनी में सड़कों के लिए पर्याप्त स्थान न छोड़ कर ऊंचे भवन बनाना

4136. श्री आर० आर० भोले । क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में पुणे छावनी बोर्ड कैंप एरिया में ऊंचे भवनों के बीच सामान्य सड़कों के लिए कोई स्थान छोड़े बिना उन्हें बनाने की अनुमति दे रहा है;

(ख) क्या सेंट विन्सेंट रोड, कन्वेंट रोड, और कैम्प एरिया बाजार की सड़कों पर नए 7-6 मंजिले वाले भवनों के बीच 30 फुट की सड़क भी नहीं है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसी अनुमति दिया जाना छावनी क्षेत्र मे विकास के सभी मापदंडों का उल्लंघन करता है ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) छावनी क्षेत्र में सेंट विन्सेंट रोड और कंवेंट रोड की चौड़ाई 30 फुट से ज्यादा है और बोर्ड ने इन सड़कों पर 7 या 8 मंजिल के भवन बनाने की कोई आज्ञा नहीं दी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण बैंकों की शाखाओं को खोलने के नियम

4137. श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक भी ऐसे जिले में अपनी शाखाएं खोलते हैं जहां ग्रामीण बैंक की शाखा खोली गई है तथा इसके परिणामस्वरूप समूचे जिले के लोगों को ग्रामीण बैंकों के लाभ नहीं मिलते हैं तथा क्या उन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) ग्रामीण बैंक की शाखा जिन नियमों के अधीन खोली जाती है उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रतिवर्ष किसी जिले में कितनी शाखाएं खोली जाती हैं और क्या शाखाएं कम दूरी पर खोली जायेंगी ताकि अधिक गांव इस सुविधा का लाभ उठा सकें ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की, 1982-85 की अवधि को व्याप्त करने वाली, शाखा खोलने के लिये लाइसेंस देने की वर्तमान नीति में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से व्याप्त अथवा प्रस्तावित रूप से व्याप्त जिलो में, शाखा खोलने के लिये निर्दिष्ट बैंक रहित ग्रामीण और शहरी केन्द्र आरम्भिक रूप मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिये ही आरक्षित रखे जाते हैं/ उन्हें ही आवंटित किये जाते हैं, जब तक की उस स्थान पर

उपलब्ध कारोबार के स्वरूप के बारे में निर्धारण यह न हो कि वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा द्वारा संभाला नहीं जा सकेगा। कुछ शाखा विस्तार की अनुमति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक को भी दी जाती है ताकि वे अपने प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं को समुचित संबल प्रदान कर सकें। जिन जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का प्रस्ताव तो हो मगर जहां अभी वे स्थापित नहीं हुए हों, प्रायोजक बैंकों को, सीमित शाखा विस्तार की अनुमति दे दी जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना तक ये क्षेत्र बैंकिंग सुविधाओं से पूर्णतः वंचित ही न रह जायें। इस प्रकार के मामलों में बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रस्तावित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना तक, अपने सामान्य अधिकार क्षेत्र से परे, उप-कार्यालयों या चल कार्यालयों का परिचालन करेंगे।

शाखा लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में बैंकिंग व्याप्ति का स्तर सुधर कर औसतन प्रति सत्रह हजार व्यक्तियों पर एक शाखा के स्तर पर पहुँच जाये। शाखा खोलने के लिए स्थान निर्धारित करने के बारे में राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि वे शाखाओं के स्थानगत वितरण को ध्यान में रखें, ताकि ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में बैंकिंग सुविधाएं लोगों के ज्यादा-से-ज्यादा नजदीक पहुँच सकें।

बैंक आफ बड़ौदा में अधिकारियों का स्थानान्तरण

4138. श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक आफ बड़ौदा ने ऐसे सभी अधिकारियों का दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरण करने का निर्णय किया है जो एक स्टेशन पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है;

(ग) क्या इस योजना को अब स्थगित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो योजना को स्थगित करने और अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के प्रति ऐसा व्यवहार करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार बैंकों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को उनके पूर्व नियुक्ति स्थानों में स्थानांतरित करने के लिए परामर्श देने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि "जाब रोटेशन स्कीम" के अंग के रूप में, उसके अधिकारियों का एक स्थान से

दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण करने की प्रथा रही है इस योजना को सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी किये गये सरकारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन सुव्यवस्थित किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ.) बैंक ने सूचित किया है कि स्थानान्तरण/तैनातियों के मामलों में अनु० जाति/अनु० जनजाति के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं बरता जाता।

सस्ते और प्रतियोगी दरों पर समाचारपत्रों की सप्लाई

4139. **श्री सूरज भान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबकि सोवियत रूस से सप्लाई होने वाले अखबारी कागज (48.8 ग्राम) का मूल्य 5150 रुपये प्रति टन रखा गया है, राज्य व्यापार निगम ने जुलाई-सितम्बर की अवधि के लिए इसी अखबारी कागज का मूल्य 6,000 रुपये प्रति टन रखा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बंगलादेश ने 5 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 25,000 टन अखबारी कागज 4,870 रुपये प्रति टन की दर से देने की पेशकश की थी परन्तु इस पेशकश को अस्वीकार कर दिया गया;

(ग) समाचारपत्र मालिकों को अखबारी कागज ऊंचे मूल्य पर खरीदने के लिए मजबूर करने के क्या कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप समाचारपत्रों के मूल्य अधिक बढ़ गये हैं; और

(घ) बिचौलियों के लाभ को समाप्त करने और अखबारी कागज सस्ते और प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सोवियत संघ से आयात किये गये अखबारी कागज की बिक्री कीमत बम्बई, कोचीन तथा मद्रास के लिए 5950 रु० प्रति मे० टन और कलकत्ता के लिए 5885 रु० प्रति मे० टन निर्धारित की गई थी। इसके अलावा माल प्राप्त करने वालों को जहाजी कुली प्रभार आदि वहन करना पड़ता है जिससे बिक्री कीमत लगभग 6000 रु० प्रति मे० टन बैठती है जो अन्य स्रोतों के अखबारी कागज की पूल कीमत के बराबर है।

(ख) बंगला देश ने न्यूयार्क सुपुर्दगी कीमत से सम्बद्ध 2500 मै० टन अखबारी कागज की पेशकश की है। राज्य व्यापार निगम ने अभी इस पेशकश पर विचार नहीं किया है क्योंकि

इसने पहले ही दीर्घावधि संविदाएं करके सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट आयातित अखबारी कागज की आवश्यकता की व्यवस्था कर ली है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) अखबारी कागज का आयात राज्य व्यापार निगम की मार्फत सरणीबद्ध किया गया है ताकि बिचौलियों का लाभ खतम किया जा सके ।

अफीम का निर्यात

4140. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन मुख्य देशों को अफीम का निर्यात किया जाता है और कितनी मात्रा में निर्यात किया जाता है तथा वर्ष 1981-82 के दौरान अलग-अलग, कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) भारत में विभिन्न राज्यों में कितनी एकड़ जमीन में अफीम की खेती की जाती है;

(ग) क्या वर्ष 1982-83 के लिए अफीम की नीति में कुछ परिवर्तन किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान, जिन मुख्य-मुख्य देशों को अफीम निर्यात की गई थी, उनके नाम, उनको निर्यात की गई अफीम की मात्रा, तथा किए गए निर्यातों से अर्जित, रुपये में सम्परिवर्तित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है :—

देश का नाम	मात्रा (मीट्रिक टनों में)	रुपये में सम्परिवर्तित अर्जित विदेशी मुद्रा (अनन्तिम रूप से लाख रुपयों में पूर्णांकित)
सोवियत संघ	200	489 (इसमें 1982-83 के दौरान 75 मीट्रिक टन की बिक्री से प्राप्त रकम शामिल नहीं है ।)
संयुक्त राज्य अमेरिका	166.7	566
फ्रांस	79.5	245
ब्रिटेन	69	205
जापान	40	160

(ख) 1981-82 की फसल के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों में पोस्त की काश्त का रकबा निम्नानुसार था :—

राज्य का नाम	लाइसेंस शुदा रकबा (हैक्टेयरों में)	रकबा, जिससे उपज प्राप्त हुई
मध्य प्रदेश	16430	14977
राजस्थान	10433	10043
उत्तर प्रदेश	8540	6938
	35403	31958

(ग) और (घ) 1982-83 की फसल के सम्बन्ध में पोस्त की काश्त हेतु अपनाई गई नीति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है। विश्व में स्वापक कच्ची सामग्री की अत्यधिक सप्लाई होने, हमारे निर्यात कम हो जाने तथा अफीम का बड़ा भण्डार जमा हो जाने से पोस्त की काश्त के रकबे को कम करना आवश्यक हो गया है। यद्यपि 20 एकर तक की छोटी जोत वाले काश्तकारों के मामले में काश्त का रकबा कम नहीं किया जा रहा है, तथापि अपेक्षाकृत बड़ी-बड़ी जोत वाले काश्तकारों के मामले में पोस्त की काश्त के रकबे में 10 प्रतिशत की कटौती की जा रही है।

भारत में बैंकिंग विकास के बारे में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की रिपोर्ट

4141. **श्री नीरेन घोष** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैसा कि वर्ष 1980-81 के लिए भारत में बैंकिंग विकास पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रतिवेदन में दिया गया है, सुविकसित राज्यों को वित्तीय सहायता का एक बड़ा भाग मिलता है जबकि कम विकसित राज्यों को कम सहायता की मंजूरी दी जाती है; और

(ख) इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) समेत अखिल भारतीय सावधि- ऋणदात्री वित्तीय संस्थाएं, औद्योगिक इकाइयों को ऋण देने के लिए राज्यवार नियतन नहीं करतीं। किसी विशेष राज्य को वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होने वाली सहायता की मात्रा, मुख्यत: उस राज्य से प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या पर निर्भर होती है और, दूसरी ओर, यह संख्या विभिन्न राज्यों में उद्यमिक गतिविधियों और उद्योग स्थापित करने के बारे में उद्यमियों के स्थान-विषयक निर्णयों पर निर्भर होती है। उद्यमियों के स्थान-विषयक निर्णय अनेक बातों पर निर्भर होते हैं : जैसे कच्चे माल, दक्ष श्रमिकों, बिजली की आपूर्ति, और मूलभूत ढांचे की सुविधाओं की उपलब्धता तथा बाजार से निकटता। वित्तीय संस्थाएं राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार आर्थिक और वित्तीय रूप से सक्षम एवं तकनीकी रूप से संभाव्य परियोजनाओं के लिये सहायता प्रदान करती हैं। प्रसगत: यह उल्लेखनीय है कि भारत में विकास-बैंकिंग विषयक आई० डी० बी० आई० की रिपोर्ट 1980-81 के बारे में है।

पूर्वोत्तर भारत के धीरे धीरे पूर्व की ओर खिसकने सम्बन्धी समाचार

4142. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री टी० एस० नेगी :
श्री भीम सिंह :
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 4 अक्तूबर, 1982 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित उस प्रेस समाचार को देखा है जिसमें यह बताया गया है कि पूर्वोत्तर भारत धीरे धीरे पूर्व की ओर खिसकता जा रहा है और बर्मा की ओर झुकता जा रहा है जैसा कि उन भूकम्पकों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है जो कि गत 75 वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में आए थे;

(ख) क्या समाचार में यह भी बताया गया है कि भारतीय मुद्रपट्टिका (प्लेटोन) 25 से 40 डिग्री के कोण पर बर्मी मुद्रपट्टिका के नीचे धीरे-धीरे 200 किलोमीटर तक झुक रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) भारतीय पठार में भू-वैज्ञानिक सरकन काफी समय से हो रही है। इसको उत्तर-पूर्वी भारत में भूकम्पों से सम्बद्ध किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में गृह-मंत्रालय/उत्तर-पूर्वी परिषद, शिलांग के माध्यम से उक्त क्षेत्र में भूकम्प के जोखिम को कम करने के पूर्वोपाय शुरू किए गए हैं। भूकम्प आने की स्थिति में किए जाने वाले उपायों की जनता को जानकारी देने के लिए, असम सरकार के नागरिक रक्षा के निदेशक तथा कमांडर जनरल, होम गार्ड ने प्रचार-सामग्री जारी की है। इस विषय पर राज्य अभिकरणों को पुस्तिकाएं वितरित की गई हैं।

पटसन मिलों का आधुनिकीकरण

4143. श्री हरिहर सोरन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पटसन मिलों में पटसन मिल आधुनिकीकरण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पटसन मिलों की संख्या और नाम क्या हैं जहां ऐसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है; और

(ग) उन पटसन मिलों का आधुनिकीकरण करने में कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण कहीं पचास के दशक के प्रारम्भ में पुराने रोव कताई तकुओं के स्थान

पर स्लाइवर कताई तकुए प्रतिस्थापित करके शुरू किया गया। 72 पटसन मिल एककों में से 67 एककों ने अपने रोव तकुओं के स्थान पर स्लाइवर कताई तकुए लगा लिए हैं। प्रतिस्थापन मिलों में अधिकांशत: प्रारम्भिक अनुभागों तथा ड्राइंग व स्पिनिन अनुभागों तक सीमित है। पटसन उद्योग में वीविंग तथा फिनिशिंग अनुभागों में आधुनिकीकरण की प्रगति नगण्य है।

एन० जे० एम० सी० के राष्ट्रीयकृत एककों ने प्रतिस्थापना नवीकरण और साथ ही बिजली फेल होने से होने वाली हानियों को पूरा करने के लिए डी० जी० सैटों के संस्थापन का एक आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। अनेक प्राइवेट मिलों ने भी सज्जात्मक फैब्रिक्स तथा उच्च ग्रेड यार्न के उत्पादन के क्षेत्रों में विविधीकरण के लिए नई प्रौद्योगि की मशीन का आयात किया है तथा संस्थापन किया है।

भारत में प्रचलित सामाजिक-आर्थिक ढांचे के संदर्भ में पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण पुरानी। अप्रचलित मशीनरी के स्थान पर विद्यमान प्रौद्योगिकी नई मशीनें लगाने तथा विद्यमान प्रौद्योगिकी की संस्थापित मशीनरी के नवीकरण तक ही सीमित रखा गया है। पटसन उद्योग में पूंजी-प्रधान, उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी तथा श्रम की बचत की दृष्टि से आधुनिकीकरण अभी तक नहीं हुआ है और न ही ऐसी नई प्रौद्योगिकी की मशीने लगाना सम्भव है जिनके परिणामस्वरूप रोजगार में कमी होगी।

बम्बई बंदरगाह में सीमा शुल्क अपवंचन

4144. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान बम्बई समुद्र बंदरगाह में सीमाशुल्क अपवंचन के कितने मामले हुए है और कुल कितनी मात्रा में माल जब्त किया गया है;

(ख) इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इन मामलों में समुद्र पत्तन अधिकारियों की भी सांठ-गांठ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) : क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी क्षेत्र के एककों को हो रहा घाटा

4145. **श्री आनन्द सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के किन एककों ने 1981-82 के दौरान घाटा दिखाया है; और

(ख) इस दिशा में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय उन उद्यमों से है जो या तो नये निगमित हैं या सरकार ने अपने अधिकार में ले लिये हैं या अन्यथा सरकारी कम्पनी बन गये हैं और जो हाल ही में स्थापित तथा चालू हुए हैं।

1981-82 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के परीक्षित लेखों के आधार पर लाभकारिता का विस्तृत मूल्यांकन "लोक उधम सर्वेक्षण—1981-82" के अंतर्गत संसद के आगामी बजट सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा। किन्तु अनंतिम आंकड़ों के आधार पर तात्कालिक मूल्यांकन से यह पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के नवनिगमित या सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिये गये उद्यमों ने कुल मिलाकर निवल लाभ अर्जित किया है। इनमें से 1981-82 में संभवतः घाटा उठाने वाले उद्यमों के नाम इस प्रकार हैं :—

(1) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	1981-82 के दौरान अधिग्रहीत
(2) भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजी० लिमिटेड	14-10-1980 को सरकारी कंपनी के तौर पर निगमित
(3) साइकिल कारपो० आफ इंडिया लिमिटेड	25-9-1980 को अधिग्रहीत
(4) नेशनल बाइसिकल कारपो० आफ इण्डिया लिमिटेड	25-10-1980 को अधिग्रहीत
(5) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरिंग कारपो० लिमिटेड	सरकार ने राष्ट्रीयकृत 6 पटसन मिलों को अपने अधिकार में लेने के लिए 30-6-1980 को उन्हें सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया था

(ख) इन उद्यमों में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किये गये हैं :—

(I) सभी उद्यमों से यह अनुरोध किया गया है कि वे 1982-83 में उत्पादन बढ़ाने तथा लाभकारिता में सुधार लाने के लिए कार्ययोजना तैयार करें।

(II) संबद्ध मंत्रालयों द्वारा समय-समय पर कार्यनिष्पादन की विस्तृत समीक्षा की जाती है, जिसमें उत्पादन, क्षमता का उपयोग, प्रचालन प्राचलों आदि के विभिन्न पहलू शामिल हैं। इस कार्यनिष्पादन की समीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर उसमें सुधार लाने के सदुपाय किये जाते हैं।

उपहार के रूप में आयात किए गये रंगीन टी० वी० सेट्स

4146. **श्री के० ए० राजन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंसों के अन्तर्गत विदेशों से मित्रों तथा सम्बन्धियों से उपहार के रूप में रंगीन टी० वी० सेट्स का आयात करने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितने टी० वी० सेट्स का आयात किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : जी, हां।

(ख) यह जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसे विभिन्न सीमा-शुल्क सदनों से एकत्र किया जाना होगा।

आयकर से छूट दिए गए न्यास

4147. श्री अनन्त रामुलु मल्लू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में स्थापित किए गए ऐसे सरकारी और गैर-सरकारी न्यासों की राज्यवार संख्या कितनी है जिन्हें आयकर से छूट दी गई है;

(ख) उनके नाम और पते क्या हैं तथा वे कहां स्थित हैं; और

(ग) उनकी वार्षिक आय सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) गैर-सरकारी न्यास, आयकर से छूट के पात्र नहीं हैं। न्यास के अधीन पूर्णतः धर्मार्थ अथवा धार्मिक प्रयोजन के लिए धारित सम्पत्ति से प्राप्त आय, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अन्तर्गत छूट की पात्र है बशर्ते धारा 11 से 13 तक की अपेक्षायें पूरी होती हों। सामान्य मामलों में वर्ष 1980-81 के दौरान स्थापित न्यासों के लिए प्रथम लेखा-वर्ष, कर-निर्धारण वर्ष 1982-83 से संगत वर्ष 1981-82 होगा। इसी प्रकार, वर्ष 1981-82 के दौरान स्थापित न्यासों का प्रथम लेखा वर्ष 1982-83 तथा प्रथम करनिर्धारण वर्ष 1983-84 होगा।

आयकर अधिकारी द्वारा आयकर से छूट, नियमित करनिर्धारण कार्यवाहियों के दौरान किसी न्यास द्वारा दाखिल की गई विवरणी के आधार पर सालाना तौर पर दी जानी होती है। करनिर्धारण तभी पूरा होता है जब आयकर अधिकारी इस बात की जांच कर लेता है कि कानून के उपर्युक्त उपबन्धों का समाधान कर दिया गया है। प्रचलित करनिर्धारण वर्ष 1982-83 है। वर्ष 1980-81 के दौरान स्थापित अधिसंख्य न्यासों में, प्रथम करनिर्धारण अभी पूरा ही नहीं किया गया होगा। वर्ष 1981-82 में स्थापित न्यासों में, प्रथम करनिर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी दाखिल किए जाने का अभी समय ही नहीं आया होगा।

जो न्यास तथा संस्थायें, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग)(iv)/(v) के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित हैं उन्हें, अधिसूचना की वैधता समाप्त होने तक, आयकर से छूट प्राप्त होती है।

जो संस्थायें/न्यास वित्तीय वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान स्थापित किये गये हैं तथा जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) (iv)/(v) के अन्तर्गत अधिसूचित

कर दिया गया है, उनकी संख्या पांच है। उनके नाम और पते, उनके अवस्थापन सहित, निम्नानुसार हैं :—

1. संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट,
   22, विलिंगडन क्रिसेंट,
   नई दिल्ली।

2. अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद,
   134, नार्थ एवेन्यू,
   नई दिल्ली।

3. इण्डिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर,
   8631, नया मोहल्ला
   पुल बंगश, दिल्ली।

4. राजस्थान पुलिस पर्सोनल वेलफेयर ट्रस्ट,
   पुलिस हेडक्वार्टर, जयपुर।

5. त्रिपुरा रिलीफ कमेटी,
   मार्फत, डा० ए० वी० बालिगा फांउडेशन,
   लिंक हाउस, बहादुर शाह जफर मार्ग,
   नई दिल्ली।

न्यासों को, एक बार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) (iv)/(v) के के अन्तर्गत अधिसूचित कर दिये जाने के बाद, उनके द्वारा ऐसी आय विवरणी दाखिल किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता जिससे उनकी आय के ब्यौरों का पता लगाया जा सके।

दिल्ली हवाई अड्डे पर पार्किंग क्षेत्र

4148. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली हवाई अड्डे के पार्किंग क्षेत्र में, गहरे गढ़े हैं और यह अधिकतर खराब अवस्था में है तथा इस प्रकार वहां से गाड़ियां बाहर निकालने में बड़ी कठिनाई होती है; और

(ख) यदि हां, तो पार्किंग क्षेत्र को ठीक करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं।

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) और (ख) एशियाई खेलों के समय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली विमान

क्षेत्र पर अन्तरर्राष्ट्रीय आगमन खंड के सामने कार पार्किंग स्थल का विस्तार करने के लिए निर्माण का कार्य चल रहा है। भवन सामग्री के वहां रखने तथा भारी वाहनों के आवागमन के कारण वर्तमान पार्किंग स्थल की हालत खराब हो गई है। यह कार्य इस महीने के आरम्भ में पूरा हो जाएगा तथा कार पार्क अच्छी हालत में हो जायेगा।

फ्रांस के साथ व्यापार अन्तर

4149. **श्री बी० डी० सिंह :**

श्री रशीद मसूद :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस के साथ व्यापार में अंतर बढ़ता रहा है तथा फ्रांस को भारत के निर्यात में रुकावट आई है जबकि वहां से आयात में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए ,, ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग सम्बन्धी भारत-फ्रांस समिति की 1-4 अक्तूबर, 1982 को नई दिल्ली में हुई हाल की बैठक में फ्रांस के साथ भारत का प्रतिकूल व्यापार का प्रश्न उठाया गया था। फ्रांसीसी पक्ष ने यह महसूस किया कि बहुरेशा करार के नवीकरण को देखते हुए हमारे निर्यातों में वृद्धि होने की सम्भावना है और फ्रांसीसी प्राधिकारियों का प्रयास निकट भविष्य में एक फ्रांसीसी क्रेता मिशन आयोजित करने का है।

इन वार्ताओं से एक दूसरे की चिन्ताओं और समस्याओं को समझने में सहायता मिली है और दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धों को सुधारने के लिए सद्भावना या वातावरण सृजित हुआ है। जहां तक व्यापार सम्भावनाओं में सुधार का सम्बन्ध है यह उल्लेखनीय है कि फ्रांस के बाह्य वाणिज्यिक सम्बन्धों को ई० ई० सी० विनियमों द्वारा संचालित किया जाता है लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि एक क्रेता मिशन भेजने और अन्य उपायों पर विचार करने की फ्रांसीसी उत्सुकता से इनमें सुधार लाने की सहायता मिलेगी।

रुपये का डालर की तुलना में अवमूल्यन

4150. **श्री फूलचन्द वर्मा :**

श्रीमती किशोरी सिन्हा :

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारतीय रुपए का डालर की तुलना में अवमूल्यन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना क्या है;

(ग) क्या इस अवमूल्यन के परिणामस्वरूप देश को आर्थिक हानि हुई है या होगी; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण तत्काल किस सीमा तक हानि होगी ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) पहली जनवरी, 1982 और 25 अक्तूबर, 1982 को अमेरिकी डालरों और विभिन्न करेंसियों की तुलना में भारतीय रुपए का मूल्य इस प्रकार था:—

विदेशी करेंसी	निम्नलिखित तारीखों को इन करेंसियों के बराबर रुपया राशि	
	पहली जनवरी, 1982	25 अक्टूबर, 1982
पौंड स्टर्लिंग	17,35	16,40
अमेरिकी डालर	9,1194	9,7636
ड्यूश मार्क	4,0723	3,8184
येन	0,0416	0,0352
फ्रांसीसी फ्रांक	1,6050	1,3552
स्वीडिश फ्रांक	5,0949	4,4444

रुपये की विनिमय दर का निर्धारण उन देशों की करेंसियों की उपयुक्त रूप से भारित डलरी के आधार पर किया जाता है जो भारत के व्यापार में प्रमुख भागीदार हैं। रुपया तथा विभिन्न अन्य करेंसियों के बीच विनिमय दरें इन करेंसियों के मूल्य में होने वाली घट-बढ़ के अनुसार घटती-बढ़ती रहती हैं तथा सच बात तो यह है कि किसी विशेष करेंसी के सम्बन्ध में अवमूल्यन शब्द की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

(ग) और (घ) यदि अमेरिकी डालर सहित अन्य करेंसियों की तुलना में रुपए की विनिमय दर में होने वाले परिवर्तन से भारत को कोई आर्थिक हानि हुई हो तो उसे अलग करना सम्भव नहीं है।

रुपए की क्रय शक्ति

4151. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुपए की क्रय शक्ति और नीचे गिरी है तथा इस वर्ष जुलाई में आधार वर्ष 1960 के आधार पर 20 पैसे हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या रुपए का और आगे अवमूल्यन करना विचाराधीन है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता

मूल्य सूचक अंक (1960-100) जून 1982 के 470 से बढ़कर जुलाई 1982 में 478 हो गया। इसके साथ ही, देश में रुपए की क्रय शक्ति जो कि उपरोक्त मूल्य सूचक अंक के व्युत्क्रम से मापी जाती है, जून 1982 में 31.28 पैसे घटकर जुलाई 1982 में 20.92 पैसे हो गई।

(ख) जी, नहीं।

जूट का उत्पादन तथा भारतीय जूट निगम द्वारा इसकी खरीद

4152. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस सीजन के दौरान जूट उत्पादकों द्वारा जूट का कितना उत्पादन किया गया;

(ख) भारतीय जूट निगम द्वारा जूट उत्पादकों से कितना जूट खरीदा गया तथा जूट का क्रय मूल्य क्या था;

(ग) उन जूट मिलों के नाम क्या हैं जो अभी भी बन्द हैं और या जिनमें तालाबन्दी है तथा प्रत्येक मिल में कितने मजदूर हैं तथा इन मिलों को पुनः खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को जूट मजदूरों तथा मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों से जूट मजदूरों तथा जूट मिल मालिकों के मध्य संकट को सुलझाने के लिए कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा उस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जूट मौसम वर्ष 1982-83 के दौरान जूट तथा मेस्टा की मिश्रित फसल लगभग 60162 लाख गांठे होने की सम्भावना है।

(ख) जुलाई से अक्तूबर, 1982 (25-10 82 तक) के दौरान भारतीय जूट निगम ने 6 62 लाख गाँठों की कुल मात्रा खरीदी है, जिसमें वाणिज्यिक कार्यक्रम के अन्तर्गत खरीदी गई 1.45 लाख गांठे शामिल हैं। 1982-83 जूट मौसम के लिए कीमत समर्थन कार्यक्रम के अन्तर्गत खरीद के लिए डब्ल्यू-5 ग्रेड के लिए सरकार द्वारा 175 रु० प्रति क्विंटल (एक्स-असम) कानूनी न्यूनतम कीमत निर्धारित की गई है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) तथा (ङ) कुछ जूट कामगार यूनियनों ने जूट मिलों में ताला बन्दी जारी रहने पर चिन्ता व्यक्त की है। श्रम राज्य का विषय है इसलिए यह संभव नहीं था कि केन्द्रीय सरकार इसमें प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करे।

विवरण

अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

अब भी बन्द / ताला बन्द जूट मिलों के नाम	सम्बन्धित कामगारों की संख्या
1. एम्पायर जूट कं. लि., टीटागढ़	3000
2. गौरी शंकर जूट मिल्स लि., जगतदल	2000
3. नफर चन्द्र जूट कं. लि, कांकीनाराह	1500
4. लुडलो जूट मिल्स लि. चंगेल, हावडा	4500
5. गेंजिज जूट मैन्यु. लि., हुगली	6400
6. ईस्टर्न मैन्यु. कं. लि., टीटागढ़	2050
7. कमरहट्टी जूट-मिल्स, कमरहट्टी	5000
8. हुशिमारा इंडस्ट्रीज लि. (जूट) जगतदल	2300
9. नार्थ ब्रुक कं. लि. हुगली	3490
10. कंकीनाराह जूट मिल्स, कंकीनाराह	5000
	35240

तालाबन्दी वाली मिलें गैर सरकारी मिलें हैं। चूंकि श्रम एक राज्य विषय है इसलिए केन्द्रीय सरकार के लिए इस मामले में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना सम्भव नहीं होगा। तथापि सरकार यह चाहती है कि पटसन उद्योग की समस्याएं यथासम्भव शीघ्र सुलझाई जाए। निम्नोक्त उपचारात्मक उपाय पहले ही किए जा चुके हैं जिनका उद्देश्य सप्लाई-मांग स्थिति को यथासम्भव ठीक करने के लिए मांग में तेजी लाना है :

1. पटसन माल के निर्यातों पर सी० एस० एंस० देना जारी रखना।

2. आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत लागत-जमा कीमतों पर उसे भारतीय पटसन निगम से कच्चे पटसन की कीमतों के साथ मिलाने के बाद, समय-समय पर डी० जी० एस० एण्ड डी० के माध्यम से मिलों से पटसन की बोरियों की पर्याप्त मात्रा की खरीदारी करना, ताकि पटसन माल बाजार में उत्साह कायम रहे।

3. सीमेंट पैक करने के लिए पटसन की नई बोरियों का अनिवार्य रूप से उपयोग करना।

4. उर्वरकों/चीनी तथा खाद्यान्नों को पैक करने के लिए और अधिक पटसन की बोरियों के उपयोग के लिए अन्य उपभोक्ता विभागों को तैयार करना।

5. नए उत्पादों के विनिर्माण के लिए 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की स्थापना के लिए आशय पत्र देना।

6. सार्थ संघ प्रबन्ध के अन्तर्गत टाट के निर्यात में राज्य व्यापार निगम का सक्रिय सहयोग।

7. पटसन तथा पटसन उत्पादों की कीमतों और सप्लाइयों में स्थिरता लाने तथा पटसन उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों के हितों के अनुरूप विश्वव्यापी मोर्चों पर दोष निवारक कार्यवाही करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पटसन संगठन के संवर्धन के लिए उपायों पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अन्तःसरकारी विचार विमर्शों में सक्रिय सहयोग देना।

सितम्बर के बाद उत्तरार्द्ध से बोरी बाजार में सुधार आया है। हैसियन तथा टाट दोनों की कीमतों में स्थिरता आई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की लागत-जमा कीमतों के अन्तर्गत अक्तूबर तथा नवम्बर 1982 के दो महीनों की अल्पावधि के भीतर पर्याप्त मात्रा में बी-ट्विल तैयार करने सम्बन्धी सरकार के हाल के विनिश्चय से भी बाजार में तेजी आई है। जूट मिलों ने आपात बिक्री रोक दी है। वित्तीय कठिनाइयों सहित विभिन्न कारणों से बन्द पड़ी मिलों ने उन्हें पुनः खोलने के लिए उत्सुकता दर्शाई है और वास्तव में उनमें से कुछ मिलों ने कार्य करना आरम्भ भी कर दिया है और कुछ अन्य मिलें निकट भविष्य में खुलने की सम्भावना है।

तस्करी में सरकारी कर्मचारियों का हाथ होने का आरोप

4153. डा० ए० यू० आजमी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार के चार विभागाध्यक्ष और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध एक मामला दर्ज कराया है, जिसमें नेपाल की सीमा से देश में माल की तस्करी में उनका हाथ होने का आरोप है;

(ख) यदि हां, तो मामले का पूर्ण ब्योरा क्या है; उस पर क्या कार्यवाही की गई और इस मामले में ऐसे लोगों की प्रणाली क्या है; और

(ग) मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) लखनऊ में तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों को 22 मार्च, 1982 को यह सूचना मिली थी कि कलकत्ता की एक फोटोग्राफी की फर्म के मालिक श्री एस० एस० श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पर्यटन, सूचना, पुरातत्व विभागों तथा केन्द्रीय औषधीय और सुगन्धित पौधा संस्थान को, गैर-कानूनी रूप से आयातित कैमरे तथा फोटोग्राफी के अन्य उपकरण सप्लाई किये थे।

श्री एस० एस० श्रीवास्तव ने, जिसे 23 मार्च 1982 को पकड़ा गया था, इस बात से इन्कार किया कि उसने उक्त माल सप्लाई किया था। परन्तु उसके ब्रीफ केस की तालाशी लेने से जो दस्तावेज बरामद हुए, उनसे यह पता चला कि उसने उपर्युक्त विभागों को वास्तव में फोटोग्राफी उपकरण सप्लाई किये थे।

तत्पश्चात् सीमाशुल्क अधिकारियों ने राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को पत्र लिख कर कहा कि वे उन्हें उक्त निषिद्ध माल सौंप दें ताकि इस सम्बन्ध में कानून के तहत कार्यवाही की जा सके।

उक्त निषिद्ध माल के सम्बन्ध में तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 112 के अनुसार इस मामले से, प्रथम दृष्ट्या सम्बद्ध पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ सीमाशुल्क कानून के संगत उपबन्धों के अधीन उचित कार्यवाही शुरु की जा रही है।

आयात करने वाले देशों द्वारा निर्यात मदों पर आपत्ति

4154. **श्री के० ए० स्वामी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात करने वाले देशों द्वारा हमारी निर्यात मदों पर उनकी पर्यावरण स्तरों का पालन न किए जाने के आधार पर कोई आपत्तियां उठाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन उत्पादों का ब्यौरा क्या है और किस प्रकार की आपत्तियां उठाई गई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पर्यावरण सम्बन्धी मानकों के अनुपालन न करने के आधार पर भारतीय निर्यात मदों के खिलाफ आयातक देशों द्वारा उठाई गई कोई ऐसी आपत्तियां सरकार की जानकारी में नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"वायुदूत इज मेकिंग कैसल्स इन दी एयर" शीर्षक से समाचार

4155. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायुदूत सेवा फीडर सेवा के रूप में उपयुक्त तथा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं पाई गई गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनका ध्यान 3 अक्तूबर, 1982 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "वायुदूत इज मेकिंग कैसल्स इन दी एयर" शीर्षक से प्रकाशित प्रेस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हाँ।

(घ) भार गुणकों में सुधार तथा अधिक किफायती विमान ले लेने के साथ वायुदूत की आर्थिक विकास क्षमता में पर्याप्त सुधार होने की आशा है।

सशस्त्र सेना मुख्यालयों में श्रेणी 'ग' के स्टेनोग्राफरों के संवर्ग में गत्यवरोधक

4156. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सेना मुख्यालयों में श्रेणी 'ग' के स्टेनोग्राफरों के संवर्ग में गतिरोध हैं;

(ख) श्रेणी 'ग' ऐसे स्टेनोग्राफरों की संख्या क्या है जिनकी 15 वर्ष से भी अधिक सेवा के बावजूद पहली पदोन्नति भी नहीं हुई है;

(ग) स्टेनोग्राफरों की इस श्रेणी के पदोन्नति के अवसरों में सुधार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सशस्त्र सेना मुख्यालयों में कार्य कर रहे श्रेणी 'ग' के सैकड़ों स्टेनोग्राफर श्रेणी 'ख' में अपनी पहली पदोन्नति के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं; यदि हाँ तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) 13-14 वर्ष या उससे अधिक की सेवा वाले श्रेणी 'ग' के स्टेनोग्राफरों की पदोन्नति देने जिससे कि उनमें असन्तोष को दूर करने तथा गिरे मनोबल को उठाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार तत्काल क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'ग' में गतिरोध हैं परन्तु यह केवल सशस्त्र सेना मुख्यालय के बारे में ही विशेष नहीं है।

(ख) 185,

(ग) इस गतिरोध को कम करने के लिए अभी तक निम्नलिखित उपाए किए गये हैं:—

(1) 1-8-1976 से 103 चयन ग्रेड पद (650-960 रुपये) मंजूर किए गए हैं।

(2) आशुलिपिक ग्रेड ग' के 63 पदों का तदर्थ आधार पर दर्जा बढ़ाकर आशुलिपिक ग्रेड 'ख' कर दिया गया है (6-8-1977 से 45 तथा 10-12-1979 से 18 पद)।

(3) सेना अफसरों के पदों का दर्जा बढ़ा दिए जाने के परिणामस्वरूप 5-8-1982 को आशुलिपिक ग्रेड 'ग' के 19 पदों का दर्जा बढ़ाकर आशुलिपिक ग्रेड 'ख' कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) 344 आशुलिपिक ग्रेड 'ग' की अभी पहली पदोन्नति की जाती है। इसमें 185 आशुलिपिक वे हैं जिन्होंने उस ग्रेड में 15 वर्ष से अधिक की सेवा कर ली है।

आशुलिपिकों की पदोन्नति के अवसरों में सुधार करने के प्रश्न पर कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग विचार कर रहा है जिसमें रक्षा मंत्रालय भी भाग ले रहा है।

निर्यात के मामले में लवण के उत्पादन के लिए शर्तें

4157. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लवण के निर्यात के मामले में लवण के उत्पादन के लिए कोई शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से शर्तें लागू होंगी;

(ग) क्या तूतीकोरन की कोरामण्डल मिनी साल्ट एसोसिएशन को लवण के निर्यात की अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) नमक के निर्यातकों के मामले में नमक के उत्पादन के लिए अभी तक कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गए हैं। तथापि, राज्य व्यापार निगम द्वारा, जोकि नमक के निर्यात के लिए सरणीकरण अभिकरण है, शीघ्र ही मानदण्डों की अन्तिम रूप दे दिये जाने की सम्भावना है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

छोटे एककों के लिए ऋण-गारंटी योजना

4158 **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमाराशि बीमा तथा ऋण गारन्टी निगम द्वारा छोटे उद्योगों के लिए चलाई गयी ऋण गारन्टी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य वित्त निगमों तथा बैंकों जैसे सभी सावधिक ऋण दाता संगठनों के लिए उक्त योजना अनिवार्य रूप से लागू है और क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से पुनर्वित्त पोषण के लिए उससे सम्बद्ध है;

(ग) क्या यह सच है कि इस योजना के लागू होने के बाद लघु एककों को मध्यम तथा बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में अधिक ब्याज की दर देनी पड़ेगी; और

(घ) यदि हाँ, तो सावधिक ऋणों के समक्ष वसूल की जाने वाली ब्याज दर के बारे में मध्यम तथा बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में, लघु उद्योगों के लिए सरकार की नीति क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) लघु उद्योगों के लिए केन्द्रीय सरकार की ऋण योजना 31 मार्च, 1981 से रद्द कर दी गई। इसके स्थान पर लघु उद्योगों को गारन्टी— व्याप्ति की निरन्तरता प्रदान करने के उद्देश्य से निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम (डी० आई० सी० जी० सी०) ने, 1 अप्रैल, 1981 से स्वय अपनी एक योजना आरम्भ की। यह केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक कार्यकारी दल की सिफारिशों और लोक सभा की प्राक्कलन समिति की भी सिफारिशों के अनुसरण में किया गया था। डी आई० सी० जी० सी० की योजना क्रमिकता के आधार पर गारन्टी सहायता प्रदान करने के लिए बनायी गयी थी और यह छोटे ऋणकर्ताओं के विशेष पक्ष में है ताकि छोटे ऋणकर्ताओं को चुनना सुविधाजनक हो। इसमें निम्नलिखित सीमाओं तक गारन्टी कवर उपलब्ध कराया गया है।

(I) कुल 25,000 रुपये से अनधिक की ऋण सुविधा पाने वाले ऋणकर्ताओं तथा 2 लाख रुपये तक ऋण पाने वाले तकनीकी उद्यमियों की बकाया राशि के बारे में 90 प्रतिशत तक; (II) कुल 2 लाख रुपए से अनधिक ऋण सीमाओं वाले ऋणकर्ताओं की बकाया राशि के बारे में 75 प्रतिशत; और (III) 2 लाख रुपये से अधिक कुल ऋण सुविधाओं वाले ऋणकर्ताओं के बारे में बकाया राशि का 50 प्रतिशत (पिछड़े जिलों के ऋणकर्ताओं के बारे में 66-2/3 प्रतिशत) बशर्ते कि अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये हो। भागग्राही ऋण संस्थाओं द्वारा 25,000 रुपए से अनधिक के ऋणों पर 3/4 प्रतिशत की दर से गारन्टी शुल्क और 25,000 रुपए तक के ऋणों पर 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से रियायती दर से गारन्टी शुल्क देय है। गारन्टी कवर स्वत: एवं सामूहिक है। पहले संवितरण की तारीख से योजना में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए ऋणकर्ताओं के निर्दिष्ट वर्गों को मंजूर की गयी सभी पात्र ऋण सुविधाएं इससे व्याप्त हैं और इसके लिए ऋणदायी संस्थाओं के लिए यह आवश्यक नहीं है वे हर ऋण सुविधा के लिए व्याप्ति के वास्ते निगम के पास पहले से आवेदन भेजें। यह गारन्टी कवर सावधि ऋणों और कार्यकारी पूंजी विषयक अग्रिमों दोनों पर ही लागू है।

(ख) डी० आई० सी० जी० सी० योजना में भागग्रहण पूर्णत स्वैच्छिक है, इसकी गारंटी व्याप्ति केवल उन ऋणदायी संस्थाओं के लिए उपलब्ध है जो विहित करार निष्पादित करके इस योजना में शामिल हो जाते हैं। आई० डी० बी० आई० की पुनर्वित्त योजना के अधीन ऋणदाई संस्थाओं से यह अपेक्षित है कि लघु उद्योग एककों को दिए गए ऋणों के बारे में पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए डी० आई० सी० जी० सी० की गारन्टी व्याप्त करें। आई० डी० बी० आई० द्वारा यह शर्त इसलिए निर्धारित की गई है कि लघु उद्योग एककों को कमजोर क्षेत्र माना जाता है और पूरे देश में फैले हुए निरन्तर बढ़ती हुई संख्या वाले लघु उद्योग एककों को सहायता उपलब्ध

करानी होती है । आई० डी० बी० आई० यह भी महसूस करता है कि यह स्कीम स्वयं ऋणदायी संस्थाओं के भी हित में होगी ।

(ग) और (घ) उद्योगों के विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित अथवा सुझायी गयी ब्याज दरें संलग्न विवरण में दी गयी हैं । यह ऋणदायी संस्थाओं पर है कि गारन्टी शुल्क का भार पूर्णतः स्वयं उठाने का निर्णय करे और विभिन्न संस्थाएं इस विषय में भिन्न-भिन्न प्रथाओं का अनुसरण कर रही हैं ।

विवरण

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दरें :—

	लघु उद्योग	मझोले और बड़े उद्योग
(I) 25,000 रु० तक के संमिश्र ऋण		
पिछड़े क्षेत्र	10.25%	तीन वर्षों से अन्यून सावधि ऋण 15%
अन्य क्षेत्र	12.5%	
(II) तीन वर्षों से अन्यून सावधि ऋण		
पिछड़े क्षेत्र	12.5%	
अन्य क्षेत्र	13.5%	

(ख) नवित्त स्कीम के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का ब्याज-दर ढांचा — प्राथमिक ऋणदाताओं के ब्याज दर की सीमा.

1. सामान्य ऋण दर	14%
2. विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में स्थित एककों के वास्ते रियायती दरें	
(क) 25,000 रुपए प्रति एकक तक के संमिश्र ऋण	10 25%
(ख) लघु पैमाने के एकक	12.50%
(ग) अन्य नए एकक (सड़क परिवहन चालकों को छोड़कर)	12.50%
3. पिछड़े क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में रियायती दरें	

(क) 25,000 रुपए प्रति एकक तक के संमिश्र ऋण 12.50%

(ख) लघु पैमाने के एकक 13.50%

पोलियस्टर फिलामेंट, यार्न के आयातकों के विरुद्ध जांच

4159. डा० वसंत कुमार पंडित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई सीमाशुल्क ने कुछ आयातकों (कपड़ा मिलों के अतिरिक्त) के विरुद्ध उनके द्वारा जापान, ताइवान तथा दक्षिण कोरिया से 1981 तथा 1982 में पोलियस्टर फिलामेंट यार्न के आयात के सम्बन्ध में कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो जांच के अन्तर्गत अपराध क्या हैं, आयातकों के नाम क्या हैं तथा जांच के अन्तर्गत माल का सी० आई० एफ० मूल्य क्या हैं; और

(ग) क्या कोई जांच पूरी की गई है तथा यदि हां तो उसके क्या निष्कर्ष हैं तथा प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में आयातकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां। बम्बई सीमा शुल्क अधिकारियों ने ऐसे कुछ आयातकों के विरुद्ध जांच की है, जिन्होंने वर्ष 1980-81 में जापान से तीजिन ब्राण्ड के पोलियस्टर फिलामेंट यार्न का आयात किया था।

(ख) और (ग) चल रही जांच में अपराध का स्वरूप मूल्य की गलत घोषणा करके सीमा शुल्क का अपवंचन करने की कोशिश करना है। जिन आयातकर्ता पार्टियों के खिलाफ अर्ध-न्यायिक कार्यवाही शुरू की जा चुकी हैं, उनके नाम हैं—मै० माणिक लाल हरीलाल स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, अहमदाबाद, मै० विजय मिल्स कम्पनी लिमिटेड, अहमदाबाद, मै० नवनीत क्रिम्पलॉन, बम्बई और मै० अरविन्द मिल्स, अहमदाबाद। जांच-कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। माल का सही मूल्य, चल रही अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों में नियत हो जाएगा। जांच पूरी हो जाने पर, प्राप्त परिणामों के आधार पर, कानून के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

बंगलौर में भारतीय स्टेट बैंक का कार्यालय खोलना

4160. श्री टी० आर० शमन्ना : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि बंगलौर में भारतीय स्टेट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय खुलना चाहिए; और

(ख) क्या सरकार मद्रास के बाद बंगलौर में सबसे पुराने इंपीरियल बैंक (अब स्टेट

बैंक) को ध्यान में रखते हुए तथा उसके विकास के अवसरों को देखते हुए बंगलौर में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक का एक क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर में 1970 से कार्यरत है। अलबत्ता, बंगलौर में बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय की स्थापना के वास्ते अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है।

मेजरों की पदोन्नति के अवसरों में सुधार

4161. श्री छोटे सिंह यादव : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पदोन्नति के लिए अधिकारियों की लम्बी प्रतीक्षा सूची के बावजूद नए मेजरों की ले० कर्नल के पद पर पदोन्नति के लिए मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए 1982 के दौरान चयन बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई है और ना ही किसी बैठक का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सेना के अधिकारियों का आम तौर पर 15 वर्ष की सेवा के पश्चात् ले० कर्नल के पद पर पदोन्नति हो जाया करती थी लेकिन अब उन्हें ले० कर्नल के पद पर पदोन्नत होने से पूर्व 18 वर्ष से भी अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा मेजर के पद तक अधिकारियों की पदोन्नति के अवसरों में सुधार तथा सेवा में वर्तमान गतिरोध तथा उससे हुई निराशा को हटाने के लिए भी सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) 1982 में दो बोर्ड पहले ही हो चुके हैं और तीसरा बोर्ड 1982 में करने का प्रस्ताव है।

यह सच नहीं है कि पहले 15 वर्ष की सेवा के बाद सभी सेनांगों और सेवाओं के सैनिक अफसरों को ले० कर्नल के पद पर पदोन्नति दे दी जाती थी। रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर, साढ़े 6 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद अफसर तकनीकी तौर पर ले० कर्नल के कार्यकारी (ऐक्टिंग) पद पर और 16 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद ले० कर्नल के स्थायी पद पर पदोन्नति के हकदार हो जाते हैं। सम्बन्धित अफसर के सेनांग अथवा सेवा के आधार पर अफसरों को पहले 1 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद ले. कर्नल के कार्यकारी पद पर पदोन्नति मिल सकती थी। वह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें प्रत्येक वर्ष अन्तर हो जाता था। इस समय भी कतिपय सेनांगों के अफसरों को 16 वर्ष अथवा उससे अधिक वर्ष में ले० कर्नल कार्यकारी पद पर पदोन्नति मिल जाती है।

1965 में और उसके कुछ समय बाद, बड़ी संख्या में अफसरों की भर्ती के परिणाम-स्वरूप मेजर के पद में कुछ गतिरोध होने की आशा थी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार ने हाल ही में एक संवर्ग पुनरीक्षा की है। इसके फलस्वरूप मेजर के 1145 पदों का दर्जा बढ़ाकर ले० कर्नल, 645 ले० कर्नल, के पदों को कर्नल, कर्नल के 187 पदों को ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के 62 पदों को मेजर जनरल और मेजर जनरल के 11 पदों को ले० जनरल कर दिया गया है। पदों का दर्जा बढ़ाए जाने का यह काम 1980 से तीन वार्षिक चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है। उपर्युक्त उन्नयन के अतिरिक्त, मेजरों की वास्तविक संख्या के 20% के लिए 1800-50-1900 रुपए के वेतन मान में एक चयन ग्रेड प्राधिकृत किया गया है। ले० कर्नल की प्राधिकृत संख्या के 10% के लिए 2000-50-2100 रुपए के वेतनमान में दूसरा चयन ग्रेड प्राधिकृत किया गया है। चयन ग्रेड को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की गई है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु बचत

4162. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुए भाग के दौरान राज्यवार तथा वर्षवार लघु बचत के कितनी राशि की वसूली हुई;

(ख) लघु बचत के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना के शेष अवधि के दौरान राज्यवार तथा वर्षवार उक्त वसूली का अनुमान क्या है; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु बचत की वसूल हुई राशि में से प्रत्येक राज्य को कितने ससाधन उपलब्ध कराए गए हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या अनुमान है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 1980-81 और 1981-82 के दौरान अल्प बचतों के निवल संग्रह की राज्यवार जानकारी देने वाला एक विवरण-I संलग्न है।

(ख) छठी पंचवर्षीय आयोजना (1980-85) के दौरान सारे देश के लिए जिसमें संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल है; अल्प बचतों के माध्यम से 6463 करोड़ रुपए के निवल संग्रह का लक्ष्य है। बजट अनुमानों के अनुसार 1982-83 के लिए 1400 करोड़ रुपए का लक्ष्य है; 1983-84 और 1984-85 के लक्ष्य यथा समय निर्धारित किए जाएंगे जब इन वर्षों के बजट अनुमान तैयार किए जाएंगे।

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते।

(ग) 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 (अक्तूबर, 1982 तक) के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों की जानकारी देने वाला एक विवरण-II है।

अल्प बचत संग्रह के एवज में राज्य सरकारों को दिए जाने वाले ऋणों के बजट अनुमान इस प्रकार थे :—

1980-81 (संशोधित अनुमान) 715 करोड़ रुपए

1981-82 (संशोधित अनुमान) 860 करोड़ रुपए

1982-83 (बजट अनुमान) 900 करोड़ रुपए

विवरण-I

1980-81 और 1981-82 के दौरान निवल अल्प बचत संग्रह का राज्यवार विवरण

(लाख रुपए)

क्र० सं०	राज्य का नाम	1980-81	1981-82*	टिप्पणी
1.	आन्ध्र प्रदेश	3470	3675	
2.	आसाम	3440	3473	
3.	बिहार	8981	13545	
4.	गुजरात	9163	11141	
5.	हरियाणा	4238	(-)1265	
6.	हिमाचल प्रदेश	1319	1507	
7.	जम्मू और कश्मीर	1287	9 4	
8.	कर्नाटक	4036	4373	
9.	केरल	1604	1082	
10.	मध्य प्रदेश	4070	2990	
11.	महाराष्ट्र	16715	22708	
12.	मणिपुर	20	6	
13.	मेघालय	128	178	
14.	नागालैंड	26	13	
15.	उड़ीसा	2440	2278	
16.	पंजाब	4047	3580	
17.	राजस्थान	2549	3174	
18.	सिक्किम	7	176	
19.	तमिलनाडु	5688	3936	
20.	त्रिपुरा	224	145	
21.	उत्तर प्रदेश	13536	14999	
22.	पश्चिम बंगाल	17369	21038	
		104357	113686	

*आंकड़े अनन्तिम हैं ।

विवरण-II

1980-81, 1981-82 और 1982-83 (अक्तूबर, 1982 तक) के दौरान अल्प बचत संग्रह के एवज में राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों का विवरण

(लाख रुपए)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1980-81	1981-82	1982-83 (अक्तूबर 1982) कत	टिप्पणी
1.	आन्ध्र प्रदेश	2405	3006	1611	
2.	आसाम	2174	3030	1249	
3.	बिहार	6426	6559	5581	
4.	गुजरात	6557	8513	5491	
5.	हरियाणा	958	3346	226	
6.	हिमाचल प्रदेश	964	1252	564	
7.	जम्मू और काश्मीर	804	757	443	
8.	कर्नाटक	2633	3683	2523	
9.	केरल	1081	1057	523	
10.	मध्य प्रदेश	3350	2591	1153	
11.	महाराष्ट्र	16304	17926	12369	
12.	मणिपुर	290	9	2	
13.	मेघालय	110	110	78	
14.	नागालैंड	15	12	6	
15.	उड़ीसा	1545	1544	815	
16.	पंजाब	2176	2582	1970	
17.	राजस्थान	750	3227	1349	
18.	सिक्किम	4	4	114	
19.	तमिलनाडु	4570	3605	1779	
20.	त्रिपुरा	157	114	56	
21.	उत्तर प्रदेश	7069	10833	7043	
22.	पश्चिम बंगाल	11153	14453	11213	
	जोड़ :	71495	88213	56159	

गुजरात के समुद्र तट पर पकड़े गए तस्कर

4163. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान गुजरात के समुद्र तट पर कितने तस्कर पकड़े गए और उनका विवरण क्या है;

(ख) उनसे किस प्रकार का सामान जब्त किया गया और उस सामान का कितना मूल्य था; और

(ग) इन तस्करों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और उन्हें क्या दण्ड दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) 1981 और 1982 (अगस्त तक) में गुजरात में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गए तस्करी के माल का मूल्य और उसी अवधि में गुजरात में तस्करी के अपराध में गिरफ्तार किए गए, मुकदमा चलाए गए और सजा दिलवाए गए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	पकड़े गए माल का अनुमानित मूल्य (लाख रुपयों में)	गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों की संख्या	मुकदमा चलाए गए व्यक्तियों की संख्या	सजा दिलवाए गए व्यक्तियों की संख्या
1981	374	136	62	12
1982 (अगस्त तक)	594	69	41	14

पकड़े गये माल में सोना, चांदी, कलाई-घड़ियां और संश्लिष्ट वस्त्र शामिल हैं।

विदेशों में भारतीय मूल के लोगों के लिए पर्यटन का संवर्द्धन

4164. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में अपनी इस भूमि की यात्रा करने के लिए बहुत इच्छुक और उत्सुक हैं;

(ख) भारतीय मूल के लोगों के लिए यात्रा प्रायोजित करने और पर्यटन का विकास करने का सरकार के पास प्रस्ताव, यदि कोई है, तो क्या है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विदेशों में स्थित भारत सरकार के पर्यटक कार्यालयों द्वारा भारतीय मूल के पर्यटक यातायात को उतना ही महत्व और उस पर उतना ही जोर दिया जाता है जितना कि अन्य पर्यटकों पर। ये कार्यालय एथनिक ग्रुपों के लिए भारत-संध्याओं, व्याख्याओं, फिल्म प्रदर्शनों का आयोजन और इसमें सहायता करते हैं और विशिष्ट अभिरुचिपरक यात्राओं (ट्रिप्स) के आयोजन में मदद देते हैं। पर्यटक प्रचार साहित्य का संवितरण, डिस्प्ले, सामग्री को उधार (लोन) पर देने और सूचनाएं प्रदान करने सम्बन्धी कार्य भी किए जाते हैं।

बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्गों को ऋण न दिया जाना

4165. श्री तारिक अनवर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों और समाज के कमजोर वर्गों को 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी गई है कि वे समुदाय के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित लोगों के आर्थिक उपक्रमों को सामान्य रूप से और अनुसूचित जातियों जनजाति से सम्बन्धित व्यक्तियों के प्रति विशेष रूप से ऋण सहायता के प्रवाह को बढ़ाने के वास्ते प्रयत्न करें। तदनुसार, राज्य सरकार विकास और विस्तार अभिकरणों और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास निगमों द्वारा इन अनुसूचित समुदायों के सदस्यों के विकास के वास्ते तैयार की गई विभिन्न अर्थक्षम स्कीमों के क्रियान्वयन में बैंक, सक्रियता से भाग ले रहे हैं। यह तथ्य कि, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, बिहार में, केवल वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 1981-82 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित 82850 ऋणकर्ताओं समेत कमजोर वर्गों से सम्बन्धित 276169 ऋणकर्ताओं को सहायता दिए जाने का अनुमान है, यह दर्शाता है कि बैंक निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार उस राज्य में भी कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं।

बैंकों में प्रबन्ध व्यवस्था का उपाय

4166. श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योग्यता, अनुभव और परिपक्वता की दृष्टि से छोटे बैंकों की प्रबन्ध व्यवस्था घटिया स्तर की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 15 अप्रैल, 1980 को जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उनमें प्रबन्ध व्यवस्था और भी ज्यादा खराब है;

(ग) क्या सरकार ने इन बैंकों की प्रबन्ध व्यवस्था का स्तर सुधारने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का अंतर-बैंक स्थानान्तरण करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो यह योजना कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) समय-समय पर किसी न किसी बैंक को कुछ स्तरों पर प्रबन्धकीय अन्तराल का अनुभव हो सकता है, किन्तु इस बारे में किसी विशेष बैंक का उल्लेख करना उचित नहीं होगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारियों के वेतनमानों, भत्तों, और अनुमानों की मानकण विषयक समिति ने जिसे कि सामान्यत: 'पिल्ले समिति' कहा जाता है, अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के उच्चतम कार्यपालकों को एक बैंक से दूसरे में स्थानांतरित करना सम्भव होना चाहिए ताकि अपेक्षाकृत कमजोर बैंकों का स्टाफ ढाँचा मजबूत हो सके अथवा उत्तराधिकार के अन्तराल पूरे किए जा सकें अथवा निहित स्वार्थों को दूर किया जा सके। किन्तु इसकी ब्यौरेवार जांच आवश्यक है, क्योंकि इसमें अनेक मुद्दे अन्तर्गस्त हैं।

'ओपन जनरल लाइसेंस' के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी आयात

4167. **श्री सुधीर कुमार गिरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष में और आगामी वर्षों के दौरान, ओपन जनरल लाइसेंस, के अन्तर्गत प्रौद्योगिक आयात की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) मंत्रिमण्डल की विज्ञान सलाहकार समिति टैक्नालाजी नीति विवरण तैयार करने में लगी हुई है। इसे अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

जगुआर के निर्माण में प्रगति

4168. **श्री उत्तम राठौर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में जगुआर के निर्माण में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) भारत-निर्मित जगुआर उड़ान हेतु कब तक तैयार हो जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) भारत में जगुआर विमान का निर्माण कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

(ख) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला जगुआर विमान पहले ही भारतीय वायुसेना को प्रयोग के लिए दे दिया गया है।

आयकर विभाग द्वारा छापे

4169. **श्री चतुर्भुज :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1982 से 4 अक्तूबर, 1982 की अवधि में आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापों में कितना माल पकड़ा गया है और इन छापों से सरकार को कुल कितनी आय हुई है; और

(ख) इन छापों के परिणामस्वरूप कितने व्यापारियों पर राज्यवार मुकदमा चलाया गया, और उन व्यापारियों की राज्यवार संख्या कितनी है, जिन्हें दोष-मुक्त किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) आयकर विभाग ने 1 जनवरी, 1982 से 30 सितम्बर, 1982 की अवधि के दौरान सारे देश में 3346 तलाशियां ली और इन तलाशियों में लगभग 18.37 करोड़ रु० मूल्य की प्रथमदृष्ट्या लेखाबाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गईं।

इन मामलों में जांच-पड़ताल पूरी किये जाने के पश्चात् ही मुकदमा चलाए जाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

आयकर विभाग द्वारा पालिका बाजार का पुनः सर्वेक्षण

4170. **श्री सोमजी भाई डामोर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979 और 1980 में आयकर विभाग ने पालिका बाजार, नई दिल्ली का सर्वेक्षण किया था;

(ख) क्या आयकर विभाग द्वारा पालिका बाजार का पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है;

(ग) थोड़े समय पश्चात् उसी निरीक्षक द्वारा पालिका बाजार का पुनः सर्वेक्षण किन परिस्थितियों में किया जा रहा है;

(घ) आयकर विभाग, दिल्ली और कौन से क्षेत्रों का पुनः सर्वेक्षण कर रहा है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में सभी व्यापारिक केन्द्रों का सर्वेक्षण नहीं किया गया है, यदि हां, तो कौन से क्षेत्रों का आयकर विभाग दिल्ली द्वारा अभी सर्वेक्षण किया जाना है; और

(च) आयकर विभाग द्वारा पुनः सर्वेक्षण के लिये मापदण्ड और नियम क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (च) आयकर विभाग के आठ निरीक्षकों के एक दल द्वारा जून से अगस्त, 1979 के दौरान पालिका बाजार, नई दिल्ली का सर्वेक्षण किया गया था। जून-जुलाई, 1982 में, केवल तीन निरीक्षकों द्वारा इसका आंशिक रूप से पुनः सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, वाणिज्य की दृष्टि से विस्तारशील/विकासशील क्षेत्रों का पुनः सर्वेक्षण करना अपेक्षित है। 1982-83 के दौरान पालिका बाजार के अलावा इस प्रकार के कई अन्य क्षेत्रों का पुनः सर्वेक्षण करना उद्दिष्ट किया गया है। ऐसे कोई दस व्यापारिक क्षेत्रों के बारे में बताया गया है कि जिन का अभी एक बार भी सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

आर्डनेंस फैक्ट्री, अंबधारी में काम बन्द होना

4171. **श्री वया राम शाक्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्डनेंस फैक्ट्री अंबधारी (नागपुर) में निम्नलिखित अवधि में काम बन्द रहा;

(एक) डाई कास्टिंग और फ्यूज शाप में 17 मार्च, 1980 से 22 मार्च, 1980 तक और 6 मार्च, 1980 से 11 मार्च, 1980 तक;

(दो) फ्यूज शाप में 30 जून, 1980 को;

(तीन) कास्टिंग केस शाप में 7 जून 1980 से 10 जून, 1980 तक; और

(चार) फ्यूज शाप में 2 जुलाई, 1980 से 9 जुलाई, 1980 तक;

(ख) इसके परिणामस्वरूप उत्पादन का कितना नुकसान हुआ और काम बन्द होने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि कुछ श्रमिक यूनियनों के आह्वान के कारण काम बन्द रहा है तो क्या काम बन्द होने की अवधि के वेतन की कटौती की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति

4172. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंक और अन्य बैंकों को शाखाएं खोलने की लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लेने के कितने मामले पड़े हुए हैं और उसका ब्योरा क्या है; और

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक मामले में अनुमति कब देगा; और

(ग) नये शाखाएं खोलने की अनुमति देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाये जाने वाले मानदण्ड क्या हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की 1982-85 की शाखा लाइसेंसिंग नीति का लक्ष्य (1981 की जनगणना के अनुसार) 17000 व्यक्तियों पर एक शाखा से कम बैंकिंग-व्याप्ति वाले बैंक रहित ग्रामीण/अर्ध-शहरी स्थानों पर लगभग 7540 शाखाएं खोलने का है। रिजर्व बैंक द्वारा शाखा खोलने के लिए स्थानों को अंतिम रूप राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर दिया जाता है। उधर राज्य सरकारें इस प्रक्रिया में जिला परामर्शदात्री समितियों का सहयोग लेती हैं। शाखा-विस्तार की बुनियादी जिम्मेदारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के इलाकों में सम्बद्ध ग्रामीण बैंकों की और अन्य इलाकों में उन बैंकों की होती है जिनका शाखा जाल उस क्षेत्र में काफी हो। इसके अलावा अपेक्षाकृत बेहतर बैंक सुविधा वाले इलाकों और नगरीय तथा महानगरीय स्थानों में विकास की आवश्यकताओं, कारोबार की संभावनाओं आदि के आधार पर सीमित शाखा विस्तार की अनुमति दी जायेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अभी तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों समेत वाणिज्यिक बैंकों को, बैंक रहित ग्रामीण/अर्ध शहरी स्थानों पर शाखायें खोलने के लिए निम्नलिखित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में आवंटन किये जा चुके हैं, क्योंकि शाखा खोलने के बारे में इनकी सिफारिशें प्राप्त हो गई थीं : उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और गुजरात राज्य तथा पांडिचेरी और चण्डीगढ़ के केन्द्र शासित प्रदेश। शेष राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से सिफारिशें प्राप्त हो जाने के बाद रिजर्व बैंक द्वारा उन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के बारे में शाखा विस्तार कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

'बोनस फार सैन्ट्रल स्टाफ डिमान्डेड' शीर्षक से समाचार

4173. श्री हीरालाल आर० परमार :
श्री केशव राव पारधी। क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 अक्तूबर. 1982 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "बोनस फार सैन्ट्रल स्टाफ डिमान्डेड" शीर्षक समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सचिवालय और उससे सम्बद्ध कार्यालयों के कर्मचारियों को विचाराधीन ऐसे बोनस के अन्तर्गत शामिल करने का विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां। फिर भी यह रिपोर्ट पूर्णत: ठीक नहीं है। प्रधान मंत्री ने अखिल भारतीय असैनिक लेखा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था कि सरकार सामान्य रूप से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी के प्रश्न पर विचार कर रही है, जैसा कि प्रकाशित समाचार में उल्लेख किया गया है।

(ख) से (घ) उत्पादता से जुड़ी हुई बोनस की मूल योजना के एक अन्तर्निहित लक्षण के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत कुछ विशिष्ट वर्गों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी ही आते थे। इस योजना में इसके लागू करने के तीन साल बाद इसकी समीक्षा किए जाने की व्यवस्था है। तदनुसार, इस योजना की समीक्षा किए जाने की शुरूआत कर दी गई है और इस मामले में सरकार की भावी नीति संयुक्त परामर्शदाता तंत्र में कर्मचारी-पक्ष के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् यथा-समय निर्धारित की जाएगी।

जीवन बीमा निगम के स्वामित्व वाले भवनों को किरायेदारों को बेचना

4174. **श्री राम जेठमलानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक भवन अधिनियम में इस बात का उल्लेख नहीं है कि वैध किरायेदारी को समाप्त करने और वैध किरायेदार को निकालने के कारण तथा आधार क्या होने चाहिएं; और

(ख) क्या जीवन बीमा निगम के स्वामित्व वाले भवनों को किरायेदारों को बेचने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 में सरकारी स्थानों से अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली और उससे आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था है। अधिनियम में परिभाषित अप्राधिकृत अधिभोग का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे अधिभोग के अधिकार के बिना किसी सरकारी स्थान का अधिभोग। यह परिभाषा किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी स्थान का उस समय के बाद भी अधिभोग किए जाते रहने पर लागू होती है जब वह प्राधिकार, जिसके अधीन उसे उस स्थान का अधिभोग करने की अनुमति दी गई थी, समाप्त हो गया हो या किसी भी कारणवश निर्धारित कर दिया गया हो।

(ख) जी, नहीं।

विमान दुर्घटनाओं की जांच

4175. श्री रतनसिंह राजदा : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) वर्ष 1953 के पश्चात् हमारे देश में कितनी विमान दुर्घटनायें हुई हैं और विमान दुर्घटनाओं के कितने मामलों में अदालती जांच की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि जांच न्यायालयों की सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं किया गया और सुविधाजनक सिफारिशों को ही लागू किया गया; और

(ग) क्या यह सच है कि इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसियेशन ने सरकार से कई बार शिकायत की है कि विमान की अनुरक्षण सम्बन्धी समस्या और त्रुटि दूर करने सम्बन्धी प्रणाली की पुनरीक्षा और अधिक व्यावहारिक ढंग से की जानी चाहिए परन्तु इस दिशा में कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाये गए हैं जिसके परिणामस्वरूप विमान यात्रा असुरक्षित बनी हुई है और विमान दुर्घटना का खतरा जारी है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 1953 से 1982 (अक्तूबर तक) के वर्षों में कुल 727 अधिसूचनीय दुर्घटनाए हुईं जिनमें से वायुयान नियम 1937 के नियम 75 के अधीन नियुक्त जांच अदालतों द्वारा 27 की जांच की गई/की जा रही है।

(ख) जी, नहीं। जांच अदालतों की रिपोर्टों को स्वीकृत किए जाने के बाद उनमें की गई सिफारिशों को लागू किया जाता है।

(ग) जी, नहीं। विमान का संधारण तथा खराबी दूर करने की प्रणाली का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है तथा नवीनतम उपचारी संधारण संकल्पनाओं के अनुसार उन्हें अद्यतन बनाया जाता है।

चीन के साथ व्यापार सम्बन्ध

4176. श्री जगदीश टाइटलर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने चीन को समझौता करने की आवश्यकता बताई है कि दोनों देश एक तय कीमत से नीचे पारस्परिक हितों की चीजों का निर्यात करे ताकि बेहतर एक्सचेंज संबंध सुनिश्चित किये जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर चीन की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) चीन के साथ बेहतर व्यापार सम्बन्ध बनाने के लिये उठाये जा रहे अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) वर्ष, 1982 में एक उच्च स्तरीय चीनी प्रतिनिधिमण्डल के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श के दौरान भारतीय पक्ष द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि भारत और चीन चाय, जूट, वस्त्र, खेल-कूद सामान, निटवियर, ऊनी माल और हल्की इंजीनियरी मदों के अपने निर्यातों में अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतियोगिता कर रहे हैं। यदि वे सामान्य कीमत पर निर्यात करने के लिये सहमत हो जाते हैं तो इससे दोनों देशों को बेहतर विदेशी मुद्रा वसूली सुनिश्चित होगी;

(ग) भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिये दोनों देशों के बीच अनेक प्रतिनिधिमण्डलों का आदान प्रदान किया गया था।

जाजपुर में जीवन बीमा निगम का शाखा कार्यालय खोलना

4177. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम की व्यापार विस्तार योजना में (ब्रोडर बिजनेस पालिसी) यह व्यवस्था है कि जब शहरी क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 80 लाख रुपए से अधिक का व्यापार हो जाता है तो व्यापार के विस्तार के लिए शाखा कार्यालय खोलना न्यायोचित है;

(ख) जाजपुर, उड़ीसा में शाखा कार्यालय न खोलने के क्या कारण हैं जबकि 31 मार्च, 1982 तक 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक का व्यापार हो गया था;

(ग) क्या यह सच है कि कटक से 100 कि० मी० की दूरी पर स्थित जाजपुर के पालिसी धारकों को बीमे के लेन-देन के लिए कटक आना पड़ता है; और

(घ) उक्त दो बातों को ध्यान में रख कर सरकार का विचार जाजपुर में शाखा कार्यालय कब खोलने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) कोई नया शाखा कार्यालय खोलने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा जो मानदण्ड अपनाया जाता है वह यह है कि जिस शाखा कार्यालय को वह प्रस्तावित क्षेत्र सौंपा जाना है उस क्षेत्र से पिछले तीन वर्षों के दौरान औसतन कम से कम 150 लाख रुपए का नया व्यापार हुआ हो। जाजपुर उप-प्रभाग का नया व्यापार फिलहाल न्यूनतम मानदण्ड से काफी कम है।

केन्द्रपाड़ा उप-प्रभाग में जो जाजपुर के नजदीक है, व्यापार फिर भी ज्यादा हुआ है और जीवन बीमा निगम का प्रस्ताव है कि केन्द्रपाड़ा स्थित विकास केन्द्र का दर्जा शीघ्र ही बढ़ाकर पूर्ण शाखा कार्यालय में बदल दिया जाए। केन्द्रपाड़ा स्थित कार्यालय का, जो कि कटक के बजाए जाजपुर के काफी निकट है, दर्जा बढ़ा दिए जाने से जाजपुर उप-प्रभाग की बीमा सम्बन्धी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर पाना शीघ्र ही संभव हो सकेगा।

संयुक्त सेना चरन बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण के लिए चयनित कैडेट

4178. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना की प्रत्येक शाखा में इस वर्ष स्थल सेना, नौसेना, और वायु सेना में प्रशिक्षण हेतु संयुक्त सेना चयन बोर्ड ने कुल कितने कैडेटों का चयन किया है और वे कहां के और किन राज्यों के हैं और उनका प्रशिक्षण काल कितना है तथा प्रशिक्षण केन्द्र कहाँ पर हैं;

(ख) प्रशिक्षण काल के दौरान शुल्क फीस इत्यादि कितनी है और सेना की इन तीन शाखाओं के प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को छात्रवृत्ति और अन्य भत्तों के रूप में कितना भुगतान किया जा रहा है ;

(ग) भारतीय स्थल सेना के जेन्टलमैन कैडेटों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षणार्थियों या वायुसेना के प्रशिक्षणार्थियों के बराबर भुगतान न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) भारतीय स्थल सेना के कैडेटों को बेहतर भुगतान और उनके साथ कैडेटों को बेहतर भुगतान और उनके साथ बेहतर व्यवहार करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है और अकादमी की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर क्या विशेष सुधार करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पो० सिंह देव) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5676/82]

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों और भारतीय सैन्य अकादमी के जन्टिलमैन कैडिटों के बीच तुलना संभव नहीं है क्योंकि भरती की आयु, भरती के तरीके और सेवा की शर्तें इन दोनों सेवाओं में अलग-अलग हैं । जहां तक वायुसेना के प्रशिक्षणार्थियों और भारतीय सैन्य अकादमी के प्रशिक्षणार्थियों का सम्बन्ध है, इन दोनों सेवाओं के बीच कोई अन्तर नहीं है । परन्तु भारतीय सैन्य अकादमी के प्रशिक्षणार्थियों को 1/½ वर्ष के बाद कमीशन प्रदान किया जाता है; जबकि वायुसेना के प्रशिक्षणार्थियों को एक साल के प्रशिक्षण के बाद कमीशन दे दिया जाता है और फिर वे मूल वेतन तथा भत्ते पाने के हकदार हो जाते हैं । लेकिन उनका प्रशिक्षण छः महीने की और अवधि के प्रशिक्षण के बाद ही पूरा होता है ।

(घ) कमीशन पूर्व प्रशिक्षण के लिए भरती को इन सेवाओं में भरती होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अधिक आकर्षक बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । तथापि अकादमी के स्वर्ण-जयंती वर्ष से इस प्रश्न को नहीं जोड़ा गया है ।।

///

अजन्ता और एलोरा गुफाओं में पर्यटक सुविधायें

4179. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में स्थित विश्व प्रसिद्ध अजन्ता और एलोरा की गुफाओं के स्थल पर पर्यटक सुविधाओं का विकास करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इसका अन्य ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) अजन्ता गुफाओं में पर्यटक सुविधाओं का विकास करने के लिए, पर्यटन मन्त्रालय ने वर्ष 1977-78 में महाराष्ट्र सरकार को 9.36 लाख रुपए की एक व्यय-मंजूरी जारी की थी। इसके अलावा, भारत पर्यटन विकास निगम भी अजन्ता में एक यात्री गृह और एलोरा में एक यात्री रेस्तरां का परिचालन कर रहा है।

धनराशि की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए एकीकृत तथा समन्वित विकास के लिए महाराष्ट्र की राज्य सरकार से परामर्श करके निर्धारित किए गए यात्रा परिपथों में अजन्ता-एलोरा को भी शामिल किया गया है।

विदेशों में आयात तथा निर्यात बैंक द्वारा शाखाएं खोलना

4180. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात और आयात बैंक का विचार विदेशों में शाखाएं खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो ये शाखाएं खोलने के लिए कौन से स्थान चुने गये हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बैंकिंग कारबार करने के वास्ते विदेशों में शाखाएं खोलने की भारतीय निर्यात आयात बैंक की इस समय कोई योजना नहीं है। अलबत्ता, अपने परिचालनों को अधिक कुशलता से करने के वास्ते इसका प्रस्ताव, विदेशों में कुछ प्रतिनिधि कार्यालय खोलने का है। लेकिन वे कोई बैंकिंग कारबार नहीं करेंगे।

पाकिस्तान को एफ-16 विमानों की सप्लाई

4181. **श्री बालासाहिब बिखे पाटिल** : रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान को एफ-16 विमानों की सप्लाई से उत्पन्न

आशंकाओं को सामान्य भावना के विपरित "एयरक्राफ्ट सिस्टम्स टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट", बंगलौर के भारतीय वैज्ञानिक तथा टेक्नोक्रैटों ने एफ-16 विमानों की अपेक्षा ऐसे विमान के लिये आगे कार्यवाही करने में अच्छी प्रगति की है जो "बहुत अधिक क्षमता" वाला होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में ही ऐसे विमानों का उत्पादन तेज करने के लिये तत्काल कार्यवाही करने का है ताकि पाकिस्तान को दिये जाने वाले विदेशी विमानों के बावजूद विमान-क्षेत्र में भारत का प्रभुत्व बिना किसी चुनौती के बना रहे;

(ग) क्या "जगुआर" को समुद्री वायुयान क्षमता प्रदान करने हेतु आधुनिकीकृत करने तथा हमारे उदीयमान पाइलटों के लिये प्रशिक्षक विमान के रूप में "नैट" के बाद का विमान ढूंढने के लिये भी कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन): (क) विमान तथा प्रणाली परीक्षण स्थापना भारतीय वायुसेना की दिए जाने वाले सभी विमानों की विभिन्न सुपरिचित आवश्यकताओं के अनुसार मूल्यांकन करती है। यह उनकी सामान्य गतिविधियों का ही एक अंग है और इसका पाकिस्तान द्वारा प्राप्त किए जाने वाले एफ-16 से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ख) सरकार चारों ओर के खतरों के परिवेश में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए पूरी रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपाय करती है।

(ग) और (घ) आधुनिकीकरण और नवीकरण की योजनाएं लगातार चलने वाली प्रक्रिया हैं। भारतीय वायुसेना के विमान चालकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने अजीत वायुयान की प्रशिक्षण किस्म का विकास किया है।

वायुदुत सेवा के लिए नए स्थान

4182. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान किन-किन स्थानों के लिए वायुदूत सेवा मंजूर की गई है;

(ख) उनमें से किन स्थानों के लिये वायुदूत सेवा पहले से ही शुरू हो चुकी है;

(ग) शेष स्थानों के लिये इन सेवाओं के प्रारम्भ होने की तारीखें क्या हैं;

(घ) उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित स्थानों के मामले में विलम्ब के कारण क्या हैं; और

(ङ) क्या कुछ अन्य स्थान भी वायुदूत सेवा के अन्तर्गत विचाराधीन हैं और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)। (क) से (ङ) वायुदूत सेवाएं पहली बार जनवरी, 1981 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 स्टेशनों के लिए प्रारम्भ की गई थीं। अक्तूबर, 1982 तक वायुदूत सेवाओं का निम्नलिखित स्टेशनों के लिए विस्तार किया गया है :—

1. गौहाटी, 2. शिलांग, 3. सिल्चर, 4. अगरतला, 5 कलाशहर, 6. छबुआ, 7. तेजू 8. लुधियाना, 9. देहरादून, 10. कुल्लू, 11. चण्डीगढ़, 12. दिल्ली, 13. पटना, 14. जमशेदपुर, 15. राउरकेला, 16. रांची, 17. कलकत्ता 18. गया और 19. हिसार।

वायुदूत सेवाओं का देश के विभिन्न स्थानों के लिए विमान की उपलब्धता तथा अन्य आधार संरचनात्मक सुविधाओं के विकास के अधीन प्रावस्थाबद्ध रूप से विस्तार करने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल 34 और भी स्टेशनों को (जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है) विमान सेवा से जोड़े जाने की योजना बनाई गई है।

विवरण

उन स्टेशनों की सूची जिन्हें वायुदूत के विस्तार कार्यक्रम में शामिल किया है :—

उत्तर प्रदेश :	गाजीपुर, पन्तनगर, राय बरेली
मध्य प्रदेश :	जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर
उड़ीसा :	झारसुगुडा
बिहार :	पूर्णिया, भागलपुर
राजस्थान :	कोटा, जैसलमेर, बीकानेर
गुजरात।	सूरत, दमन (राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित करने के बाद दीव सहित चार और केन्द्रों को भी
(गोवा, दमन और दीव)	सम्मिलित किया जाना है)
आन्ध्र प्रदेश :	कुद्दापा, राजमुंदरी, वारंगल
महाराष्ट्र :	नान्देड़
तमिलनाडु :	तंजावुर, चेतीनाद, तिरुनेलवेली
कर्नाटक :	मैसूर, हुबली, रायचूर
केरल :	कालीकट
पश्चिम बंगाल :	कूच बिहार
अरूणाचल प्रदेश :	एलोंग, जीरो, डपोरिजो, पासीघाट

भारत-फ्रांस वार्ता

4183. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में भारत-फ्रांस वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग सम्बन्धी भारत-फ्रांस समिति की बैठक 1-4 अक्तूबर, 1982 को नई दिल्ली में हुई। इसके वार्षिक कार्यक्रम में दोनों देशों के बीच विद्यमान आर्थिक सम्बन्धों की पूर्ण जानकारी के लिये एक मंच की व्यवस्था करना और अधिक विकास तथा विस्तार के लिए सहयोग के विशेष क्षेत्रों का पता लगाना है।

इन वार्ताओं से एक दूसरे की चिन्ताओं और समस्याओं को समझने में सहायता मिली है और दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धों को सुधारने के लिये सदभावना का वातावरण सृजित हुआ है।

विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी

4184. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि दुर्लभ मुद्रा में बढ़ते हुए व्यापार अंतर के कारण गत 17 महीनों में विदेशी मुद्रा अप्रैल 1981 में 4,800 करोड़ रुपए से 13 अगस्त, 1982 को 3,634 तक, अर्थात 1,166 करोड़ रुपए तक की कमी हो गई है और इस भंडार से तीन महीनों के आयात के लिए भुगतान नहीं किया जा सकता; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति में सुधार करने और उसे सुगम स्तर पर बनाए रखने के लिए अनेक कदम उठा रही है ताकि देश के आयात के खर्च को पूरा किया जा सके। इनमें ये कदम शामिल हैं :—

(I) देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन को बढ़ाना, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करना और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में कमी करना।

(II) उत्पादन क्षमता के उपयोग में सुधार करके और अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करके सीमेंट उर्वरक, अलौह धातुओं तथा इस्पात आदि जैसे मुख्य क्षेत्रों में आयात प्रतिस्थापन करना।

(III) मूलभूत ढांचे की रुकावटों और खासतौर से बिजली, परिवहन और पत्तनों की रुकावटों को दूर करके निर्यात को पहले से अधिक बढ़ाना, उत्पादन को बढ़ाकर निर्यात के लिए अधिक अधिशेष वस्तुओं का उत्पादन करना, प्रोत्साहन पद्धति के साथ-साथ भारतीय उद्योगों में प्रतियोगितात्मकता और कार्य कुशलता के विकास को बढ़ावा देना जिससे निर्यात से लाभ हो और अपेक्षाकृत गतिशील लाभ के क्षेत्रों आदि में निर्यात को प्रोत्साहन मिल सकेगा।

(IV) ऐसे उपाय करना जिनसे विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों से अधिक प्रेषणाएं प्राप्त करने के काम को प्रोत्साहन मिल सके।

(V) विदेशी वित्तपोषण की नीति अपनाना, जिससे यह सुनिश्चित हो पाए कि अर्थ-व्यवस्था की और विशेष रूप से विकास की जरूरतों के लिए आवश्यक आयात में रुकावट न आए, विदेशों से लिए गए उधारों की लागत कम से कम हो और ऋण परिशोधन के दायित्व विवेकपूर्ण सीमाओं के अन्दर-अन्दर रहें।

विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भारत सरकार यथा संभव विदेशी सहायता के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्रोतों का उपयोग कर रही है। सरकार ने 1981 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ 5 अरब एस० डी० आर० की विस्तारित व्यवस्था की जो तीन वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। इस विस्तारित व्यवस्था के अन्तर्गत 150 करोड़ एस० डी० आर० की राशि पहले ही निकाली जा चुकी है। इसके अलावा निर्यातों ऋणों और उपयुक्त मामलों में वाणिज्यिक उधारों का भी सहारा लिया गया है।

कलकत्ता हवाई-अड्डा का महत्व कम किया जाना

4185. **प्रो० रूप चन्द पाल :** क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस व्यापक आलोचना की जानकारी है कि कलकत्ता हवाई अड्डे के महत्व को गत दो दशकों के दौरान जानबूझकर और योजनाबद्ध तरीके से कम किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी आलोचना पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेशम के निर्यात में पूर्वी क्षेत्र का भाग

4186. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि देश के रेशम के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक उत्पादन पूर्वी क्षेत्र में होता है परन्तु निर्यातों में इसका भाग 30 प्रतिशत से थोड़ा ही अधिक है; और

(ख) यदि हाँ, तो निर्यातों में भाग पूर्वी क्षेत्र के भाग को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार पूर्वी क्षेत्र में देश में कुछ कच्चे रेशम उत्पादन का लगभग 19 प्रतिशत उत्पादन होता है जबकि मात्रा की दृष्टि से इसके निर्यातों का भाग 30 प्रतिशत से अधिक बैठता है ।

(ख) रेशम का उत्पादन बढ़ाने वाले प्रयत्न, और निर्यातों के लिए उपलब्ध प्रोत्साहन पूरे देश पर लागू होते हैं । निर्यात बढ़ाने के लिए जो विशिष्ट उपाय किये गये हैं । उनमें कुछ हैं : शहतूती, टसर तथा एरि सहित कोयों की प्रोसेसिंग तथा रीलिंग में सुधार, रेशम प्रौद्योगिकी का अनुसंधान तथा बाजार अध्ययन ।

दमदम में निर्यात प्रोसेसिंग जोन

4187. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दमदम में निर्यात प्रोसेसिंग जोन के लिए क्या कार्यवाही की गयी है जिसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने भूमि तैयार कर रखी है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : सरकार ने अभी देश में कोई और निर्यात संसाधन जोना मुक्त व्यापार जोन खोलने का निर्णय नहीं लिया है ।

जापान से रियायती ऋण

4188. **श्री रवीन्द्र वर्मा** :

श्री अर्जुन सेठी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने हमारे देश में चार परियोजनाओं के लिए लगभग 125 करोड़ रुपए के रियायती ऋण दिए हैं; और

(ख) यह ऋण कौन-कौन से क्षेत्र उपयोग में लाएंगे और उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां। जापान ने वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए 4 परियोजनाओं के सम्बन्ध में लगभग 33.0 अरब येन के रियायती ऋण दिये हैं जो कि 126.767 करोड़ रुपये के बराबर की राशि है।

(ख) इन ऋणों का उपयोग विद्युत पेट्रोलियम तथा रेलवे क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा। उपर्युक्त रियायती ऋणों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	अरब येन
(1) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की अनपाडा "ख" तापीय विद्युत परियोजना।	24.1 (92.58 करोड़ रु०)
(2) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की अपतटवर्ती पूर्ति जहाज परियोजना	2.1 (8 067 करोड़ रु०)
(3) मेट्रो रेलवे कलकत्ता चरण-II	4.8 (18.44 करोड़ रु०)
(4) तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड की सूक्ष्म पन बिजली परियोजनाएं	2.0 (7.68 करोड़ रु०)

उद्योगपतियों पर बकाया आयकर

4189. **श्री विरधा राम फुलवारिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ऐसे उद्योगपतियों और फर्मों का ब्यौरा क्या है जिन पर आयकर की 10 लाख रुपये से अधिक राशि बकाया है; और

(ख) बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) इस प्रश्न के प्रयोजनार्थ "उद्योगपतियों" तथा "फर्मों" शब्द का अर्थ निर्माणकारी अथवा व्यापारिक कार्यकलापों में लगी भागीदारी कम्पनियों के रूप में लिया गया है। इस प्रकार के पृथक आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, जिन भागीदारी कम्पनियों की तरफ 31-3-42 की स्थिति के अनुसार 10 लाख रु० तथा उससे अधिक आयकर की मांग बकाया थी, उन सभी की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, आयकर प्राधिकारियों द्वारा, बकाया मांगों की वसूली/घटौती के लिए समय-समय पर समुचित उपाय किये जाते

हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, अनिर्णीत पड़ी अपीलों के शीघ्र निपटान के लिए अपीलीय प्राधिकारियों से अनुरोध करना, आयकर अधिनियम की धारा 226 (3) के अंतर्गत निर्धारिती को देय रकमों पर रोक लगाना और आयकर अधिनियम की धारा 222 के अंतर्गत कर वसूली अधिकारियों को वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद, चल और अचल सम्पत्तियों का अभिग्रहण करना, शामिल हैं।

विवरण

जिन भागीदारी कम्पनियों की तरफ 31-3-1982 की स्थिति के अनुसार 10 लाख रु० तथा उससे अधिक आयकर की मांगें बकाया थीं, उनके नामों का विवरण-पत्र

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	कर-निर्धारिती का नाम	बकाया कर वसूली योग्य नहीं बनी मांगें	
1.	2	3	4
1.	जान मिल्स एण्ड कं०	—	18.35
2.	यू० पी० सी० सी० लुक्सा	13.59	—
3.	राधा-किशन बनवारी लाल	27.60	—
4.	लक्ष्मी नारायण राम नारायण	15.06	—
5.	सुरेश देसाई एण्ड एसोसिएट्स	—	35.97
6.	जे० चित्तरंजन एण्ड कं०	—	20.06
7.	जयोम्स इंजीनियरिंग कं०	—	12.73
8.	तुलसन ओवरसीज ट्रेडर्स	18.21	—
9.	गणेश नारायण ओंकारमल	25.14	—
10.	लाइका लेबोरेट्रीज	0.08	16.47
11.	रिलायबल ट्रेडर्स	17.09	—
12.	जनरल मशीनरी स्टोर्स	13.11	—
13.	डा० साहिब सिंह एंड सन्स	99.73	—
14.	एच० ए० शाह एण्ड कं०	0.04	10.82
15.	सी० रेमन एण्ड कं० (आटो डिवीजन)	17.16	0.83
16.	एम्पायर इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन	23.56	0.03
17.	के० एस० अब्दुल्ला एंड बदर्स	12.97	0.23
18.	मुर्ज एक्सपोर्टस	20.87	0.50

1 2	3	4
19. शकील पिक्चर्स	21.15	—
20. भारत एक्सपोर्ट कारपोरेशन	34.68	—
21. दुर्गा ट्रेडिंग कं०	25.53	0.24
22. एस० पी० बिल्डर्स	7.02	55.41
23. राम कुमार जालान	182.99	297.17
24. गुजरात केमिकल इण्डस्ट्रीज	11.29	0.01
25. कमानी एस्टेट	—	15.00
26. मधु वार्प निट इंडस्ट्रीज	—	16.19
27. यूनिवर्सल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एजेन्सी	—	11.60
28. राणा एण्ड कं०	—	24.26
29. ट्यूब डिस्ट्रीब्यूटर्स एजेन्सी	7.41	5.96
30. विष्णु केमिकल कारपोरेशन	11.09	—
31. जैन मेटल इण्डस्ट्रीज	0.92	24.95
32. जमनादास माधवजी एण्ड कं०	20.44	6.72
33. प्रेमजी हरिदास एण्ड कं०	—	34.61
34. मधुसूदन गोरधनदास एण्ड कं०	—	71.04
35. चन्द्रेश केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स	11.19	2.90
36. वन्दना केमोप फार्मा इंडस्ट्रीज	0.02	63.91
37. साहनी एन्टरप्राइजिस	—	19.63
38. एसोसिएटिड फार्मा	24.45	—
39. पूरनमल एण्ड सन्स (बम्बई)	4.47	7.17
40. बंसल मेटल कन्टेनर्स वर्क्स	29.30	—
41. हरिचन्द कश्मीरी लाल	32.26	—
42. हरियाणा रंग उद्योग	2.21	39.80
43. दिल्ली राजकोट इनेमल वर्क्स	39.35	—
44. गुलाब सिंह सेठी एण्ड सन्स	52.44	—
45. शान्तिविजय एंड कं०	—	47.33
46. चमन लाल एण्ड ब्रदर्स	37.98	10.87
47. सिनफाइबर सेल्स कारपोरेशन	0.69	40.72
48. रेनबो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन	0.02	76.54
49. स्टील इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन	—	88.88

1	3	4
50. सिंघानिया एण्ड सन्स	1.65	12.15
51. सुदर्शन कुमार एण्ड कं०	6.34	11.55
52. अजय उद्योग	7.01	26 45
53. मेहरा दी हट्टी	—	41.32
54. हंसालय प्रापर्टीज	—	87.36
55. आर० एन० शराफ (मेहमदाबाद)	67.37	—
56. आर० एन० शराफ (नाडियाड)	185.43	—
57. हुण्डोमल दस्सुमल	12.97	0.03
58. हरीश ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन	—	18.39
59. मनीभाई कादिरभाई एण्ड कं०	—	18.36
60. एस० जोरास्टर एंड कं० (फर्म)	—	10.26
61. डुडुवाला एण्ड कं०	—	29.43
62. राजेन्द्रा प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	97.30	—
63. बी० आर० कोठी	14.14	—
64 केदार नाथ बैजनाथ	4.75	8.48
65. गगाधर बैजनाथ	31.83	—
66. कुमार एण्ड कं०	—	24.61
67. मन्नी लाल शिवसरन लाल हर सरन लाल भिकारी लाल	—	18.29
68. न्यू कानपुर फ्लौर मिल्स	—	10.48
69. श्री गणेश आयरन एण्ड स्टील रोलिंग मिल्स	—	17.78
70. टैक्सटाइल एजेन्ट्स	12.22	—
71. रामशंकर राम निवास बशाई लाल भोलानाथ	—	48.50
72. मन्नी लाल केदार नाथ	45.90	5.23
73. मन्नूलाल केदार नाथ एण्ड सन्स	—	69.71
74. वारसन एण्ड हिटमोर एस० ए० आर० एल०	62.81	—
75. कैमीन्स (रजि०)	—	19 64
76. केशव केश्यू कम्पनी	—	18.52
77. वीनस ब्रीवरी	2.34	11.35
78. सिलारा इंडस्ट्रीज	5.56	12.03

1	2	3	4
79.	ट्रूलाइन (इण्डिया) इण्टस्ट्रीज	26.61	4.08
80.	जेइरा आयल मिल्स	6.31	11.63
81.	अनवरखान महबूब खान एण्ड कं०	24.24	5.86
82.	हितकारी वस्त्र भण्डार	—	17.43
83.	पाठक ब्रदर्स	—	31.03
84.	गिरि लाल माम चन्द	—	97.23
85.	रफीउल्ला एण्ड ब्रदर्स	0.60	44.82
86.	विस्वाम एण्ड कं०	—	17.44
87.	मद्रास वायर प्रोडक्ट्स	16.02	—
88.	आर० आर० पिक्चर्स	11.69	—
89.	ए० अब्दुल शकूर एण्ड कं०	—	10·73
90.	ईस्ट कोस्ट फूड कारपोरेशन	12.44	—
91.	जार्ज मैंजी	0.23	12.52
92.	मद्रास फ्रोजन फूड्स	0.76	17.12
93.	ए० रफीक अहमद एण्ड कं०	—	46.36
94.	टी० अब्दुलवाहिद एण्ड कं०	—	20.26
95.	आर० बी० श्रीराम दुर्गाप्रसाद एफ० एन० (एक्सपोर्ट)	354.41	—
96.	विसाका गोडा एसोसिएशन	11.68	—
97.	न्यू एरा हिन्दुस्तान वूलन मिल्स	16.47	—
98.	हिन्दुस्तान जनरल एजेन्सीज	—	14.78
99.	राम कुमार अग्रवाल एण्ड ब्रदर्स	8.55	10.59
100.	जायसवाल इंजीनियरिंग कं०	20.23	—
101.	जाटिया इन्वेस्टमेंट कं०	19.72	11.84
102.	अग्रवाल मैघनदास खैर एण्ड कं०	15.53	—
103.	गुलाब चन्द धनराज	20.56	—
104.	लाडू राम तापड़िया	21.55	—
105.	एस० वी० गोबलदास हरिदास	24.86	—
106.	तेलाराम प्रकाश चन्द	11.65	—
107.	पूरनमल राजकुमार	1.46	8.88

1 2	3	4
108. अमीनचन्द प्यारेलाल	—	11.56
109. रूप वर्षा	—	16.78
110. श्री पस्सारी टेक्सटाइल्स	33.91	10.34
111. वेस्टर्न एस्टेट्स कारपोरेशन	26.00	—
112. वेस्टर्न एस्टेट्स	96.73	—
113. काशी कोल्ड स्टोरेज (फर्म)	9.37	9.99

वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा एकत्र की गयी धनराशि

4190. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली ने 1979-81 वर्षों के दौरान वस्त्र निर्यातकों की बैंक जमानतों/धरोहर जमा धनराशि को जब्त करने के तौर पर 76.41 लाख रुपए (अन्तरिम रूप से) एकत्र किए हैं;

(ख) क्या वह कुल रकम 76.41 लाख रुपए के सम्बन्ध में प्रत्येक निर्यातक से ली गई धनराशि का विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे; और

(ग) वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद ने वर्ष 1981-82 के दौरान बैंक की जमानतों और धरोहर राशियों को जब्त करके कितनी धनराशि जमा की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अपेरेल निर्यात संवर्धन परिषद ने निर्यातकों से 1979-81 के दौरान जुर्माने के रूप में 78.43 लाख रु० वसूल किए हैं।

(ख) तथा (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिना भुगतान की गई पेनल्टियां

4191. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली ताजमहल होटल में 27 अप्रैल, 1982 को बुलाई गई परिधान निर्यात विकास परिषद की 29वीं कार्यकारी समिति की बैठक की कार्यसूची देखी है;

(ख) क्या वर्ष 1979 के लिए परिधान निर्यातकर्ताओं द्वारा भुगतान न की गई पेनल्टियां जो 52,45805.72 रुपये होती है, के सम्बन्ध में परिशिष्ट "X" की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी;

(ग) क्या वर्ष 1980 और 1981 के लिए भुगतान न की गई पेनल्टियों के सम्बन्ध में समान सूचना समापटल पर रखी जाएगी; और

(घ) ऐसे दोषी निर्यातकर्ताओं के विरुद्ध की गई कानूनी अथवा अन्य कार्यवाहियों का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) अपेरेल निर्यात संवर्धन परिषद की कार्यकारी समिति की 29वीं बैठक 27 अप्रैल, 1981 को हुई। कार्यकारी समिति की 29वीं बैठक की कार्यसूची के साथ संलग्न अनुबन्ध 10 की प्रति संलग्न है।

[प्रथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5677/82]

(ग) 1980 और '981 के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है।

(घ) अपेरेल निर्यात संवर्धन परिषद सरकार द्वारा प्रतिवर्ष घोषित कोटा नीति के उपबन्धों के अनुसार जहां कहीं जुर्माने देय हो जाते हैं उनमें सार्वजनिक सूचना के जरिए बैंक गारन्टियां लागू करती रही है।

कोटे में जालसाजी के बारे में लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

4192. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "एपारेल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल", नई दिल्ली के लेखापरीक्षक मैसर्स एस० पी० पुरी एण्ड कम्पनी तथा अन्य लेखा-परीक्षकों ने कुछ महीनों पहले कार्यकारी समिति के अनेक सदस्यों से सम्बन्धित कोटे में जालसाजी के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए थे;

(ख) क्या इन प्रतिवेदनों पर सरकार के नामित सदस्यों की उपस्थिति में 29 जून, 1982 को हुई कार्यकारी समिति की बैठक तथा अन्य बैठकों में चर्चा हुई थी;

(ग) क्या सरकार का विचार उन प्रतिवेदनों की प्रतियां सभा पटल पर रखने का है; और

(घ) सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है क्योंकि सरकार की ओर से कोटा "एपारेल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल" द्वारा वितरित किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) मैसर्स एस० पी० पुरी एण्ड कम्पनी अपेरेल निर्यात संवर्धन परिषद के कानूनी लेखा-परीक्षक हैं और कोटा लेखा-परीक्षक नहीं है। प्रति वर्ष कोटा लेखा-परीक्षा करने और परिषद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए परिषद की कार्यकारी समिति द्वारा नियुक्त किए गए अन्य विभिन्न कोटा लेखा-परीक्षक हैं।

(ख) कोटा लेखा-परीक्षा की विशेष रिपोर्टों पर कार्यकारी समिति द्वारा अभी विचार-विमर्श नहीं किया गया है । तथापि, क्षेत्र, विचारार्थ विषय और इस प्रकार की रिपोर्टों पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में आम विचार-विमर्श हुए ।

(ग) तथा (घ) ऊपर (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते ।

परिधान निर्यात विकास परिषद के भरती, पदोन्नति और सेवा नियम

4193. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिधान निर्यात विकास परिषद की कार्यकारी समिति की नीति क्या है और विशेषकर परिधान निर्यात विकास परिषद के भरती पदोन्नति सेवा नियमों आदि के विषय में कार्यकारी समिति में सरकारी नामांकित व्यक्तियों की भूमिका क्या है;

(ख) क्या परिधान निर्यात विकास परिषद द्वारा बनाए गए सेवा नियमों की एक प्रति और उनके प्रभावी होने की तारीख सभा पटल पर रखी जाएगी;

(ग) क्या यह सच है कि परिधान निर्यात विकास परिषद के चार अथवा पांच अधिकारियों को वाणिज्य मंत्रालय और गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों में से केवल दो अथवा तीन वर्ष पूर्व भरती की गई थी परन्तु वे इस समय अपने मूल वेतन से दो से चार गुणा अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उनके नामों, पिछले और वर्तमान पदों, पिछले और वर्तमान वेतन और परिधान निर्यात विकास परिषद में आने की तारीखों के विषय में ब्यौरा क्या है और ऐसी भारी वृद्धि के कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद की कार्यकारिणी समिति, जिसमें सरकारी नामिती शामिल है, परिषद के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के सेवा शर्तों, नियुक्ति, प्रोन्नतियों आदि के विनियमन के लिए उपनियम/नियम बनाने के लिए उत्तरदायी है ।

(ख) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार सेवा नियमों का इस समय संशोधन किया जा रहा है ।

(ग) तथा (घ) परिषद के निदेशक तथा ऊपर के अधिकारियों, जिन्हें सरकार तथा गैर-सरकारी क्षेत्र से भर्ती किया गया था, से सम्बन्धित संगत ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं । अधिकारियों की नियुक्ति की शर्तें परिषद द्वारा निर्धारित की गई थीं ।

विवरण

क्र० सं०	नाम तथा ए. ई. पी. सी. में धारित वर्तमान पद	वह पद जिस पर ए. ई. पी. सी. में मूल रूप में नियुक्ति हुई थी, नियुक्ति की तारीख सहित	सरकारी/गैर सरकारी क्षेत्र में धारित पूर्ववर्ती पद समग्र वेतन सहित (प्रति मास)	ए. ई. पी. सी. में प्रारम्भिक नियुक्ति पर प्रति मास लिया गया वेतन	ए. ई. पी. सी. में अब लिया जा रहा वेतन
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री				
1.	ए० एस० एस० स्वामी, वरिष्ठ निदेशक	निदेशक (14.9.1978)	विशेष अधिकारी (गाढ) वाणिज्य मंत्रालय (1200 रु०) जमा केन्द्रीय सरकार की दरों पर भत्ते) वेतनमान 1100-50-1600 रु०	2000 रु० जमा भत्ते	2000 रु० जमा भत्ते
2.	डी० के० नायर, निदेशक।	संयुक्त निदेशक (1.9.1978)	सहायक, वाणिज्य मंत्रालय (1000 रु०) वेतनमान 425-800 रु०	1200 रु० जमा भत्ते	1800 रु० जमा भत्ते
3.	अनिल तलवार, निदेशक-सह-सचिव।	संयुक्त निदेशक (9.7.1979)	वित्त प्रभारी मैसर्स सुवा ड्रग्स फार्मास्युटिकल्स प्रा० लि०, चंडीगढ़ (दिल्ली में पदासीन) (12000 रु०)	1200 रु० जमा भत्ते	2000 रु० जमा भत्ते

1	2	3	4	5	6
4.	पी० बालसुब्रमनियम, निदेशक ।	निदेशक (25.10.78)	क्षेत्रीय अधिकारी, तैयार चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता (950 रु० जमा अन्य लाभ) वेतनमान 700-1300 रु०	1500 रु० जमा भत्ते	1900 रु० जमा भत्ते
5.	वी० के० सक्सेना, निदेशक ।	संयुक्त निदेशक, (1-1-1979)	अनुसंधान अधिकारी, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (920 रु० जमा केन्द्रीय सरकार की दरों पर भत्ते) वेतनमान 650-1200 रु० ।	1200 रु० जमा भत्ते	1700 रु० जमा भत्ते
6.	डी० के० गुप्ता निदेशक	संयुक्त निदेशक (10-10-1978)	आर्थिक अन्वेषक, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय बम्बई । (700 रु० जमा केन्द्रीय सरकार की दरों पर भत्ते)	1200 रु० जमा भत्ते	1700 रु० जमा भत्ते
7.	एस० एस० विजायराज निदेशक ।	क्षेत्रीय प्रबन्धक (1-9-1978)	क्षेत्रीय सचिव, क्लोदिंग मैन्यू० एसो० मद्रास (850 रु०)	1200 रु० जमा भत्ते	1700 रु० जमा भत्ते
8.	एस० रगोथमन, निदेशक ।	क्षेत्रीय प्रबन्धक (29-1-1979)	कार्यकारी सचिव, एस० आई० एम० ओ० तमिलनाडु स्टेट बोर्ड । (1350 रु०)	1200 रु० जमा भत्ते	1700 रु० जमा भत्ते

कृषि आय पर कर लगाने के बजाय सेवा प्रभार लगाना

4194. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे सुझाव मिले हैं कि कृषि आय पर कर लगाने के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की जा रही सुविधाओं पर उपयुक्त सेवा-प्रभार लगाना बेहतर होगा और यह कि उसे सिंचाई; विद्युत तथा अन्य ऐसी ही उपयोगी आर्थिक सुविधाओं पर "लाभ कर" के रूप में समझा जायें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) ऐसा कोई सुझाव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

औद्योगिक गृहों में काम कर रहे प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के बच्चों के सम्बन्ध में अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

4195. **श्री सनत कुमार मंडल** :क्या वित्त मन्त्री औद्योगिक गृहों में काम कर रहे प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के बच्चों के सम्बन्ध में अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों के बारे में 30 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3472 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है जैसा कि उनके उत्तर के अनन्तिम वाक्य में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह इसे सभा पटल पर रखेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो अब कितना अधिक समय और लगेगा और क्या वह अपने मंत्रालय में अवर,सचिव तथा उससे ऊपर के पद के उन अधिकारियों के उन मामलों में ध्यान देंगे, जो चालू वर्ष 1982 में तथा 1981 में सेवा-निवृत्त हो गये थे तथा उनके पुत्र बड़े औद्योगिक गृहों, विशेषकर उनके स्थानीय कार्यालयों/शाखाओं में नियुक्त कर दिये गये थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई है और उसे शीघ्र सभा-पटल पर रखने के लिए अलग से कार्रवाई की जा रही है ।

मंत्रालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में सम्पर्क अधिकारियों तथा व्यापारिक एग्जीक्यूटिवों की पहुंच

4196. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसे निश्चित घंटे हैं जिनके दौरान सम्पर्क अधिकारी तथा अन्य

व्यापारिक एक्जीक्यूटिव उनके मंत्रालय या उद्योग में स्थित सी० सी० आई० एंड ई० जैसे सम्बद्ध कार्यालयों में जा सकते हैं, यदि हाँ, तो कौन से, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इन कार्यालयों की शाखाओं/अनुभागों में चुपके से जाने वाले और पत्रों तक अपनी पहुँच रखने या व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण करने वाले पत्र प्राप्त करने या अपने व्यापार से सम्बन्धित ऐसे ही पत्र देने वाले ऐसे अधिकारियों पर किस प्रकार का नियंत्रण रखा जा रहा है; और

(ग) उनके मंत्रालय के परिसर के भीतर इस श्रेणी के व्यक्तियों की गतिविधियों पर रोक लगाने तथा अधिकारियों और कर्मचारियों में उनके बार-बार प्रवेश को रोकने के लिए उनका क्या अन्य उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सम्पर्क अधिकारियों के लिए मंत्रालय में कोई निश्चित समय नहीं है। वे पूर्व नियत समय पर अधिकारियों से मिलते हैं। मुख्य नियंत्रण आयात तथा निर्यात के कार्यालय में शनिवार के अलावा सप्ताह के सभी दिनों को साक्षात्कार का समय 2.30 बजे अपराह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक है।

(ख) तथा (ग) मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात के कार्यालय में आगन्तुकों को उप मुख्य नियन्त्रक, आयात तथा निर्यात के स्तर के अधिकारियों से मिलने की अनुमति दी जाती है तथा ये अधिकारी भूतल, प्रथम तथा द्वितीय मंजिल पर बैठते हैं। शाखाओं तथा अनुभागों को तीसरी तथा उससे ऊपर की मंजिलों पर रखा गया है और किसी संपर्क अधिकारी को इन मंजिलों पर जाने की अनुमति नहीं है। शाखाओं तथा अनुभागों द्वारा अधिकृत मन्जिलों के प्रवेश द्वारों पर गृह मन्त्रालय का सुरक्षा स्टाफ/मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात के चतुर्थ श्रेणी का स्टाफ तैनात है। आगन्तुकों/संपर्क अधिकारियों की केवल आयात व निर्यात के उप-मुख्य नियंत्रण तथा उससे ऊंचे स्तर के अधिकारियों तक स्पष्टीकरण पत्र प्राप्त करने तथा केवल इन अधिकारियों को अपने व्यापार से सम्बन्धित पत्र देने की पहुँच हैं।

सुरक्षा आदेशों को कठोरता के साथ पालन करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के दोपहर का पौष्टिक आहार के लिए आयकर अधिनियम के अन्तर्गत छूट

4197. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु से तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के दोपहर का पौष्टिक आहार कार्यक्रम के हेतु अंशदान के लिये आयकर अधिनियम के अंतर्गत छूट के लिये आवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा कौन-कौन सी पार्टियां सम्म. हैं; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) जी, हां। तमिलनाडु सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 ख में संशोधन करने का एक सुझाव दिया है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के दोपहर का पौष्टिक आहार कार्यक्रम निधि में दिया गया दान, दाता की कर लगने योग्य आय की संगणना में 100 प्रतिशत कटौती के लिए अर्हक बन जाये।

(ग) तमिलनाडु सरकार का सुझाव केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के विचाराधीन है।

व्यापारिक मेलों के लिए विदेश भेजने हेतु व्यक्तियों का चयन

4198 **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार मेला प्राधिकरण ने व्यापारिक मेलों में भाग लेने के लिए विदेश भेजने हेतु कुछ व्यक्तियों का चयन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा तथा चयन करने के मान दंड क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं। भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण विदेशों में मेलों में भाग लेने के लिए व्यक्तियों का चयन नहीं करता है। यह केवल व्यावसायिक कम्पनियों का उनके उत्पादों के प्रदर्शन के लिए चयन करता है। यह चयन आफर किए गए उत्पादों और प्रदर्शनी की देश में बाजार सम्भाव्यता के आधार पर किया जाता है। ऐसी कम्पनियों के प्रतिनिधियों को प्रदर्शनी के दौरान कारोबार करने की अनुमति भी दी जाती है।

(ख) व्यक्तियों का चयन भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। भाग लेने वाली फर्में भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के अपने कर्मचारियों के नाम प्रस्तुत करती हैं और क्रमशः प्राधिकरण प्रदर्शनियों के स्वरूप और बुक किए स्थान को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक को उनके विदेशों के दौरों के लिए विदेशी मुद्रा के रिलीज की सिफारिश करता है।

चाय उद्योग का राष्ट्रीयकरण

4199. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 जून 1980 को बम्बई में अखिल भारतीय बुक बांड कर्मचारी महासंघ की बैठक में इसने देश में चाय उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारणों सहित उसकी प्रमुख बातें क्या हैं और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) ब्रुक बांड से ऐसा पता चला है कि अखिल भारतीय ब्रुक बांड कर्मचारी परिसंघ का एक सम्मेलन बम्बई में 10 तथा 11 जून, 1980 को हुआ था। तथापि उसमें चाय उद्योग के सम्बन्ध में की गई मांग के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है क्योंकि इसे परिसंघ द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

पश्चिम बंगाल के चाय बागान मजदूरों की समन्वय समिति की मांगें

4200. श्री पीयूष सिरकी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के चाय बागान मजदूरों की समन्वय समिति ने (एक) कुप्रबन्ध वाले दोषी तथा परित्यक्त चाय बागानों का अधिग्रहण (दो) चाय नीलामी केन्द्रों सहित सम्पूर्ण चाय-व्यापार का राष्ट्रीयकरण (तीन) एकाधिकारी चाय बागानों के राष्ट्रीयकरण की मांग की है;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) चाय बागान मजदूरों की मांगों का ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पश्चिम बंगाल के चाय बागान मजदूरों की समन्वय समिति की मांगों के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है तथापि प० बंगाल चाय श्रमिक यूनियन ने 14 तथा 15 मार्च, 1982 को हुई अपनी वार्षिक आम बैठक में एक संकल्प पारित किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कुप्रबंधित चाय बागानों और नीलामी केन्द्रों के प्रशासन को सरकार द्वारा अधिग्रहण करने की मांग की गई है।

(ख) तथा (ग) चाय अधिनियम में कुछ परिस्थितियों में चाय एस्टेटों का प्रबन्ध अधिग्रहण करने के लिए केन्द्रीय सरकार को शक्तियां प्राप्त हैं। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने सभी सम्बन्धित तथ्यों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद अनेक चाय बागानों का प्रशासन अधिग्रहण किया है।

जहां तक नीलाम केन्द्रों का संबंध है, स्थानीय चाय नीलाम समिति में चाय बोर्ड का एक अधिकारी और सम्बन्धित राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि शामिल करके सुदृढ़ किया गया है।

इसके अलावा सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर चाय नीलामियों संबंधी एक स्थायी समिति गठित की है जिसमें विभिन्न नीलामी निकायों, सम्बन्धित राज्य सरकारों एवं चाय बोर्ड के सदस्य, जो उत्पादक तथा व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, शामिल हैं।

रक्षा प्रतिष्ठानों में अधिकारियों का लम्बी अवधि तक टिके रहना

4201. **श्री बी०के० नायर :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन विंग बेस प्रतिष्ठानों में काम कर रहे सिविल अधिकारियों सहित रक्षा प्रतिष्ठानों के अनेक अधिकारियों को लम्बी अवधि तक एक ही पद पर तनात रहने दिया जाता है और इस कारण विभिन्न प्रकार की शिकायतें और आरोप लगाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या किसी प्रकार इनकी अवधि की सीमा-निर्धारित करने का विचार किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां। केवल कुछ ही मामलों में।

(ख) जी, नहीं। परन्तु अफसरों को प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बारी-बारी से बदला जाएगा।

दवा और प्रसाधन क्षेत्र में 'फेरा' कंपनियां

4202. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में दवा और प्रसाधन क्षेत्र में कितनी 'फेरा' कम्पनियां काम कर रही हैं; और

(ख) उनमें विदेशी नागरिकों के शेयरों का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) औषध क्षेत्र में कार्यरत फेरा कम्पनियों संबंधी सूचना दिनांक 18-12-1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4487 के उत्तर में दे दी गई है। प्रसाधन क्षेत्र में कोई 'फेरा' कंपनी नहीं है, क्योंकि सभी ऐसी कम्पनियों से जो प्रधानतय: उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण में संलग्न थी, यह अपेक्षा की गई थी कि वे अपनी अनिवासी सामान्य शेयर धारिता को कम करके 40 प्रतिशत तक ले आएं और इन निदेशों का पालन किया गया है।

असम सरकार के कर्मचारियों की पेंशन

4203. श्री अजय बिश्वास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम पेंशन कितनी है; और

(ख) क्या असम के सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) न्यूनतम सेवा निवृत्ति पेंशन 25 रुपए प्रतिमास है। न्यूनतम पारिवारिक पेंशन 40 रुपए प्रतिमास है।

(ख) असम राज्य सरकार ने अभी हाल ही में न्यूनतम पारिवारिक पेंशन को 0/- रुपए प्रतिमास तक बढ़ाने के सम्बन्ध में असम वेतन आयोग, 19 9 की सिफारिश स्वीकार कर ली है। न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के सम्बन्ध में अन्य कोई प्रस्ताव नहीं है।

दानापुर छावनी बोर्ड द्वारा नागरिकों के विरुद्ध दायर किये गये मामले

4204. श्री रामावतार शास्त्री :

श्री टी० एस० नेगी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से 30 सितम्बर, 1982 तक की अवधि के दौरान दानापुर छावनी बोर्ड छावनी अधिनियम, भारतीय दंड संहित और अपराध दंड संहिता के अन्तर्गत कितने नागरिकों के विरुद्ध मुकदमें दायर किए गए और इनमें से कितने मुकदमें छावनी बोर्ड ने जीते और उन पर सरकारी राजकोष से कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) उसका औचित्य क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जनवरी 1980 से 30 सितम्बर 1982 तक की बीच की अवधि के दौरान दानापुर छावनी के नागरिकों के विरुद्ध छावनी अधिनियम, 1924 के अंतर्गत 0 मामले । मामला भारतीय दण्ड संहिता के अतर्गत और 4 मामले दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दायर किए गए थे छावनी अधिनियम 1924 के अंतर्गत दायर किए गए 70 मामलों में से छावनी बोर्ड ने 6 मामलों मे राजीनामा कर लिया है और एक मामला दानापुर छावनी बोर्ड ने जीत लिया है। छावनी अधिनियम 1924 के अतर्गत दायर किये गए बाकी 3 मामलें, भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दायर किया गया। मामला और दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दायर किए गए 4 मामले अभी भी न्यायालय के विचाराधीन हैं। दानापुर छावनी बोर्ड ने अब तक इन मामलों पर 6200/- रुपए खर्च किए हैं।

छावनी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के साथ-साथ सरकारी अफसरों

पर प्रहार और स्थानीय नागरिकों द्वारा बोर्ड के प्रशासन में दखल देने के लिए स्थानीय निवासियों के विरुद्ध दानापुर छावनी बोर्ड ने ये मामले दायर किए हैं ।

दानापुर छावनी बोर्ड द्वारा मतदाता-सूची का प्रदर्शन न किया जाना

4205. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री राम लाल राही : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको दानापुर छावनी बोर्ड द्वारा जुलाई, 1982 में प्रस्तावित मतदाता-सूचियों में विसंगतियों के बारे में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो उक्त शिकायत का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि घोषणा के बावजूद छावनी बोर्ड की मतदाता-सूची को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं किया गया;

(घ) यदि हां, तो नियमों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार फरवरी, 1983 में छावनी बोर्ड के चुनावों से पहले नई मतदाता-सूची तैयार करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां ।

(ख) से (च) समय-समय पर यथा संशोधित छावनी निर्वाचन नियम, 1945 में उल्लिखित तारीख को छोड़कर किसी अन्य तारीख को गलत और त्रुटिपूर्ण मतदाताओं की सूची तैयार करने और साथ ही उसे अन्तिम रूप से प्रकाशित करने के बारे में दानापुर छावनी बोर्ड के कतिपय राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं से बिना तारीख का एक अभ्यावेदन सितम्बर, 1982 में रक्षा मंत्री को प्राप्त हुआ था ।

दानापुर के छावनी कार्यकारी अधिकारी ने छावनी निर्वाचन नियम, 1945 के 13(1) नियम के अन्तर्गत अपेक्षित एक सूचना प्रकाशित की थी जिसमें यह बताया गया था कि 7 अक्तूबर, 1982 के नोटिस के द्वारा दानापुर छावनी बोर्ड के कार्यालय में दानापुर छावनी के प्रत्येक वार्ड के मतदाताओं की सही सूचियों की प्रतियां उपलब्ध थीं । मतदाता सूचियां तैयार करने से सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत निर्वाचन सूचियां नोटिस बोर्ड पर लगानी आवश्यक नहीं हैं । नियम 13(1) में विहित है कि सही सूचियां छावनी बोर्ड के कार्यालय में रखी जानी चाहिए । कार्यकारी अधिकारी ने सूचियां प्रकाशित करने की प्रक्रिया और ढंग का यथा विधि पालन किया है । हालांकि उपर्युक्त नियम के अनुसार निर्वाचन सूचियों का अन्तिम प्रकाशन

15 सितम्बर, 1932 को दिया जाना चाहिए था जबकि ये वास्तविक रूप से 7 अक्तूबर, 1982 को प्रकाशित की गई। दानापुर छावनी बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व-व्यस्तता के कारण बिहार और उड़ीसा में बाढ़ पीड़ितों को सहायता कार्रवाई के लिए दानापुर स्टेशन से बाहर चले गये थे, इसलिए उनकी अनुपस्थिति के कारण निश्चित तारीख को अन्तिम प्रकाशन में विलम्ब हुआ। नई मतदाता-सूचियां तैयार करने या न करने के प्रश्न पर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

एन० सी० सी० अधिकारियों की पदोन्नति

4206. **श्री केयूर भूषण** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने दो वर्ष पूर्व निर्णय लिया था कि एन० सी० सी० के अधिकारियों को पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी हो जाने के बाद, इस बात को ओर ध्यान दिये बिना कि रिक्त पद है या नहीं, मेजर के पद पर पदोन्नत कर दिया जाए;

(ख) क्या यह सच है कि यह निर्णय क्रियान्वित करते समय इस प्रकार पदोन्नत अधिकारियों की उस तारीख से वेतन और भत्तों की बकाया राशियों का भुगतान नहीं किया गया है जिस तारीख से उन्होंने 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा किए गए निर्णय से इस प्रकार हट जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) 15 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर लेने के बाद मेजर के पद पर पदोन्नत करने के सम्बन्ध में सरकारी आदेश 7 अप्रैल, 1981 को जारी किए गए थे। ये आदेश जारी होने की तारीख से लागू हो गए थे। इसलिए पदोन्नत अफसरों को वेतन तथा भत्तो का कोई बकाया देय नहीं था। बकाया का भुगतान न किए जाने के बारे में आदेशों के प्रावधानों से नहीं हटा गया है क्योंकि कोई बकाया देय नहीं था।

ग्रामीण क्षेत्रों में दिए जाने वाले ऋणों का राष्ट्रीय औसत

4207. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को दिए जाने वाले ऋणों का राष्ट्रीय औसत क्या है और उड़ीसा में यह औसत कितना रहा है; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उड़ीसा के लिये ग्रामीण ऋण का क्या लक्ष्य निश्चित किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि को दिए गए अग्रिम दिसम्बर, 1979 के अन्त की स्थिति के मुताबिक उनके कुल अग्रिमों का 14.6 प्रतिशत थे जो दिसम्बर, 1980 के अन्त की स्थिति के मुताबिक बढ़कर 15.5 प्रतिशत हो गए। कुल कृषि ऋण जो दिसम्बर, 1979 के अन्त की स्थिति के मुताबिक 2'83 करोड़ रुपये के थे, दिसम्बर 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार, बढ़कर 3460 करोड़ रुपये हो गए। बैंकों से कहा गया है कि उनके कृषि अग्रिम, 1985 तक उनके समग्र अग्रिमों के 16 प्रतिशत होने चाहिएं। यह एक अखिल भारतीय लक्ष्य है और, इसलिये इस सम्बन्ध में, बैंकों के कार्य-निष्पादन में, राज्यवार तुलना नहीं की जा सकती। दिसम्बर, 1979 के अन्त की स्थिति के मुताबिक उड़ीसा राज्य में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कृषि ऋण 53.01 करोड़ रुपए के थे जो दिसम्बर, 1980 के अन्त की स्थिति के मुताबिक, बढ़कर 78.55 करोड रुपए के हो गए। यह, उड़ीसा में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये कुल अग्रिमों का क्रमशः 33.2% और 25.6% बैठते हैं। बैंकों से कहा गया गया है कि कृषि के क्षेत्र के कमजोर वर्गों को उनके अग्रिम, 1983 तक उनके प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के 50 प्रतिशत के स्तर तक पहुँच जाने चाहिएं।

ग्रामीण विकास योजनाओं के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण न देना

4208. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्य सरकारों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ग्रामीण विकास योजनाओं के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पर्याप्त ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या है और उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं जिनकी शाखाओं ने ऋण देने से इन्कार किया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) उन ऋण नियंत्रणों के परिप्रेक्ष्य में जो कि बैंकों को पिछले वर्ष लागू करने पड़े थे, बैंकों से ताजा ऋण की उपलब्धता में कमी के बारे में कुछ सामान्य शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई थीं जिनमें कुछेक राज्य सरकारों से भी मिली थीं। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिये सलाह दी गई थी कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के छोटे ऋण कर्ताओं को ऋण का प्रवाह बनाये रखा जाये। यह तथ्य कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ग्रामीण शाखाओं के अग्रिम दिसम्बर, 1980 के अन्त की स्थिति के 2643 करोड़ रूपये से बढ़कर दिसम्बर, 1981 के अन्त की स्थिति के मुताबिक 3600 करोड़ रूपये हो गये, अथवा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभ प्राप्तकर्ताओं के वास्ते वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा जुटाये गये सावधि ऋण 1980-81 में 207 करोड़ रूपये से बढ़कर, 1981-82 में, 484 करोड़ रूपये हो गये, दर्शाते हैं कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम में बैंक सक्रिय सहयोग दे रहे हैं।

विजन स्कोप इंडिकेटर से लैस हवाई अड्डे

4209. **श्री निहाल सिंह :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं जिन पर विजन स्कोप "इंडिकेटर" और दूरी मापक उपकरण लगे हुए हैं और उनके नाम क्या हैं जिन पर ये उपकरण नहीं लगे हुए हैं;

(ख) क्या कुछ हवाई अड्डों पर "विजन स्कोप इंडिकेटर" खराब पड़े हैं और दूरी मापक उपकरण नहीं लगाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) विस्तृत सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सभी विमान क्षेत्रों पर विजुअल एप्रोच स्लोप इंडीकेटर कार्य कर रहे हैं। जिन विमान क्षेत्रों पर दूरी मापक उपकरण नहीं हैं उन पर ये प्रावस्थाबद्ध रूप में लगाए जा रहे हैं। 1980-85 में निम्नलिखित विमान क्षेत्रों पर दूरी मापक उपकरण लगाने का प्रस्ताव है :—

औरंगाबाद, बेलगांव, भोपाल, डबोलिम, भुवनेश्वर, गौहाटी, कोयम्बतूर तथा विशाखापत्तनम्।

विवरण

1. वे विमान क्षेत्र जहां विजुअल स्प्रोच स्लोप इंडीकेटर लगाये गये हैं।

दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, जयपुर, लखनऊ, अमृतसर, वाराणसी, अहमदाबाद, नागपुर, पटना, गौहाटी, अगरतला, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बंगलौर, मंगलौर, कोचीन और त्रिवेन्द्रम्।

2. वे विमान क्षेत्र जहां विजुअल एप्रोच इंडीकेटर नहीं लगाये गये हैं

औरंगाबाद, बेलगाम, भावनगर, भोपाल, कोयम्बतूर, इम्फाल, इन्दौर, जबलपुर, केशोद, खजुराहो लीलाबाड़ी, मदुरै, पोरबन्दर, पोर्ट-ब्लेयर, रायपुर, राजकोट, रांची, सिलचर, तिरुचिरापल्ली, तिरुपति, उदयपुर, वडोदरा, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम्।

3. वे विमान क्षेत्र जहां दूरी मापक उपकर लगाये गये हैं।

अहमदाबाद, बम्बई, नागपुर, कलकत्ता, पटना, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, श्रीनगर, वाराणसी, हैदराबाद, मद्रास और त्रिवेन्द्रम्।

4. वे विमान क्षेत्र जहां दूरी मापक उपस्कर नही लगाये गये हैं।

औरंगाबाद, बेलगाम, भावनगर, भोपाल, भुज, डबोलिम, इन्दौर, जबलपुर, जामनगर, कैशोद, पोरबन्दर, पुणे, रायपुर, राजकोट, वडोडरा, अगरतला, बागडोगरा, बारापानी भुवनेश्वर, डिबरूगढ़, दीनापुर, गोहाटी, इम्फाल, जमशेदपुर, जोरहाट, कैलाशहर, लीलाबाड़ी, रांची, सिलचर, तेजपुर, तेजू, आगरा, इलाहाबाद, चन्डीगढ़, देहरादून, गोरखपुर, ग्वालियर, हिसार, जम्मू, जोधपुर, कानपुर, खजुराहो, कुल्लू, लेह, लुधियाना, उदयपुर, बंगलौर, कोचीन, कोयम्बतूर, मदुरै, मंगलौर, तिरुचिरापल्ली, तिरुपति, विजयवाड़ा विशाखापत्तनम, गया और हिसार।

वस्त्र निर्यातकों द्वारा कदाचार

4210. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विशेषरूप से उत्तरी भाग में वस्त्र निर्यातकों द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे कदाचारों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सब कदाचारों के क्या कारण हैं तथा इनकी रोकथाम करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) जब कभी कदाचार के विशिष्ट उदाहरण जानकारी में आते हैं, सम्बन्धित निर्यातकों के खिलाफ कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

मध्यम मूल्य वाले संयुक्त उद्यम होटल

4211. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने विभिन्न राज्यों में महत्वपूर्ण केन्द्रों पर मध्यम मूल्य वाले संयुक्त उद्यम होटलों का निर्माण करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) राजस्थान में ऐसे मध्यम मूल्य वाले संयुक्त उद्यम होटलों के निर्माण का क्या कार्यक्रम है और राजस्थान में वे केन्द्र कौन से हैं जिन्हें इस उद्देश्य के लिए चुना गया है; और

(ग) इन मध्यम मूल्य वाले संयुक्त उद्यम होटलों के लिए कितनी राशि नियत की गई है और इस उद्देश्य के लिए राजस्थान में कितनी राशि खर्च की जाएगी ?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम के विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण केन्द्रों पर राज्य सरकारों/राज्य पर्यटन विकास निगमों के सहयोग से मध्यम मूल्य वाले संयुक्त उद्यम होटल का निर्माण करने की एक योजना बनाई है।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम ने ऐसे संयुक्त उद्यम सहयोग के लिए राजस्थान सहित सभी राज्यों से अनुरोध किया है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने अपने राज्य में किसी भी मध्यम मूल्य वाले संयुक्त उद्यम होटल का निर्माण करने के लिए अभी तक आई० टी० डी० सी० से सहायता नहीं मांगी है।

(ग) जबकि आवंटन राज्य-वार नहीं किए जाते, भारत पर्यटन विकास निगम की छठी योजना के अन्तर्गत संयुक्त उद्यम स्कीमों में इक्विटी कन्ट्रीब्यूशन हेतु 600 लाख रुपए का प्रावधान है।

कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण

4212. **श्री के० मालन्ना** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कपड़ा मिलों के राष्ट्रीयकरण के लिए भेजे गए प्रस्तावों की संख्या कितनी है जो अभी भी सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है और इन मिलों का राष्ट्रीयकरण कब तक करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सूचित किया है कि राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में औद्योगिक उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए कानूनी तौर पर सक्षम है। इस मामले में आगे कार्यवाही करना, यदि कोई हो, सम्बन्धित राज्य सरकारों का ही कार्य है।

पशुओं के चारे और मुर्गियों के दाने का निर्यात

4213. **श्री के० मालन्ना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी तक पशुओं और मुर्गियों के लिए मिश्रित चारे का निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक निर्यात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और अभी तक शेष कितनी मात्रा का उपयोग किया गया है; और

(ग) वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान पशु और मुर्गी चारे के निर्यात के मानदण्ड और शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) चालू वित्तीय वर्ष में अगस्त, 1982 तक लगभग 300 मे० टन० मिश्रित पशु कुक्कुट चारा निर्यात किया गया है। यह 1982-83 के लिए 1 लाख मे० टन के कोटे की तुलना में है।

(स्रोत: मिश्रित पशुधन चारा विनिर्माता एसोसिएशन)

(ग) 1981-82 के दौरान मिश्रित पशु चारे तथा कुकुट चारे के निर्यात की अनुमति अधिकतम सीमा के अन्तर्गत शत-प्रतिशत पुष्ट अप्रतिसहर्णीय साखपत्र या अग्रिम भुगतान पर पहले आये पहले पाये आधार पर दी गई थी।

टूरिस्ट लांज और काटेज

4214. **श्री के० मालन्ना** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में "टूरिस्ट लॉजों" और "काटेजों" की संख्या कितनी है; और

(ख) इन टूरिष्ट लांजों और काटेजों के स्थानों के सम्बन्ध में राज्यवार, ब्यौरा क्या है और इन लांजों और "काटेजों" का नियंत्रण करने वाले प्राधिकरणों राज्यवार के नाम क्या हैं ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही प्राप्त होयी, समा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों में उपवन परियोजनाओं के लिए धनराशि का आबंटन

4215. **श्री के० मालन्ना** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने छठी योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्यों में उपवन परियोजनाओं के विकास के लिये धनराशि आवंटित की हैं;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक राज्य को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान उन राज्यों में उन स्थानों सहित प्रगति के बारे में ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय किसी भी राज्य को उपवन परियोजनाओं के लिए धनराशियां आवंटित नहीं करता है। विविध विकास परियोजनाएं पर्यटकों को आकर्षित करने सम्बन्धी उनकी संभाव्यताओं के आधार पर प्रारम्भ की जाती हैं और मंत्रालय समय आने पर, उपवनों के विकास/सौन्दर्यकरण के लिए परियोजनाएं भी प्रारम्भ कर सकता है।

(ख) और (ग) कर्नाटक राज्य में मंत्रालय ने वृन्दावन उद्यानों में प्रकाश-सज्जा की व्यवस्था करने के लिए 1981-82 के दौरान 30.00 लाख रुपये रिलीज किए हैं तथा उपर्युक्त उद्देश्य के लिये चालू वर्ष के दौरान 10.00 लाख रुपये की और राशि रिलीज की जायेगी।

रबड़ का आयात सरकारी एजेंसियों के माध्यम से न किया जाना

4216. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रबड़ का आयात सरकारी एजेंसियों के माध्यम से करने का नहीं है;

(ख) क्या वास्तविक उपयोग कर्ताओं को सीधे आयात करने की अनुमति देने का विचार है; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय लिये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार का अब रबड़ आयात के डिकैनेलाइजेशन का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) तथा (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते ।

खानिकी परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से ऋण

श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या देश में कुछ खानिकी परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से ऋण मिलने की आशा है;

(ख) यदि हां तो उक्त उद्देश्य के लिये मिलने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से ऋण की राशि कितनी है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय विकास ऐजेंसी के वित्त प्राप्त खानिकी परियोजनाएं आरम्भ की जायेंगी ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) विश्व बैंक की सहायता से राज्यों में जिन तीन चालू परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है वे ये हैं :

	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (ऋण की राशि)
(i) उत्तर प्रदेश सामाजिक वन पालन परियोजना	230 लाख अमेरिकी डालर
(ii) गुजरात सामुदायिक वनपालन परियोजना	370 लाख अमेरिकी डालर
(iii) पश्चिम बंगाल सामाजिक वनपालन परियोजना	290 लाख अमेरिकी डालर

7 सितम्बर, 1982 को हरियाणा तथा जम्मू और काश्मीर के राज्यों के लिए एक और सामाजिक वनपालन परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से 330 लाख अमेरिकी डालर के एक ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं; जिसके शीघ्र ही प्रभावी हो जाने की आशा है ।

उड़ीसा में कलिंग होटल का विस्तार

4218 श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के होटल कलिंग अशोक (उड़ीसा) के विस्तार का कार्यक्रम आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विस्तार कार्यक्रम की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम के कलिंग अशोक होटल में किए जाने वाले प्रस्तावित विस्तार कार्य का ब्योरा क्या है; और

(घ) इसके विस्तार कार्यक्रम के पूरा होने की निर्धारित तारीख क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) रेस्तरां और बार की मौजूदा कपैसिटी बढ़ाने के अलावा भी 36 कमरों, एक काफी शाप, पार्टी रूम्स की और वृद्धि करते हुए 102 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर भुवनेश्वर में मौजूदा 38 कमरों वाले होटल कलिंग अशोक का विस्तार करने की आई० डी० डी० सी० की स्कीम है जिसके 1984-85 के दौरान पूरे हो जाने की सम्भावना है ।

सरकारी क्षेत्र के कार्यकारी अधिकारियों के महंगाई भत्ता सूत्र और वेतनमानों का संशोधन

4219. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वित्त मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र उद्यमों के कार्यकारी अधिकारियों के महंगाई भत्ता सूत्र और वेतनमानों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो नया महंगाई भत्ता सूत्र और संशोधित वेतनमान किस तारीख से लागू किया गया है; और

(ग) उनके पिछले वेतनमान और महंगाई भत्ते तथा संशोधित वेतनमान और महंगाई भत्ते का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) जी, हां ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में शीर्ष पदाधिकारियों को देय परिशोधित वेतनमानों और महंगाई भत्ते का ब्योरा सरकारी उद्यम कार्यालय के दिनांक 11-8-1982 के कार्यालय ज्ञापन में दिया गया है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 5679/82]

बोलनगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक का विभाजन

4220. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बोलनगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक को दो अलग-अलग यूनिटों में विभक्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो निर्णय को कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

निरीक्षण महानिदेशालय में अराजपत्रित अधिकारियों के संवर्ग की पुनरीक्षा

4221. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या रक्षा मन्त्री निरीक्षण महानिदेशालय में (फोरमैन सहित) अराजपत्रित अधिकारियों के संवर्ग की पुनरीक्षा के बारे में 16 अप्रैल, 1982 के उत्तर के अतारांकित प्रश्न संख्या 8152 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुत समय से विलम्बित इन्जीनियरिंग में डिग्री धारक फोरमैनों के सवर्ग की पुनरीक्षा किस तारीख तक पूरी हो जाने की सम्भावना है;

(ख) शान्ति संस्थानों (निरीक्षण महानिदेशालय संगठन) में सेना के अधिकारियों को जिन पर देश में और देश के बाहर लड़ाई सम्बन्धी प्रशिक्षण देने में बहुत अधिक धन राशि खर्च होती है, स्थायी तौर पर तैनात करने के कारण राष्ट्रीय राजकोष को कितनी आर्थिक हानि होती है; और

(ग) क्या सैनिक अधिकारियों का स्थान लेने और उन्हें वहां से मुक्त करने में असैनिक अधिकारी असक्षम हैं ताकि सैनिक अधिकारी युद्ध मोर्चों पर तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ध्यान लगा सकें जो कि उनकी सेवा शर्त की आवश्यक मांग है और प्रोत्साहन का एक आधार है ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) फोरमैन सहित अराजपत्रित अधिकारियों की संवर्ग पुनरीक्षा करने के प्रस्तावों को प्रतिपादित करने के लिए गठित कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । यह रिपोर्ट अब सरकार के विचाराधीन है और इसके बारे में निर्णय जल्दी ही लिया जाएगा ।

(ख) निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में सेना अफसरों का होना आवश्यक समझा जाता है जो प्रयोक्ताओं की ओर से सामान का निरीक्षण करते हैं । इसलिए इसमें वित्तीय-हानि का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) निरीक्षण महानिदेशालय जैसे संगठन के लिए सेना और सिविलियन दोनों संवर्गों की आवश्यकता बराबर होती है और यह संभव नहीं होगा कि संगठन में केवल एक ही या दूसरी ही कोटि के कार्मिक रखे जाएं।

भारत में निवेश के लिए पश्चिम यूरोपीय देशों द्वारा मांगी गई गारंटी

4222. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पश्चिम यूरोपीय देशों में भारत में अपनी पूंजी का निवेश करने के लिए कतिपय गारंटियों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो देशवार, किस प्रकार की गारंटियां, मांगी गई हैं; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) ऐसी कोई मांग नहीं की गई है किन्तु द्विपक्षीय विचार-विमर्श के दौरान समय-समय पर ऐसे सुझाव दिए जाते हैं कि पारस्परिक निवेश संरक्षण सम्बन्धी द्विपक्षीय करारों से गैर-सरकारी विदेशी निवेश सुविधाजनक हो जायेगा। ये सुझाव सामान्य होते हैं। हाल के वर्षों में भारत सरकार अपनी इस बात पर बराबर कायम रही है कि हमारी परिस्थितियों को देखते हुए, विदेशी निवेशों के लिए इस प्रकार का करार करना न तो व्यावहार्य है और न ही इसकी कोई आवश्यकता है। फिर भी हमने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि भारत सरकार की नीति के घोषित आयामों के अन्दर निदेशी निवेश के लिए एक बार अनुमति दिए जाने पर उसके लिए हमारे कानूनों तथा विनियमों के अन्तर्गत सभी प्रकार के उचित संरक्षणों की व्यवस्था की जाती है और देशी उद्यमों के मुकाबले उनके साथ कोई भेद-भाव नहीं किया जाता।

गलीचों का निर्यात

4223. **श्री नवीन रवाणी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में गलीचों की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य के गलीचे किन-किन देशों को निर्यात किये गये;

(ग) क्या यह सच है कि गलीचा निर्माताओं ने इस उद्योग को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार से अभ्यावेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो उनकी मांग का ब्योरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने गलीचा उद्योग के हित में तथा गलीचों के निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिए उनकी मांग पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। तथापि विश्व बाजार में मंदी की परिस्थितियों के कारण गिरावट का रुख रहा है।

(ख) गत तीन वर्षों में निर्यातित कालीनों का मूल्य इस प्रकार है :—

1979-80	135.38 करोड़ रु०
1980-81	157.66 करोड़ रु०
1981-82 (अनन्तिम)	156.69 करोड़ रु०

कालीनें मुख्य रूप से संलग्न विवरण-I में सूचीबद्ध देशों को निर्यात की जाती हैं।

(ग) तथा (घ) जी, हां। 1 अक्तूबर, 1982 से नकद मुआवजा सहायता की दरों में गिरावट को देखते हुए अभी हाल ही में कालीन विनिर्माता एसोसिएशन ने यह अनुरोध किया है कि नकद मुआवजा सहायता की वही दरें बहाल कर दी जाए जो 1 अक्तूबर, 1982 से पहले लागू थीं। तुलनात्मक दरें दर्शाने वाला विवरण-II में संलग्न है।

(ङ) अनुरोध विचाराधीन है।

विवरण-I

उन प्रमुख देशों के नाम जिनको भारत से कालीन निर्यात किए जाते हैं

1. बेल्जियम-लक्समबर्ग
2. फ्रांस
3. प० जर्मनी
4. इटली
5. नीदरलैंड
6. डेनमार्क
7. स्वीडन
8. स्विटजरलैंड
9. ब्रिटेन
10. सोवियत संघ
11. आस्ट्रेलिया
12. हांगकांग

13. जापान
14. मलयेशिया
15. सिंगापुर
16. अदन (एस० वाई० पी० आर०)
17. कुवैत
18. लेबनान
19. सऊदी अरब
20. स० रा० अमरीका
21. कनाडा

विवरण-II

नकद मुआवजा सहायता की तुलनात्मक दरें दर्शाने वाला विवरण

निर्यातित कालीनों आदि की क्वालिटी	1 अक्तूबर, 1982 से पहले लागू नकद मुआवजा सहायता	1 अक्तूबर, 1982 के बाद लागू नकद मुआवजा सहायता
1. 250 रु० प्रति वर्ग मीटर से ऊपर के कालीन आदि	20%	17%
2. 150 रु० से 250 रु० प्रति वर्ग मीटर के बीच के कालीन आदि ।	10%	7%
3. 150 रु० प्रति वर्ग मीटर से कम एफ० ओ० बी० मूल्य	5%	7%
4. गलीचे, दरियां तथा बकरी के बालों की पट्टियां	10%	7%

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक रेशम उद्योग अनुसंधान केन्द्र खोलना

4224. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम उद्योग अनुसंधान केन्द्र का संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में रेशम उद्योग के उन्नयन के लिए वहां पर एक अनुसंधान केन्द्र खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संघ क्षेत्र में रेशम उत्पादन उद्योग की संभावना पर विचार कर रहा है, परन्तु एक अनुसंधान केन्द्र खोलना अभी आवश्यक नहीं समझा है ।

तस्करी की वस्तुओं के व्यापारियों पर छापे

4225. श्री मोहन लाल पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी की वस्तुओं का व्यापार करने वाले व्यापारियों का पता लगाने के लिए बड़े नगरों में कोई छापा मारा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981-82 में और गत ऐसे छापों की संख्या कितनी थी और उन नगरों के नाम क्या हैं; और

(ग) बरामद की गई तस्करी की वस्तुओं की कीमत कितनी है और अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) 1981 और 1982 (अगस्त तक) में तस्करी के माल के धन्धे में लगे व्यक्तियों के परिसरों (दुकानों और स्टालों) को ली गई तलाशियों की संख्या और इन तलाशियों में पकड़े गये माल का मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	तलाशी ली गई दुकानों/ स्टालों की संख्या	पकड़े गये माल का मूल्य (लाखों रुपयों में)
1981	2163	46.12
1982 (अगस्त तक)	1508	91.84

चार महानगरों के अतिरिक्त, अन्य शहरों में, जहां इस प्रकार की तलाशियां ली गई थीं, वे अहमदाबाद, बंगलौर, कोचीन, हैदराबाद, जयपुर, और पुणे शामिल हैं ।

इन अपराधियों के विरुद्ध कानून के तहत उपयुक्त कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।

1981-82 और 1982-83 में हुई विमान दुर्घटनाएं

4226. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 और 1982-83 में हुई विमान दुर्घटनाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन दुर्घटनाओं में से प्रत्येक दुर्घटना के कारण क्या हैं;

(ग) इस प्रकार दुर्घटनाओं की संख्या में कमी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) जांच समितियों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के अतिरिक्त, सरकार ने विमानक्षेत्रों पर वासी (विजुअल स्प्रोच स्लोप इंडिकेटर), आई० एल० एस० (उपकरण अवरतण प्रणाली), वी० ओ० आर० (वैरी हाई फ्रिक्वेंसी ओम्नी रेंज), पी० ए० आर० (प्रीसीजन एप्रोज राडार), वी० एच० एफ/डी० एफ० (वैरी हाई फ्रिक्वेंसी डायरेक्टर फाउंडर), एन० डी० वी० (नान डायरेक्शनल बीकन), ए० एस० आर० (विमानक्षेत्र निगरानी राडार) ए० आर० एस० आर० (विमान मार्ग निगरानी राडार) तथा अन्य मार्ग-निर्देशन की सुविधाओं जैसे आधुनिकतम उपकरणों की व्यवस्था करके विमान सुरक्षा में सुधार करने के लिए कई उपाय किए हैं ।

विवरण

वर्ष, 1981-82 और वर्ष 1982-83 (अप्रैल, 1981 से अक्तूबर, 1982) में अधिसूचनीय दुर्घटनाओं का विवरण ।

क्रम सं०	तारीख तथा दुर्घटना	विमान का प्रकार तथा पंजीकरण	परिचालक	दुर्घटना का विस्तृत कारण
1	2	3	4	5
1.	30.5.1981 राहारी के निकट (अहमदनगर जिला)	वीटी-डीएक्सवी बेल 47-जी 2 हैलीकाप्टर	मानेकजी एविएशन	काफी तीव्र गति पर ऊपर उड़ने की कोशिश करते समय हैलीकाप्टर के अचानक रिट्रीटिंग ब्लैड स्टाल के कारण नियंत्रण अनियंत्रित हो गया ।
2.	31.5.1981 सफदजंग विमानक्षेत्र	वीटी-जीसीएफ ए एस-1 ग्लाइडर	दिल्ली ग्लाइडिंग क्लब	निम्न स्तर के संचारण के कारण उड़ान में पंख और कर्ण ढांचे के काम न करने के कारण ।

1	2	3	4	5
3.	16.6.1981 तिरुपति विमान-क्षेत्र के निकट	बीटी-डीएक्सआई एचएस-748	इंडियन एयर-लाइंस	विमान के उड़ान करने के तुरन्त बाद ही सर्किल कपासी पक्षाभ बादलों में से गुजरते समय भारी वर्षा और ओलावृष्टि के कारण तथा उड़ान कार्मिक दल द्वारा खराब परिचालन के कारण ।
4.	3.8.1981 गोहाटी	बीटी-डीएमजेड पुष्पक	असल फ्लाइंग क्लब	विमान के उतरते समय कर्ण-नियंत्रण के गलत प्रयोग के कारण ।
5.	9.8.1981 अबोहार पंजाब	बीटी-ईसीजेड वसन्त	कृषि विमानन निदेशालय	निम्नस्तरीय हवाई पट्टी से उड़ान करने के समय अपर्याप्त गति-वर्द्धन तथा सिफारिश की गई गति से कम गति पर विमान चालक द्वारा देर से विमान को उड़ाने तथा विमानपट्टी की अपर्याप्त लम्बाई के कारण ।
6.	19.8.1981 मंगलौर	बीटी-डीएक्सएफ एचएस-748	इंडियन एयरलाइंस	खराब मौसम में विमान के उतरने के परिणामस्वरूप अस्थिर पहुँच तथा तेज गति से भूमि पर देर से लगना ।
7.	19.8.1981 अलवलबास (हिसार जिला)	बीटी-ईडीई वसन्त	हरियाणा एग्रो एविएशन	हवाई पट्टी की पूरी लम्बाई का उपयोग नहीं किया गया । क्योंकि विमानचालक ने विमान हवाई पट्टी के शुरू से चालू नहीं किया था ।
8.	29.8.1981 ग्वालियर	बीटी-डीसीई एलाउटो हैलीकाप्टर	मध्य प्रदेश सरकार	टेल रोटर पिच कंट्रोल केबल के खराब होने तथा उतरने में उड़ान मैनुअल की कार्यविधि का अनुपालन न करना ।

1	2	3	4	5
9.	31.8.1981 दवाली के नजदीक	दवाली वीटी-ईडीसी वसन्त	हरियाणा एग्रो एविएशन	विमान के ऊपर उठने के तुरन्त बाद अकस्मात विक्षुब्ध मौसम के होने के कारण नियंत्रण खो गया ।
10.	9.9.1981 गन्धा गाँव (हिसार जिला)	वीटी-ईडीपी उटवा	मार्कफेड एविएशन	विमान डगमगा गया । जब रुकावट से बचाने के लिए कम ऊंचाई पर असमन्वित रूप में तेजी से मुड़ते समय इसकी गति समाप्त हो गई ।
11.	13 9.1981 ग्राम रंजनवाली (फिरोज़पुर जिला)	वीटी-डीयूवाई बैल-747 जी-5 हैलीकाप्टर	कृषि विमानन निदेशालय	डूबते हुए सूर्य की चमक के कारण तार दिखाई नहीं दिए इसके परिणामस्वरूप हैलीकाप्टर का सीधा पंख तार में उलझ गया ।
12.	14.9.1981 मद्रास	वीटी-डीएलटी पुष्पक	मद्रास फ्लाइंग क्लब	प्रशिक्षार्थी विमानचालक को तिरछी हवा में उतरने का अपर्याप्त ज्ञान और प्रशिक्षार्थी विमानचालक के स्तर को पहचान में प्रशिक्षक की असमर्थता ।
13.	12.10.1981 मद्रास	वीटी-डीडब्ल्यूवी पुष्पक	-वही-	विमानचालक की उचित अवतरण प्रक्रिया को अपनाने में असमर्थता तथा उचित उपचारात्मक उपाय करने में देर होने के कारण ।
14.	26.11.1981 चर्खी दादरी हिसार के नजदीक	वीटी-डीवाईसी पुष्पक	हिसार फ्लाइंग क्लब	अप्राधिकृत रूप में नीचे उड़ान और नियंत्रणों का गलत ढंग से प्रयोग करना ।

1	2	3	4	5
15.	16.12.1981 राम सनाई घाट लखनऊ के नजदीक	वीटी-सीजेडजी पाईपर कब	उत्तर प्रदेश ट्रेनिंग स्कूल	विमानचालक के ठीक तरह से विमान संचालन न करने के कारण ऊंचे-नीचे जुते हुए खेत में जबरन उतरना।
16.	17.12.1981 सूर्यपिट के नजदीक (हैदराबाद के नजदीक)	वीटी-डीबीवाई पुष्पक	आन्ध्र प्रदेश फ्लाइंग क्लब	खराब वायु की स्थितियों में राजमार्ग से उड़ान करने के कारण तथा बस से टकराने से बचने के लिए विमान ने उड़ान छोड़ दी और उसे झाड़ियों की तरफ घुमा दिया।
17.	9.2.1982 कानपुर	वीटी-जीडीडी स्विवजर ग्लाइडर	आई. आई. टी. कानपुर	दुर्घटना अति उच्च शक्ति वाले तारों से ग्लाइडर के टकराने से हुई जिन्हें ऊंचाई पर असावधानी होने के कारण जबरन अवतरण के समय विमानचालक देख नहीं पाया।
18.	27.2.1982 अकिलपुर (बिहार)	वीटी-डीएसटी पुष्पक	बिहार फ्लाइंग संस्थान पटना	गिद्ध से टकराने के परिणामस्वरूप एक प्रोपलर ब्लैड के टूट जाने के कारण।
19.	28.2.1982 गोहाटी	बीटी-डीएमजैड पुष्पक	असम फ्लाइंग क्लब	विमान के उछलने के बाद प्रशिक्षार्थी विमानचालक दिशात्मक नियंत्रण बनाये न रख सका जिसके परिणामस्वरूप विमान दांई ओर घूम गया।
20.	25.3.1982 उदयपुर एयरपोर्ट	वीटी-सीएनवी वीई-18 एक्सप्लोरर	जे. के. स्ट्राव प्रोडक्ट्स	सुरक्षा "शियर बैल्ट" के टूटने के कारण टेल गियर का काम न करना। सम्भवत: सहलग्नताओं में रुकावट के कारण

1	2	3	4	5
				बेल्ट ने काम करना बन्द कर दिया था ।
21.	26.3.1982 पटना विमान क्षेत्र	बीटी-जीसीआर रोहिनी ग्लाइडर	बिहार फ्लाइंग क्लब	प्रशिक्षार्थी विमानचालक द्वारा देर से "राउंड आफ" किये जाने की वजह से दुर्घटना हुई ।
22.	1०.4.1982 भुवनेश्वर हुवाई अड्डा	बीटी-डी डब्ल्यू ई पुष्पक	उड़ीसा फ्लाइंग क्लब	प्रशिक्षार्थी विमानचालक द्वारा अकेले पहली उड़ान से लैंडिंग फ्लेयर करते समय विमान की अनुपयुक्त स्थिति सम्भवत: दुर्घटना का कारण थी ।
23.	24.4.1982 दिल्ली के निकट	बीटी-डीएसी वोनाम्ज़ा	मैसर्स यादवेन्द्र इंडस्ट्रीज लि० पटियाला	अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होनी है ।
24.	24.4.1982 हडाप्सर ग्लाइड्रोम	बीटी-जीएवी टी21वी ग्लाइडर	ग्लाइडिंग केन्द्र पूना	ग्लाइडर के कम ऊंचाई से वायु में अपर्याप्त गति से उतरने के लिए अन्तिम पहुँच करते समय 360° का तेज घुमावदार मोड़ मुड़ते समय कम दबाव के कारण इंजन बन्द हो गया जिसके कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया ।
25.	30.4.1982 ब्रदिमानी नदी भुवनेश्वर के नजदीक	बीटी-डीसीडब्ल्यू बीच एयरक्राफ्ट	ईस्ट एयर भुवनेश्वर	पोर्ट इंजिन आयल के फेल हो जाने के बाद तथा विंड मिलिंग पोर्ट प्रोपेलर के कारण, विमान ऊंचाई न बनाए रख सका तथा काकपिट में से धुएं के कारण विमानचालक को मजबूर होकर समुद्र के दलदल वाले किनारे पर उतरना पड़ा ।

1	2	3	4	5
26.	30.5.1982 अंगमाली कोचीन के निकट	वीटी-ईएओ वैल 47 जी-5	पुष्पक एवियेशन बम्बई	अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होनी है।
27.	22.6.1982 बम्बई एयरपोर्ट	वीटी-डीलेजे बोइंग-707	एयर इंडिया	विमान नियमों के नियम 75 के अधीन भारत सरकार द्वारा नियुक्त जांच-अदालत द्वारा जांच की जा रही है।
28.	3.7.1982 विहाला, कलकत्ता	वीटी-डीवाईआई पुष्पक	बिहार्ला फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थान	अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होनी है।
29.	26.8.1982 नकुवाला जिला हिसार	वीटी-ईएपी वैल 47-जी-5 हैलीकाप्टर	पुष्पक ऐवियेशन	जांच चल रही है।
30.	26.9.1982 ग्राम भागु मुक्तसर	वीटी-डीजेडओ वैल 45-जी-5 हैलीकाप्टर	भारत एयर	जांच चल रही है।
31.	27.9.1982 ग्राम भुथाम (फतेहगढ़ के निकट)	वीटी-ईसीएम वसन्त	कृषि विमानन निदेशालय	जांच चल रही है।
32.	6.10.1982 सिकन्दराबाद (उत्तर प्रदेश)	वीटी-डीपीएक्स पुष्पक	दिल्ली फ्लाइंग क्लब	जांच चल रही है।
33.	16.10.1982 लुधियाना	वीटी-डीएनओ पुष्पक	लुधियाना फ्लाइंग क्लब	जांच चल रही है।

औषधीय पौधों का निर्यात

4227. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश से औषधीय पौधों के निर्यात के अच्छे आसार हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने पिछले दो वर्षों में औषधीय पौधों के निर्यात के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत औषधीय पौधों का एक तो खजाना है क्योंकि सरकारी औषध-कोष में उल्लिखित अनेक पौधे देश के एक अथवा अन्य भागों में अपनी प्राकृतिक अवस्था में उत्पन्न होते हैं। इस बात का संकेत है कि विकसित देश संश्लिष्ट औषधियों के स्थान पर औषधीय पौधों और उनसे उत्पन्न औषधियों के प्रयोग में वृद्धि का रुख प्रदर्शित कर रहे हैं।

(ख) तथा (ग) मूल रसायन, भेषज तथा सौंदर्य प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद ने अप्रैल-मई, 981 के दौरान जापान, सं० रा० अमरीका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी तथा स्विटजरलैंड के लिए फाइटोकैमीकल्स, बल्क ड्रग्स तथा ड्रग्स इंटरमीडिएटस के सम्बन्ध में एक बाजार अभिमुख दौरा प्रायोजित किया। परिषद 24/25 मार्च, 1983 को नई दिल्ली में औषधीय पौधों, फाइटोकैमीकल तथा बल्क ड्रग्स के बारे में एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार भी आयोजित कर रही है।

उद्योगपतियों तथा कृषिकों को अनुसूचित बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा ऋण की मंजूरी

4228. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा उद्योगपतियों तथा कृषकों को ऋण की मंजूरी के लिये क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सहकारी बैंकों तथा अनुसूचित बैंकों द्वारा ऋण देते समय कृषि योग्य भूमि का औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में बहुत कम आकलन किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सहकारी और वाणिज्यिक दोनों ही प्रकार के बैंकों द्वारा किसानों और उद्योगकर्ताओं को ऋण मजूर करने के बारे में अपनाए जाने वाले सामान्य मानदण्ड निम्नलिखित हैं :

कृषि के लिए ऋण देने की उत्पादन उन्मुख प्रणाली में फसल ऋण आवश्यकता आधारित होते हैं न कि प्रतिभूति उन्मुख प्रत्येक जिले में कृषि की लागत को ध्यान में रखते हुए एक तकनीकी समूह द्वारा निर्धारित वित्तपोषण के फसलवार प्रति एकड़ मानदण्ड के अनुरूप फसल ऋण जारी किए जाते हैं। किसान की पात्रता उसकी खेती की जोत के आकार और उसके द्वारा उगाई गई फसल के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। फसल की बिक्री से होने वाली प्राप्ति में से ऋण की वापसी अदायगी की आशा की जाती है। पूंजीगत परिसम्पत्तियां प्राप्त करने और भूमि के विकास के लिए ऋण की मात्रा प्रस्तावित पूंजी निवेश की मात्रा तथा उक्त परिसम्पत्तियों की जीवन अवधि के संदर्भ में ऋणकर्ता की ऋण वापस करने की क्षमता के आधार पर तय की जाती है। 5000 रुपए से अधिक की राशि के ऋणों के बारे में वाणिज्यिक बैंक अतिरिक्त जमानत के रूप में भूमि के गिरवी रखे जाने की अपेक्षा कर सकता है। इस प्रकार के बन्धक पर प्रायः भूमि विकास बैंकों द्वारा दीर्घावधिक ऋणों के सम्बन्ध में जोर दिया जाता है।

उद्योगकर्ताओं को पूंजीगत वित्त प्रदान करने के सम्बन्ध में बैंक अपने ऋणों को केवल प्रतिभूति के आधार पर देने के बजाय उन्हें उस उद्योग की उत्पादन आवश्यकताओं से सम्बद्ध करते हैं। ऋणकर्ताओं की बैंक वित्त पर निर्भरता को कम करने की दृष्टि से बैंकों को यह सलाह दी गई है कि ये स्वयं औद्योगिक इकाई की स्वीकार्य चालू परिसम्पत्तियों के 25 प्रतिशत के बराबर राशि स्वयं लगाएं।

ऋण के लिए जब भूमि को जमानत के तौर पर गिरवी रखा जाता है चाहे वह प्रारंभिक प्रतिभूति हो अथवा पार्श्विक, उसका मूल्यांकन निम्नलिखित के संदर्भ में किया जाता है: (1) समतुल्य प्रकार की भूमि की बिक्रियों के हाल के आंकड़े; (2) इस क्षेत्र की उत्पादकता; (3) गिरवी रखे जाने वाली भूमि के लिए अदा किए जाने वाले भू-राजस्व से गुणित; (4) सम्बद्ध भूमि का संयुक्त रूप से प्रकल्पित बाजार मूल्य; और लाभ प्राप्त करने वाली भूमि से होने वाली शुद्ध आय के गुणांतों के बराबर राशि। इस प्रकार जमानत के लिए गिरवी रखी जाने वाली जमीन का मूल्यांकन सिर्फ बैंकों द्वारा प्रस्तुत अलग-थलग तौर से नहीं किया जाता बल्कि वह बैंकों से भिन्न अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और मूल्यांकनों के आधार पर किया जाता है। अतः इस प्रकार के मूल्यांकन के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के ऋणकर्ताओं के बीच भेदभाव का प्रश्न तर्कसंगत नहीं है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों का प्रतिनिधित्व

4229. श्री भीखा भाई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संस्थाओं के अन्तर्नियमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामांकन रोकने वाला कोई विशिष्ट खण्ड नहीं है;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन व्यक्तियों को गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक नामांकित न करने के क्या कारण हैं, जिनके पास उद्योग वाणिज्य, प्रशासन, ट्रेड यूनियन या सामाजिक क्षेत्र की प्रमाणित योग्यता है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्कृष्ट व्यक्तियों के नामांकन की सिफारिश उनके मन्त्रालय के विचाराधीन है और यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) उनके मन्त्रालय के अधीन उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा उनकी सहायक कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके बोर्डों में गैर सरकारी/अंशकालिक निदेशक नामांकित किये जाते हैं तथा उनका कार्यकाल कितना होता है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राय मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

15

(ख) सरकार की यह नीति है कि जाति, मत, समुदाय अथवा धर्म का ख्याल किये बिना उद्योग, वाणिज्य, प्रशासन, ट्रेड यूनियनों आदि के सरकारी क्षेत्र में विश्वास रखने वाले सिद्ध क्षमता वाले व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्डों में नियुक्त किया जाए। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पूर्ण कालिक या अंशकालिक निदेशकों के पक्षों का कोई आरक्षण नहीं है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बारे में हुई सामान्य कमी के अन्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाता है और नियुक्ति के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में उपर्युक्त मानदण्डों के आधार पर निर्णय किया जाता है।

(ग) इस सम्बन्ध में समय-समय पर विभिन्न स्रोतों से सिफारिशें प्राप्त होती हैं और उन पर ऊपर बताये गये रूप में सरकार की नीति के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(घ) इस मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों और उनके अनुषंगी निगमों (सूची संलग्न विवरण में दी गई है) के बोर्डों में या तो अंशकालिक निदेशक हैं या गैर-सरकारी निदेशक हैं लेकिन उनका कार्यकाल अलग-अलग उपक्रम के लिए अलग-अलग है।

विवरण

क्रमांक	उपक्रम/अनुषंगी निगमों के नाम
1.	भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० नई दिल्ली।
2.	भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम, लि०, नई दिल्ली।
3.	भारतीय काजू निगम लि०, नई दिल्ली।
4.	भारतीय परियोजना तथा उपस्कर निगम लि०, नई दिल्ली।
5.	भारतीय चाय व्यापार निगम, कलकत्ता।
6.	निर्यात ऋण तथा गारन्टी निगम लि०, बम्बई।
7.	भारतीय अभ्रक निगम लि०, पटना।
8.	भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण लि०, नई दिल्ली।
9.	राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि०, नई दिल्ली (धारक कम्पनी) और इसके दिल्ली, कानपुर, इन्दौर, बम्बई (दो अनुषंगी निगम) कोयम्बटूर, बंगलौर, अहमदाबाद, और कलकत्ता स्थित 9 अनुषंगी निगम।
10.	भारतीय रुई निगम, बम्बई।
11.	राष्ट्रीय जूट विनिर्माता निगम, कलकत्ता।
12.	भारतीय जूट निगम, कलकत्ता।
13.	भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम लि०, नई दिल्ली।
14.	भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग लि०, नई दिल्ली।
15.	ब्रिटिश भारत निगम, कानपुर।
16.	उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम, शिलांग।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा मजूरी का पुनरीक्षण

4230. श्री भीखाभाई : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्होंने 1977 में मजूरी का पुनरीक्षण किया है तथा केन्द्र सरकार के महंगाई भत्ते का सिद्धान्त का पालन किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : उपलब्ध जानकारी के अनुसार बोंगाइगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड ने 1977 से केन्द्रीय सरकार का महगाई भत्ता फार्मूला अपनाकर मजूरी परिशोधन किया है।

दिल्ली हवाई अड्डे की कम क्षमता (एफीसिएन्सी)

4231. श्री मनमोहन दुडु : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली हवाई अड्डे की क्षमता कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली हवाई अड्डे की क्षमता (एफीसिएन्सी) बढ़ाने के लिए सरकार का विचार क्या प्रयास करने का है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) जी, नहीं। दिल्ली हवाई अड्डे की कार्यकुशलता कम नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेशम का उत्पादन

4232. श्री चिन्तामणि जेना : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश मे कच्चे रेशम का वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ख) बिजली के करघों और हथकरघों की कच्चे रेशम की वार्षिक आवश्यकता कितनी है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) देश में कच्चे रेशम का उत्पादन प्रति वर्ष लगभग 5200 से लेकर 5300 मे० टन तक होने का अनुमान है।

(ख) पावर लूम और हथकरघा दोनों क्षेत्रों के लिए कच्चे रेशम की आवश्यकता प्रति वर्ष 5000 मे० टन से लेकर 6300 मे० टन तक है।

धनबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को ऋण देने में बैंकों की उदासीनता

4233. श्री ए० के० राय : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 1 अक्तूबर, 1982 के धनबाद से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी के

साप्ताहिक "कोलफील्ड्स टाइम्स" में "ड्राट सिच्यूएशन इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट होरीफाईंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें उप-विकास आयुक्त ने यह शिकायत की है कि सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा अन्य योजनाओं को ऋण देने में उस क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों का उल्लंघन किया गया है और उदासीनता दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रक्षा मंत्रालय में पिछली कमी "बक लाग" की स्थिति

4234. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रक्षा मन्त्री चयन सूची तथा सीधी भर्ती किए गए सहायकों के बीच सहायकों के ग्रेड की वरिष्ठता में असन्तुलन के बारे में 28 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9939 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मंत्रालय में पहले की रिक्तियाँ न भरे जाने सम्बन्धी स्थिति क्या है; और

(ख) क्या उनका ध्यान जुलाई, 1980 में परिचालित इस वरिष्ठता सूची की ओर दिलाया गया है जिसमें इस बात की पुष्टि होती है कि तीसरे संशोधन, 1970 के उपबन्धों के अन्तर्गत सहायकों के रूप में स्थाई रूप से नियुक्त सभी व्यक्तियों के एक साथ सहायक ग्रेड की वरिष्ठता दे दी गई ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा (तीसरा संशोधन) नियमावली, 1970 (जिसमें सीधी भर्ती कोटा न भरे गए रिक्त स्थानों को प्रवरण सूची सहायक कोटा में बदलने की व्यवस्था है) के अनुसार, 1970 में सीधी भर्ती सहायकों के लिए आरक्षित 11 रिक्त स्थानों को रक्षा मंत्रालय में प्रवरण सूची सहायकों को स्थाई नियुक्ति द्वारा भरने के लिए रख दिया गया था। वरिष्ठता सूची बनाते समय उन 11 प्रवरण सूची सहायकों को, जिन्हें इन बकाया रिक्त स्थानों पर नियुक्त किया गया था, उन सीधी भर्ती सहायकों के साथ मिला दिया गया था जिन्होंने जून 1970 के बाद कार्यभार ग्रहण किया था। परन्तु अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के साथ परामर्श किया गया और उनकी सलाह पर प्रवरण सूची के सभी 11 सहायकों को एक साथ उन सीधी भर्ती सहायकों से वरिष्ठ कर दिया गया था, जिन्होंने जून 1970 के बाद कार्यभार ग्रहण किया था और यह स्थिति जुलाई 1980 में जारी की गयी वरिष्ठता सूची में दिखायी गई थी। दूसरे शब्दों में, इस समय इस मन्त्रालय के सहायक सवर्ग की वरिष्ठता सूची में असन्तुलन की कोई समस्या नहीं है।

दानापुर छावनी बोर्ड द्वारा पारित संकल्प

4235 श्री रामावतार शास्त्री :

श्री आर० एन० राकेश : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दानापुर छावनी बोर्ड द्वारा जनवरी, 1980 से 30 सितम्बर, 1982 तक पारित किए गए संकल्प का ब्योरा क्या है;

(ख) उनमें से उन संकल्पों का ब्योरा क्या है जिनको क्रियान्वित कर दिया गया था; और

(ग) यदि कोई अन्य संकल्प क्रियान्वित न किए गए हों तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

धरना देने के लिए आयकर अधिकारी संघ को अनुमति

4236. श्री रघुनंदन लाल भाटिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गजेटिड सर्विसिस (इन्कम टैक्स) आफिसर्स एसोसिएशन और दिल्ली इन्कम टैक्स नान गजेटिड स्टाफ एसोसिएशन के परिसंघ को अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए सरकार के विरुद्ध धरना देने और घेराव की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो भाग (क) में उल्लिखित इन संघों को किस नियम (आचरण संहिता) के अन्तर्गत कार्य करने और सरकार के विरुद्ध परिसंघ बनाने की अनुमति दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

विभिन्न देशों को लौह अयस्क का निर्यात

4237. श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न देशों को कुल कितना लौह अयस्क निर्यात किया गया और उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें यह निर्यात किया गया;

(ख) प्रतिवर्ष आयात किए गए इस्पात की मात्रा कितनी है; और

(ग) क्या देश के लौह अयस्क का स्वयं देश के अन्दर अधिकतम सीमा तक उपयोग करने के लिए और इस्पात का आयात कम करने के लिए कोई दीर्घावधि योजना तैयार की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) गत दो वर्षों के

दौरान लौह अयस्क के (जिसमें पेलेट्स शामिल नहीं है) गंतव्य-स्थान-वार निर्यात संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान दो सरणीकरण अभिकरणों (खनिज एवं धातु व्यापार निगम और भारतीय इस्पात प्राधिकरण) द्वारा आयात किये गये इस्पात की मात्रा निम्नोक्त प्रकार है :

वर्ष	मात्रा (लाख मे० टन में)
1980-81	10.09
1981-82	10.57

(ग) सन् 2000 तक इस्पात की आवश्यकता के निर्धारण के लिए लोहा तथा इस्पात सम्बन्धी एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया है।

विवरण

लौह अयस्क (जिसमें लौह अयस्क पेलेट्स शामिल नही हैं) के गतव्य स्थान-वार निर्यात

गंतव्य स्थान	मात्रा मिलियन मे० टन में 1980-81	1981-82
जापान (एम० एम० टी० सी०)	7.17	7.55
गोअन्स	6.75	8 94
दक्षिणी (एम० एम० टी० सी०)	1.48	2.45
कोरिया (गोअन्स)	0.72	0.61
ताईवान (गोअन्स)	0.09	0.05
पश्चिम यूरोप (गोअन्स)	—	0.26
केवल एम० एम० टी० सी०		
रूमानिया	3.04	4.09
चैकोस्लोवाकिया	0.35	0.36
हंगरी	0.11	0.06
जर्मनी (पूर्व)	0.46	0.68
यूगोस्लाविया	0.56	0.33
बुल्गारिया	—	0.09
पाकिस्तान	0.05	0.11

1	2	3
सउदी अरब	0.04	0.01
आबूधाबी	0.15	0.06
दुबई	0.10	0.06
मलयेशिया	0.04	0.03
उत्तर कोरिया	0.13	0.03
ईराक	—	—
चीन	—	—
महा योग :	21.44	24.85

इंदिरा प्रतिष्ठान न्यास, बम्बई के मामले में की गई कार्यवाही

4238. श्री राम विलास पासवान :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए इंदिरा प्रतिष्ठान न्यास, बम्बई, महाराष्ट्र के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : यह समझा जाता है कि जिस फैसले का हवाला दिया गया है, वह 12 जनवरी, 1982 को बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था। चूंकि खबत फैसले का सम्बन्ध ऐसे व्यक्तियों के आचरण से नहीं है जो मुख्यतया भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी हों अथवा उसके नियंत्रणाधीन हों, अतः इस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई भी कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के विरुद्ध शिकायतें/आरोप

4239. श्री राम विलास पासवान :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय पर्यटन विकास निगम में अनेक प्रकार की अनियमितताओं की बड़ी संख्या में शिकायतें और आरोप प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो अनियमितताओं के मामलों में सरकार को प्राप्त शिकायतों/आरोपों की संख्या और किस्म क्या है; और

(ग) क्या अनियमितताओं की ऐसी सभी शिकायतों और आरोपों की किसी उच्चस्तरीय स्वतंत्रता ऐजेंसी के माध्यम से जाँच कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) 1981-82 और

1982-83 के वर्षों के दौरान खरीदारियों सम्बन्धी अनियमितताओं, पोजिशन के दुरुपयोग, दुर्विनियोजन, अना- चार आदि अनियमितताओं सम्बन्धी कुछ शिकायतें/आरोप प्राप्त हुए थे, जिनकी संख्या 19 है।

(ग) एक उच्चस्तरीय स्वतन्त्र एजेन्सी की नियुक्ति करना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि आई० टी० डी० सी० के सतर्कता और सुरक्षा प्रभाग द्वारा जहां-जहां आवश्यक हो सी० बी० आई० से परामर्श करते हुए शिकायतों की सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल की जाती है और समुचित कार्रवाई की जाती है।

मेंढक की टांगों के निर्यात पर प्रतिबन्ध

4240. **श्री मीकू राम जैन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेंढक की टांगों को वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत लाने के बावजूद इसका निरन्तर निर्यात किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि परिषकरण संयन्त्रों में मेंढक की टाँगों को अत्यन्त निर्दयता-पूर्वक काट दिया जाता है और उन्हें काटने के बाद एक ट्रे में डाल दिया जाता है;

(ग) क्या सरकार का मेंढक की टाँगों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है; और

(घ) यदि इन असहाय जीवों से विदेशों से कुछ धन कमाया जा सकता है, तो क्या मेंढक की टांगों को काटने के लिए किसी कष्टहीन ढंग का पता लगाने हेतु कोई अनुसंधान किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ने मेंढक की टाँगों के निर्यात पर कोई रोक नहीं लगाई है। तथापि मेंढकों को पकड़ना और मेंढक की टाँगों की प्रोसेसिंग उक्त अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित की गई है।

(ख) जी, नहीं। मेंढक की टाँगों को काटने के लिए सेन्ट्रल इंस्टीयूट्ट आफ फिशरीज टेक्नोलोजी (सी० आई० एफ० टी०) द्वारा स्वीकृत तरीका अपनाया जाता है।

(ग) इस समय सरकार के पास मेंढक की टांगों का निर्यात रोकने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है।

(घ) मेंढकों को मारने की मौजूदा पद्धति सी० आई० एफ० टी० द्वारा विस्तृत अध्ययन तथा गवेषणा के बाद अपनाई गई। मेंढकों को बिना दर्द के मारने के लिए कतिपय रसायनों के सम्मिश्रण मेंढकों को बिजली से बेहोश करने के प्रयोग के आधार पर अधिक आधुनिक तरीकों का अध्ययन किया जा रहा है।

चीनी इंजीनियरों द्वारा भारतीय क्षेत्रों का अतिक्रमण

4241. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दो चीनी युवा इन्जीनियर अरुणाचल प्रदेश में मेकमोहन लाइन पर स्थित बिमला सीमा को पार करके भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे;

(ख) क्या उन्हें भारतीय सुरक्षा बल ने गिरफ्तार किया है;

(ग) क्या इस घटना के बाद बिमला सीमा पर सुरक्षा बल को बढ़ा दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी, हां। ऐसा बताया गया है कि शिकार करते हुए दो चीनी अनजाने में भारतीय क्षेत्र में आ गये थे। उन दोनों को बाद में चीनी अधिकारियों को सौंप दिया गया था।

(ग) और (घ) इस तरह की घटनाओं का पता लगाने के लिए हमारी सीमाओं पर पर्याप्त प्रबन्ध मौजूद हैं।

अमेरिकी हथियारों को चीन होकर पाकिस्तान ले जाया जाना

4242. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाशिंगटन और बीजिंग में चीन होकर पाकिस्तान को अमेरिकी हथियार गुप्त रूप से भेजने के सम्बन्ध में एक समझौता हुआ है जैसा कि 12 अगस्त, 1982 को एक सोवियत साप्ताहिक 'लिटरेचेनया गजेटाक" द्वारा आरोप लगाया गया है;

(ख) क्या यह भी आरोप लगाया गया है कि चीन को हथियार बेचने हेतु अमेरिकी कारणों का रहस्य अत्यधिक रूप से भारतीय उत्तेजना के विरुद्ध वाशिंगटन की एहतियात है;

(ग) क्या यह स्पष्टीकरण, कि चीनी सेना को सीधे बेचे गए अमेरिकी हथियारों के एक भाग का उपयोग सोवियत रूस के विरुद्ध होना है, "हिमालय की सीमाओं पर भारत की सतर्कता को शिथिल बनाने के प्रयोजन से तैयार किया गया था और वास्तव में बीजिंग अमेरिका हथियारों को प्रथमत: और मुख्यत: भारत के विरुद्ध प्रयोग कर सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (घ) सरकार ने इस विषय पर कुछ समाचार देखे हैं फिर भी इस सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय सूचना नहीं है। पूरी रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए सरकार हमारी सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी घटनाओं पर नजर रखती है।

एक इंजीनियरिंग फर्म द्वारा भारतीय वायु सेना को घटिया तथा दोषपूर्ण उपकरणों की सप्लाई

4243. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक सेवा निवृत्त मेजर के प्रबन्ध अधीन इंजीनियरी फर्म का चण्डीगढ़ स्थित भारतीय वायु सेना के यूनिट को घटिया और दोषपूर्ण उपकरण और बम एडाप्टर की एक खेप सप्लाई की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड की जगुआर विमानों के पाइलिटों के लिए शुद्ध जल आक्सीजन का, जो आर्डर दिया गया था, उसे रद्द करके सेवानिवृत्त मेजर की फर्म को दिया गया था ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) एक प्राइवेट फर्म द्वारा सप्लाई किए गये देश में विकसित बम एडाप्टरों में अपेक्षित विशिष्टियों से थोड़ा सा अन्तर पाया गया था। उनमें पाई गई कमी बाद में ठीक कर दी गई थी। सरकार के पास यह सूचना नहीं है कि इस फर्म का प्रबन्ध कोई सेवानिवृत्त मेजर करता है।

(ग) इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड को दिया गया कोई आर्डर रद्द नहीं किया गया। परन्तु एक वैकल्पिक स्रोत, जिसने अपेक्षित विशिष्टियों की तरल आक्सीजन की कम मूल्य पर सप्लाई करने का प्रस्ताव दिया था, उसे आगे सप्लाई करने का आर्डर दिया गया है। इस फर्म का प्रबन्ध निदेशक 1959 में भारतीय सेना से मेजर के रूप में सेवानिवृत्त हुआ था।

गांधी शान्ति प्रतिष्ठान के भागलपुर केन्द्र को सहायतानुदान

4244. **श्री सुभाष यादव :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ने 1978-79 से 1980-81 की अवधि के दौरान गांधी शांति प्रतिष्ठान के भागलपुर केन्द्र को कोई सहायतानुदान दिया है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान वर्षवार इस प्रकार कितना धन दिया गया;

(ग) यह धनराशि किस प्रयोजन के लिये दी गई;

(घ) क्या सरकार को इस सहायतानुदान के दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस बीच सरकार द्वारा इसकी कोई जांच करायी गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) जी, हां। 1979-80 के दौरान 1,62,000 रु० सहायता अनुदान के रूप में दिए गए।

(ग) भागलपुर जिले में कहालगांव और नाथ नगर खण्डों में दो ग्रामीण विपणन केन्द्रों की स्थापना के लिए।

(घ) अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विकास की स्वयंसेवी एजेन्सियों की एसोसियशन को सहायता अनुदान

4245. **श्री डूंगर सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पिछले तीन वर्षों के ग्रामीण विकास की स्वयं सेवी एजेंसियों को एसोसिएशन्स को वर्षवार सहायता अनुदान में कितनी धनराशि दी है ?

(ख) उपर्युक्त अवधि के आल इण्डिया हैंडिक्राफ्ट बोर्ड के प्रबन्धक निदेशकों और चेयरमैन के नाम क्या हैं ?

(ग) क्या यह सच है कि हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के पदाधिकारियों का ग्रामीण विकास की स्वयंसेवी एजेंसियों की एसोसिएशन और धन वितरण करने वाले संगठन से गहरे सम्बन्ध थे;

(घ) क्या सरकार को निर्धारित नियमों के अनुसार धन का उचित उपयोग न करने के बारे में अनेक लेखा परीक्षा आपत्तियां प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने इस बीच मामले की जांच की है यदि हां, तो इस बीच क्या कार्यवाही की गयी है तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क)

1979-80	12,33,000 रु०
1980-81	शून्य
1981-82	शून्य

(ख) 1979-80 की अवधि के दौरान श्री एल० सी० जैन, अध्यक्ष थे। जुलाई 1980-81 से बोर्ड अस्तित्व में नहीं था। बोर्ड अखिल भारतीय हथकरघा तथा हस्तशिल्प बोर्ड के रूप में 1 जुलाई, 1981 को पुनर्गठित किया गया। प्रबन्ध निदेशक को कोई पद नहीं था।

(ग) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार श्री एल० सी० जैन, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के अध्यक्ष 29.7.78 से 1.11.78 तक अवार्ड के खजांची भी थे। तथापि अवार्ड को अनुदान की स्वीकृति मार्च, 1979 तथा मार्च, 1980 में की गई।

(घ) जी, हां।

(ङ) अवार्ड को अनुदान की उपयोगिता की समीक्षा की गई है तथा उनसे अनुरोध किया गया है कि वे 7,80,000 रु० की राशि वापस कर दें।

गांधी शान्ति प्रतिष्ठान को अनुदान सहायता

4246. **श्री डूंगर सिंह :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार (अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड) द्वारा 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान गांधी शांति प्रतिष्ठान को दी गई अनुदान सहायता का ब्योरा क्या है ?

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के चेयरमैन कौन-कौन थे;

(ग) क्या गांधी शांति प्रतिष्ठान को धनराशि के वितरण के सम्बन्ध में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के चेयरमैन ने सरकार से कोई पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली थी, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस बीच सरकार को धन के वितरण की वैधता के बारे में कोई लेखा परीक्षा रिपोर्ट मिल गई है और यदि हां, तो उसमें बताई गई अनियमितताएं क्या हैं; और

(ङ) क्या इस बीच सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क)

1977-78	शून्य
1978-79	6,70,000 रु०
1979-80	4,47,776 रु०

(ख) 1977-78 : श्रीमती पुपुल जयकर वर्ष के आरम्भ में अध्यक्ष थी। चूंकि श्रीमती जयकर ने मई 1977 में पद छोड़ दिया इसलिए इस अवधि के अधिकांश भाग में यह पद रिक्त रहा।

1978-79 : श्री एल० सी० जैन (3.6.78 से 31.3.79 तक)

1979-80 : श्री एल० सी० जैन।

(ग) गांधी शान्ति प्रतिष्ठान को धन का वितरण सक्षम प्राधिकारी अर्थात् हथकरघा आयुक्त (हस्तशिल्प) की मंजूरी के अधीन था। अध्यक्ष द्वारा सरकार की उचित अनुमति प्राप्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां। संगत अंश संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) में उल्लिखित रिपोर्ट में सी० ए० जी० द्वारा उठाए गए मामलों में सरकार के उत्तर पी० ए० सी० सचिवालय को भेज दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1979-80 के लिए भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय सरकार (सिविल)-सिविल विभाग (वस्त्र विभाग) की प्रशासनिक रिपोर्ट के

अध्याय-I से उद्धृत अंश।

पैरा 6.1 शिक्षुता प्रशिक्षण योजनाएं : इन योजनाओं के अधीन सुप्रसिद्ध हस्तशिल्पी द्वारा अपने ही कार्यस्थल पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सम्बद्ध राज्य सरकार ने सिद्धहस्त शिल्पियों और प्रशिक्षणार्थियों के चुनाव में सहायता प्रदान की। प्रायोजक प्राधिकरण को बोर्ड के सामने प्रस्थापना प्रस्तुत करते समय इस आशय का एक प्रमाण-पत्र देना था कि इसमें राज्य सरकार ने प्रशनाधीन योजना के लिए अपने स्रोतों से कोई बजट व्यवस्था नहीं की थी। कच्चा माल, औजार व उपस्कर प्रशिक्षुओं के सिद्धहस्त शिल्पियों अथवा प्रशिक्षणार्थियों द्वारा स्वयं ही सप्लाई किए जाने थे जिन्हें 60 रुपये प्रति माह की दर से वजीफा दिया जाता था। तैयार उत्पादन उन लोगों की सम्पत्ति थी, जिन्होंने कच्चा माल उपलब्ध कराया। वर्ष 1974-75 से 1978-79 के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के अधीन, 195 सिद्धहस्त शिल्पियों के अधीन, 1,470 शिक्षुओं को विभिन्न शिल्पों से प्रशिक्षण दिया गया, तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया कि इन योजनाओं के उद्देश्य कहां तक पूरे किए गए हैं और कितने प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद उस व्यवसाय को अपनाया है।

मार्च 1979 से बोर्ड ने जरदोजी (स्वर्ण कढ़ाई), हाथी-दांत, लकड़ी तथा आभूषण के शिल्पों में दिल्ली तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में 70 प्रतिशत योजनाएं संगठित करने के लिए एक स्वैच्छिक संगठन के लिए 9.58 लाख रुपये मंजूर किए और बोर्ड की ओर से योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 5.08 लाख रुपए (मार्च 1979) रिलीज किए। अन्य बातों के साथ साथ इस मन्जूरी में कच्चे माल के लिए 1.68 लाख रुपये और औजारों, उपस्कर तथा फर्नीचर के लिए 0.58 लाख रुपये भी शामिल थे। लेखा परीक्षा से यह देखा गया कि मन्जूर की गई 70 प्रशिक्षण योजनाओं की तुलना में संगठन ने वर्ष 1979-80 में 60 योजना (जरदोजी में 24, हाथी-दांत में 16 और आभूषण में 20) शुरु की और 31 मार्च, 1980 तक अधिकांशतः प्रशिक्षणार्थियों को वजीफा (1.69 लाख रुपये) हस्तशिल्पों को वेतन (1.36 लाख रुपये) और कच्चे माल, औजारों आदि पर 0 64 लाख रुपये खर्च किए। बोर्ड ने दस महीनों वाली 38 प्रशिक्षण योजनाओं के लिए 4.48 लाख रुपये की एक नयी मन्जूरी जारी की (अगस्त 1980) और इस अनुदान को रिलीज करते समय 5.08 लाख रुपये के पहले अनुदान में से बिना खर्च किए बाकी 1.10 लाख रुपये का समन्जन कर दिया, लेकिन संगठन द्वारा बिना खर्च की गई बाकी राशि पर कमाया गया 0.11 लाख रुपये का ब्याज वसूल नहीं किया गया। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा तैयार किए गए माल की डिक्रियां यदि कोई हों तो, बोर्ड के पास जमा नहीं कराई गईं (अक्तूबर 1980)

16

और प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के बारे में भी जानकारी अभी आनी है (अक्टूबर 1980)।

वायुदूत सेवा के लिए ट्रेनी पाइलटों के लिए साक्षात्कार

4247. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**
श्री जगपाल सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत में ट्रेनी पाइलट के पद के लिये 8 अप्रैल, 1982 को साक्षात्कार लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कितने ट्रेनी पाइलट नियुक्त किए गये/किये जाने का विचार है;

(ग) ट्रेनी पायलटों की नियुक्ति के लिये क्या मानदण्ड निर्धारित है;

(घ) क्या इन नियुक्तियों में काफी धांधली एवं भाई-भतीजावाद की शिकायतें हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) ट्रेनी पाइलटों के पद पर भर्ती के लिये दिनांक 18.4.82 को एक लिखित परीक्षा ली गई थी। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे उन्हें समूह कार्य/चर्चा के लिए बुलाया गया था। अभी तक कोई साक्षात्कार नहीं किया गया है तथा किसी ट्रेनी पाइलट की नियुक्ति नहीं की गई है।

(ग) वायुदूत में ट्रेनी पाइलटों की नियुक्ति के लिये निर्धारित मानदण्ड संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(घ) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं परन्तु अभी तक कोई नियुक्तियां नहीं की गई हैं।

(ङ) जांच करने पर लगाये गये आरोपों को निराधार पाया गया।

विवरण

वायुदूत में ट्रेनी पाइलटों की नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदण्ड

अर्हताएं :

शैक्षिक : मैट्रिकुलेशन अथवा हायर सैकेन्ड्री अथवा भारतीय स्कूल सर्टिफिकेट अथवा समकक्ष परीक्षा जिसमें भौतिकी और गणित को तरजीह दी जाएगी। स्नातकों को वरीयता दी जायेगी।

तकनीक :

(1) वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस।

(2) उड़ान रेडियो टेलीफोन परिचालक लाइसेंस।

(3) इंस्ट्रुमैंट रेटिंग सर्टिफिकेट जारी करने के लिये आवश्यक अर्हतायें तथा अपेक्षित उड़ान अनुभव।

टिप्पणी : विमान पर कम से कम 15 घण्टे का वास्तविक उपकरण उड़ान अनुभव स्वीकार्य होगा। (इन्स्ट्रुमैंट ग्राउन्ड टाइम के सिमुलेशन का अनुभव आवश्यक नहीं है)।

साक्षात्कार के समय उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित होना चाहिये :—

(1) चालू वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस।

(टिप्पणी : जिन उम्मीदवारों के पास अवसित वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस हैं उन्हें इस नवीकरण के लिए उड़ान जांच को छोड़कर सभी सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए)

(2) चालू सी० ओ० पी०।

(3) चालू उड़ान रेडियो टेलीफोन परिचालक लाइसेंस।

(4) इन्स्ट्रुमैंट रेटिंग सर्टिफिकेट जारी करने के लिए "मोर्स टेस्ट" के लिए वैध "पास" सर्टिफिकेट।

चुने गये उम्मीदवारों के पास प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करने के समय चालू वाणिज्यक विमानचालक लाइसेंस/सी० ओ० पी०/उड़ान रेडियो टेलीफोन परिचालक लाइसेंस तथा वैध "पास" मोर्स टेस्ट सर्टिफिकेट भी होने चाहिए।

सभी लाइसेंस नागर विमानन के महानिदेशक, भारत द्वारा जारी किए गए होने चाहिए।

आयु :

(क) 30 जून, 1981 को 30 वर्ष जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट।

(ख) प्रबंधक वर्ग चाहे तो ऊपर की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जा सकेगी।

(ग) ऊपर की आयु सीमा में और भी छूट निम्नलिखित रूप में दी जा सकती है :—

—वाणिज्यिक विमान चालक लाइसेंस के लिए उड़ान अनुभव के 250 घंटे की अधिकतम अपेक्षा से अधिक उड़ान के अनुभव के हरेक 200 घंटे के लिए एक वर्ष।

—तथा/अथवा उन उम्मीदवारों के लिए जो विमानचालक के रूप में नियुक्त चले आ रहे हैं, उनकी नियुक्ति की अवधि तक परन्तु अधिकतम दो वर्ष।

वर्ष 1981-82 के लिए दिल्ली छावनी बोर्ड की मुख्य उपलब्धियों के बारे में प्रतिवेदन

4248. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए दिल्ली छावनी बोर्ड के प्रशासन के बारे में रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जाएगी जिसमें उसकी मुख्य उपलब्धियों का और सिविल नागरिकों द्वारा किए गए कार्य का ब्योरा दिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : जी, नहीं। छावनी बोर्डों की प्रशासनिक रिपोर्टों को संसद के दोनों सभाओं के पटल पर रखने की छावनी अधिनियम, 1924 में कोई व्यवस्था नहीं है।

हिन्दुस्तान लीवर द्वारा साबुन का निर्यात

4249. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइन लीवर, ब्रिटेन की एक सहायक कंपनी हिन्दुस्तान लीवर उदारता पूर्वक अन्तरण मूल्य (ट्रांसफर प्राईसिंग) में लगी हुई है;

(ख) क्या इस बात को सिद्ध करने का यह प्रमाण है कि आस्ट्रेलिया और पश्चिम यूरोपीय देशों को निर्यात किए गये, नहाने वाले लिरिल साबुन के काफी हद तक कम मूल्य के बीजक बनाए जाते हैं;

(ग) इसी प्रकार क्या हमारे देश की आवश्यकता को पूरा न करके हिन्दुस्तान लीवर आस्ट्रेलिया को पीयर्स ग्लिसरीन साबुन की पूरी सप्लाई करता है;

(घ) क्या हिन्दुस्तान लीवर द्वारा दिखाए गए निर्यात की प्रगति के गहन अध्ययन से पता चलता है कि पिछले दो वर्षों के दौरान न केवल इस वृद्धि के मामले में गड़बड़ है बल्कि इस तथ्य में भी संदेह है कि उन्हें केवल तदर्थता अर्थात् भारत में अधिक मात्रा में विदेशी पूंजी को कायम रखकर, नियन्त्रित किया जाता है; और

(ङ) क्या 1981 और 1982 में इस कम्पनी द्वारा किए गए इस निर्यात के तुलनात्मक अध्ययन से इस तदर्थता का साफ तौर पर पता लगता है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। इस बात का कोई प्रमाण प्रवर्तन अभिकरणों को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) यदि कोई कम्पनी विलासिता की वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में निर्यात करती है तो वह अच्छी बात होगी। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए देश में साबुन निर्माण की पर्याप्त क्षमता विद्यमान है।

(घ) तथा (ङ) सदस्य महोदय का ध्यान 22.10.82 के अतारांकित प्रश्न सं० 3197 के उत्तर में दिए गए मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर के निर्यात सम्बन्धी आंकड़ों की ओर दिलाया जाता

है। कम्पनी 1977 से अपने निर्यात में बराबर वृद्धि करती चली आ रही है। कम्पनी द्वारा उठाये गए कदम विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की जोरदार व्यवस्था का परिणाम हैं जो विदेशी शेयर बाहुल्य वाली कम्पनियों को निर्यात सहित उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की ओर अग्रसर कर रही है। इसके अतिरिक्त, ऐसे निर्यात तदर्थ एवं अस्थाई नहीं हो सकते, क्योंकि कम्पनी को, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत सहायक कम्पनी का अपना दर्जा बनाए रखने के लिए पात्र बनने के निमित्त निर्धारित निर्यात स्तर लगातार बनाए रखना पड़ता है।

भारतीय सीमा तक पोषक सड़कों का निर्माण

4250. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को इस तथ्य की जानकारी है कि चीन और पाकिस्तान के बीच कराकोरम सड़क को यातायात के लिए खोले जाने से भारत की सुरक्षा को खतरा कई गुना बढ़ गया है;

(ख) क्या चीन में पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में भी ठीक भारतीय सीमा तक पोषक सड़कें बना ली हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त का उत्तर (हां) में है तो क्या सरकार ने सीमा के इस ओर देश की सुरक्षा को मजबूत बनाया है और भारत की सुरक्षा के लिए पोषक सड़कों का निर्माण किया है?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सरकार कराकोरम राजमार्ग के खुलने के कारण पड़ने वाले सामरिक प्रभाव के बारे में पूरी तरह से जागरुक है।

(ख) सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान तथा चीन से लगने वाली भारतीय सीमा के साथ-साथ सम्पर्क सड़कों के निर्माण कार्यक्रम के बारे में रिपोर्टें देखी हैं। लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन द्वारा सम्पर्क सड़कों के निर्माण के बारे में कोई विश्वसनीय सूचना नहीं है।

(ग) रक्षा तैयारियों की योजना बनाते समय उन सभी घटनाओं को ध्यान में रखा जाता है जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। इन योजना की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा उन्हें अद्यतन बनाया जाता है।

बम्बई में आयकर छापों के दौरान हुई कथित मौत

4251. **श्री मोहा भाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई महानगर में चालू महीने के दौरान आयकर अधिकारियों द्वारा कितने छापे मारे गये हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि छापों के दौरान शिष्टाचार और मानवीय व्यवहार की कमी

के कारण अधिकारियों द्वारा उत्पन्न आतंक से छापे की अवधि में एक कर-निर्धारिती की मृत्यु हो गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) आयकर विभाग ने बम्बई महानगर में अक्तूबर, 1982 माह के दौरान 122 तलाशियां लीं।

(ख) जी, नहीं।

उत्तर भारत में सिंडीकेट बैंक की शाखाएं खोलना

4252. श्री आर० एन० राकेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों के दौरान सिंडीकेट बैंक ने अपने व्यापक विस्तार के कारण उत्तर भारत में अनेक शाखाएं खोलीं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त अवधि के दौरान सिंडीकेट बैंक ने केवल दक्षिणी राज्यों से 70 प्रतिशत कनिष्ठ अधिकारियों की भर्ती की और उन्हें बैंक की उत्तरी शाखाओं में नियुक्त किया गया;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान सिंडिकेट बैंक द्वारा भर्ती किये गये कनिष्ठ अधिकारियों के राज्यवार तथा वर्षवार आंकड़े क्या हैं; और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 1979 के बाद से सिंडिकेट बैंक सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों के संवर्ग की सीधी भर्ती बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता के आधार पर की जाती है। बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों के निर्माण से पहले भी सिंडीकेट बैंक अधिकारितों की भर्ती लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर की जा रही थी। क्योंकि यह भर्ती, उम्मीदवारों द्वारा अखिल भारतीय स्तर प्राप्त स्थान के आधार पर की जाती है और सिंडीकेट बैंक सहित सभी राष्ट्रीय बैंकों में अधिकारियों के संवर्ग, अखिल भारतीय संवर्ग होते हैं, बैंक अधिकारियों के राज्यवार विवरण तैयार नहीं करता। परन्तु, पिछले 5 वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा भर्ती किए गए कनिष्ठ अधिकारियों की वर्षवार संख्या तथा उनमें से अनुसूचित जातियों। जनजातियों के अधिकारियों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	भर्ती किये गये कनिष्ठ अधिकारियों की कुल संख्या	भर्ती किये गये कुल अधिकारियों में अनु॰ जाति/अनु॰ जनजाति के अधिकारियों की संख्या
1977	247	87
1978	241	61
1979	116	2
1980	103	16
1981	155	61
जोड़	862	227

अधिकारियों के रूप में पदोन्नति किये गये गैर-अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की नियुक्ति

4253. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक आफ बड़ौदा की दक्षिणी जोन और पूर्वी जोन की उत्तर प्रदेश में हुई पदोन्नति परीक्षा के आधार पर अधिकारी के रूप में पदोन्नत किये गये गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को ऐसे स्थानों पर नियुक्त किया गया है है जहां वे लिपिकीय संवर्ग में कार्य कर रहे थे अथवा आसपास के स्थानों पर नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारियों को अधिकारी संवर्ग में उनकी पदोन्नति पर उपरोक्त जोन में दूरस्थ स्थानों पर नियुक्त किया गया है;

(ग) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों (अधिकारियों के रूप में पदोन्नत) को, उनके निवास-स्थान के क्षेत्र में उनके लिए उपलब्ध आरक्षित रिक्तियों के बावजूद दूरस्थ स्थानों पर नियुक्त करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या बैंक आफ बड़ौदा के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने इस सम्बन्ध में उपरोक्त जोन के प्रबन्धकों से संपर्क किया है; और

(ङ) इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) बैंकों की प्रशासनिक अपेक्षाओं को देखते हुए, बैंकों के अधिकारी, देश के किसी भी भाग में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी, अधिकारी संवर्ग में अपनी पदोन्नति के बाद, बैंकों की स्थानांतरण/तैनाती नीति के अनुसरण में स्थानांतरित किए जाते हैं। बैंक आफ बड़ौदा ने सूचना दी है कि स्थानांतरण/तैनाती के मामलों में अनु. जा./अ. ज. जा. के कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जाता।

सरकारी आदेशों के अनुसरण में लिपिकीय से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति में, अ. जाति/अ. ज. जाति के वास्ते आरक्षण होता है लेकिन, स्थानांतरण, तैनाती में उन्हें ऐसा कोई आरक्षण प्राप्त नहीं है।

वनस्पति के तेलों का उत्पादन

4254. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वनस्पति के तेलों का उत्पादन (खाद्य तथा अखाद्य) देश में तिलहनों के कम उत्पादन के कारण पिछड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चावल की भूसी का तेल, पेड़ की जड़ का का तेल, पाम का तेल और नारियल के तेल जैसे खाद्य तेलों के अन्य स्रोतों का विकास करने का है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) देश में वनस्पति, तिलहनों तथा तेलों का उत्पादन देश में इनकी मांग से कम है।

(ख) सरकार ने खाद्य तेलों के अन्य स्रोतों का विकास करने के लिए कई उपाय किए हैं। इस बारे में किए गये कुछ उपाय ये हैं :

(1) वनस्पति तेलों की सप्लाई बढ़ाने के लिए तैयार की गई बहुत सी स्कीमें छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई हैं। इनमें से कुछ स्कीमें चावल की भूसी के तेल पर आधारित आधुनिक तेल उद्योग समूहों व सोयाबीन संसाधन उद्योग समूहों की स्थापना करने, आदिवासी क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए वृक्ष और वनमूल के तिलहनों व तेलों का विकास करने के लिए हैं।

(2) केरल और अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह में पाम आयल हेतु बाग लगाने के लिए दो प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

(3) दो उच्च स्तरीय अन्तर-मंत्रालय समन्वय समितियां एक चावल की भूसी के तेल के उत्पादन के बारे में और दूसरी सोयाबीन के बारे में गठित की गई हैं, जो चावल की भूसी के तेल, विशेष रूप से खाद्य ग्रेड के तेल का अधिक उत्पादन करने तथा समन्वित दृष्टिकोण के साथ सोयाबीन संसाधन की सुविधाओं की स्थापना करने के विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी।

अन्तरिक्ष उड़ानों के लिए विदेशों में प्रशिक्षण हेतु पायलटों का चयन

4255. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** :

श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तरिक्ष उड़ान के लिए चयनित भारतीय टैस्ट पायलटों के लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया गया है उसका ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : चुने हुए भारतीय अन्तरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम सोवियत संघ की सरकार के सम्बन्धित संगठनों के साथ परामर्श करके निश्चित किया गया है। इस बारे में और ब्यौरा देना लोक हित में नहीं है।

"मल्टी करोड़ राकेट इन पाम-आयल इम्पोर्ट"
शीर्षक समाचार

4256. श्री हरिनाथ मिश्र :

श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 सितम्बर, 1982 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में "मल्टी करोड़ राकेट इन पाम-आयल इम्पोर्ट" शीर्षक समाचार की ओर दिलवाया गया है;

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या साबुन उद्योग में प्रयोग करने के लिए घटिया किस्म के पाम-आयल के आयात में कई करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है;

(ग) क्या बम्बई कस्टम विभाग की विशेष जांच और आसूचना शाखा की सूचना के अनुसार सरकारी मान्यताप्राप्त दिल्ली में स्थित एक निर्यात-गृह ने पिछले वर्ष सिंगापुर की एक फर्म से 3000 से अधिक ड्रमों में 600 टन तेल का आयात किया था;

(घ) क्या विभिन्न दस्तावेजों के निरीक्षण से यह पता चला है कि सिंगापुर की कम्पनी एक जाली कम्पनी है, जिसे घोटाला करने वाले व्यक्तियों ने इन घृणास्पद गतिविधियों को चलाने के उद्देश्य से बना रखा है और इस प्रकार देश से विदेशी-मुद्रा गैर-कानूनी ढंग से बाहर भेजी जाती है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि कतिपय फर्मों ने सोप स्टाक/पाम आयल का आयात किया है जिसमें कतिपय अनियमितताएं किये जाने का आरोप लगाया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

चाय उद्योग का अधिग्रहण

4257. श्री मनमोहन टुडु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास चाय उद्योग का अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रस्ताव को कब कार्यान्वित किए जाने का विचार है; और

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ

4258. **श्री रामप्यारे पनिका** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने चालू वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान इन उद्योगों ने कितना लाभ अर्जित किया है और पिछले वर्ष के लाभ की तुलना में इसकी स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार को आशा है कि ये उद्योग आने वाले वर्षों में अधिक लाभ अर्जित करेंगे;

(घ) यदि हां, तो कितना लाभ अर्जित किये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) वर्ष 1981-82 के दौरान लाभकारिता के रूप में सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन का विस्तृत मूल्यांकन तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि इन उद्यमों के वार्षिक लेखों को अन्तिम रूप दे दिया जाए और उनकी लेखा परीक्षा न हो जाए । किन्तु अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर, सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा किए गए मूल्यांकन से यह पता चलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में 1981-82 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन में काफी सुधार हुआ है । इन उद्यमों के कार्य-निष्पादन के अनन्तिम मूल्यांकन के अनुसार मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

(करोड़ रुपयों में)

	1981-82	1980-81
बिक्री	35853.96	28645.32
मूल्यह्रास, कर और ब्याज के बाद निवल लाभ	403.70	(—) 182.01
(उद्यमों की संख्या)	(169)	(168)
सकल लाभ (मूल्यह्रास के बाद लेकिन ब्याज और कर से पूर्व	2482.06	1421.99
लगी पूंजी की तुलना में सकल लाभ का प्रतिशत	11.60	7.80

(ग) से (ङ) सरकार इसके लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है कि आगामी वर्षों में इन उद्यमों द्वारा अधिकाधिक लाभ अर्जित किया जाए । हालांकि इस अवस्था में लाभकारिता का

विस्तृत पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है फिर भी आशा है कि कार्य-निष्पादन में सुधार का यह रुख निरन्तर बना रहेगा।

सीमा शुल्क समाहर्ता कार्यालय, अहमदाबाद द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस

4259. **श्री रामजी भाई मकाणि :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है गुजरात राज्य के सीमा शुल्क समाहर्ता कार्यालय, अहमदाबाद, ने लगभग 39 अपराधियों और कच्छ के कुछ तस्करों तथा अन्य व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, जिन पर अहमदाबाद (गुजरात) में अम्बावाड़ी की श्वेतपार्क सोसाइटी के एक बंगले से पाए गए डेढ़ करोड़ रुपए के सोने के घोटाले में शामिल होने का आरोप है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त नोटिस जारी करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने अहमदाबाद से प्रचारित गुजरात के एक दैनिक पत्र दिनांक 12 अक्तूबर के "गुजरात समाचार" में प्रकाशित समाचार को देखा है;

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ङ) दिनांक 12 अक्तूबर 1982 के 'गुजरात समाचार' में प्रकाशित समाचार सरकार के ध्यान में आ चुका है।

दिनांक 14 और 15 अप्रैल 1982 की रात को, अहमदाबाद समाहर्तालय के सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने अहमदाबाद शहर में एक आवासीय परिसर से 72,600 रुपये की भारतीय मुद्रा तथा लगभग 40,000 रुपये मूल्य के अन्य विविध माल के अतिरिक्त लगभग 1.40 करोड़ रुपये मूल्य का विदेशी मार्के का 7000 तोला सोना बरामद किया।

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत ऐसे 39 व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं, जिनके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वे इस मामले में ग्रस्त थे। उनसे यह बताने के लिए कहा गया है कि अभिगृहीत माल को क्यों नहीं जब्त किया जाये तथा उन पर व्यक्तिगत अर्थ-दण्ड क्यों नहीं लगाया जाये।

"मल्टी-करोड़ रैकेट इन पाम आयल इम्पोर्ट" शीर्षक समाचार

4260. **श्री मनमोहन टुडु :**
श्री आर० आर० मोले :
श्री हरीश कुमार गंगवार :
श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पाम आयल' के आयात में करोड़ों रुपये के घोटाले का मामला सरकार के ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो इस घोटाले में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही शुरू की गई है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ फर्मों ने सोप स्टाक/पाम आयल का आयात किया है जिसमें ऐसा आरोप है कि कुछ अनियमितताएं की गई हैं। मामले की जांच की जा रही है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राप्त की गई जमा राशियां और दिए गए ऋण

4261. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राष्ट्रीय/बैंकों द्वारा बिहार में जिलावार तथा देश भर में राज्यवार कितनी जमाराशियां प्राप्त की गईं और कितनी धनराशि के ऋण दिए गए; और

(ख) उद्योग अथवा व्यापार के क्षेत्र में उत्पादक कार्यों के लिए देश में राज्यवार तथा बिहार में जिलावार दिए गए ऋण सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1980 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से सम्बन्धित उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण 1 और 2 में दी गई है।

विवरण-1

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के राज्यवार जमा और अग्रिम (दिसम्बर, 1980 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार)

(राशि लाख रुपए)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जमा	अग्रिम	अग्रिम	उद्योग	जिसमें से व्यापार
1	2	3	4	5	6
1. हरियाणा	65764	61578	46288	33193	5378
2. हिमाचल प्रदेश	21665	6768	6899	2351	1107
3. जम्मू एण्ड कश्मीर	37589	10185	11554	3201	2077
4. पंजाब	196356	132971	83086	34947	54987
5. राजस्थान	84537	60591	57001	25736	8948
6. चण्डीगढ़	27733	14210	58007	3951	4571
7. दिल्ली	368834	262976	298784	72825	153333

1	2	3	4	5	6
8. असम	35029	22500	18687	10466	3893
9. मेघालय	5427	779	818	178	173
10. मणिपुर	1478	546	546	120	91
11. नागालैंड	2004	552	513	181	135
12. त्रिपुरा	3726	1811	1833	286	280
13. अरुणाचल प्रदेश	964	+	100	@	—
14. मिजोरम	893	+	87	@	—
15. सिक्किम	492	+	21	@	—
16. बिहार	155869	68086	64286	34485	5525
17. उड़ीसा	42654	26910	24956	9052	3288
18. पश्चिमी बंगाल	405528	197099	248876	129055	24775
19. अण्डमान और निकोबार दीप समूह	864	+	225	@	—
20. मध्य प्रदेश	117478	65615	64827	26373	8523
21. उत्तर प्रदेश	360752	158806	155868	69149	20823
22. गुजरात	257681	150581	148160	97578	12448
23. महाराष्ट्र	692359	512930	547 63	316122	81769
24. गोवा दमन और द्वीव	32100	13205	12862	8214	1036
25. दादरा एण्ड नगर हवेली	142	187	152	169	3
26. आंध्र प्रदेश	186335	136467	138460	53120	10839
27. कर्नाटक	193351	147624	145967	70453	15343
28. केरल	146233	98149	99641	38590	16114
29. तमिलनाडु	249945	211911	236657	113591	26527
30. पांडिचेरी	5800	3621	3327	1826	219
31. लक्ष द्वीप	122	+	9	@	—
समस्त भारत	3699704	2476040	2476040	1155509	465333

+ उपभोग के अनुसार अग्रिम जिनके वास्ते क्षेत्रवार ब्योरा उपलब्ध है।

@ अन्य 298 राज्य शामिल हैं

+ अन्य 699 राज्य शामिल हैं

— अन्य 76 राज्य शामिल हैं

++ स्वीकृति के अनुसार अग्रिम

विवरण-2

बिहार में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जिलेवार जमा अग्रिम—दिसम्बर, 1980

जिले	जमा	अग्रिम	कालम (3) से	
			उद्योग	व्यापार
1	2	3	4	5
1. औरंगाबाद	1248	284	23	36
2. बेगूसराय	2230	527	126	60
3. भागलपुर	3941	1481	419	176
4. भोजपुर	5631	1029	111	146
5. दरभंगा	2667	958	187	131
6. धनबाद	26568	9350	8081	338
7. पूर्वी चम्पारन	2102	1133	284	64
8. गया	5377	1070	177	111
9. गिरिडीह	3082	675	348	86
10. गोपालगंज	1139	463	195	10
11. हजारीबाग	5138	2315	1536	204
12. कटिहार	1009	863	236	147
13. मधुबनी	1479	549	46	77
14. मुंगेर	4612	1278	120	144
15. मुजफ्फरपुर	5621	2152	560	347
16. नालंदा	1810	757	48	37
17. नवादा	848	301	10	21
18. पालमू	1861	647	303	47
19. पटना	27915	10530	2348	1401
20. पूर्णिया	2513	1954	279	173
21. रांची	13491	8872	7233	450

1	2	3	4	5
22. रोहतास	4961	2002	871	98
23. सहरसा	1227	1020	82	122
24. समस्तीपुर	1979	1058	189	118
25. संथाल परगना	3659	1546	260	169
26. सारन	2967	1044	237	115
27. सिंहभूम	13885	11501	9803	385
28. सीतामढ़ी	1272	670	40	152
29. सिवान	2111	580	81	23
30. वैशाली	1544	692	35	71
31. पश्चिमी चंपारन	1982	885	214	67
बिहार	155869	68086	34485	5525

टिप्पणी : पूर्णांकन के कारण यह सम्भव है कि आंकड़े जोड़ से मेल न खाएं।

विशिष्ट आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

4262. श्री भोगेन्द्र झा : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

देश में विशिष्ट आवश्यक वस्तुओं की राज्य वार तथा बिहार में जिलेवार अद्यतन कीमतें क्या हैं तथा कीमतों को घटाने और सामान्य स्तर पर लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : उपलब्ध सूचना के आधार पर, बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों के चुने केन्द्रों में चुनी वस्तुओं के 15 अक्तूबर 1982 के नवीनतम खुदरा मूल्य संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

बिहार के बारे में आवश्यक वस्तुओं के जिलेवार खुदरा मूल्य तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें एकत्र किया जायेगा और सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव तथा उनकी उपलब्धता पर निरन्तर नजर रखे हुए है। सरकारी नीति में मुख्य बल आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर जो काम मात्रा में उपलब्ध हैं, का उत्पादन बढ़ाने पर है। दालों तथा तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार द्वारा जो अन्य उपाय किए जा रहे हैं, उनमें देशी उत्पादन की आयात द्वारा अनुपूर्ति करना, आधार ढ़ांचे सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार करना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करना शामिल हैं। राज्य सरकारें उपभोक्ताओं के हित में आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा ऐसे ही अन्य कानूनों के विभिन्न उपबन्धों को लागू कर रही है।

/5/

कमी तथा त्योहार मौसम के दौरान चीनी और आयातित खाद्य तेलों की अतिरिक्त मात्रा निर्मुक्त की जा रही है।

विवरण

15 अक्तूबर, 1981 को चुनी आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य

वस्तु	मात्रक	हैदराबाद (आंध्रप्रदेश)	बेतिया (बिहार)	धनबाद	गोपाल गंज	सासाराम	अहमदाबाद (गुजरात)	अम्बाला (हरियाणा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चावल (मोटा)	कि. ग्रा.	2.80	3.62	3.65	3.15	3.25	3.70	2.60
गेहूं (लाल)	कि. ग्रा.	1.69	2.40	2.85	2.35	2.40	2.25	1.90
ज्वार	कि. ग्रा.	2.55	सू. न.	सू. न.	सू. न.	सू. न.	1.80	सू.न.
बाजरा	कि. ग्रा.	1.75	सू. न.	2.20	सू. न.	सू. न.	1.60	2.25
चना	कि. ग्रा.	5.00	3.75	3.60	3.50	3.40	3.25	3.60
आटा	कि. ग्रा.	2.60	2.50	2.90	2.50	2.60	2.40	2.20
अरहर दाल	कि. ग्रा.	7.30	5.75	6.00	6.00	6.00	6.30	5.75
मूंग दाल	कि. ग्रा.	3.95	5.75	5.25	6.00	उ. न.	5.00	5.70
मसूर दाल	कि. ग्रा.	4.50	4.25	4.20	3.75	4.00	4.00	4.30
उड़द दाल	कि. ग्रा.	5.50	5.25	5.65	उ. न.	उ. न.	5.50	5.50
मूंगफली का तेल	कि. ग्रा.	14.00	15.50	17.50	सू. न.	सू. न.	14.50	14.50
जिजली का तेल	कि. ग्रा.	14.50	सू. न.	सू.न.	सू. न.	20.00	16.00	16.00
सरसों का तेल	कि. ग्रा.	सू. न.	15.50	16.00	14.00	15.00	14.00	12.50
नारियल का तेल	कि. ग्रा.	20.00	23.50	24.00	22.00	22.00	22.00	22.00
वनस्पति	कि. ग्रा.	15.40	17.00	16.00	16.50	17.00	15.00	15.00
चीनी	कि. ग्रा.	4.25	5.25	5.10	5.50	5.25	4.40	4.60
गुड़	कि. ग्रा.	3.00	2.50	3.50	2.50	3.30	3.75	3.80
नमक	कि. ग्रा.	0.52	0.65	0.60	0.50	0.60	0.30	0.40
आलू	कि. ग्रा.	1.80	1.40	1.50	1.25	1.50	2.00	1.20
प्याज	कि. ग्रा.	1.00	2.00	2.40	2.50	2.00	1.30	2.00
टाटा 501	प्रति 1/2 बार	2.50	सू. न.	2.50	2,25	उ. न.	2.40	सू. न.
दियासलाई की डिबिया	प्रति डिबिया	0.20	0.22	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
साफ्ट कोक	40 कि. ग्रा.	सू.न.	22.50	27.87	24.00	20.00	23.40	सू.न.
मिट्टी का तेल	लीटर	1.85	1.95	सू. न.	सू. न.	1.94	1.75	1.88
लांग क्लाथ	प्रति मी.	9.50	7.75	सू. न.	6.50	6.00	9.70	8.80
धोती	प्रति धोती	सू.न.	82.00	135.00 प्रजो	17.00	14.50	63.20	63.10
साड़ी	प्रति साड़ी	55.20	सू.न.	45.00	16.50	17.00	75.00	58.50
गोश्त	कि. ग्रा.	20.00	सू.न.	20.00	18.00	18.00	18.00	सू. न.
मछली	कि. ग्रा.	20.00	21.00	16.00	22.00	18.00	सू. न.	सू. न.
लाल मिर्च	कि. ग्रा.	11.50	13.00	12.50	सू. न.	12.00	12.00	सू. न.
दूध (भैंस)	लीटर	3.20	4.00	4.50	3.00	3.00	सू. न.	सू. न.
चाय	कि. ग्रा.	20 00	25.00	16.00	24.00	25.00	20.00	सू. न.

वस्तु	मात्रक	मैसूर (कर्नाटक)	कोट्टायम (केरल)	इंदौर (म०प्र०)	बम्बई (महाराष्ट्र)	कटक (उड़ीसा)	अमृतसर (पंजाब)	बीवर (राजस्थान)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चावल (मोटा)	कि.ग्रा.	3.00	2.31	2.80	3.20	3.15	2.50	3.40
गेहूं (लाल)	कि.ग्रा.	2.50	2.70	1.95	3.00	2.50	सू. न.	1.70
ज्वार	कि.ग्रा.	1.70	सू. न.	1.30	2.80	सू. न.	सू. न.	1.70
बाजरा	कि.ग्रा.	1.50	सू. न.	1.60	2.40	सू. न.	2.40	1.75
चना	कि.ग्रा.	4.25	4.80	2.50	4.40	3.80	4.00	2.80
आटा	कि.ग्रा.	2.90	सू. न.	2.30	सू. न.	2.80	2.00	2.20
अरहरदाल	कि.ग्रा.	7.00	6.00	6.00	6.00	6.50	7.00	6.00(एस एम)
मूंग दाल	कि.ग्रा.	6 00	5.25	4.10	5.40	4.80	6.00	4.70(एस एम)
मसूर दाल	कि.ग्रा.	सू. न.	सू. न.	3.25	5.00	4.40	4.00	4.20(एस एम)
उड़द दाल	कि.ग्रा.	7.20	7.20	4.60	6.00	5.60	6.00	6.00(एस एम)
मूंगफली का तेल	कि.ग्रा.	13.20	सू. न.	13.80	14.80	14.50	15.00	16.00(एस एम)
जिंजली का तेल	कि.ग्रा.	सू. न.	16.50	15.00	17.00	17.00	सू. न.	14.50(एस एम)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सरसों का तेल	कि.ग्रा.	15.50	सू. न.	14.00	17.00	15.00	13.00	14.00(एस एम)
नारियल का तेल	कि.ग्रा.	19.00	16.50	18.00	20.00	20.00	22.00	22.00(एस एम)
वनस्पति	कि.ग्रा.	18.00	36.35*	15.50	16.00	16.00	13.50	16.00(एस एम)
चीनी	कि.ग्रा.	4.40	4.40	4.25	4.50	4.80	5.00	4.75(एस एम)
गुड़	कि.ग्रा.	सू. न.	सू. न.	2.00	4.50	3.25	3.75	3.00(एस एम)
नमक	कि.ग्रा.	0.60	0.35	0.25	0.60	0.50	0 60	0.30(एस एम)
आलू	कि ग्रा.	2.00	2.50	1.40	2.00	1.80	2.00	1.50(एस एम)
प्याज	कि.ग्रा.	1.50	3.25	1.00	1.60	2.00	2.00	1.50(एस एम)
टाटा 501	प्रति 1/2 बार	सू. न.	2.35	2.20	2.30	2.35	2 00	सू.न. (एस एम)
दियासलाई की डिबिया	प्रति डिबिया	0.15	0.15	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20(एस एम)
साफ्ट कोक	40 कि.ग्रा.	सू. न.	सू. न.	38.40	सू. न.	40.32	सू. न.	40.00
मिट्टी का तेल	लीटर	1:83	1.83	1.75	1.66	1.98	2.00	1.88
लांग क्लाथ	प्रति मीटर	8.00	7.75	सू.न.	सू. न.	5.00	सू. न.	5.75
धोती	प्रति धोती	20.00	51.00	सू.न.	80.00	15.70	55.70	35.00
साड़ी	प्रति साड़ी	40.00	56.25	सू.न.	41.00	22.75	सू. न.	39.00
गोश्त	कि.ग्रा.	22.00	20.00	16.00	20.00	सू. न.	20.00	14.80
मछली	कि.ग्रा.	5.00	16.00@	14.00	16.00	16.00@	14.00	13.00@
लाल मिर्चे	कि.ग्रा.	13.00	14.00	14.00	16.00	12.00@	10.00	13.00@
दूध (भैंस)	लीटर	2.80	5.00@	3.00	5.00	3.00@	3.00	3.00@
चाय	कि.ग्रा.	25.00	18.00@	16.00	20.00	22.00@	22.00	20.00

वस्तु	मात्रक	मद्रास (तमिलनाडु)	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल)	दिल्ली	शिलांग (मेघालय)
1	2	3	4	5	6	7
चावल (मोटा)	कि. ग्रा.	2.70	3.45	3.60	3.20	3.30
गेहूं (लाल)	कि. ग्रा.	2.80	2.10	1.82	2.10	सू. न.
ज्वार	कि. ग्रा.	1.70	1.80	सू. न.	1.70	सू. न.
बाजरा	कि. ग्रा.	1.60	1.80	सू. न.	1.80	सू. न.
चना	कि. ग्रा.	4.50	3.80	सू. न.	3.50	4.80
आटा	कि. ग्रा.	2.90	2.30	2.70	3.00	2.80
अरहर दाल	कि. ग्रा.	6.80	5.80	6.00	5.80	5.80
मूंग दाल	कि. ग्रा.	5.00	6.00	5.00	5.00	5.80
मसूर दाल	कि. ग्रा.	5.20	4.60	4.20	4.60	4.20
उड़द दाल	कि. ग्रा.	5.80	6.10	4.50	5.50	5.00
मूंगफली का तेल	कि. ग्रा.	14.00	14.00	12.00	16.50	17.00
जिंजली का तेल	कि. ग्रा.	13.50	17.00	सू.न.	16.50	सू. न.
सरसों का तेल	कि. ग्रा.	18.00	14.50	14.00	14.00	13.50
नारियल का तेल	कि. ग्रा.	20.00	22.00	24.00	20.00	28.00
वनस्पति	कि. ग्रा.	17.00	16.00	16.00	14.20	17.50
चीनी	कि. ग्रा.	4.20	4.75	4.80	5.00	5.50
गुड़	कि. ग्रा.	2.50	3.10	3.40	4.00	3.50
नमक	कि. ग्रा.	सू. न.	0.60	0.70	0.50	1.25
आलू	कि. ग्रा.	2.30	1.20	2.00	2.00	1.80
प्याज	कि. ग्रा.	1.60	2.00	2.40	2.50	2.50
टाटा 501	प्रति 1/2 बार	2.25	2.10	सू. न.	सू. न.	सू. न.
दियासलाई की डिबिया	प्रति डिबिया	0.17	0.20	0.20	0.20	0.25
सापट कोक	40 कि. ग्रा.	सू.न.	25.00	19.75	20.35	21.50

1	2	3	4	5	6	7
मिट्टी का तेल	लीटर	1.78	1.90	1.83	1.81	1.74
लांग क्लाथ	प्रति मी.	8.54	7.25	8.50	14.00	6.00
धोती	प्रति धोती	सू.न.	17.00	सू.न.	58.00	40.00
साड़ी	प्रति साड़ी	52.00	19.00	40.00	57.55	48.00
गोश्त	कि. ग्रा.	20.00	18.00	सू.न.	19.00	20.00
मछली	कि. ग्रा.	18.00	11.50	25.00	सू. न.	सू. न.
लाल मिर्च	कि. ग्रा.	11.00	16.00	14.00	14.00	14.00
दूध (भैंस)	लीटर	4.00	4.00	5.50	3.80	सू. न.
चाय	कि. ग्रा.	12.50	18.00	20.00	सू. न.	22.00

एस. एम.=सवाई माधोपुर (राजस्थान) सू. न.=सूचित नहीं किये गये।

@=8-10-82 का मूल्य *=2 कि. ग्रा. का टीन

प्र. जो.=प्रति जोड़ा।

आभूषण उद्योग की अड़चनें

4263. डा० कृपासिंधु भोई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीरे तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार द्वारा कतिपय अड़चनों को दूर न किया गया तो भारत एशियाई बाजार में अपनी प्रमुख भूमिका को खो सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग की मांगें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और अन्य निर्यातक देशों, विशेषकर थाइलैंड से इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने, जिसने हाल ही में सिंगापुर, थाईलैंड तथा इन्डोनेशिया का दौरा किया, हमारे निर्यातों को बढ़ाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में कतिपय टिप्पणियां की हैं। परिषद ने हाल ही में कतिपय मशीनरी मदों पर शुल्क की छूट के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिस पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाए।

सरकार को अभी तक परिषद के प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

पटसन उद्योगों के लिए कृतक बल

4264. डा० कृपासिंधु भोई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योगों की विभिन्न समस्याओं की जांच करने के लिए सरकार का विचार एक कृतक बल गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) कृतक बल कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : सरकार ने सितम्बर, 1980 में पटसन वस्त्रों के सम्बन्ध में एक कृतिक दल गठित किया था तथा इसकी रिपोर्ट सरकार को फरवरी, 1981 में प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में पटसन की खेती तथा पटसन उद्योग के विभिन्न पहलू शामिल हैं तथा पटसन क्षेत्र के लिए उचित संस्थागत स्वरूप, पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण, उपयुक्त विपणन नीतियों के लिए, निर्यात तथा घरेलू बाजार क्षेत्र दोनों में गवेषणा तथा विकास कार्य, तथा पटसन उद्योग की आर्थिक सक्षमता सुधारने के लिए दीर्घावधि उपाय के लिए सुझाव शामिल हैं।

सरकार ने अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है जिन पर कृतिक दल द्वारा अभिज्ञात विभिन्न विभागों तथा अभिकरणों के माध्यम से कार्यान्वयन हो रहा है। अतः सरकार का अब पटसन उद्योग पर दूसरा कृतिक दल गठित करने का विचार नहीं है।

देश में निर्मित एक्राइलिक रेशे तथा आयातित रेशे पर उत्पादन-शुल्क

4265. श्री कुसुम कृष्णमूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्मित एक्राइलिक रेशे पर उत्पादन शुल्क की दर और आयातित एक्राइलिक रेशे पर "काऊंटर-वेलिंग ड्यूटी" की दर क्या है;

(ख) यदि उपर्युक्त दोनों शुल्कों में अन्तर है, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सीमा-शुल्क से निकासी के समय सरकार यह मालूम करने के लिए किसी प्रक्रिया का पालन कर रही है कि जो सामग्री आयात की जा रही है, वह एक्राइलिक रेशा है या एक्राइलिक छीजन है;

(घ) क्या सरकार को पता है कि कुछ एजेंसियों द्वारा एक्राइलिक छीजन के नाम पर भारी मात्रा में एक्राइलिक रेशा आयात किया गया है और इस तरह सरकारी खजाने को सीमा-शुल्क राजस्व की भारी हानि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गई है;

(च) उपर्युक्त मामले में सरकार को सीमा-शुल्क राजस्व की कितनी हानि हुई है तथा क्या इस चूक के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है; और

(छ) सीमा-शुल्क विनियमों में इन त्रुटियों को दूर करके सीमा-शुल्क राजस्व की हानि से बचने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) देश में उत्पादित एक्रिलिक तन्तु पर (भारत में उत्पादित एक्रिलोनाइट्रिल से निर्मित तन्तु को, जिस पर 17.50 रु० प्रति किलोग्राम की दर से शुल्क लगता है, छोड़कर) 30 रु० प्रति किलोग्राम की प्रभावी दर से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगता है। आयातित एक्रिलिक तन्तु पर उद्ग्रहणीय प्रति सन्तुलनकारी शुल्क की दर भी यही है। एक्रिलिक अपशिष्ट पर लगने वाले उत्पादन शुल्क की प्रभावी दर 11.25 रु० प्रति किलो ग्राम है और आयातित एक्रिलिक अपशिष्ट पर उद्ग्रहणीय प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क की भी दर यही है।

आयातित माल पर उद्ग्रहणीय प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क की दरें अनिवार्यत: वही होती हैं जो भारत में उत्पादित ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की दरें होती हैं।

(ग) से (च) आयातित सामग्री की वस्तुगत जांच करने के साथ-साथ उसका परीक्षण किया जाता है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ घोषित विवरण की यथा-तथ्यता निर्धारित की जा सके।

कुछेक मामलों में "संश्लिष्ट अपशिष्ट" के रूप में घोषित माल 'अपशिष्ट" होने की शर्तें पूरी करते नहीं पाए गए, इसलिए गलत घोषणा किये जाने के कारण, उन पर सीमा शुल्क कानून के अन्तर्गत अन्य कार्यवाही करने के साथ-साथ उनका शुल्क-निर्धारण एक्रिलिक तन्तु के रूप में उच्चतर दर से किया गया था। इस पर आयातकर्ताओं ने रिट-याचिकाएं दायर कीं और उच्च न्यायालय ने उन पर अन्तरिम व्यादेश दिये, जिनके अन्तर्गत प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क की रकम की बैंक प्रत्याभूति पर माल को छोड़ने का निदेश दिया गया था। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार माल छोड़ दिया गया।

इन मामलों में शुल्क की जिस रकम के अपवंचन का प्रयास किया गया था, उसका निर्धारण, चल रही अर्ध-न्यायिक तथा न्यायिक कार्यवाहियों में हो जाएगा; और इन कार्यवाहियों के जो निष्कर्ष निकलेंगे, उनके आधार पर कानून के अनुसार उचित कार्यवाही की जायेगी।

(छ) नयी-नयी परिस्थितियों और अपवंचन के नये-नये तरीकों से उत्पन्न चुनौती का मुकाबला करने के लिए सीमा शुल्क अधिकारी, बदलती परिस्थितियों के प्रति सजग रहते हुए,

आवश्यक सतकर्ता बरतते हैं और समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले निवारक तथा अन्य उपाय निरन्तर करते रहते हैं।

बैटल टैंक परियोजना को बन्द करना

4266. **श्री पीयूष तिरकी :**

श्री के० टी० कोसलराम : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बटैल टैंक परियोजना हमेशा के लिए बन्द कर दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इतने वर्षों तक श्रम की अनुमानित: कितनी हानि हुई और उसमें लगाई कितनी पूंजी की कितनी हानि हुई; और

(ग) क्या बैटल टैंक के स्थान पर चेतक का निर्माण किया जा रहा और यदि हां, तो इन दोनों टैंकों में क्या अन्तर है ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) मुख्य युद्धक टैंक परियोजना पर "परियोजना चेतक" के नाम से कार्य हो रहा है।

अमेरिका द्वारा भारतीय परियोजनाओं के लिए विकास सहायता

4267. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिका तीन भारतीय परियोजनाओं के लिए विकास सहायता देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सितम्बर महीने में इस सम्बन्ध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो अमेरिका सरकार द्वारा किन परियोजनाओं को सहायता दी जाएगी और प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी सहायता दी जाएगी ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) 31 अगस्त, 1982 को अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के साथ कुल 810.50 लाख अमेरिकी डालर की विकास सहायता के लिए हस्ताक्षर किए गए। जिन परियोजनाओं के लिए यह सहायता उपलब्ध की गई है वे हैं :—

परियोजना	सहायता की रकम (लाख अमरिकी डालर)
1. महाराष्ट्र सिंचाई प्रौद्योगिकी और प्रबन्ध परियोजना	470.00
2. महाराष्ट्र सामाजिक वन पालन परियोजना	300.00
3. समन्वित ग्रामीण स्वास्थ्य और जनसंख्या परियोजना	40.50
	810.50

भारत के साथ व्यापार सम्बन्धों की इच्छुक अमेरिकी फर्में

4268. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 अमेरिकी फर्मों ने भारत के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उनमें से कुछ फर्में कालीन तथा कम्बल आदि जैसा सामान आयात करना चाहती हैं;

(ग) यदि हां, तो वे कौन-कौन सी फर्में हैं, जिन्होंने व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने में रुचि दिखाई है और क्या सरकार ने उनके प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो अनुमोदन कब तक किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) भारतीय निर्यातों के लिए संयुक्त राज्य अमरीका एक महत्वपूर्ण बाजार है। अत: भारत के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छुक अमरीकी फर्मों से भारी संख्या में पूछताछें विभिन्न भारतीय फर्मों को समय-समय पर प्राप्त होती हैं। इसके अलावा अमरीकी फर्मों से विदेशी सहयोग के प्रस्ताव भी प्राप्त होते है। जनवरी-जून, 1982 के दौरान ऐसे 63 प्रस्ताव थे जिसमें से 52 मामलों में सरकार का अनुमोदन जारी किया गया।

काले धन पर अध्ययन

4269. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक सरकारी उपक्रम द्वारा न्यून मूल्यांकित वास्तविक सम्पदा की अनिवार्य खरीद को 'काले धन' पर एक नए अध्ययन में सुझाया गया है;

(ख) क्या भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा कोई अध्ययन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो किए गए अध्ययन के मुख्य मुद्दे क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने अध्ययन रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) काले धन की बुराइयों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने सूचित किया है कि संस्थान ने 'काले धन' पर कोई अध्ययन नहीं किया है। तथापि, संस्थान के एक संकाय-सदस्य, श्री कमल नारायण काबरा ने, "दी ब्लैक इकोनोमी इन इण्डिया-प्रोब्लम्स एण्ड पालिसीज" शीर्षक से वर्ष 1981 में एक कार्यपालन-पत्र तैयार किया था और चाणक्य पब्लिकेशन, दिल्ली के माध्यम से उसे निजी रूप में प्रकाशित करवाया था। लेखक द्वारा काले धन पर नियंत्रण रखने के लिए दिये गये मुख्य सुझावों में, अन्य बातों के साथ-साथ, विमुद्रीकरण, न्यून मूल्यांकित सम्पत्तियों की अनिवार्य खरीद के कार्य के लिए एक रियल एस्टेट कार्पोरेशन की स्थापना, गैर-नियमित कारबार अथवा व्यवसाय आदि को भी अनिवार्य लेखा-परीक्षा के अन्तर्गत लाना शामिल हैं।

(घ) और (ङ) इस प्रकार के विभिन्न सुझावों को ध्यान में रखा जाता है और सतत समीक्षा के पश्चात् काले धन के संचलन को नियंत्रित करने तथा उसकी और आगे वृद्धि को रोकने के लिए समय-समय पर प्रशासनिक, वैधानिक और संस्थागत उपायों सहित सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं।

वाहन डिपुओं द्वारा सेना-वाहनों की बिक्री

4270. **श्री अन्नत रामुलु मल्लु** : क्या **रक्षा मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न वाहन डिपुओं द्वारा किस किस्म के कितने सेना-वाहनों की बिक्री की गई और बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा प्रत्येक वाहन कितने में बेचा गया ?

रक्षा मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और बाद में सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक आक्सीज़न संयंत्र की स्थापना के लिए मैसर्स गोयल (प्रा०) लि० गाजियाबाद को लाइसेंस

4271. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स गोयल गैसेज प्रा० लि०, गाजियाबाद को 1973 में औद्योगिक आक्सीज़न संयंत्र की स्थापना के लिए लाइसेंस दिया गया था तथा यदि हां, तो क्या नए संयंत्र के लिए एक आयात लाइसेंस भी मंजूर किया गया था;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि एक नए संयंत्र का निर्यात करने की बजाए, एक स्क्रैप संयंत्र (चालीस वर्ष पुराना) ओवर-इन्वोइसिंग के अन्तर्गत एक अन्य देश से खरीदा गया था;

(ग) जब से यह संयंत्र स्थापित किया गया इसकी क्षमता की तुलना में वर्षवार इसका उत्पादन क्या था;

(घ) जब इस संयंत्र से बहुत थोड़ा उत्पादन हुआ, तो सरकार ने उच्च दाब के सिलेंडर तथा डी० ए० सिलेंडर अपने नाम तथा इसकी सहयोगी कम्पनियों के नाम पर आयात की अनुमति कैसे दी; तथा उनका डी० ए० से उत्पादन कितना था; और

(ङ) क्या सरकार उपर्युक्त तथ्यों से अवगत है तथा यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है और यदि नहीं तो इस क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) मैसर्स गोयल गैसेज (प्रा०) लि०, गाजियाबाद को 0.6 मिलियन के विनिर्माण के लिए जिला गाजियाबाद में एक यूनिट स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस सं० एल/19 (14) (15)/एन यू/72 एल आई (1) दिनांक 25.8.1972 जारी किया गया था। इस यूनिट को सैकेंड हैंड आक्सीजन संयंत्र के लिये आयात लाइसेंस जारी किया गया था।

(ख) आयात लाइसेंस में पुराने संयंत्र की व्यवस्था थी जिसे तकनीकी परामर्शदाता के प्रमाण पत्र के अनुसार वर्ष 1964 में विदेशों में संस्थापित किया गया था। सीमा-शुल्क प्राधिकारियों से कथित ओवर-इनवाइसिंग के बारे में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) मैसर्स गोयल गैसेज (प्रा० लि० ने अप्रैल, 1980 से ही आक्सीजन गैस का उत्पादन आरम्भ किया। जैसा कि बताया गया है। आक्सीजन गैस के विनिर्माण के लिये संयंत्र की वार्षिक संस्थापित क्षमता, 600,000 क्यूबिक मीटर है। जनवरी, 1982 में आक्सीजन क्षमता एक नई वस्तु के रूप में 1.0 एम सी एम नाइट्रोजन तथा 0.3 एम सी एम डिजाल्वड एसीटीलीन सहित 1.0 एम सी एम तक विस्तार की अनुमति दी गई है। गत तीन वर्षों के दौरान आक्सीजन गैस का उत्पादन, जैसा कि बताया गया है, नीचे दिया गया है :—

वर्ष	हजार क्यूबिक मीटरों में
1980	201.8
1981	664.5
1982 (जनवरी से जून तक)	397.8

(घ) तथा (ङ) आयात नीति के उपबन्धों के अनुसार सम्बन्धित प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित अनिवार्यता के आधार पर आयात की अनुमति दी गई थी।

मथुरा, चित्रकूट, प्रयाग और अयोध्या का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास

4272. **श्री आनन्द सिंह** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक वर्ष मथुरा, चित्रकूट, प्रयाग और अयोध्या में, पृथकतः, कुल कितने यात्री जाते हैं;

(ख) क्या योग, भारतीय धर्म और संस्कृति में रुचि रखने वाले पश्चिमी देशों के यात्रियों को आकर्षित करने की इन स्थानों में क्षमता है ? और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी योजनाएं शुरू न किये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय में भारत के धार्मिक महत्व वाले विविध स्थानों की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के बारे में आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) जी, हां ।

(ग) विविध स्थानों की पर्यटकों को आकर्षित करने सम्बन्धी तुलनात्मक संभाव्यताओं और धनराशियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए पर्यटक आधारित संरचना को विकसित किया जाता है । केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय इस समय भारतीय यात्री आवास विकास समिति के माध्यम से वृन्दावन और चित्रकूट में यात्रिकाओं का निर्माण कर रहा है ।

मथुरा-चित्रकूट-प्रयाग-अयोध्या के बीच बरास्ता लखनऊ मुद्रिका वायुदूत सेवा

4273. **श्री आनन्द सिंह** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दू धार्मिक स्थानों, मथुरा-चित्रकूट-प्रयाग और अयोध्या को बरास्ता लखनऊ मुद्रिका वायुदूत सेवा द्वारा जोड़ने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि इन स्थानों पर प्रत्येक वर्ष कितने यात्री जाते हैं ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि और ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक

4274. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री को नेबार्ड (एन० ए० बी० आर० डी०) का अभी

उद्घाटन करना है और यदि हां, तो यह पहले से ही (12-18 सितम्बर, 1982 रविवार) कैसे शुरू हो गया; और

(ख) क्या सरकार का विचार नेबार्ड की वर्तमान प्रणाली को इलैक्ट्रानिक्स या सेटेलाइट की सहायता से वर्तमान प्रबन्ध तथा नियन्त्रण (रिमोट कन्ट्रोल) द्वारा शुरू करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना 12 जुलाई, 1982 को की गई थी और इसने उन, विभिन्न एजेंसियों द्वारा जिनका कि इस नये बैंक में विलय कर दिया गया है, किये जाने वाले कार्य में किसी रुकावट से बचने के लिये उसी तारीख से कार्य करना आरम्भ कर दिया। नाबार्ड का औपचारिक उद्घाटन प्रधान मंत्री द्वारा 5 नवम्बर, 1982 को किया जाना है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रधान मंत्री की सोवियत रूस यात्रा के समय उनके साथ गए गैर-सरकारी सदस्यों पर खर्च

4275. **श्री बापूसाहिब परूलेकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 20 सितम्बर, 1982 को प्रधान मन्त्री सोवियत संघ की एक सप्ताह की यात्रा पर मास्को के लिए गई थी;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ कौन-कौन व्यक्ति गए थे;

(ग) क्या गैर-सरकारी सदस्यों के खर्च का अग्रिम रूप से भुगतान किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ग) और (घ) दिल्ली से मास्को और वहां से वापसी की यात्राएं चार्टर्ड जहाज द्वारा की गई थीं। सोवियत रूस में परिवहन तथा अन्य सुविधाएं मेजबान देश द्वारा दी गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए गैर-सरकारी सदस्यों से सम्बन्धित व्यय की अदायगी का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1.	श्री पी. वी. नरसिंह राव	विदेश मंत्री
2.	श्री राजीव गांधी	संसद सदस्य
3.	श्री जी. पार्थसारथी	

4.	डा० पी. सी. एलेक्जेंडर	प्रधान मन्त्री के प्रधान सचिव
5.	श्री एम. रसगोत्रा	विदेश सचिव
6.	श्री एच. वाई शारदा प्रसाद	प्रधान मन्त्री के सूचना सलाहकार
7.	डा० ए. के. सेनगुप्ता	प्रधान मन्त्री के अपर सचिव
8.	श्री आर. के. धवन	प्रधान मन्त्री के विशेष सहायक
9.	कु० उषा भगत	विशेष कार्यभारी अधिकारी
10.	डा० ए. सहाय	निजी चिकित्सक
11.	श्री आर. के. सिकरी	प्रधान मन्त्री के वैयक्तिक सहायक
12.	श्री राय दास	निजी परिचर
13.	श्री एम. के धर	हिन्दुस्तान टाइम्स
14.	श्री पी. उन्नीकृष्णन	पी. टी. आई.
15.	श्री आर. रंगराजन	यू. एन. आई.
16.	श्री असित पाल	नेशनल हेराल्ड
17.	श्री एन. अशोकन	"मातृभूमि" के दिल्ली प्रतिनिधि
18.	श्री बलदेव	फेमिना
19.	श्रीमती मनुहरि पाठक	नवज्योति, जयपुर
20.	श्री गुरुदेव गुप्ता	जागरण, भोपाल

और 21 अन्य कर्मचारी जिन्हें सरकारी कार्य पर नियुक्त किया गया था।

भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्तियां

4276. **श्री सतीश प्रसाद सिंह :** क्या रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्तियां देने के बारे में 30 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3426 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवरण के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित मामले की इस बीच जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

रक्षा मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) जी, हां। जिला सैनिक बोर्ड, लैंसडोन, गढ़वाल (उ. प्र.) ने सूचित किया है कि शिक्षा उप निदेशक, गढ़वाल मंडल, पौड़ी ने श्री रणबीर सिंह रावत के लड़के, जो 7वीं कक्षा का छात्र है, को केवल वर्ष 1980-81 के लिए 5 रुपये प्रतिमास की छात्रवृत्ति मंजूर की थी। यह छात्रवृत्ति उसे नहीं दी जा सकी थी क्योंकि कागज-पत्र जांच करने के बाद सम्बन्धित अधिकारियों को उस समय प्रस्तुत किए गए, जब 1980-81 वर्ष के लिए निधियां समाप्त हो गई थी। फिर भी, अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने के विचार से श्री रणबीर सिंह रावत के लड़के को '98'-82 वर्ष के बजट से 6 रुपये प्रतिमास की छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है।

गैर-सैनिक, सीमा सुरक्षा बल और अन्य सेवाओं की तुलना में असमान सेवानिवृत्ति लाभ

4277. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गैर-सैनिक, सीमा सुरक्षा बल तथा अन्य सेवाओं से सम्बन्धित व्यक्तियों की तुलना में सेवानिवृत्ति लाभ समान न होने के कारण भूतपूर्व सैनिकों में व्यापक असन्तोष होने की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का विचार रैंक-वार पेंशन बनाने, भविष्य निधि का भुगतान करने तथा 12 वर्ष बाद पूरी पेंशन देने और गैर-सैनिक कर्मचारियों के बराबर देने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि हमारे सैनिकों द्वारा देश के सम्मानार्थ की गई सेवा को देखते हुए भूतपूर्व सैनिकों की पुनर्नियुक्ति पर उनकी पेंशन और भविष्य निधि की कटौती न की जाए, जैसा कि आजकल किया जा रहा है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सिविल सरकारी कर्मचारियों, सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों, आदि की तरह सैनिकों की पेंशन परिलब्धियों के पहले 1000 रुपये के 50%, अगले 500 रुपए का 45% और शेष परिलब्धियों के 40% पर निश्चित की जाती है। इस प्रकार से पेंशन की गणना 33 वर्ष की अर्हक सेवा के सम्बन्ध में की जाती है और उसके कम अवधि की सेवा के लिए गणना यथानुपात के आधार पर की जाती है। परन्तु सेना कार्मिकों को कम आयु में ही सेवानिवृत्ति और कड़ी सेवा शर्तों को देखते हुए उनके बारे में अपेक्षाकृत उदार रुख अपनाया जाता है जैसा कि निम्न-लिखित सारणी से स्पष्ट है :

	सिविल की स्थिति	सेना में स्थिति
1.	पेंशन, पिछले 10 महीनों के दौरान लिए गए वास्तविक वेतन तथा	पेंशन, रैंक के अधिकतम वेतन तथा महंगाई वेतन और अर्हक सेवा पर आधारित होती है। अफसर रैंक

महंगाई वेतन के औसत और वास्तविक सेवा अवधि पर आधारित होती है।

से नीचे के कार्मिकों के मामले में वर्गीकरण वेतन, उत्तम सेवा वेतन, और 'होम सेविंग' जैसी बातों को भी ध्यान में रखा जाता है। कार्मिकों के मामले में अर्हक सेवा में वास्तविक सेवा और अधिकार-भार (वेटेज) सम्मिलित होता है जबकि सैनिक अफसरों के मामले में सेवा की स्टैंडर्ड अवधि और अधिकार-भार सम्मिलित किया जाता है।

2. इस तरह से गणना की गई पेंशन को अगले रुपए तक पूरा कर दिया जाता है।

इस तरह से गणना की गई पेंशन को अन्य रैंक के मामले में अगले रुपये तक पूर्णांक तथा अफसरों के मामले में 25 रुपए के अगले गुणांक के आधार पर निर्धारित कर दिया जाता है। मेजर जनरल और उससे ऊपर के पद के अफसरों के मामले में पेंशन में 50 रुपए की और वृद्धि कर दी जाती है।

3. पेंशन कुल राशि के 1/3 तक संराशिकृत की जा सकती है।

सेना अफसर और कार्मिक अपनी पेंशन को क्रमशः 43% और 45% तक संराशिकृत कर सकते हैं।

(ख) सिविल सरकारी कर्मचारियों की तरह सेवा कार्मिकों के पेंशन सम्बन्धी लाभ और भविष्य निधि की अदायगी भी उनकी सेवानिवृत्ति के समय लागू नियमों के अनुसार विनियमित की जाती है। इसके अतिरिक्त, सिविल में किए गए किसी सुधार को उपयुक्त परिवर्तनों के साथ नीति के मामले के रूप में आमतौर से सेनाओं में भी लागू कर दिया जाता है। रैंक के लिए रैंक पर पेंशन को बराबर करने अथवा 12 वर्ष की सेवा पूरी करने पर पेंशन को संराशिकृत किए जाने को फिर से चालू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) इस समय सेना पेंशनरों का वेतन, उनकी पुनर्नियुक्ति पर, इस तरह से निश्चित किया जाता है कि वेतन पेंशन की कुल राशि मिला कर और/अथवा अन्य रूप में सेवानिवृत्ति सम्बन्धी लाभों के बराबर पेंशन (1) उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व लिए गए वेतन, अथवा (2) 3,000 रुपए, जो भी कम हो, से अधिक न हो। इस प्रयोजन के लिए 125 रुपए तक की पेंशन और उपदान के बराबर पेंशन को छोड़ दिया जाता है। भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन पर उनके वेतन से भविष्य निधि के लिए कटौती नहीं की जाती है। यह सिविल पेंशनरों की पुनर्नियोजित पर ग्राह्य इसी तरह के लाभों के आधार पर है।

दिल्ली में पंच तारा होटलों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस

4278. **श्री एस० ए० दोराई सेविस्तयन :** क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सभी पंच तारा होटलों के कर्मचारियों ने हड़ताल का नोटिस दिया है और वे एशियाड से ठीक पहले हड़ताल करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो राजधानी में ऐसा संकट रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैं० इंडियन मेटल्स एण्ड फेरो एलायज लिमिटेड का एकीकरण

4279. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैं० इण्डियन मेटल्स एण्ड फेरो एलाएज लिमिटेड ने मैं० कलिंगा टूल्स में मिलने के लिए आयकर विभाग से अनुमति मांगी थी, जैसा कि कानून में अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह मालूम है कि आयकर विभाग ने एकीकरण के लिए 11 दिसम्बर, 1981 तक अनुमति नहीं दी थी जबकि उड़ीसा उच्च न्यायालय ने इस पर स्वीकृति दे दी थी; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह जांच करने का है कि आयकर विभाग से अनुमति मिलने से पहले उच्च न्यायालय की स्वीकृति कैसे प्राप्त की गई थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अन्तर्गत, किसी अन्य कम्पनी के साथ समामेलन करने का प्रस्ताव रखने वाली कम्पनी को, ऐसे समामेलन के लिए, आयकर विभाग से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती।

(ख) और (ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए भाग (ख) और (ग) के उत्तरों का प्रश्न नहीं उठता।

आयात नीति में परिवर्तन

4280. **श्री जो० वाई० कृष्णन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने किन्हीं निर्यात वस्तुओं के लिए आदान/उत्पादन सिद्धान्तों से सम्बद्ध चालू वर्ष की आयात नीति का संशोधन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इनके ब्यौरे वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचनाओं सं. 19-आई. टी. सी. (पी. एन.)/82 दिनांक 15-4-1982, 30-आई. टी. सी. (पी. एन.)/82 दिनांक 9-6-1982 35-आई. टी. सी. (पी. एन.)/82 दिनांक 22-7-1982 तथा 47 आई० टी० सी० (पी. एन.)/82 दिनांक 24-9-1982 में दिये गये हैं जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

घटी दरों पर स्टेनलैस स्टील की चादरों का आयात

4281. **श्री एस० टी० कादरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक फर्मों ने स्टेनलैस स्टील की चादरों का फोल्डेड ऐंगल्स जैसे विभिन्न रूपों में आयात किया है तथा निजी बन्ध-पत्रों के आधार पर माल की निकासी आयात शुल्क की कम दरों पर प्राप्त की है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी फर्मों का ब्यौरा क्या है और कितना माल आयात किया गया तथा आयात शुल्क की कुल कितनी राशि से बचा गया; और

(ग) इन फर्मों से आयात शुल्क की इस भारी राशि को वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही शुरू की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां। न्यायालय के आदेशों के अनुसार, इस प्रकार आयात की गई सभी खेपों को, विवादास्पद रकमों के व्यक्तिगत बन्ध-पत्र तथा इन रकमों की अलग-अलग प्रतिशतता की बैंक प्रत्याभूतियां लेकर तथा उन पर अपेक्षाकृत निम्न दर से आयात शुल्क लगाकर, अनन्तिम रूप से छोड़ दिया गया था।

(ख) चूंकि मांगे गये विवरण विभिन्न रिकार्डों से एकत्र करने होंगे, इसलिए अत्यधिक समय और श्रम लगाए बिना अपेक्षित सूचना को संकलित करना संभव नहीं होगा। जिस खेप के सम्बन्ध में सूचना अपेक्षित हो, उसका ब्यौरा दिये जाने पर, आवश्यक सूचना एकत्र करके पेश की जा सकती है।

(ग) न्यायालय में विचाराधीन मामलों का अन्तिम रूप से निर्णय होने के बाद ही वसूली की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण

4282. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** :

श्री भीम सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की, प्रशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को

उद्योगों की स्थापना करने के लिए ऋण देने की कोई योजना है ताकि वे अपनी रोजी-रोटी कमा सकेंगे;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि गत दो वर्षों में तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के ऋण के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने लोगों को ऋण प्रदान किया गया और अस्वीकृत आवेदन-पत्रों की प्रतिशतता क्या है तथा उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि विशेषतः लघु उद्योगों में से अपेक्षाकृत छोटे उद्योगों और तकनीकी योग्यता प्राप्त एवं केन्द्रीय/राज्य सरकारों की विशेष रोजगार योजनाओं के अधीन प्रायोजित उद्यमियों के बारे में मार्जिन अपेक्षाओं के सम्बन्ध में लचीला रवैया अपनाएं और यदि कोई प्रस्ताव, अन्यथा ठीक हो तो कोई भी अर्थक्षम योजनाएं केवल मार्जिन के अभाव में अस्वीकृत न की जाएं। इसके अलावा, पात्र मामलों में उद्यमियों को यह अनुमति दी जानी चाहिए कि वे जब और जैसे जरूरत हो साम्या (इक्विटी) विभिन्न चरणों में प्रस्तुत कर दें और इस बात पर जोर न दिया जाए कि परियोजना की प्रारम्भिक अवस्थाओं में भी सारी साम्या पूंजी प्रस्तुत की जाए। बैंकों से कहा गया है कि उन्हें ऋण प्रस्तावों पर विचार करते समय मुख्यतः परियोजनाओं की अर्थक्षमता से प्रभावित होना चाहिए और अस्थाई सम्पत्ति/तीसरे पक्ष की गारंटी के रूप में सांपार्श्विक जमानत पर दस्तूरी तौर से जोर नहीं दिया जाना चाहिए। सिर्फ सांपार्श्विक जमानत/गारंटी के अभाव में किसी समुचित प्रस्ताव को अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। जहां सांपार्श्विक जमानत प्राप्त की जाए, वहां यथासम्भव प्रभार, साम्याबंधक के रूप में निर्मित किया जाना चाहिए न कि पंजीकृत बंधक के रूप में ताकि ऋणकर्ताओं को स्टैम्प शुल्क/रजिस्ट्री के खर्चे की बचत हो सके। बैंकों को सावधि ऋणों के बारे में ऋण की वापसी अदायगी का कार्यक्रम वित्तपोषित एकक की मुनाफा कमाने की क्षमता, लाभ-हानि बराबर कर लेने की स्थिति आदि को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए न कि तदर्थ रूप में। इसके अलावा जब भी कोई एकक बिजली में कटौती मन्दी या अन्य किन्हीं वास्तविक कारणों से अदायगी करने में असमर्थ रहे तो निर्धारित वापसी अदायगी के कार्यक्रम की समीक्षा की जानी चाहिए और यथावश्यक सीमा तक उसका पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए।

बैंकों को ऋणों की वापसी अदायगी से छूट की अवधि (होली डे पीरियड) में संचित हुए

ब्याज को, उस एकक द्वारा मुनाफा कमाने लगने के बाद आसान किस्तों में वसूलना चाहिए और उसमें चक्रवृद्धि ब्याज का अंश नहीं होना चाहिए।

शाखा प्रबन्धकों में विवेक शक्तियां निहित कर दी जानी चाहिएं ताकि 60 से 80 प्रतिशत तक ऋण विषयक निर्णय स्वयं शाखा स्तर पर ही किये जा सकें। 25,000 रुपए तक की ऋण सीमाएं तथा इस राशि से अधिक किन्तु 2 लाख रुपए तक की सीमा वाले मामले सामान्यत: आवेदन प्राप्त होने के क्रमश: 4 सप्ताह और 8 से 9 सप्ताह के भीतर निपटा दिए जाने चाहिएं।

एकरूपता और सरलीकरण के एक उपाय के रूप में उनसे यह कहा गया है कि वे 2 लाख रुपए तक की ऋण सीमाओं के लिए सभी लघु उद्योगों के ऋणकर्ताओं के वास्ते एक समानकीकृत आवेदन और साक्षात्कार-एवं-मूल्यांकन फर्मों के सैट प्रारम्भ करें। (फार्मों का एक सैट 25,000 रुपए तक के ऋणों के लिये है और दूसरा 25,000 रुपए और 2 लाख रुपये के बीच के अग्रिमों के लिए)

छोटे पैमाने के उद्योगों के वास्ते ब्याज दर ढांचा काफी उदार है और 2 मार्च, 1981 से प्रभावी हुई दरें नीचे दी गई हैं :

25,000/- रुपए तक के संमिश्र ऋण

पिछड़े क्षेत्र	10.25% प्रतिवर्ष
अन्य क्षेत्र	12.50% प्रतिवर्ष

अल्पावधिक अग्रिम

2 लाख रुपए तक	15% प्रतिवर्ष से अनधिक
2 लाख रुपए से अधिक और 25 लाख रुपए तक	17.5% प्रतिवर्ष से अनधिक
25 लाख रुपए से अधिक	19.5% प्रतिवर्ष से अनधिक

सावधि ऋण

पिछड़े क्षेत्र (केवल नए एककों के वास्ते)	12.50% प्रतिवर्ष
अन्य क्षेत्र	13.50% प्रतिवर्ष

(ग) और (घ) दिसम्बर, 1979 और 1980 को समाप्त हुए वर्षों और मार्च, 1981 के अन्त की स्थिति के मुताबिक छोटे पैमाने के उद्योगों को बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों के आंकड़े

नीचे दिए गए हैं। अस्वीकृत ऋण आवेदन-पत्रों से सम्बन्धित सूचना, इस समय विद्यमान सूचना प्रणाली से प्राप्त नहीं होती।

निम्नलिखित के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के मुताबिक	एककों की संख्या हजारों में	बकाया राशि करोड़ रुपयों में
दिसम्बर, 1979	681	2633
दिसम्बर, 1980	794	3136
मार्च, 1981	830	3300

भारतीय पर्यटन विकास निगम के महाप्रबन्धक (होटल्स) का त्यागपत्र

4283. **श्री रशीद मसूद** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाप्रबन्धक होटल (आई० टी० डी० सी०) ने हाल ही में त्यागपत्र दे दिया है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या जांच पूरी हो गई है; और

(घ) उसके क्या विवरण हैं तथा इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) सी० बी० आई० द्वारा आई० टी० डी० सी० के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध इन्क्वारियां प्रारम्भ की गई हैं। ये मामले अभी प्रगति पर हैं। इन इन्क्वारियों के पूरा हो जाने के बाद समुचित कार्रवाई की जाएगी।

"एमरजेंसी लैंडिंग बाइ कोरियन प्लेन एट सोनगांव" शीर्षक समाचार

4284. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 अक्तूबर, 1982 को नागपुर (महाराष्ट्र) में सोनगांव हवाई अड्डे पर एक कोरियन आई. एल.-62 विमान को मजबूरन उतरना पड़ा, जैसा दिनांक 16 अक्तूबर, 1982 के नागपुर टाइम्स में "एमरजेंसी लैंडिंग बाइ कोरियन प्लेन एट सोनगांव" शीर्षक से खबर छपी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या वह विमान ईंधन की कमी के कारण अथवा किसी अन्य आशय से मजबूरन उतरा था;

(ग) उस विमान में कितने व्यक्ति थे, उनके नाम और दर्जा क्या था, विमान किस स्थान से उड़ा था और उसका गन्तव्य स्थान क्या था;

(घ) क्या विमान में पिछले हवाई-अड्डे पर ईंधन नहीं भरा गया था क्योंकि उसे एक लम्बी उड़ान करनी थी;

(ङ) कितना ईंधन भरा गया, भुगतान कैसे किया गया और क्या इस प्रयोजन के लिये आवश्यक अनुमति मांगी गई थी, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (च) कोरिया जनवादी गणतन्त्र के एक विमान आई० एल०-62 को बम्बई में एक तकनीकी अवतरण करना था, उसको नागपुर की ओर मोड़ दिया गया था क्योंकि बम्बई विमानक्षेत्र पर कार्य चल रहा था। तदनुसार यह विमान दिनांक 15-10-82 को 1502 बजे नागपुर (सोनगांव) पर उतरा। कोरियाई जनवादी गणतन्त्र दूतावास से प्राप्त अनुरोध के अनुसार एक प्रतिनिधिमंडल को प्योंगोंग से लुआडा ले जा रहे इस विमान को बम्बई में एक तकनीकी अवतरण करना था। प्रतिनिधिमंडल के ब्यौरे नहीं दिए गए थे। नागपुर में उतरने पर नागपुर के विमानक्षेत्र अधिकारी ने सूचना दी कि यह विमान सेन्टोंम के राष्ट्रपति श्री डेकोस्टा को ले जा रहा था तथा यह विमान नागपुर से सीधे डिजिबौटी जाना चाहता था। एक विशेष मामले के रूप में सीमा शुल्क जांच करने के बाद, इस विमान को नागपुर से सीधे डिजिबौटी के लिये उड़ान करने की अनुमति दे दी गई थी। इस विमान ने दिनांक 15-10-82 को 18.00 बजे प्रस्थान किया। यह विमान 75 यात्रियों को ले जा रहा था तथा इसने 48000 लीटर ईंधन लिया था जिसका भुगतान अमरीकी डालरों में किया गया था।

दिल्ली में आयकर विभाग द्वारा सर्वेक्षण

4285. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल :**

श्री रामजी भाई मकाणी :

श्री काजी सलीम : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 13 अक्तूबर, 1982 को तथा 1 अक्तूबर 1982 से 20 अक्तूबर, 1982 की अवधि के दौरान आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 133 ए और 141 के अन्तर्गत दिल्ली में अजमेरी गेट, हौजकाजी, चावड़ी बाजार और जामा मस्जिद क्षेत्र में दुकानों,

कार्यालयों, कारखानों और परिसरों में सर्वेक्षण किया था, तलाशियां ली थी और छापे मारे थे;

(घ) यदि हां, तो इन सर्वेक्षणों, छापों और तलाशियों के क्या कारण थे;

(ग) इनके क्या निष्कर्ष रहे;

(घ) इनमें क्या-क्या अभिशस्त बहियां, लैजर, दस्तावेज भंडार और सामान पाया गया, जब्त किया गया और सील किया गया;

(ङ) ये सर्वेक्षण, छापे और तलाशियां किस समय शुरू हुयीं, कब तक जारी रहीं और कब समाप्त हुयीं; और

(च) उक्त बहियां, लैजर, दस्तावेज, भंडार, नगदी आदि किस समय जब्त की गई तथा सील की गयी और यह कृत्य किन धाराओं, नियमों के अन्तर्गत किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (च) दिल्ली के आयकर अधिकारियों ने, कुछ ऐसी बातों के कारण, जिनसे यह विश्वास किया जा सकता था कि, चावड़ी बाजार, दिल्ली की एक व्यापारिक कम्पनी द्वारा किया जा रहा व्यापार लेखा-बहियों में दर्ज नहीं किया जाता है अथवा समुचित लेखा-बहियां नहीं रखी जाती हैं, आयकर अधिनियम की धारा 133क के अन्तर्गत कम्पनी के मामले में दिनांक 13 अक्तूबर, 1982 को सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण उसी दिन पूरा कर लिया गया था। सर्वेक्षण के दौरान कुछ वर्षों की लेखा-बहियों की शिनाख्त की गयी। आयकर अधिनियम की धारा 131 का सहारा लेते हुए कुछ अपराध आरोपणीय दस्तावेज जब्त कर लिए गए थे।

गैर-सरकारी न्यासों का बनाया जाना

4286. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि उचित कर देयता से बचने के लिए बड़े औद्योगिक गृह, 1980 और 1981 के क्रमिक वित्त अधिनियमों के उपबन्धों के बावजूद, गैर-सरकारी न्यासों और निवेश कम्पनियों का माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका विचार औद्योगिक गृहों द्वारा गैर-सरकारी न्यासों के सृजन का विस्तृत अध्ययन करने के आदेश देने और आयकर अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो गैर-सरकारी न्यासों का सृजन करने की इस युक्ति में विद्यमान विभिन्न त्रुटियों को दूर न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) प्रत्येक ऐसे ग्रह द्वारा हनाई गयी निवेश कम्पनियों और उनके द्वारा नियंत्रित न्यासों का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इस बात की जांच कर रहा है कि क्या कानून में कतिपय कमियों को दूर करने की दृष्टि वित्त (सं० 2,) अधिनियम, 1980 और वित्त अधिनियम, 1981 द्वारा बनाये गये उपबन्धों का, करदाताओं द्वारा नये तरीकों से अधिलंघन किया जा रहा है। इस प्रकार की जांच के परिणामों के आधार पर सरकार, अपेक्षित सीमा तक, आगे और सांविधिक और प्रशासनिक कार्यवाही करेगी।

(घ) सूचना जिस रूप में मांगी गई है, उसमें सभी बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित अधिसंख्य मामलों के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें काफी श्रम तथा समय ग्रस्त होगा, जो कि प्राप्तव्य परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

त्रिवेन्द्रम के तट पर विदेशी पनडुब्बियां

4287. श्री बी० के० नायर :

श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि कुछ सप्ताहपूर्व त्रिवेन्द्रम के तट से दूर कुछ पनडुब्बियां देखी गई थीं;

(ख) क्या उन्हें पहचानने के कोई प्रयत्न किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) त्रिवेन्द्रम तट पर लगाए गए महत्वपूर्ण सन्यंत्रों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (घ) सरकार भारतीय समुद्र में सभी पनडुब्बियों की गतिविधियों को (मानिटर) करती है। इस बारे में ब्योरा देना लोक हित में नहीं है।

हिमाचल प्रदेश के छावनी क्षेत्रों में कबरों और मकानों का रख-रखाव

4288. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के छावनी क्षेत्रों में कबरों और मकानों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप अब वहां मकान ढह गए हैं; और

(ख) क्या सरकार बेघर हुए सिविलियनों को मकानों का आवंटन करने पर विचार कर रही है ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) डागशयी छावनी में 7 कब्रों

और नई मुस्लिम सिमेटरी डागशयी में एक मकान, जो ढह गया है, को छोड़कर, हिमाचल प्रदेश में अन्य सभी कब्रों और मकानों का उचित रख-रखाव और मरम्मत उन समुदायों द्वारा किया जाता है जो उनके लिए जिम्मेवार हैं।

(ख) जी, नहीं।

आसाम राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान में असमानतायें

4289. **श्री अजय बिश्वास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों में असमानताओं को पूर्णतया दूर कर दिया गया है या नहीं;

(ख) यदि नहीं, तो कितने मामले अब भी विचाराधीन हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) असमानताओं के शेष मामलों को कब तक निपटाया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे यथा-समय पर सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

भारतीय वस्त्र निर्यातकों के विरुद्ध शिकायतें

4290. **श्री एम० राजशेखर मूर्ति** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशों से भारतीय वस्त्र निर्यातकों के विरुद्ध जो कि हथकरघा वस्तुओं के अंतर्गत पावरलूम मदें भेज रहे थे तथा कोटा प्रमाणपत्र आदि में परिवर्तन करते थे;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे बेइमान निर्यातकों को अपंजीकृत किया है;

(ग) ऐसे निर्यातकों जिन्हें अपंजीकृत करने के लिए विचार किया जा रहा है उसके नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि कुछ घोखेबाज निर्यातक "ए० ई० पी० सी०" की कार्यकारी समिति के सदस्य हैं तथा शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत अग्रिम तथा अग्रदाय आयात लाइसेंस धारक हैं तथा 100% निर्यातोन्मुख यूनिट वाले हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार अग्रिम अग्रदाय आयात लाइसेंसों तथा निर्यातोन्मुख योजना मंजूरी को रद्द करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क)से(ङ) एक विवरण-I संलग्न है।

विवरण-I

हाल ही में बेनेलक्स तथा ब्रिटेन से प्राप्त [illegible] मामले, जिनमें गैर-हथकरघा उद्भव के

माल का आरोप लगाया गया था, सरकार को संवीक्षा के लिए भेजे गये। संवीक्षा करने पर पाया गया कि उन मामलों में 16 पार्टियां अन्तर्ग्रस्त थी, जिन्होंने हथकरघा मदों के रूप में हथकरघा उत्पादों का निर्यात किया था। अन्तर्गत पार्टियों के नाम संलग्न विवरण-2 में जाते हैं। इन पार्टियों के खिलाफ कानून के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की गई है। एक निर्य को जिसे एपेरेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल की कार्यकारी समिति का सदस्य बताया गय उसे 30 दिसम्बर, 1981 को शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख योजना के अन्तर्गत अनुमोदन क किया गया था।

2. परिधानों के निर्यातों की मानीटरिंग के सामान्य कार्य के दौरान कुछ ऐसे मामले प्रक में आये हैं, जहां अनधिकृत दस्तावेजों अथवा तथ्यों की गलत घोषणा के आधार पर निर्यात कि गये थे। इस सम्बन्ध में ग्यारह निर्यातकों के पंजीकरण समाप्त किये गए हैं—दस एपेरेल एक्स पोर्ट प्रोमोशन काउंसिल द्वारा तथा एक मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात के कार्यालय द्वारा इन निर्यातकों की एक सूची संलग्न विवरण-3 में दी जाती है।

3. इन ग्यारह पार्टियों में से किसी भी पार्टी के बारे में यह नहीं बताया गया है कि एपेरेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउसिल का कार्यकारी समिति में हैं अथवा उनके पास अग्रिम लाइसेंस हैं अथवा शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिट योजना के अन्तर्गत मंजूरी है।

विवरण-2

जिन मामलों में बेनेलक्स तथा ब्रिटेन को हथकरघा मदों के रूप में गैर-हथकरघा उत्पाद निर्यात किये गये थे, उन मामलों में अन्तर्ग्रस्त पार्टियों के नाम।

क्रमांक	पार्टी का नाम
1.	मै० सी एण्ड ए इन्टरनेशनल, नई दिल्ली।
2.	मै० सिंग एण्ड समाइल (I) प्रा. लि., नई दिल्ली।
3.	मै० वन्दना एक्सपोर्टस, नई दिल्ली।
4.	मै० इंडिया एक्सपोर्ट हाऊस प्रा० लि०, नई दिल्ली।
5.	मै० नीटा वियरस, नई दिल्ली।
6.	मै० कांता इंटरनेशनल, नई दिल्ली।
7.	मै० समाइलिंग रोजिज, नई दिल्ली।
8.	मै० सिवानी एक्सपोर्ट इंक, नई दिल्ली।
9.	मै० स्टैक्स इंडिया, नई दिल्ली।
19.	मै० चौधरी इंटरनेशनल, नई बम्बई।
11.	मै० जैदी एक्सपोर्टस, नई दिल्ली।
12.	मै० गाजिबो, नई दिल्ली।
13.	मै० मोहन इन्टरनेशनल, नई दिल्ली।

14. मै० चन्द्रमणी, दिल्ली ।

15. मै० मोहन ओवरसीज, नई दिल्ली ।

16. मै० वैस्टर्न इण्डिया गारमैंटस प्रा० लि०, बम्बई ।

विवरण-3

उन परिधान निर्यातकों की सूची जिनका पंजीकरण समाप्त किया गया है

1. मै० हेमला एम्ब्राडरी मिल्स प्रा० लि०, नई दिल्ली ।	एपेरेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल नई दिल्ली द्वारा पंजीकरण समाप्त किया गया
2. मै० दादु एंटरप्राइजिज प्रा० लि०, नई दिल्ली ।	—वही—
3. मै० एक्सपोर्ट मरचैंटस, नई दिल्ली ।	—वही—
4. मै० हैंडीक्राफ्ट इन्टरनेशनल, लखनऊ, यू० पी०	—वही—
5. मै० भारत इन्टरनेशनल एक्सपोर्ट कारपोरेशन नई दिल्ली ।	—वही—
6. मै० इण्डियन एपरेलस इण्डस्ट्रीज, नई दिल्ली ।	—वही—
7. मै० इंपैक्स इंटरनेशनल, बम्बई ।	—वही—
8. मै० शिवानी एक्सपोर्टस इंक, नई दिल्ली ।	—वही—
9. मै० बिजनिस एसोसिएटस, नई दिल्ली ।	—वही—
10. हरी इंटरनेशनल, नई दिल्ली ।	—वही—
11. मै० शर्मा क्योदियरस, नई दिल्ली ।	मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात के कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा पजीकरण समाप्त किया गया ।

दिल्ली हवाई अड्डे पर सम्पर्क अधिकारियों/कार्यकारी अधिकारियों का सीमाशुल्क कर्मचारियों के साथ कथित घनिष्ठ सम्बन्ध

4291. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या वित्त मंत्री दिल्ली हवाई अड्डे पर सम्पर्क अधिकारियों/कार्यकारी अधिकारियों के कस्टम कर्मचारियों के साथ कथित घनिष्ठ सम्बन्ध के बारे में दिनांक 13 अगस्त, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5346 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत कलक्टर, केन्द्रीय उत्पादन

और सीमाशुल्क, नई दिल्ली अथवा सीमाशुल्क से सम्बद्ध अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे यात्रियों की निकासी सम्बन्धी स्वीकृति को देखने के लिए, विशेष रूप से जब अनेक उड़ानों का लगभग एक ही समय होता है तथा भीड़भाड़ वाले दिनों में, पालम हवाई अड्डे के आगमन कक्ष के कोई आकस्मिक दौरे लगाएं यदि हां, तो ऐसी क्या व्यवस्था है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ।

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क, नई दिल्ली अपने सामान्य प्रशासनिक कार्यों के अंग रूप में अपने अधिकार-क्षेत्र के कार्यचालन की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने अन्य कार्यालयों के साथ-साथ पालम अड्डे का भी अचानक दौरा अवश्य ही करता है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ कार्य दक्षता में सुधार लाया जा सके । बोर्ड में सीमाशुल्क के प्रभारी सदस्य को भी यही कार्य करने होते हैं ।

आयातित पामोलीन आयल में कथित मिलावट

4292. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयातित "पामोलीन आयल" में मिलावट के संबंध में राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्राप्त शिकायतों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) तथा (ख) : "32 एस टी सी आफीशियल्सस्चूड फार फूड एडल्ट्रेशन" शीर्षक से एक समाचार 7.2.82 को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था । इस समाचार में यह आरोप लगाया गया था कि गुजरात खाद्य तथा औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य व्यापार निगम के प्रबन्ध निदेशक सहित उसके 32 अधिकारियों के खिलाफ और साथ ही पांच प्राइवेट टिनरों के भागीदारों के खिलाफ भी, जिसको एस टी सी टिनिंग का काम सौंपता था, अभियोग कार्यवाही दायर की थी ।

(ग) जी हां ।

(घ) गुजरात सरकार के खाद्य तथा औषधि निरीक्षक ने जुडिशियल प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट गांधीधाम के न्यायालय में शिकायत दायर की है । मुकदमा अभी भी न्यायालय में लम्बित है और मामला न्यायाधीन है ।

दुबई/कातर में भारतीय बैंकों द्वारा उठाया गया घाटा

4293. **श्री भीखा भाई** : क्या वित्त मंत्री दुबई में कार्यरत भारतीय बैंकों की शाखाओं

को घाटा के बारे में दिनांक 8 अक्तूबर, 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 92 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओवरसेज बैंक के चेयरमेन ने पूर्व में आई० एफ० ई० सी० दोहा (कातर) के मामले में घाटे की धनराशि के बारे में एक विवरण दिया था;

(ख) क्या मंत्रालय ने यह जांच कर ली है कि क्या उक्त विवरण देते समय चेयरमेन-व-प्रबंध निदेशक ने बैंकिंग अधिनियम और सरकारी गोपनीयता अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया था; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले और चेयरमेन-व-प्रबंध निदेशक के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) इंटरनेशनल फाइनेंस एंड एक्सचेंज कारपोरेशन, दोहा कतार के बंद होने के कारण भारतीय बैंकों को हुई हानियों से संबंधित सूचना राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर में 27.4.82 को और लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 255 के उत्तर में 9.7.82 को दी जा चुकी थी। अतः, जनता को इस मामले की जानकारी पहले से ही थी ।

हवाई अड्डों पर राडार प्रणाली

4294. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ हवाई-अड्डों पर राडार प्रणाली की व्यवस्था की जा रही है;

(ख) उन हवाई अड्डों के क्या नाम हैं जहां उक्त व्यवस्था नहीं की जा रही है; और

(ग) हवाई अड्डों पर राडार प्रणाली की व्यवस्था करने के बारे में सरकार की नीति क्या है और इस पर कितनी कागत आती है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) नागर विमानन विभाग ने विमान यातायात नियंत्रण के प्रयोजनों के लिये बम्बई कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास हवाई अड्डों पर राडार लगाए हैं ।

छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि (1980-85) में बम्बई हवाई अड्डे पर हवाई अड्डा निगरानी राडार उपकरण को बदलने तथा उसकी जगह 6.20 करोड़ रुपये की लगभग कुल अनुमानित लागत से विमान मार्ग निगरानी राडार की एक आधुनिक किट लगाने का प्रस्ताव है ।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स तथा वायुदूत द्वारा प्रयोग किए जा रहे उन हवाई अड्डों के नामों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है जहां नागर विमानन विभाग ने राडार उपलब्ध नहीं कराए हैं ।

(ग) राडार सुविधा उन हवाई अड्डों पर दी जाती है जहां यातायात की गहनता तथा मार्ग संरचना की जटिलता के कारण राडार सेवा की व्यवस्था आवश्यक हो, बशर्ते कि संसाधन भी उपलब्ध हों विभिन्न राडारों की अनुमानित लागत नीचे दी गयी है :—

	(करोड़ रुपये)
I) सूक्ष्मता पहुँच राडार	0.60
II) हवाई अड्डा निगरानी राडार	3.40
III) विमान मार्ग निगरानी राडार	11.00

विवरण

इंडिया एयरलाइन्स तथा वायुदूत द्वारा प्रयोग किए जा रहे हवाई अड्डे जहां नागर विमानन विभाग ने राडार प्रणाली की व्यवस्था नहीं की है ।

बम्बई क्षेत्र	कलकत्त क्षेत्र	दिल्ली क्षेत्र	मद्रास क्षेत्र
अहमदाबाद	अगरतला	आगरा	बंगलोर***
औरंगाबाद	बागडोगरा	इलाहाबाद	कोचीन
बेलगाम	बारापानी	अमृतसर	
भोपाल (भावनगर)	भुवनेश्वर	चंडीगढ़	कोयम्बतूर
भुज	डिब्रूगढ़	देहरादून	हैदराबाद
डबोलिम*	दीमापुर	गोरखपुर	मदुरै
इंदौर	गोहाटी	ग्वालियर	मंगलोर
जबलपुर	इम्फाल	हिसार	तिरुचिरापल्ली
	जमशेदपुर	जयपुर	तिरुपति
जामनगर	जोरहाट	जम्मू	त्रिवेन्द्रम
केशोद	केलाशहर	जोधपुर	विजयवाड़ा
नागपुर	लीलाबाड़ी	कानपुर	
पोरबंदर	पटना	खजुराही	विशाखापत्तनम
पुणे	पोर्ट ब्लेयर	कुल्लू	
रायपुर	रांची	लेह	
राजकोट	सिल्चर	लखनऊ	
वडोड़रा	तेजपुर	लुधियाना	
	तेजू	श्रीनगर**	
		उदयपुर	
		वाराणासी	

टिप्पणी :

* डबोलिम (गोआ) में नौ सेना ने एक राडार लगा रखा है जिसका प्रयोग नागर उड़ानों के लिए भी किया जा सकता है ।

** श्रीनगर में वायु सेना ने एक राडार लगा रखा है जिसका प्रयोग नागर उड़ानों के लिए भी किया जा सकता है।

*** बंगलौर में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक राडार लगा रखा है जिसका प्रयोग वाणिज्यिक उड़ानों के लिए भी किया जा सकता है।

उड़ीसा के ग्रामीण और पिछड़े हुए क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

4295. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान उड़ीसा के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक ने कुल कितनी शाखाएं खोली हैं;

(ख) इन बैंकों द्वारा ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को क्या मुख्य सुविधाएं दी जा रही हैं;

(ग) क्या वर्ष 1982-83 में इन क्षेत्रों में और अधिक संख्या में शाखाएं खोले जाने का प्रस्ताव है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) किसी विशेष क्षेत्र में बैंक की शाखा खोलने के लिए क्या मान दंड अपनाए गए है?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक तथा 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 1981-82 के दौरान उड़ीसा राज्य में खोली गई बैंक शाखाओं की संख्या के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गए में।

(ख) ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार को, इन क्षेत्रों की सम्भाव्यता वृद्धि के विकास और इनकी अर्थ व्यवस्था के स्तर को ऊंचा उठाने के वास्ते अनिवार्यतः आधारभूत ढांचे के अभिन्न अंग के रूप में अपनाया गया है। इनकी परिचालनात्मक क्षमता का उपयोग करने के उद्देश्य से, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में दिये गए अग्रिमों, आई०आर० डी०पी० के अधीन दिये गए ऋणों, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को दिये गए ऋणों के समग्र उद्देश्यों के अनुसरण में स्थानीय गतिविधियों के पक्ष में प्रत्येक बैंक शाखा, संघटकों के विकास, संसाधनों को जुटाने तथा ऋण देने के कार्यक्रमों को आरम्भ करने के वास्ते कदम उठाती हैं।

(ग) और (क) : भारतीय रिजर्व बैंक ने 1982-83 से 1984-85 तक के तीन वर्षों के वास्ते नई शाखा लाइसेंसिंग नीति तैयार की है जिसका उद्देश्य ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मार्च 1985 तक औसतन 17,000 की जनसंख्या के पीछे एक बैंक कार्यालय को व्याप्ति का लक्ष्य प्राप्त करना है। इस उद्देश्य के अनुसरण में, उड़ीसा राज्य के सभी 13 जिलों में बैंकरहित ग्रामीण और अर्ध-शहरी स्थानों पर इस नीति अवधि के दौरान 350 और अतिरिक्त बैंक कार्यालय खोले जाने की संभावना है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उड़ीसा की राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह

जिला परामर्शदात्री समितियों के परामर्श से बैंक शाखाएं खोलने के वास्ते बैंक रहित ग्रामीण और अर्ध-शहरी स्थानों की सिफारिश करें। राज्य सरकार से सिफारिशें प्राप्त होने पर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उड़ीसा के लिए शाखा विस्तार कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

विवरण

भारतीय स्टेट बैंक तथा 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 1981-82 के दौरान उड़ीसा में खोली गई शाखाओं की संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

	बैंकों का नाम	खोली गई शाखाओं की संख्या
1.	भारतीय स्टेट बैंक	32
2.	इलाहाबाद बैंक	2
3.	आंध्र बैंक	3
4.	बैंक आफ इंडिया	9
5.	इंडियन ओवरसीज बैंक	17
6.	न्यू बैंक आफ इंडिया	3
7.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	2
8.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	10
9.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	10
	जोड़	88

प्रधान मंत्री के परिवार के सदस्यों की अमरीका की यात्रा

4296. श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने हाल में अपने परिवार के सदस्यों के साथ अमरीका की यात्रा की थी;

(ख) क्या अमरीका के राष्ट्रपति से भेंट करने के लिए उनकी यह यात्रा सरकारी थी;

(ग) यदि हां तो क्या प्राधन मंत्री के परिवार के सदस्य सरकारी दल के भाग थे; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या साथ जाने वाले परिवार के सदस्यों ने अमरीका की जो यात्रा की है, उसका खर्चा परिवार के सदस्यों ने वहन किया था ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) दिल्ली से अमेरिका तथा वहां से वापसी की यात्राएं चार्टर्ड जहाज द्वारा की गई थी। प्रधान मंत्री के परिवार के सदस्यों ने सरकारी समारोहों में भाग लिया जिनमें उन्हें आमंत्रित किया गया था। अमेरिका में परिवहन और अन्य सुविधाएं मेजबान देश द्वारा दी

गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए साथ गये परिवार के सदस्यों द्वारा अदायगी किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटेन के रक्षा मन्त्री की यात्रा

4297. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के रक्षा मन्त्री ने अपनी हाल की भारत यात्रा पर इस देश को आधुनिक रक्षा तकनीक के और आगे अंतरण की कोई सूचना दी थी;

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा क्या अतिरिक्त व्यय किया जाएगा; और

(ग) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में जगुआर एयरक्राफ्ट का अवस्थाबद्ध उत्पादन ब्रिटेन में इसके और अधिक उन्नत विमानों द्वारा योजनाबद्ध स्थानान्तरण की दृष्टि से धीमा पड़ जाएगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) ब्रिटिश सेक्रेटरी आफ स्टेट फार डिफेंस की अभी हाल ही की भारत यात्रा के दौरान इस बात पर सहमति प्रकट की गई थी कि दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार करना संभव होना चाहिए। विचार-विमर्श के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के विशेषज्ञ समय-समय पर मिलेंगे और रक्षा के क्षेत्र में, विशेषतौर-से अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों का पता लगाएंगे। इस सम्बन्ध में अधिक ब्यौरा देना लोकहित में नहीं होगा।

(ग) हिन्दुस्तान एंयरोनाटिक्स लिमिटेड में जगुआर विमान के चरणवार उत्पादन धीमा करने का इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कछार में चाय-बगानों के मामले की जांच करने हेतु समिति का गठन

4298. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कछार के हट्टीछेर्रा और सुवंग चाय बागानों के मामलों की जांच करने के लिए सरकार ने चाय अधिनियम के अनुसार एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो कब तथा उसमें कितने सदस्य सम्मिलित किए गए;

(ग) उक्त समिति की कितनी बैठकें हो चुकी हैं;

(घ) समिति के निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में मंत्रालय ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। कछार

के सुबंग और हट्टी छेरी चाय-बागानों के कार्यों की पूरी तरह से जांच करने के लिए चाय अधिनियम की धारा 168 (1) के अन्तर्गत सरकार ने एक समिति गठित की है।

(ख) समिति का गठन राजपत्र अधिसूचना सं० सा. आ. 443 (ई) दिनांक 17-6-81 के द्वारा किया गया और इसमें पांच सदस्य हैं। इसके पश्चात्, सरकारी राजपत्र अधिसूचना सं० सा. आ. 277 (ई) दिनांक 21-4-1981 और इसके पश्चात् संशोधन सं० सा. आ. 522 (ई) दिनांक 22-7-82 के द्वारा 5 सदस्यों की एक नई समिति गठित की गई।

(ग) राजपत्र अधिसूचना सं० सा. आ. 443 (ई) दिनांक 17-6-1981 द्वारा गठित समिति की 10-9-1981 को एक बार बैठक हुई। राजपत्र अधिसूचना से सा. आ. 277 (ई) दिनांक 21-4-1982 और सा. आ. 522 (ई) दिनांक 22-7-82 द्वारा गठित नई समिति की निम्नलिखित तारीखों को बैठकें हुई :—

31-8-1981 और 1-9-1982, 15-9-1982 से 17-9-1982 तथा 4-10-1982।

(घ) इससे पहले कि समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे सके, समिति को जांच के बारे में आगे कार्यवाही करने और उस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट देने से रोकने के लिए चाय बागानों के मालिकों ने 7-10-1982 को कलकत्ता उच्च न्यायालय से निषेधाज्ञा के आन्तरिम आर्डर ले लिए।

(ङ.) उपरोक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान मन्त्री की विदेश यात्रा पर खर्च

4299. **श्री राम अवध** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में प्रधान मन्त्री की अमरीका तथा जापान यात्रा पर खर्च हुई राशि का भारतीय और विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : इन दो देशों में हमारे संबंधित दूतावासों से सूचना एकत्रित की जा रही है और ज्योंही यह उपलब्ध होगी, सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बैंक आफ बड़ौदा द्वारा सामान्य श्रेणी के रिक्त पदों को भरना

4300. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ बड़ौदा लिपिक संवर्ग के उन लोगों के स्थान पर जिन्होंने अधिकारियों के पद पर पदोन्नति लेने से इन्कार कर दिया है, के स्थान पर सामान्य श्रेणी के रिक्त पदों को अर्हता सूची मे उपलब्ध कर्मचारियों को भर रहा है;

(ख) क्या यह बैंक सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों में से जिन कर्मचारियों ने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पास किया था लेकिन बैंक सेवाओं से त्यागपत्र दे दिया था, उनसे रिक्त हुए पदों को भी भर रहा है;

(ग) क्या उपयुक्त जैसे मामलों पर यह बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को नहीं भर रहा है और अन्तिम सूची में उनके नाम न जोड़कर उनका कोटा घोषित नहीं कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का बैंक आफ बड़ौदा से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जिन अधिकारियों ने त्यागपत्र दे दिया था उनके स्थान पर उनके बाद के ऐसे कर्मचारियों को पदोन्नति करने के क्या आदेश देने का विचार है जो अधिकारी वर्ग के लिए लिपिक वर्ग से चुनी गयी अन्तिम सूची में रखे गए थे ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि लिपिकीय संवर्ग से अधिकारियों के संवर्ग में पदोन्नति के मामले में यदि साधारण अथवा आरक्षित श्रेणी का पदोन्नत कर्मचारी पदोन्नति को अस्वीकार कर देता है अथवा बैंक की सेवा से त्याग-पत्र दे देता है तो वह रिक्ति, संबंधित श्रेणी की योग्यता सूची (मैरिट लिस्ट) में से उपलब्ध अगले उम्मीदवार-द्वारा भरी जाती है। अबलत्ता, यदि अनु० जाति/अनु० जनजाति के कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते तो इन रिक्तियों को साधारण श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाता है।

बैंक के अनुसार, योग्यता सूची में से उपलब्ध सभी अनु० जाति/अनु० जनजाति के उम्मीदवारों को जिन्होंने कि चालू वर्ष में लिखित परीक्षाओं तथा साक्षात्कारों में सफलता प्राप्त की थी, अधिकारियों के संवर्ग में पदोन्नत कर दिया गया है और ऐसे उम्मीदवारों की कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है। बैंक ने यह भी सूचित किया है कि अनु० जाति/अनु० जनजाति उम्मीदवारों के वास्ते न भरी गई आरक्षित रिक्तियों की बकाया को, अनु० जाति/अनु० जनजाति के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से, सरकारी आदेशों के अनुसार, अगले वर्षों को ले जाया जाता है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटियों को ऋण

4·01. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**
श्री मोतीभाई आर० चौधरी :
श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वीवर्स कोआपरेटिव सोसायटियों ने 1981-82 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने के लिए आवेदन किया था;

(ख) यदि हां, तो बैंकों में कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ग) कितने आवेदकों को और कितने प्रतिशत बैंकों से ऋण प्राप्त हुआ; और

(घ) बैंकों ने कितनी तथा कितनी प्रतिशत सोसायटियों को ऋण देने से इन्कार कर दिया और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) बुनकर समितियों

समेत, सहकारी समितियों की ऋण सुविधाएं सामान्यतः राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा दी जाती हैं। वाणिज्यिक बैंक सामान्यतः ऐसी बुनकर सहकारी समितियों को ऋण देते हैं जिन्हें सहकारी बैंकों द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता। पूछे गए विशिष्ठ स्वरूप के बैंकों द्वारा बुनकर सहकारी समितियों को स्वीकृत किए गए अग्रिमों के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूछे गए विशिष्ट प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते। अलबत्ता 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हथकरघा बुनकरों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिम, दिसम्बर, 1981 के अंत की स्थिति के मुताबिक 2.22 लाख से अधिक खातों में 36.58 करोड़ रुपये थे। इसी प्रकार ये आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि जून, 1980 की स्थिति के मुताबिक शिल्पकारों, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों के वास्ते अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिम 3.21 लाख से अधिक खातों में 55.34 करोड़ रुपए के थे।

कालीकट हवाई अड्डे का निर्माण

4302. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कालीकट हवाई अड्डे के निर्माण की क्या स्थिति है;

(ख) इस हवाई अड्डे के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कितनी राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है;

(ग) क्या इसके निर्माण में विलम्ब होने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) कार्य का ठेका दिए जाने के लिए निविदाएं आमन्त्रित की जा चुकी हैं।

(ख) चालू योजना की अवधि में सर्वेक्षण तथा भूमि की जांच के लिए 1.89 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। इस परियोजना के लिए चालू योजना में 1.00 करोड़ रुपये का प्रावधान है। निर्माण कार्य में प्रगति होने पर अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात लक्ष्य

4303. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8,650 करोड़ रुपये का निर्यात लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या संघ सरकार ने व्यापार सम्बन्ध बढ़ाने के लिए क्या बहुत से कदम प्रारम्भ किए हैं;

(घ) यदि हां तो क्या प्रधान मन्त्री को संयुक्त राज्य अमेरिका तथा संयुक्त सोवियत रूस की यात्रा से भी निर्यात संवर्धन में सुधार के लिए भारत को सहायता मिली है; और

(ङ) 8,650 करोड़ रुपये के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ङ) चालू वित्तीय वर्ष 1982-83 का समग्र निर्यात लक्ष्य अस्थायी रूप से 8650 करोड रु० निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की सम्भावनाएं देश की अर्थव्यवस्था तथा साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापारिक वातावरण पर निर्भर करेंगी। 1981-82 के दौरान देश की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। 1980-81 में हुई 15.4 प्रतिशत की वृद्धि के अतिरिक्त 1981-82 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 8.1 प्रतिशत तथा कृषि सम्बंधी उत्पादन में 3 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। 1982-83 में औद्योगिक उत्पादन में 6 से 7 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की सम्भावना है अर्थव्यवस्था और अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार के लक्ष्यों में और सरकार द्वारा आरम्भ किए गए विभिन्न निर्यात संवर्धन उपायों को देखते हुए लक्ष्य को प्राप्त किए जाने की सम्भावना है। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक वातावरण में मंदी की स्थिति बनी हुई है।

सरकार ने निर्यातों को बढ़ाने के लिए अनेक नीति संबंधी उपाय किए हैं। इन उपायों का मुख्य उद्देश्य निर्यात संवर्धन तथा आयात प्रतिस्थापन दोनों के लिए उत्पादन सम्बन्धी घरेलू बाधाओं को दूर करना रहा है। इनमें से कुछ उपायों में शमिल हैं : निर्यात उत्पादन के बारे में लाइसेंसिंग बाधाओं को दूर करना, 100% निर्यात अभिमुख एककों की स्थापना के लिए नीति, शुल्क वापसी कार्यविधि को सरल एवं कारगर बनाना, इन्जीनियरी तथा अन्य निर्यात अभिमुख उद्योगों के लिए लदान पूर्व ऋण की अवधि बढ़ाना, व्यापारिक सदनों के बारे में नई नीति लागू करना, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निर्यातों का विस्तार, निर्यात उत्पादन के लिए अन्तर्निविष्ट साधनों और प्रौद्योगिकी के उदार आयात तथा 31 मार्च 1985 तक तीन वर्ष की और अवधि के लिए नकद मुआवजा सहायता देने हेतु नीति की अवधि बढ़ाना।

प्रधान मंत्री के सं० रा० अमरीका और सोवियत संघ के हाल के दौरों से इन देशों के साथ काफी सदभावना और पारस्परिक समझ का सृजन हुआ है और इसके परिणामस्वरूप हमारे निर्यात प्रयास में वृद्धि होने की सम्भावना है।

नई दिल्ली में आगामी भारतीय व्यापार मेले में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का भाग लिया जाना

4304. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी के प्रगति मैदान में आगामी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा बड़े पैमाने पर भाग लिए जाने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो कितने देश मेले में भाग लेंगे;

(ग) मेले के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) यदि हां, तो मेला कब तक चलेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 10 देशों सहित 37 देश भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 1982 में भाग ले रहे हैं।

(ग) मेले का मुख्य उद्देश्य विदेशी भागीदारों को औद्योगिक झांकी और भारतीय अर्थ-व्यवस्था की वाणिज्यिक संभाव्यता और भारत के व्यापार हितों का चित्र प्रस्तुत करना है। मेला अपने थीम के रूप में उत्पादक का चित्र प्रस्तुत करेगा।

(घ) मेला 1 नवम्बर से 14 नवम्बर, 1982 तक आयोजित किया जा रहा है।

पर्यटकों के पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पर्यटन नीति

4305. **श्री पी० एम० सईद** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से इस बात का अनुरोध किया गया है कि यदि 1985 तक भारत में पन्द्रह लाख पर्यटकों को आकर्षित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु गम्भीरता से विचार करना है तो सरकार को पर्यटन नीति तैयार करनी होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पर्यटन नीति तैयार करने का विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो नई दिल्ली में होने वाले एशियाई खेलों के दौरान पर्यटकों की भीड़ की व्यवस्था करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) भीड़ की व्यवस्था के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) 1988 तक 1.5 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) पर्यटन नीति

तैयार कर ली गई है और इसे 3.11.1982 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था जिसमें सामान्य रूप से पर्यटन मन्त्रालय के उद्देश्यों तथा और अधिक पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का किया गया है।

(ग) और (घ) मौजूदा 4241 कमरों के अलावा, एशियाड के लिए 2419 कमरे उपलब्ध कराए जाने का कार्यक्रम है। रेलवे ने दिल्ली में स्पेशल सबअरबन ट्रेन्स चालू की हैं और महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों की फ्रीक्वन्सि बढ़ा दी है। बसों, कोचों, टैक्सियों और पर्यटक कारों के रूप में परिवहन सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की जा रही है। इण्डियन एयरलाइन्स की आगरा-जयपुर सर्विस की फ्रीक्वन्सि सप्ताह में चार बार होगी।

(ङ) विश्व-व्यापी तथा निरन्तर आर्थिक मन्दी को ध्यान में रखते हुए और अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग अपने प्रयासों में वृद्धि कर रहा है और संवर्धनात्मक नीतियों का पुनर्मूल्यांकन भी कर रहा है। शुरु किए गए कुछ उपाय ये हैं— चार्टर ट्रैफिक का संवर्धन भारत में इन्टरनेशनल कान्फ्रेंसों/कन्वेंशनों का आयोजन, हवाई अड्डों का विस्तार, नए हवाई अड्डों का निर्माण, इंडियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के फ्लीट में वृद्धि, होटलों और अन्य आवास का निर्माण तथा विस्तार, सीमांत औपचारिकताओं को सरल बनाना और विदेशों में मार्केटिंग प्रमोशन को तेज करना।

'राइफल रेंज" नामक भूमि का प्लाट पश्चिम बंगाल सरकार को स्थानान्तरण करना

4306. **श्री आनन्द पाठक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दार्जिलिंग जिले में कुरसोंग में स्थित "राइफल रेंज" के नाम से पुकारे जाने वाले भूमि के प्लाट को पश्चिम बंगाल सरकार को सार्वजनिक स्टेडियम और खेल के मैदान का निर्माण करने के लिए स्थानान्तरित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो मामले की अब क्या स्थिति है और वास्तव में स्थानान्तरण कब किया जाएगा;

(ग) क्या सैनिक सम्पदा अधिकारी, सिलीगुड़ी, और निदेशक सैनिक भूमि तथा छावनी फोर्ट विलियम, कलकत्ता ने पहले ही कुछ व्यक्तियों को भूमि के कुछ हिस्से पर कब्जा करने की अनुमति दी हुई है और अब तक गत कई वर्षों से उनके द्वारा भूमि की सामान्य से ऊंची लागत तथा वार्षिक किराया का भुगतान करने के लिए उन पर दबाव डाल रहे हैं; जो कि इन गरीब लोगों की भुगतान करने की क्षमता से बाहर है; और

(घ) क्या यह सच है कि उक्त अधिकारी इन व्यक्तियों से मांगी गई धनराशि का भुगतान करने में विफल होने पर, उन्हें वहां से निकाल देने की धमकी दे रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) कुरसौंग रायफल रेंज, जिसका क्षेत्रफल 6.34 एकड़ है, रक्षा आवश्यकताओं से फालतू होने के कारण 1975 में पश्चिम बंगाल सरकार को बाजार भाव पर अथवा उसके बराबर मूल्य की भूमि के बदले में देने की पेशकश की गई थी। रायफल रेंज के कुल क्षेत्र में से 2·07 एकड़ भूमि पर 19 व्यक्तियों ने अनधिकृत कब्जा किया हुआ है। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर 1979 में बहुत देर से कार्रवाई की जबकि सेना की आवश्यकता में परिवर्तन हो जाने के कारण उस भूमि की सेना को आवश्यकता हो गई है। राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि अब उन्हें इस भूमि का हस्तान्तरण करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

2. नवम्बर 1977 में, सरकार ने अनधिकृत कब्जे की पिछली सारी अवधि के लिए किराए का भुगतान करने के बाद भूमि 19 अनधिकृत कब्जाधारियों को उनके कब्जे की भूमि बेचने की मंजूरी जारी कर दी थी। अभी तक केवल 5 अनधिकृत कब्जाधारियों ने भूमि का मूल्य तथा मूल्य भुगतान की तारीख तक का किराया अदा किया है। शेष 14 अनधिकृत कब्जाधारियों को भूमि का मूल्य तथा किराया देने के लिए 30 अप्रैल 1982 तक का अन्तिम समय दिया गया था परन्तु उन्होंने भुगतान नहीं किया है। तदनुसार, उनसे नियमानुसार भूमि खाली कराने की कार्रवाई शुरु कर दी गई है और बेदखली की कार्रवाई प्रगति पर है।

मेसर्स गोपाल गेसेज प्राइवेट लिमिटेड तथा एसोसिएटेड प्राइवेट कम्पनीज को जारी किए गए आयात लाईसेंस

4307. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** :क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स गोपाल गैसेज प्रा० लि० बी/7, इन्डस्ट्रियल साइट-4, पो० आ० सी० ई० एल०, साहिबाबाद, गाजियाबाद, तथा उनकी सम्बद्ध कम्पनियां;

(एक) पी० कोक कोन कास प्रा० लि०

(दो) पोपशा आक्सीजन प्रा० लि०

(तीन) बिहार आक्सीजन

(चार) गोपाल उद्योग प्रा० लि० तथा

(पांच) बिहार एसोप्लीन प्रा० लि० को 1974 के बाद से जारी किए गए आयात लाइसेंसों का ब्योरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त कम्पनियों की कम्पनियां कहां स्थित है तथा उनका वार्षिक उत्पादन कितना है तथा 1974 के बाद प्रत्येक कम्पनी ने कितने मूल्य की आक्सीजन और नाइट्रोजन का उत्पादन किया है; और

(ग) क्या उपर्युक्त कम्पनियों को निर्यात लाइसेंस जारी किए गए हैं और वे वास्तविक लाइसेंस उपभोक्ता हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) आयात लाइसेंसों का विवरण आयात तथा निर्यात के मुख्य नियन्त्रक, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले साप्ताहिक बुलेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंसिज, एक्सपोर्ट लाइसेंसिज एन्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिज में प्रकाशित किया जाता है, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार औद्योगिक गैस के उत्पादन के लिए जिला गाजियाबाद के केवल मैसर्स गोयल गैसिस प्राइवेट लि० का एक कारखाना है। जैसा कि बताया गया है आक्सीजन गैस का उत्पादन इस प्रकार है :—

वर्ष	हजार घन मीटर
1980	201.8
1981	664.5
1982 (जनवरी से जून तक)	397.8

(ग) औद्योगिक उपक्रमों को पूंजीगत माल के आयात लाइसेंस नीति के अनुसार वास्तविक प्रयोक्ता के अधीन है।

स्वर्गीय श्री राम लाल मोर मंडी भटिंडा, को वीर चक्र प्रदान किया जाना

4308. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भटिंडा के स्वर्गीय श्री रामलाल मोर मुंडी को 1971 के युद्ध में, मरणोपरान्त वीर चक्र प्रदान किया गया था;

(ख) क्या उनकी पत्नी, जिन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया था, को 16 एकड़ भूमि देने उनके लिए एक मकान बनवाने, उनके पति के नाम से एक सड़क का नाम रखने, तथा बच्चों को सरकार द्वारा शिक्षा देने का वचन दिया गया था;

(ग) क्या पुरस्कार देने के समय सरकार द्वारा दिए गए सभी वचन 11 वर्ष बीत जाने पर भी पूरे नहीं हुए हैं श्री रामलाल की विधवा ने वीरचक्र वापस कर दिया है; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर हां में है, और (ग) का उत्तर नकारात्मक है, तो वचन पूरे न किए जाने के क्या कारण हैं, स्वर्गीय श्री रामलाल की विधवा को दिए गए सभी वचनों को पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रक्षा मन्त्रालय में उप (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मैसर्स गोपाल गैसेज प्रा० लि० द्वारा क्रायोजेनिक टैंकस् के लिए आमंत्रित करने के लिए दिया गया विज्ञापन

4309. **श्री मानिक राव होंडले गावित** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्रायोजेनिक टैंक्स् के लिए निवेदाएं आमंत्रित करने हेतु दिनांक 5 अगस्त, 1982 के इण्डिया ट्रेड जनरल में गोपाल गेसिस प्रा० लि० ने एक विज्ञापन दिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि केवल 27 टैंकों के लिए विज्ञापन दिया गया था जबकि 1000 लिटर और उससे अधिक के 77 टैंकों के लाइसेंसों को सरकार ने मंजूर किया था;

(ग) विज्ञापन में दी गई क्षमता तथा विशिष्टताएं उनके आयात आवेदन में दी गई उपकरणों की सूची से वास्तविक रूप से भिन्न हैं; और

(घ) क्या इस प्रकार मंजूर आयात लाइसेंस भी ऐसे टैंकों की निर्यात सूची से भिन्न है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 5 अगस्त, 1982 को इस प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं दिया गया था। तथापि, कम्पनी ने 5 अगस्त, 1981 के इंडियन ट्रेड जर्नल में नाइट्रोजन लिक्विफियर तथा परिवहन/स्टोरेज टैंकों की अपनी आवश्यकता का विज्ञापन दिया।

(ख) से (घ) इस विज्ञापन में परिवर्ती क्षमताओं का परिवहन/स्टोरेज टैंक तथा एक पूरा नाइट्रोजन लिक्विफियर शामिल था। आयात लाइसेंस जारी किए गये थे—जिसमें एक लाइसेंस में विभिन्न क्षमताओं के 27 अदद परिवहन/स्टोरेज टैंक और दूसरे लाइसेंस में मदों के विस्तृत ब्योरे सहित, जिसमें 50 लिक्विड नाइट्रोजन स्टोरेज टैंक पुराने भी शामिल हैं, एक पुरा नाइट्रोजन लिक्विफियर की व्यवस्था है। पुराने पूंजीगत उपस्कर के आयात के लिए नीति के अनुसार किसी विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है।

यू० के० में पंजाब और सिंध बैंक के कर्मचारियों के व्यापार हित

4310. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पंजाब और सिंध बैंक के उप महाप्रबन्धक (कार्मिक) ने अपने भतीजे के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम में और बैंक के रोजगार में भी अपने व्यापारिक हित रखे हैं;

(ख) प्रश्नान्तरगत भतीजे को कितनी बार और कितने समय के लिए वेतन की हानि के कारण छुट्टी दी गई है;

(ग) क्या बैंक की सेवा में रहते हुए, राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्मचारी व्यवसाय में भाग ले सकता है; और

(घ) प्रश्नान्तरगत मंजूर किये गये तीन ऋणों की सही धनराशि क्या है और और यह ऋण किस हेतु दिए गए है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आदिवासी शिल्पियों को संरक्षण

4311. **श्री एन० ई० होरो** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण आदिवासी शिल्पी अपनी जीविका अर्जित करने में कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नोक्त कदम उठाए गए हैं :—

(1) विद्यमान डिजाइनों का अध्ययन करने तथा नए डिजाइनों के विकास के लिए कुल्लु तथा गोहाटी में दो आदिवासी शिल्प डिजाइन केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(2) बेंत तथा बांस आधारित शिल्प वस्तुएं बनाने के उन्नत तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में बेंत तथा बांस शिल्प के उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं;

(3) बहुत सी सहायताएं प्रदान करने के लिए, जिनमें शिल्पियों को विपणन, ऋण, कच्ची सामग्री आदि सहायता क्षेत्र भी शामिल, आदिवासी क्षेत्रों में विपणन तथा सेवा विस्तार केन्द्र स्थापित किए गए हैं (सूची संलग्न विवरण में दी गई है)।

(4) आदिवासी शिल्पियों सहित सभी शिल्पियों को रियायती दरों पर उन्नत किस्म के औजार तथा उपस्कर सप्लाई करने के लिए एक समान्य योजना है।

विवरण

आदिवासी क्षेत्रों में कार्य कर रहे विपणन तथा सेवा विस्तार केन्द्रों की सूची।

1. अगरतला

2. इटानगर
3. कोहिमा
4. गंगटोक
5. संभलपुर
6. इम्फाल
7. शिलांग
8. पोर्ट ब्लेयर
9. जगदलपुर
10. दुम्का
11. भुज

रेल इंजनों और सवारी डिब्बों का निर्यात

4312. **श्री राम अवध :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने कुल कितने रेल इंजनों और सवारी डिब्बों का निर्यात किया है और उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें इनका निर्यात किया था; और

(ख) इससे प्राप्त कुल विदेशी मुद्रा का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राय मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) गत तीन वर्षों में कोई रेलवे इंजन (लोकोमोटिव) निर्यात नहीं किया गया है। गत तीन वर्षों में विभिन्न देशों को निर्यात गए गए कोचों और उनके मूल्य का विवरण इस प्रकार है:—

कोच

वर्ष	मात्रा	देश	मूल्य लाख रु०
1979-80	50	वियतनाम	500.00
	8	श्री लंका	48.33
	4	नेपाल	5.33
1980-81	26	श्री लंका	161.50
1981-82	32	नाइजीरिया	367.72
		अर्जित की गई कुल विदेशी मुद्रा	1082.88

पश्चिम बंगाल में पटसन मिल मजदूरों की दुर्दशा

4313. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में खास तौर पर कलकत्ता में पटसन मिल मजदूरों की सामान्य दुर्दशा की जानकारी है जहां कि तालाबन्दी की 15 मिलों के 50,000 मजदूर बेरोजगार हैं;

(ख) क्या विभिन्न पटसन यूनियनों ने पटसन मिलों में लगातार तालाबन्दी और पटसन मजदूरों के ग्रेडों और वेतनमानों को लागू करने के सम्बन्ध में फरवरी 1979 के पिछले त्रिपक्षीय समझौते को कार्यान्वित करने में विलंब पर गंभीर चिंता व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो पटसन अर्थव्यवस्था में सुधार करने और मिल मालिकों से तालाबन्दी उठाने और रोजगार से निकाल बाहर किये आधा लाख मजदूरों को वापस लेने तथा आगामी पूजा सत्र से पूर्व नियम कार्य शुरू करने को कहने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ताकि मजदूर भूखे न मरें ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 19-10-82 को 10 मिलें बन्द थी। उनमें तालाबन्दी थी इनमें लगभग 35.240 मजदूर अन्तर्ग्रस्त थे।

(ख) जी, हां। ग्रेडों तथा वेतनमानों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने दिनांक 22.2.79 तथा अप्रैल 1981 के समझौते के अन्तर्गत एक समिति गठित की, जिसमें एक महीने के भीतर ग्रेडों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा पटसन उद्योग को निदेश दिया गया है। तथापि, पटसन उद्योग न्यायालय में गया और यह मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

तालाबन्दी वाली मिलें गैर सरकारी मिलें है। चूंकि श्रम एक राज्य विषय है इसलिए केन्द्रीय सरकार के लिए इस मामले में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना सम्भव नहीं होगा। तथापि सरकार यह चाहती है कि पटसन उद्योग की समस्याएं यथा सम्भव शीघ्र सुलझाई जाएं। निम्नोक्त उपचारात्मक उपाय पहले ही किए जा चुके हैं जिनका उद्देश्य सप्लाई मांग स्थिति को यथा सम्भव ठीक करने के लिए मांग में तेजी लाना है :

1. पटसन माल के निर्यातों पर सी० एल० एस० देना जारी रखना।

2. आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत, लागत-जमा कीमतों पर उसे भारतीय पटसन निगम से कच्चे पटसन की कीमतों के साथ मिलाने के बाद, समय-समय पर डी.जी.एस. एण्ड जी,

माध्यम से मिलों से पटसन की बोरियों की पर्याप्त मात्रा की खरीदारी करना, ताकि पटसन माल बाजार में उत्साह कायम रहे।

3. सीमन्ट पैक करने के लिए पटसन की नई बोरियों का अनिवार्य रूप से उपयोग करना।

4. उर्वरकों/चीनी तथा खाद्यानों को पैक करने के लिए और अधिक पटसन की बोरियों के उपयोग के लिए अन्य उपयोक्त विभागों को तैयार करना।

5. नए उत्पादों के विनिर्माण के लिए 100% निर्यात अभिमुख एककों की स्थापना के लिए आशय पत्र देना।

6. सार्थ संघ प्रबन्ध के अन्तर्गत टाटा के निर्यात में राज्य व्यापार निगम का सक्रिय सहयोग।

7. पटसन तथा पटसन उत्पादों की कीमतों और सप्लाइयों में स्थिरता लाने तथा पटसन उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों के हितों के अनुरूप विश्वव्यापी मोर्चों पर दोषनिवारक कार्यवाही करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पटसन संगठन के संवर्धन के लिए उपायों पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अन्तः सरकारी विचार-विमर्शों में सक्रिय सहयोग देना।

सितम्बर के बाद उत्तरार्द्ध से बोरी बाजार में सुधार आया है। होसियन तथा टाटा दोनों की कीमतों में स्थिरता आई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की लागत जमा कीमतों के अन्तर्गत अक्तूबर तथा नवम्बर 1982 के दो महीनों की अल्पावधि के भीतर पर्याप्त मात्रा में बी टविल तैयार करने सम्बन्धी सरकार के हाल के विनिश्चय से भी बाजार में तेजी आई है। जूट मिलों ने आयात बिक्री रोक दी है। वित्तीय कठिनाइयों सहित विभिन्न कारणों से बन्द पड़ी मिलों ने उन्हें पुनः खोलने के लिए उत्सुकता दर्शाई है और वास्तव में उनमें से कुछ मिलों ने कार्य करना आरम्भ भी कर दिया है और कुछ अन्य मिलें निकट भविष्य में खुलने की सम्भावना है।

बम्बई मे लम्बे अर्से से चल रही कपड़ा मजदूरों की हड़ताल की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन

43।4. **श्री चित्त बसु :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई में लम्बे अर्से से चल रही कपड़ा मजदूरों की हड़ताल का अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) तथा (ख) वर्तमान संकेत ये हैं कि बम्बई में लम्बे समय से चल रही कपड़ा कामगारों की हड़ताल के परिणामस्वरूप बाजार

में कपड़े की कोई कमी नहीं हुई है। बम्बई के कपड़ा कामगारों की हड़ताल के कारण मध्य अक्तूबर तक हानियों के अनुमान निम्नलिखित हैं :—

कामगारों को वेतन में हानि	—110.9 करोड़ रु०
उत्पादन के मूल्य में हानि	—755 करोड़ रु०
निर्यात आय में हानि	—175 करोड़ रु०
राजकोष को हानि	—105 करोड़ रु०

पश्चिम बंगाल और अन्य बनाम स्वपन कुमार गुहा और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का निष्पादन

4314-क. **श्री राम जेठमलानी** :क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम स्वपन कुमार गुहा और अन्य, ए० आई० आर० 1982 एस० सी० 949 के मामले में उच्चतम न्यायालय के फ़ैसले पर विशेष रूप से उपर्युक्त फैसले के पैरा 37 और 38 पर अच्छी तरह से विचार कर लिया है;

(ख) क्या सरकार ने उपर्युक्त फैसले के अनुसार, फर्म की गतिविधियों के बारे में जांच कराने और दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार अभियोग चलाने के सम्बन्ध में विचार किया है;

(ग) क्या इस बीच इस मामले पर कोई कार्यवाही की गई है और न्यायालय के पास जो दस्तावेज हैं उन्हें जांच के उद्देश्य से अपने पास लिया गया है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा की गई जांच द्वारा दोषी पाए गये लोगों के बारे में जानकारी मिली है; यदि हां, तो उनके नाम और उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (घ) इस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के निहितार्थों की, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य सरकार के परामर्श से जांच की गयी थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले ही इस फर्म तथा तथा एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की कतिपय धाराओं के अधीन मामला दायर कर दिया है। इनामी चिटें तथा धन परिचालन स्कीम (पाबन्दी) अधिनियम, 1978 के अधीन, मामले के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल राज्य के प्राधिकारियों द्वारा पहले से जब्त कर लिए गए सभी कागजात तथा दस्तावेजों को इस मामले में अपने कब्जे में ले लिया गया है। आयकर अधिकारी भी कानून के अनुसार इस मामले में अलग से कार्रवाई कर रहे हैं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 403 दिनांक 9-7-82, अतारांकित प्रश्न संख्या 2053 दिनांक 15-12-82 और अतारांकित प्रश्न संख्या 3215 दिनांक 22-10-82 में शुद्धि करने वाले विवरण

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : 7 वीं लोक सभा के 9 वें सत्र के दौरान विदेशों को बिजली के खराब प्लगों की सप्लाई के बारे में श्री राम विलास पासवान द्वारा 9 जुलाई, 1982 को पूछे गये लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं० 403 के भाग (क) और (ख) का निम्नोक्त उत्तर दिया गया था;

"(क) तथा (ख) ब्रिटिश सरकार ने भारत से निर्यात किए गए बिजली के प्लगों को प्रयोग न करने के लिए उपभोक्ताओं को कोई चेतावनी जारी नहीं की है। तथापि एक भारतीय निर्यातक द्वारा निर्यात किए गये कुछ प्लगों की ब्रिटेन में की गयी। प्राथमिक प्रयोगशाला संबंधी जांच ने कुछ सन्देह उठाये कि क्या ये प्लग सभी प्रकार से ब्रिटिश मानदण्डों को अच्छी तरह पूरा करते हैं अथवा नहीं। यह जांच सम्बन्धी रिपोर्ट हाल ही में पुनः जांच करने के लिए दूसरी प्रयोगशाला को भेजी गई है। वर्तमान मामले में यह भारतीय फर्म अनेक वर्षों से बिजली के सहायक सामान के लिए सुस्थापित निर्यातक है और विदेशी खरीदारों से इससे पहले कोई शिकायत सरकार के ध्यान में नहीं आयी है।"

यह बाद में देखा गया कि उत्तर में एक कथन अर्थात कि यह जांच सम्बन्धी रिपोर्ट हाल ही में पुनः जांच करने के लिए दूसरी प्रयोगशाला को भेजी गई है, पूरी तरह सही नहीं है। एक एक अन्य संसद प्रश्न के सम्बन्ध में भारतीय उच्चायोग, लन्दन से प्राप्त एक संसूचना के आधार पर, यह देखा गया कि जांच रिपोर्ट की पुनः जांच कराने के बारे में जो विचार था उसे छोड़ा जा रहा था। इसके प्राप्त होने पर, वाणिज्य मंत्रालय ने भारतीय उच्चायोग लन्दन, से स्पष्टीकरण मांगा। उच्चायोग ने अपने उत्तर में यह स्पष्ट किया कि इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद के लन्दन स्थित कार्यालय को एसोसिएशन आफ शार्ट सर्किट टैस्टिंग अथारिटीज, रुम्बी (एस्टा) द्वारा यह बताया गया था कि वह बिजली के प्लगों का पूरी तरह परीक्षण करने के लिए 3 महीनों की प्रतीक्षा अवधि से 1000 पौंड फीस लेगा। उच्चायोग ने यह भी बताया कि उन्हें यह पता चला है कि एस्टा ने यार्कशायर काउन्टी काउंसिल, कन्ज्यूमर्स प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के अनुरोध पर भारतीय प्लगों का पहले ही परीक्षण कर लिया था। उच्चायोग ने आगे बताया कि अभी तक भारतीय प्लगों के सम्बन्ध में तीन परीक्षण किए जा चुके हैं, पहला परीक्षण मानचेस्टर टेस्टिंग हाउस से जाफर एण्ड कम्पनी, लन्दन के अनुरोध पर; दूसरा परीक्षण इन्टीट्यूट आफ एस्टा में यार्कशायर काउंटी काउंसिल के अनुरोध पर तथा तीसरा परीक्षण बार्किंगशायर में ट्रेडिंग स्टैंडर्डस आफीसर के अनुरोध पर।

जबकि प्लगों पर एक से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं, ऊपर उद्धृत अतारांकित प्रश्न सं० 403 में दिया उत्तर वास्तव में पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि परीक्षण पहले ही किए जा चुके थे।

जहां तक इस उत्तर को सही करने के लिए कारण प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का संबंध है, यह विलम्ब एक से अधिक संगठनों से प्राप्त जानकारी की जांच तथा प्रतिजांच की वजह से हुआ।

उत्तर को सही करने में हुए विलम्ब के लिए खेद है।

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ): महोदय, मैं सदन का ध्यान 15 अक्तूबर, 1982 को इस सदन में दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2053 के उत्तर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्रश्न के (ग) भाग के उत्तर से इस अन्तिम वाक्य को निकाल दिया गया समझा जाए। "अधिसूचित उचित दर की दुकान के लिए आवेदन करने वाली युद्ध-विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को भी प्राथमिकता दी जाती है।" उत्तर में हुई इस त्रुटि, जो अनजाने में हुई है, का पता सदन में प्रश्न का उत्तर दे दिये जाने के पश्चात चला। इस त्रुटि के लिए हार्दिक खेद है।

अत: मैं उपर्युक्त त्रुटि को सही करने के लिए सदन का कृपा प्रार्थी हूं।

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)। महोदय, सदन में लिखित प्रश्न संख्या 3215 के दिनांक 22 अक्तूबर, 1982 को दिए गए उत्तर की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं। प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के दूसरे वाक्य "पुरी (उड़ीसा), बिहार शरीफ (बिहार), द्वारका (गुजरात), नैनादेवी (हिमाचल प्रदेश), जोशीमठ (उत्तर प्रदेश), अजमेर (राजस्थान), कम्पिल (उत्तर प्रदेश), और पांडिचेरी में भी समिति धर्मशालाओं का निर्माण कर रही है" के स्थान पर कृपया "पुरी (उड़ीसा), बिहार शरीफ (बिहार), द्वारका (गुजरात), नैना देवी (हिमाचल प्रदेश), जोशीमठ (उत्तर प्रदेश), अजमेर (राजस्थान), कम्पिल (उत्तर प्रदेश), और पांडिचेरी में धर्मशालाओं का निर्माण भी समिति के विचाराधीन है" पढ़ा जाए। "विचाराधीन" शब्द का छूट जाना टाइपिंग की गलती है और इस गलती का प्रश्न का उत्तर दे दिए जाने के बाद पता चला था। इस गलती के लिए हार्दिक खेद है।

अत: उपर्युक्त गलती के लिए मैं सदन के अनुग्रह हेतु निवेदन करता हूं।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में कुछ कहने की अनुमति आपसे चाहूंगा। आज दुनिया का सबसे वृद्ध आदमी, आजादी की लड़ाई

का जरनैल, बूढ़ा शेर अस्पताल में बिस्तरे-मर्ग पर है। यह बहुत बड़ी अहसान फरामोशी होगी इस देश के इस सदन की...

अध्यक्ष महोदय : वह तो उस दिन किया था हमने, जब घोष साहब ने कहा था। कल भी आपने यह कहा था।

श्री मनीराम बागड़ी : जब हम दुनिया के मुल्कों में गैर-मामूली व्यवहार के बारे में बात करते हैं तब खान अब्दुल गफ्फार खां जैसे आदमी के लिए, जिसको हम सरहदी गांधी कहते थे, वह 96 साल का व्यक्ति, जब अस्पताल में बिस्तरे-मर्ग पर हो...

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया था।

श्री मनीराम बागड़ी : आज श्री कमलापति त्रिपाठी जी यहां पर चुप क्यों हैं ?

...(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राणापुर) : मैंने आज प्रधानमन्त्री को लिखा है कि उन्हें पाकिस्तान स्थित हमारे राजदूतावास को यह निर्देश देना चाहिए कि वह देखे कि श्री खान अब्दुल गफ्फार खान की अच्छी तरह देखभाल की जाये और यदि उन्हें कुछ जानकारी मिली हो तो उन्हें सदन में वक्तव्य देना चाहिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : सीमांत गांधी के बारे में मैंने विदेश मंत्रालय से प्रश्न पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : वे ध्यान रखेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : सीमांत गांधी को गिरफ्तार किया गया है। जनरल जिया यहां आए थे। सीमांत गांधी को गिरफ्तार किया गया था। सरकार को इसका विरोध करना चाहिए। विदेश मंत्री.....।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कल वक्तव्य दिया था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैंने आपको स्थगन प्रस्ताव दिया है क्योंकि भारत सरकार उन 55 बंदियों/भारत के भूतपूर्व सैनिकों को स्वीकार करने के लिए मना कर रही है जो लेबनान युद्ध के लिए ले जाए गए थे। आप उन्हें पुनः स्वीकार क्यों नहीं करते ?

अध्यक्ष महोदय : यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह स्थगन प्रस्ताव का ही विषय है। यह निन्दा का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह स्थगन प्रस्ताव के लिए नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैंने आज सुबह बी० पी० मण्डल आयोग के बारे में लिखा है। गृह मन्त्री यहां उपस्थित नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका संदेश भेज दिया है। मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : सरकार जानबूझकर देर कर रही है और कोई निर्णय नहीं ले रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका पत्र भेज दिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : सदन स्थगित होने से पहले, पिछले सत्र में एक वचन दिया गया था।

क्या गृह मन्त्री इस बारे में हमें कुछ संकेत देंगे कि मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन कब होने जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं जो कुछ कर सकता था, कर दिया है और साथ ही...

श्री चन्द्रजीत यादव : सरकार कुछ नहीं कर रही है सरकार सो रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सदन में आपको बता रहा हूं कि मैंने आपका पत्र आज सुबह गृह मंत्री को भेज दिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : वे इसमें देरी क्यों कर रहे हैं ? वे इसमें देरी कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह सरकार बी०पी० मण्डल आयोग की रिपोर्ट को कभी लागू नहीं करेगी...

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ? मुझे जो करना था वह कर दिया है।

श्री राम विलास पासवान : दो साल के बाद प्रेसीडेन्ट के पास वह रिपोर्ट पेश की गई, फिर आपकी अनुमति से यहां पर उस पर बहस की गई। मैं जानना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर्स कांफ्रेन्स बुलाने में क्यों विलम्ब हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं तो नहीं कर रहा हूं।

श्री राम विलास पासवान : जब दो साल हो जायेंगे तब सरकार कहेगी कि नया कमीशन गठित करने जा रही है। आप होम मिनिस्टर को डायरेक्ट कीजिए, उनसे कहिए कि वे जल्दी

से जल्दी चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस को बुलाकर मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेन्ट करें। (व्यवधान)

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला): हम सारे सदस्यों की भी यही राय है। (व्यवधान)

श्री धनिक लाल मण्डल (झंझारपुर) : श्रीमन, लास्ट सेशन में एक एश्योरेन्स दिया गया था।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने किसी आदमी पर विश्वास करना नहीं सीखा है? मैं आपसे पूछा रहा हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : विश्वास तो किया है।

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदय, हैवी इलैक्ट्रिकल्स के बारे में कहना चाहता हूं—लीबिया के एक 100 करोड़ के प्रोजेक्ट में 50 करोड़ का घाटा है। यहां सदन को गलत जानकारी दी गई है। मैंने प्रिवलेज का मोशन दिया है...

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया 115 के अन्तर्गत आ जाइये।

श्री कृष्ण चन्द हाल्दर (दुर्गापुर) : आज मुझे श्री प्रकाश चन्द सेठी के सैंतालीसवें संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक नोट मिला है परन्तु मुझे विधेयक नहीं मिला है। महोदय, मेरे साथ यह भेदभाव क्यों किया गया···अन्य सदस्यों से···आपको मिला है ?

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय; अभी आप ने कहा—मंडल कमीशन की रिपोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए के यादव जी की चिट्ठी को भेज दिया गया है···

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही इस बारे में सुना है। आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें कोई नई बात नहीं है।

श्री रामविलास पासवान : माननीय मंत्री ने कहा है कि वह मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलायेंगे उसका क्या हुआ ?··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी आप बोलिए। उनकी बातों को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है। आपकी बात को कार्यवाही वृतान्त में शामिल किया जा रहा है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, आज सत्र का अन्तिम दिन है···

अध्यक्ष महोदय : यह आप कैसे कह सकते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : जब तक वे घोषणा नहीं करते हैं, तब तक तो यही समझेंगे कि आज आखिरी दिन है···

श्री रामविलास पासवान : आपके लिस्ट-आफ-बिजनेस के मुताबिक···

अध्यक्ष महोदय : आज आखिरी दिन है मैंने चार बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह सवाल भी उठा रहा हूं कि हमारे देश में 10 लाख केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं और वे बोनस की मांग कर रहे है। उनके बोनस के बारे में सरकार बयान दे।

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी आप इस मुद्दे को ऐसे नहीं उठा सकते। ···नहीं, नहीं। अनुमति नहीं दी जा रही है।

श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) : स्वतन्त्रता दिवस को सैनिकों द्वारा गोली चलाये जाने पर 5 सीमा सड़क संगठन के कर्मकार मारे गए थे, मैंने स्थगन प्रस्ताव की पूर्व सूचना दी थी···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, अनुमति नहीं दी जायेगी···आपका क्या है श्री सुन्दरराजन्

श्री एम० सुन्दरराजन (शिवकाशी) : हमारे माननीय सदस्य श्री मायातेवर तथा 'मुरासोली' के सम्पादक के विरुद्ध हमारे विशेषाधिकार प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है।

श्री के० मायातेवर (डिन्डीगल) : महोदय, मैं संसद में दिये गये अपने भाषण पर उठाये गये किसी भी विशेषाधिकार प्रस्ताव पर आपत्ति उठाता हूं। इससे मेरे विशेषाधिकार के विरुद्ध दूसरा विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जायेगा। अतः इसको अस्वीकृत किया जाये।

श्री धनिक लाल मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार के सिंघभूम जिले में गया था। वहां भूख से मौतें हो रही हैं···

अध्यक्ष महोदय : परसों इसको डिस्कस किया है।

श्री धनिक लाल मंडल : फायरिंग भी हो रही हैं। वहां ईटागढ़ में फायरिंग हुई है। अब इस सरकार को नहीं चलने देना है···

अध्यक्ष महोदय : कृपया चिल्लाइये नहीं।

श्री धनिक लाल मंडल : एक तरफ मौत हो रही है, दूसरी तरफ सरकार लोगों को गोलियों से मार रही है···

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे, श्री जगन्नाथ कौशल।

श्री धनिक लाल मंडल : मैं सभी अखबारों की कटिंग लाया हूं··· (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत अधिसूचना विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : श्री जगन्नाथ कौशल की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1979 की धारा 22-क की उपधारा 3 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 764 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 25 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसमें यह निदेश दिया गया है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 21 और 22 के उपबन्ध उस सामान के उत्पादन में वृद्धि करने के किसी प्रस्ताव पर अथवा उन सेवाओं की व्यवस्था पर लागू नहीं होंगे जो भारत से बाहर माल निर्यात करने के लिए हैं अथवा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्बाध व्यापार क्षेत्र में स्थापित अथवा स्थापित किए जाने वाले किसी उपक्रम से सम्बन्धित हैं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5629/82]

जेनेवा में जून, 1981 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 67वें अधिवेशन में स्वीकृत कन्वेंशनों और सिफारिशों पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में विवरण

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : जेनेवा में जून, 1981 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 67वें अधिवेशन में स्वीकृत कन्वेंशनों और सिफारिशों पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5630/82]

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण, *दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 का वार्षिक तथा आवास और नागरीय विकास*

निगम लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उनकी समीक्षा।

निर्माण और आवास मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं श्री भीष्म नारायण सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं;

(1) लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित (विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) विवरण संख्या 19—छठा सत्र, 1978	छठी लोक सभा
(दो) विवरण संख्या 24—सातवां सत्र, 1979	
(तीन) विवरण संख्या 14—दूसरा सत्र, 1980	सातवीं लोक सभा
(चार) विवरण संख्या 21—तीसरा सत्र, 1980	
(पांच) विवरण संख्या 15—चौथा सत्र, 1980	
(छः) विवरण संख्या 15—पांचवां सत्र, 1981	
(सात) विवरण संख्या 9—छठा सत्र, 1981	
(आठ) विवरण संख्या 7—सातवां सत्र, 1981	
(नौ) विवरण संख्या 6—आठवां सत्र, 1982	
(दस) विवरण संख्या 2—नवां सत्र, 1982	
(ग्यारह) विवरण संख्या 1—दसवां सत्र, 1982	

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5631/82]

(2) दिल्ली नागरी कला अधिनियम, 1973 की धारा 19 के अन्तर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(3) दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5632/82]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आवास और नगरीय विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) आवास और नगरीय विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5633/82]

स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर का वर्ष 1881-82 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उसकी समीक्षा तथा 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति' के शुद्धि पत्र का विवरण

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी शंकरानन्द) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)

(एक) स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर का वर्ष 1981-82 सा वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5634/82]

(तीन) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति", जो 5 नवम्बर, 1982 को सभा पटल पर रखी गई थी के शुद्धि-पत्र समेत एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5635/82]

केन्द्रीय लुग्दी और कागज अनुसंधान संस्थान देहरादून के वर्ष 1980-81 का प्रतिवेदन तथा उसकी सरकार द्वारा समीक्षा तथा विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण व स्पोनेज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1981-82 का तथा कुडरेमुख आयरन और ओर कम्पनी लिमिटेड बंगलोर का वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उनकी समीक्षा

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : श्री नारायण दत्त तिवारी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) केन्द्रीय लुग्दी और कागज अनुसंधान संस्थान, देहरादून, का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय लुग्दी और कागज अनुसंधान संस्थान, देहरादून, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब होने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5636/82]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) स्पोनेज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्पोनेज आयरन इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सख्या एल० टी० 5637/82]

(ख) (एक) कुडरेमुख आयर और ओर कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुडरेमुख आयरन और ओर कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5638/82]

उड़ीसा राज्य की जगन्नाथ कोयला खान में 24 जून 1981 को हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में जांच न्यायालय का प्रतिवेदन

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : मैं श्रीमती मोहसिना किदवाई की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

उड़ीसा राज्य के ढेंकनाल जिले में जगन्नाथ कोयला खान में 24 जून, 1981 को हुई दुर्घटना की सम्बन्धी जांच न्यायालय के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०5639/82)

पटसन धागा और पटसन डोर का निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) नियम 1982, तथा उसकी समीक्षा तथा हिन्दुस्तान डायमंड कम्पनी लिमिटेड बम्बई का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसकी समीक्षा

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पटसन धागा और पटसन डोर का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 23 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 3619 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5640/82]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) हिन्दुस्तान डायमंड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिन्दुस्तान डायमंड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5641/82]

(3) (एक) उन अनुसंधान एसोसिएशन, ठाणे का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उन अनुसंधान एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5642/82]

(4) (एक) खनिज तथा धातु व्यापार निगम में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को रोजगार देने के बारे में श्री राजेश पायलट के अतारांकित प्रश्न संख्या 216 के 9 जुलाई, 1982 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करने और (दो) उत्तर को शुद्ध करने में विलम्ब होने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 5643/82]

अध्यक्ष महोदय : एक बात सुनिये—मैं हाउस का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं—जो सब्जेक्ट डिस्कस करवा दिया जाये और मंशा के मुताबिक डिस्कस करवा दिया जाये, अभी परसों इस पर डिस्कशन हुआ है और आज मेरे माननीय सदस्य फिर हाउस का वक्त जाया करने पर तुले हुए हैं—

यह एकदम असम्भव है। मैं इसे पसन्द नहीं करता—यह असम्भव है। मैं इसे पसन्द नहीं करता··· (व्यवधान)

श्री घनिक लाल मंडल (झंझारपुर) : एक मिनट सुन लीजिए—वहां पर लगातार मौतें हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । अनुमति नहीं दी जाती है । मैंने कुछ दिन पहले ही इस पर चर्चा करायी है और आप प्रतिदिन सभा पर इसको जबरदस्ती से थोप नहीं सकते···नहीं, नहीं आप इसको सभा पर थोप नहीं सकते ।

श्री धानिक लाल मंडल : मैं इसको जबरदस्ती से बिलकुल नहीं थोप रहा हूं । मैं केवल निवेदन कर रहा हूं ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने* बोला है । एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा है—वह डेथ्स नहीं हुई हैं—जब कि वहां पर डेथ्स हुई हैं ।

श्री धनिक लाल मंडल : यह पार्लियामेंट तो केवल एक फार्मलिटी सी हो गया है ।···

(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह कश्यप (आंवला) : बिहार की हालत बहुत खराब होती जा रही है ।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई आदमी है जो इनसे बात कर सके ।

यह एकदम असम्भव है । मैंने एक चर्चा की अनुमति दे दी है फिर भी आप मुझ पर दबाव डाल रहे हैं । यह असम्भव है ।

श्री धनिक लाल मंडल : महोदय, मैं आप पर दबाव नहीं डाल रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जब अतिक्रमण होता है, तब मुझे कष्ट होता है ।

श्री राम विलास पासवान : कभी-कभी मंत्री जी को भी डांट दिया कीजिए—

अध्यक्ष महोदय : मैं बिलकुल डांट देता हूं । मैं बिलकुल डांट दूंगा ।

दूसरे प्रेस आयोग का प्रतिवेदन खण्ड 1 और 2 तथा प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : मैं जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) दूसरे प्रेस आयोग का प्रतिवेदन, खण्ड 1 और 2

(2) प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5644/82]

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

समुद्र सम्बन्धी नीति के बारे में विवरण

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मन्त्रालय के गैर-पारस्परिक

ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : मैं समुद्र सम्बन्धी नीति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5645/82]

इंडियन आयल कारपोरेशन, बम्बई के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5646/82]

प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद के वर्ष 1981-82, मिश्र धातु निगम लि० हैदराबाद के वर्ष 1981-82, भारत अर्थ मूवर्स लि० बंगलौर के वर्ष 1981-82 तथा भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के वर्ष 1981-81 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 5649/82]

(2) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे, तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए। संख्या एल० टी० 5650/82]

(3) (एक) भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5651/82]

(4) (एक) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी०/5652/82]

भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) संशोधन नियम, 1982 और भारत में भाषायी अल्पसंख्यकों के उपायुक्त का जुलाई, 1978 से, जून 1978 तक की अवधि का 20वां प्रतिवेदन और प्रतिवेदन के बारे में एक व्याख्यात्मक टिप्पण तथा विलम्ब होने के कारण बताने वाले एक विवरण।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) संशोधन नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 23 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि०, 880 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5647/82]

(2) भारत में भाषायी अल्पसंख्यकों के उपायुक्त का जुलाई, 1978 से जून, 1980 तक की अवधि के 20वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) प्रतिवेदन के बारे में एक व्याख्यात्मक टिप्पण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5648/82]

अध्यक्ष महोदय : श्री धर्मवीर । (व्यवधान)

मैं सभा के किसी भी सुझाव से मुक्त नहीं हूं । मैं दिए गए सुझावों के अनुसार चलता हूं । फिर भी आप मुझ से सहयोग करने का प्रयास नहीं करते हैं । मैं सभा की इच्छानुसार काम करता हूं । आपको सहयोग क्यों नहीं करना चाहिए ?

श्री धर्मवीर ।

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) नियम 1982 तथा चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1981

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 की धारा 12 की उपधारा (4) के अन्तर्गत बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 21 अगस्त, 1982 और 2 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 2002/839 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 5653/82]

(2) चूना पत्थर तथा डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 की धारा 16 की उपधारा (4) के अन्तर्गत चूना-पत्थर तथा डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1981 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 12 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सँख्या सा० का० नि० 550 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 5654/82]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह सदस्य पहले और मंत्री बाद में हैं । श्री पुजारी ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : क्या आप सोमवार 11.00 बजे हमें यहीं मिलेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप मुझसे नहीं मिल सकेंगे ।

सामाजिक सुरक्षा प्रमाण पत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1982, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 तथा जीवन बीमा निगम के 31 मार्च 1982 को समाप्त हुई अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा,

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 1 के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रमाण-पत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 25 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का०नि० 627 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5655/82]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा० का० नि० 638 (अ), जो 1 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो बिना पिटे ताम्बे को सीमा-शुल्क के उपसंगी शुल्क से छूट को 15 नवम्बर 1982 तक जारी रखने के बारे में है।

(दो) सा० का० नि० 639 (अ), जो 1 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो बिना पिटे ताम्बे को सीमा-शुल्क के उपसंगी शुल्क से छूट को 15 नवम्बर, 1982 तक जारी रखने के बारे में है।

(तीन) सा० का० नि० 640 (अ), जो 1 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण जो आटोमैटिक फलों फ्रामिंग मशीन पर आयात शुल्क की रियायती दर के बारे में है।

(चार) सा० का० नि० 628 (अ), जो 25 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो नवम एशियाई खेल, 1982 से सम्बन्धित वस्तुओं को सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5658/82]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 641 (अ), जो एक नवम्बर 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण जो ताम्बे पर निर्यात शुल्क की वर्तमान दर को जारी रखने के बारे में है।

(दो) सा० का० नि० 641 (अ) जो 1 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण जो ताम्बे के निर्माण पर वर्तमान मूल्य निर्यात शुल्क को जारी रखने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5657/82]

(4) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत भारतीय जीवन

बीमा निगम के 31 मार्च, 1982 को समाप्त हुई अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(5) भारतीय जीवन बीमा निगम के 31 मार्च, 1982 को समाप्त हुई अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 5658/82]

(6) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 43 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, (विनिर्दिष्ट औद्योगिक संस्थानों के साथ) व्यापार का निष्पादन) विनियम, 1982।

(दो) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सामान्य विनियम, 1982।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5659/82]

हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड, जयपुर के 30 सितम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा सांभर साल्टस लिमिटेड के 300 जयपुर के 30 सितम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

17. **श्री जनार्दन पुजारी :** मैं श्री कल्पनाथ राय की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के 30 सितम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड, जयपुर के, 30 सितम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 5660/82]

(ख) (एक) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर, के 30 सितम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के 30 सितम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपरोक्त (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5661/82]

———

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश

श्री जी० लक्ष्मणन (मद्रास उत्तर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई 49वीं से 52वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

———

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश

श्री पी० वी० जी० राजू (बोबिली) : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 16 अक्तूबर, 1982 को हुई बैठक का कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

———

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

अन्तिम उत्तरों का विवरण

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : मैं सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध बोर्डों के गठन तथा सम्बन्धित मामलों के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के आठवें प्रतिवेदन के अध्याय पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

———

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

अध्ययन-दौरों सम्बन्धी प्रतिवेदन

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के अध्ययन दौरों सम्बन्धी निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) समिति के अध्ययन दल-एक के त्रिवेन्द्रम, कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली, नेवेली, पांडिचेरी और मद्रास के सितम्बर, 1982 के दौरान किए गए अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

(2) समिति के अध्ययन दल-दो के अहमदाबाद, वड़ोदरा, जूनागढ़, राजकोट और बम्बई के सितम्बर, 1982 के दौरान किए गए अध्ययन-दौरे का प्रतिवेदन ।

———

लोक लेखा समिति

104वां 121वां और 122वां प्रतिवेदन

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण के सम्बन्ध में समिति के अठारहवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 104वां प्रतिवेदन ।

(2) स्वीकृत अनुदानों से अधिक तथा प्रभारित विनियोगों (1980-81) के सम्बन्ध में 121वां प्रतिवेदन तथा 57वें और 61वें प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही ।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1979-80 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड सम्बन्धी पैरा 1 के बारे में 122वां प्रतिवेदन ।

———

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

52वां और 53वां प्रतिवेदन

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) आवास और नगरीय विकास निगम लिमिटेड—ग्रामीण आवास के बारे में समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में बावनवां प्रतिवेदन।

(2) जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड—नियोजन और उपरि-खर्च के बारे में समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में त्रेपनवां प्रतिवेदन।

———

याचिका समिति

11वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री अजीत कुमार साहा (विष्णुपुर) : मैं याचिका समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं :—

(1) ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) चौंतीसवीं से छत्तीसवीं तक बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

———

रेल अभिसमय समिति

सातवां प्रतिवेदन

श्री डूमर लाल बैठा (अररिया) : मैंने वर्ष 1980-81 से 1983-84 के लाभांश की दर और अन्य आनुषंगिक मामलों के सम्बन्ध में रेल अभिसमय समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

हीरा-व्यापरियों की तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों के बारे में दिनांक 22-10-82 के तारांकित प्रश्न संख्या 302 के उत्तर को शुद्ध करने के लिए वक्तव्य

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : महोदय, हीरे के व्यापारियों के तस्करी सम्बंधी क्रियाकलापों पर लोक सभा में 22 अक्तूबर 1982 को पूछे गये तारांकित प्रश्न

हीरा-व्यापारियों की तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों के बारे में दिनांक 22-10-82 के तारांकित प्रश्न संख्या 302 के उत्तर को शुद्ध करने के लिए वक्तव्य

संख्या 302 के उत्तर के सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्नों के दौरान माननीय सदस्य श्री भेरावदन के० मधावी ने यह पूछा था कि क्या उत्तर में दिए गए आंकड़ों में उन हीरों के अभिग्रहण भी शामिल हैं जो हवाई अड्डों पर उस समय किये जाते हैं जब लोग विदेशों से आते हैं। मैंने यह उत्तर दिया था कि इन आंकड़ों में इस प्रकार के अभिग्रहण उस सीमा तक शामिल हैं जितना हम पता लगा सके हैं।

रिकार्ड की जांच करने पर मुझे पता चला है कि उत्तर में दिये गये आंकड़े हीरों के केवल उन अभिग्रहणों से ही सम्बन्धित हैं जो परिसरों की तलाशियां लेने के दौरान किये गये। इस प्रकार उत्तर में दिए गए आंकड़ों में उन हीरों के अभिग्रहण शामिल नहीं हैं जो हवाई अड्डों पर किये गये।

अध्यक्ष महोदय : श्री ए० के राय। आप क्या चाहते हैं ?

श्री ए० के० राय (धनबाद) : महोदय, मैं केवल एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। आप जानते ही हैं 8 नवम्बर को कोयला मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल होने वाली है।

अध्यक्ष महोदय : उसका इस समय सभा की कार्यवाही से क्या सम्बन्ध है ?

श्री ए० के० राय : मैं केवल इतना चाहता हूं श्रम मंत्री या खान मंत्री सरकार की ओर से इस बारे में बयान दें।

अध्यक्ष महोदय : आप आइये और मुझे मिलिए।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, आपने एक अभिकथन किया था "आप कैसे जानते हैं कि आज सत्र का अन्तिम दिन है ?"

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि कार्य मंत्रणा समिति की चार बजे बैठक हो रही है।

श्री चन्द्रजीत यादव : इससे अनिश्चितता पैदा होती है। उदाहरणार्थ, आज आखिरी दिन होने के कारण मैं दिल्ली से बाहर जा रहा हूं।

जब आप पीठासीन हैं तो इतनी अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। इस मामले में किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए।

संविधान (47वां संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : विधेयक पुर:स्थापित किया जाएगा। श्री पी० वेंकटसुब्बय्या।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैं विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : पहले पुर:स्थापित करने दें। जब तक वह पुर:स्थापित नहीं करेंगे आप विरोध किसका करेंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : श्री प्रकाश चन्द्र सेठी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी। उपस्थित नहीं हैं। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं श्री वाजपेयी का प्रतिस्थापन नहीं हो सकता। मैं इस विधेयक का दो आधारों पर विरोध कर रहा हूं। यदि मंत्री जी मुझे संतोषजनक उत्तर दे दें तो तो मैं अपनी आपत्ति वापस ले लूंगा।

मेरी पहली आपत्ति यह है कि यह एक बहुत छोटे क्षेत्र से सम्बद्ध है। अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व और मान्यता की बात विभिन्न राज्यों से उठाई गई है। उदाहरणार्थ, मुझे दार्जिलिंग क्षेत्र से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं कि वहां भी अनेक कबीले हैं जिन्हें मान्यता दी जानी चाहिए। काश्मीर में, लद्दाख क्षेत्र में भी ऐसी मांग उठाई गई है। इस प्रकार की मांगें हैं। इसलिए उनको एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए था। इसमें पहले ही काफी विलम्ब हो चुका है। आश्चर्य की बात है कि एक व्यापक विधेयक न लाकर सरकार ऐसा छोटा विधेयक ला रही है। दूसरी आपत्ति यह है। मेरी समझ में यह नहीं आया कि नागालैंड में होने जा रहे चुनावों पर इसका क्या प्रभाव होगा। यह आरक्षण को कैसे प्रभावित करता है ? इस प्रश्न का उत्तर भी दिया जाना चाहिए क्योंकि इसका विस्तार नागालैंड तक है। अत: मंत्री जी को कुछ मुद्दों का स्पष्टीकरण करना चाहिए।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : महोदय, डा० स्वामी ने इस संशोधी विधेयक की भावना को ठीक से नहीं समझा है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपने इसे स्पष्ट नहीं किया है। यह आपकी गलती है।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मैं उनका ध्यान अनुच्छेद 330 की ओर दिलाना चाहूंगा। इसमें कहा गया है।

"(1) लोक सभा में निम्नलिखित के लिए सीट आरक्षित होंगी—

(क) अनुसूचित जातियां

(ख) अनुसूचित जनजातियां—निम्न स्थानों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर—

(एक) असम के जनजाति क्षेत्र की

(दो) नागालैंड की

(तीन) मेघालय की

(चार) अरुणाचल प्रदेश की; और

(पांच) मिजोरम की।

ये राज्य जनजाति बाहुल्य राज्य है।

संविधान के इस अनुच्छेद में इन स्थानों को सामान्य स्थान माना गया है। जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में यह आशंका है कि उनका प्रतिनिधित्व, उनके क्षेत्र की जनसंख्या के अनुरूप नहीं है। इसीलिए यह संशोधी विधेयक लाया गया है। वस्तुतः मेघालय विधान सभा ने 1980 में एक संकल्प पास किया था जिसमें उस राज्य में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के लिये स्थानों के आरक्षण की मांग की गई थी। उन्होंने यह पूछा है कि जब विधान सभा ने संकल्प 1980 में पास कर दिया था तो इसमें विलम्ब क्यों हुआ ?

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

हमें उन अन्य राज्यों से जानकारी लेनी है और उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करनी है जिनकी स्थिति इसी प्रकार की है। उदाहरण के लिये नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की मांग है। अन्य संघ शासित क्षेत्रों के लिये भी हमें प्रासंगिक संशोधन करना पड़ेगा। संघ-राज्य क्षेत्र अधिनियम तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में भी उपर्युक्त संशोधन करना होगा। इन्हीं कारणों से सरकार यह संशोधी विधेयक लाई है।

मेरे दोस्त ने दार्जिलिंग एवं अन्य क्षेत्रों की जनजातियों के बारे में उल्लेख किया है। उनकी स्थिति बिलकुल भिन्न है। वह चाहते हैं कि उन्हें जनजाति क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जाये। यह जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होता है और उन अन्य क्षेत्रों पर भी लागू होता है और जिनका जिक्र माननीय सदस्य ने किया है। इसका वर्तमान संशोधी विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझे आशा है कि मेरे दोस्त का समाधान पूरी तरह हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, लगता है वह संतुष्ट हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप यह कैसे कह सकते हैं ? पर आपने कह दिया तो मैं मान लेता हूं कि मैं संतुष्ट हूं। पर नागालैंड की क्या स्थिति है ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : यह नागालैंड के चुनावों में बाधक नहीं होगा । मैंने यह उद्देश्यों और कारणों के कथन में स्पष्ट रूप से कहा है । और यदि आप विधेयक का अध्ययन करेंगे तो बिलकुल स्पष्ट हो जाएगा कि यह नागालैंड और मेघालय के चुनावों पर लागू नहीं होता । यह विधेयक संसद द्वारा पास किये जाने के उपरांत ही प्रभावी होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

———

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) देश में कुछ इस्पात परियोजनाओं की विस्तार योजनाओं को कार्यान्वित करने में विलम्ब

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर)* : उपाध्यक्ष महोदय, भिलाई, बुकारो और राऊरकेला जैसे बड़े इस्पात कारखानों की कुछ विस्तार योजनाओं के कार्यान्वयन में अनावश्यक विलम्ब हुआ है । इस विलम्ब का मुख्य कारण है उपकरण पूर्तिकर्ताओं और निर्माण एजेंसियों द्वारा समय पर अपने वायदे पूरे न करना । इस विलम्ब के कारण परिव्यय में 1500 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है । इन परियोजनाओं के लागत अनुमान काफी बढ़ गए हैं क्योंकि इनका कार्यक्षेत्र बदल जाने के कारण उनके काम में वृद्धि हुई है ।

भारत सरकार ने इन इस्पात कारखानों के विस्तार कार्यक्रम को छठी योजना काल में आरम्भ करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, किन्तु अगर स्थिति इसी प्रकार चलती रही तो इन इस्पात कारखानों की विस्तार योजनाएं इस चालू योजना अवधि में पूरी नहीं हो सकेंगी ।

अत: भारत सरकार को एक विशेष सैल गठित करना चाहिए जो इन परियोजनाओं की विस्तार योजना के कार्यान्वयन में हुये विलम्ब के विभिन्न कारणों का जांच करेगा । इन योजनाओं को निर्धारित समय पूरा करने एवं उनका विस्तार और आधुनिकीकरण करने के लिये उपायोमार्ग ढूंढे जाने चाहिये ।

*उड़िया में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

(दो) सरकार के लेखन-सामग्री कार्यालयों के कर्मचारियों को बोनस

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : कर्मचारियों द्वारा लगातार मांग करने एवं आन्दोलन किये जाने के बाद भारत सरकार ने सरकारी मुद्रण प्रक्रिया से सम्बद्ध सरकारी कर्मचारियों को उत्पादनकर्ता से सम्बन्ध बोनस देने की मंजूरी दी है। तथापि, आश्चर्य की बात है कि सरकार के लेखन सामग्री कार्यालयों के कर्मचारियों को यह बोनस नहीं दिया गया है। लेखन सामग्री कार्यालय प्रिंटिंग प्रेसों के सहायक कार्यालय हैं तथा भारत सरकार के मुद्रणालय, लेखन सामग्री एवं प्रकाशन विभाग के अभिन्न अंग हैं। लेखन सामग्री कार्यालयों के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी के लाभ से वंचित करने का कोई औचित्य नहीं है। मुद्रण, लेखन सामग्री और प्रकाशन कर्मचारियों का राष्ट्रीय फ़ेडरेशन यह बात सरकार के ध्यान में ला चुका है कि लेखन-सामग्री कार्यालयों के कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह लेखन सामग्री कार्यालयों के कर्मचारियों को तुरन्त बोनस का भुगतान करें।

वर्ष 1980-81 के लिए केवल 15 दिन के लिए उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस दिया गया है। जो शायद तदर्थ आधार पर संगणित किया गया है। यह भी जरूरी है कि प्रिंटिंग, लेखन सामग्री और प्रकाशन कर्मचारियों के राष्ट्रीय फेडरेशन के साथ विचार-विमर्श करने के उपरान्त उत्पादकता पर आधारित बोनस का हिसाब लगाने के लिये एक सूत्र तैयार किया जाना चाहिये। वर्ष 1979-80 और 1981-82 के लिये बोनस रकम का समुचित हिसाब लगाकर उसकी कर्मचारियों को शीघ्र अदायगी की जानी चाहिये

(तीन) उड़ीसा में कोयला खानों का विकास

श्री रासबिहारी बहेरा (कालाहंडी)* : उड़ीसा में दो कोयला क्षेत्र हैं, अर्थात् तालचेर और आई० बी० घाटी। तालचेर कोयला क्षेत्र केन्द्रीय कोयला क्षेत्र लिमिटेड, रांची के प्रशासनिक नियन्त्रण में है और आई० बी० घाटी क्षेत्र पश्चिम कोयला क्षेत्र, नागपुर के अधीन है। दोनों कोयला क्षेत्रों में लगभग 30 लाख टन गैर-कोकिंग कोयले का उत्पादन होता है जो देश के कोयले के कुल उत्पादन का 2.7 प्रतिशत है। तालचेर और आई० बी० घाटी के कोयला क्षेत्रों में कोयले के भण्डार, जो दोनों मिलाकर देश में गैर-कोकिंग कोयले के सबसे बड़े भण्डार हैं, 3,50,000 लाख टन होने का अनुमान है। दुर्भाग्यवश कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी दो सहायक कम्पनियां अर्थात् सी० सी० एल० और डब्ल्यु० सी० एल० द्वारा उड़ीसा में कोयले के विकास पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।

उड़ीसा में कोयले के प्रभावी विकास के लिए यह आवश्यक है कि इन दोनों कोयला क्षेत्रों को कोल इंडिया लिमिटेड की एक अलग सहायक कम्पनी के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा जाये

*उड़िया में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

जिसका मुख्यालय, जैसी भी सुविधा हो भुबनेश्वर अथवा तालचेर या ब्रजराज नगर बनाया जाये। आई० बी० घाटी कोयला क्षेत्र के बड़े खनन योग्य भण्डार पर आधारित उस क्षेत्र में एक सुपर ताप बिजली घर की स्थापना की जा सकती है जिससे उड़ीसा के औद्योगिक आंचल की बिजली की बढ़ती हुई आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं।

इसे ध्यान में रखते हुए मेरा माननीय ऊर्जा मन्त्री से निवेदन है कि वह इस पर विचार करें और उड़ीसा में कोयले के विकास के लिए सभी सम्भव सहायता दें।

(चार) सुकिन्दा (उड़ीसा) में विकास परियोजना स्थापित करना

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) :* सुकिन्दा निकल परियोजना की स्थापना में अनावश्यक विलम्ब के कारण उड़ीसा के लोगों में गम्भीर असंतोष पैदा हो गया है। भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान ने 1970 में कटक जिले में सुकिन्दा घाटी में खनिज के भारी भण्डारों का पता लगाया। बाद में भारत सरकार ने 1971-72 के दौरान निकलयुक्त धातु के देश में उत्पादन के लिए एक परियोजना पर विचार किया। किन्तु यह खेद की बात है कि यद्यपि तब से एक दशक से अधिक समय बीत चुका है, किन्तु उपर्युक्त संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को क्रियान्वित नहीं किया गया है। भारत निकल और कोबाल्ट की अपनी समस्त आवश्यकता के पूर्ति के लिए बाहर से आयात करता है और इस पर 30 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा हर वर्ष बाहर जाती है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत संयंत्र की वार्षिक क्षमता 5,000 टन की निश्चित की गई थी। किसी भी सक्षम संयंत्र के लिए न्यूनतम क्षमता 10,000 टन वार्षिक से कम नहीं होनी चाहिए जो कि आगामी कुछ वर्षों की वार्षिक आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त होगी।

यदि सुकिन्दा में निकल संयंत्र की स्थापना हो जाती है तो सरकार के आयात बिल में प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की कमी होगी। इसके अलावा उपर्युक्त संयंत्र में हजारों लोगों को हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। सुकिन्दा घाटी में कन्सा क्षेत्र में खनिज निकल की 150 लाख टन की उपलब्धता के आधार पर 5,000 टन की वार्षिक क्षमता के उत्पादन का अनुमान लगाया गया था। चूंकि सुकिन्दा घाटी में 140 लाख टन और निकल मिला है अतः कम से कम 10,000 टन की वार्षिक क्षमता के एक निकल संयंत्र की स्थापना सम्भव है।

इसे ध्यान में रखते हुए मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र कदम उठाये जायें जिससे राष्ट्रीय हित में इस प्रकार की महत्वपूर्ण परियोजना स्थापित की जा सके।

*उड़िया में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

(पांच) दुर्ग भुसावल रेल लाइन का प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण करने की आवश्यकता

श्री केशवराव पारधी (भंडारा) : बाम्बे-हावड़ा (कलकत्ता) मेन रेलवे लाइन है जिसमें बाम्बे से भुसावल तक रेलवे लाइन का इलैक्ट्रिफिकेशन हो चुका है जो कि सेन्ट्रल रेलवे के अधीन है और हावड़ा से दुर्ग तक रेलवे लाइन का भी इलैक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। जो कि साउथ-इस्टर्न रेलवे के अधीन है। बीच में दुर्ग से लेकर भुसावल तक रेलवे लाइन का इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ नहीं है। जब कि इसी लाइन पर भिलाई जैसा लोहे का कारखाना, फैरोमैंगनीज के तीन कारखाने और अकोला, अमरावती, नागपुर, गोन्दिया, राजनन्दगांव जैसे औद्योगिक नगर हैं। बिजली के सभी कारखाने पारस (भुसावल) रमापर खेडा, कोराड़ी और पेंच जल विद्युत परियोजना है जिससे रेलवे को बिजली सरलता से मिल सकती है। रेलवे लाइन भी डबल है। भुसावल से नागपुर तक इलैक्ट्रिफिकेशन के लिए प्राथमिकता दे कर रकम भी पिछले वर्ष बजट में रखी गई थी और काम भी प्रारम्भ किया गया। इस काम वास्ते नागपुर में आफिस के लिये काफी बड़ी बिल्डिंग किराये पर ली गई, स्टाफ के सभी स्थानान्तरण किये गये। इलैक्ट्रिफिकेशन का सर्वे भी पूरा हो चुका है, मैटीरियल भी आया पड़ा है लेकिन इस वर्ष प्राथमिकता बदल कर दूसरी लाइन को प्राथमिकता दी गई जिसका सर्वे भी नहीं हुआ, इस काम को पीछे की प्राथमिकता दे कर कार्य सीमा कर दिया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि भुसावल, नागपुर, दुर्ग रेलवे लाइन के इलैक्ट्रिफिकेशन को जैसे पहले प्राथमिकता दी गई थी वह वैसे ही इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश देने का कष्ट करें।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(छः) वित्तीय सहायता देने की दृष्टि से छोटे किसानों का पता लगाने के लिए उचित सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : सरकार ने सभी किसानों की सहायता करने के लिए—जिनके पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है—एक दशक पहले लघु किसान विकास एजेन्सी की स्थापना की थी किन्तु क्षेत्रीय विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रायोजित एक अध्ययन के अनुसार इसका शायद ही कोई प्रभाव पड़ा हो। लघु किसान विकास एजेन्सी ने कार्य का आरम्भ ही बहुत धीमी गति से किया है। यह 10 लाख परिवारों से अधिक परिवारों को एक वर्ष में पहुँच नहीं पाती है। इस गति से 500 लाख भूमिहीन मजदूरों तक पहुँचने में इसे 50 वर्ष लगेंगे। तब तक छोटे किसानों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जायेगी जिससे लघु किसान विकास एजेन्सी का दायित्व और बढ़ जायेगा।

लघु किसान विकास एजेन्सी में सबसे बड़ी कमी यह है कि यह उन लोगों का पता लगाने

में प्रायः असफल रहती है जिन्हें यह लाभ पहुँचाना चाहती है। अतः धनी किसान, जो कि अधिक संगठित हैं, अधिकांश राजसहायता जो यह एजेन्सी प्रदान करती है, प्रायः ले लेते हैं। जब एजेन्सी यह भी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाती है कि ये छोटे किसानों को मिलें तो इसे वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए इनकी सहायता करनी चाहिए। यह पटवारियों को सम्बद्ध दस्तावेज शीघ्रता से प्रस्तुत करने के लिए अंकुश लगाने से हो सकता है। इसके अलावा लघु किसान विकास एजेन्सी किसानों के दुधारू पशुओं के, जिनमें से अधिकांश इससे दिये गये ऋणों से लिए गये हैं, उत्पादों का विपणन करे तो यह उनकी आय बढ़ाने में सहायता कर सकती है। कम से कम एजेन्सी यह सुनिश्चित कर सकती है कि अस्वस्थ पशु उनके गले मढ़े जायें, जैसा कि प्रायः होता है क्योंकि थोड़े से राज्यों के कार्य चालक पशु चिकित्सा विभाग हैं। अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह यह सुनिश्चित करे कि नीचे के स्तर पर कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए गरीबों की मदद करने के लिए इन कमियों के सम्बन्ध में कार्यवाई की जाये।

———

नियम 377 के अधीन वक्तव्य और विशेषाधिकार का प्रश्न

डा० गोलम यजदानी (रायगंज) : 8 अक्तूबर, 1982 को अपने ऊपर हुए हमले से मैं बाल-बाल बचा। उस रात को मैं पश्चिमी बंगाल में माल्दा जिले के चंचल पुलिस स्टेशन के उत्तरी ओर से मोटर साईकल से दल का कुछ काम करके आ रहा था। दूसरा आदमी मोटर साईकल चला रहा था। जैसी ही हम खाश चंचल पहुँचे और बाजार में प्रवेश कर रहे थे, मैंने देखा कि 'सुकान्तो मोड़' पर कुछ लोग जमा हैं, जो कि एक कुख्यात स्टाप है और जहां पर सत्ताधारी दल के लोगों की कई दूकानें हैं। एक आदमी ने हमारी मोटर साईकल रोकी। मैं नीचे उतरा और देखा कि एक भीड़ लाठी, आदि लेकर मेरी ओर बढ़ रही है। कुछ लोगों ने मुझे चेतावनी दी कि मेरे वहां रहने में बड़ा खतरा है और मुझे आगे जाना चाहिए। जब मैं मैदान से होकर दौड़ रहा था तो मैंने सुना कि कुछ लोग चिल्ला रहे हैं "डाक्टर जा रहा है, उसे पकड़ो।" मैं दौड़ा और मैदान के दक्षिण की ओर एक मकान के पास गया जहां दो आदमी दरवाजे के सामने खड़े थे। मैंने उनसे शरण देने के लिए प्रार्थना की और वे मुझे सामने के दरवाजे से अन्दर ले गये और उन्होंने दरवाजा बन्द कर दिया। कुछ मिनटों के बाद एक आदमी ने फिर प्रवेश किया कि पुलिस को सूचित किया जा चुका है और मुझसे यह भी कहा कि वह सत्ताधारी दल का आदमी है और उसने मेरे जेब और थैले की तलाशी ली और यह मालूम कर कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है वह बाहर गया और फिर से उसने दरवाजा बन्द कर दिया। फिर कुछ समय बाद जिन दो आदमियों ने मुझे शरण दी थी उनमें से एक ने कमरे में प्रवेश किया और कहा कि इस मकान का उसके अनुयायियों ने घेराव कर लिया है और मेरे लिए भारी खतरा हो

गया है। अतः उसने मुझे वहां से भाग जाने के लिए कहा। उसने मुझे पकड़कर दूसरे दरवाजे की ओर घसीटा जो सड़क की ओर खुलता है और जहां बदमाश मेरी तलाश में थे। उसने मुझे दरवाजे से बाहर धकेला और इसे बन्द कर दिया। जिस दरवाजे से मुझे बाहर धकेला गया था वह तुरन्त खुला और सत्ताधारी दल का एक आदमी लाठी लेकर मेरे पास आया और दो बार लाठी से मेरे ऊपर प्रहार किया। मैंने अपना बचाव करने का प्रयत्न किया किन्तु असफल रहा और मुझे हाथों में और सिर में भारी चोट आई। इसी बीच मेरा एक हितैषी दरवाजे के निकट आया और मुझे अन्दर जाने के लिए कहा। मैं अन्दर उसी कमरे में गया। कमरे में जाकर मैंने देखा पुलिस का एक आदमी वहां खड़ा है। पुलिस के आदमी ने मुझे अपने साथ जाने के लिए कहा था। जब मुझे बाहर मैदान में लाया गया और पुलिस ने मुझे अपनी जीप में बैठने के लिए कहा तो मैंने देखा वहां दूसरा पुलिस का आदमी भी है। केवल इसी समय मैंने देखा कि मेरे सारे कपड़े खून से भीगे हुए हैं। मैं फिर जीप में बैठा और मुझे चंचल अस्पताल ले जाया गया जहां मेरे सिर की चोट पर टांके दिये और अन्य घावों का उपचार किया गया। 10.10.82 को मुझे मालदाह के जिला अस्पताल को ले जाया गया जहां 15.10.1982 को मेरे सिर के टांके काटे गये और मुझे 16.10.82 को यह हिदायत देकर वहां से रिहा किया गया कि मैं 3 हफ्ते तक आराम करूं। मैं घर गया किन्तु मुझे असुरक्षा का निरन्तर डर बना रहा और यह आशंका हुई कि यदि मैं वहां रहूं तो मुझे जान का खतरा है अतः मैंने दिल्ली वापिस आने का निश्चय किया। और 20.10.82 को मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली आया तथा साउथ एवेन्यू के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टर की सलाह पर मुझे डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नर्सिंग होम में दाखिल कराया गया। यहां अभी भी परीक्षण चल रहा है और यहां से मैं डाक्टर की अनुमति लेकर आज वक्तव्य देने के लिए आया हूँ। इस घटना में सत्ताधारी दल का हाथ है और पुलिस को इसकी जानकारी है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है तथा आपके माध्यम से माननीय गृहमंत्री से प्रार्थना है कि इस विशेष मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गहराई से जांच करवाई जाये। मेरा यह भी निवेदन है कि चूंकि मैं यह महसूस करता हूं कि जब तक स्थिति में सुधार नहीं होता है मैं उस क्षेत्र से संसद के रूप में अपना कर्त्तव्य निभाने में असमर्थ हूं, अतः यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जाये। चूंकि मेरी जिन्दगी के लिए खतरा है अतः मैं आपसे सुरक्षा की मांग करता हूं।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व): यह बहुत ही गम्भीर मामला है और इसकी जांच की जानी चाहिए। जो कुछ उन्होंने कहा है वह बहुत दुखद है।

(व्यवधान)

श्री आनन्द गोपाल मुख्योपाध्याय (आसनसोल) : यह पुलिस के सामने हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हाल्दर आप कल श्री जगपाल सिंह के बारे में (कल) बात का समर्थन कर रहे थे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : हम इस आक्रमण की निन्दा करते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर निर्णय सभा पर छोड़ता हूं। क्या सभा चाहती है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाये ?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हमें कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु आप एक मिनट मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा की क्या राय है। मैं जैसी राय हो उनके अनुसार कार्यवाही करूंगा।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कोई निर्णय नहीं। मैं समझता हूं मैं इन दोनों मामलों को अर्थात श्री याजदानो तथा श्री जगपाल सिंह के मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजूं।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : हां।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम हमले की निन्दा करते हैं। किन्तु पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने इसकी जांच की है। यह महत्वपूर्ण है। आप कृपया मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर सिंह (बांका) : आप इस पर यहां चर्चा नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह किया जा चुका है। निर्णय दिया जा चुका है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने इसकी पहले ही जांच की है और उन्हें इसकी जानकारी है। यह उनके पारिवारिक झगड़े का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने इसकी जांच की है। हम हमले की निन्दा करते हैं। यह पारिवारिक झगड़े के कारण हुआ है। आपको सभा को कहना चाहिए कि मुख्य मंत्री ने इसकी जांच की है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने नियम 377 के अधीन वक्तव्य पढ़ लिया है।

डा० गोलम याजदानी : कोई पारिवारिक झगड़ा नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

कोई भी विवाद नहीं है। मामला निपट चुका है।

(व्यवधान)**

हां, श्री बी० डी० सिंह।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : कार्यवाही वृतान्त में यह भी सम्मिलित किया जाना चाहिए कि हम हमले की निन्दा करते हैं। वह सभा के सदस्य हैं। यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह निर्णय करना समिति का काम है। मामला समिति को भेजा गया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम भी हमले की निन्दा करते हैं। किन्तु यह भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाना चाहिए कि मुख्य मंत्री ने इसकी जांच की है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक हम यह नहीं कहते कि यह सम्मिलित नहीं किया जायेगा, यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जायेगा। ठीक है। आप बैठ जाइये। हां, कृपया श्री बी० डी० सिंह।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : 377 पर कोई चर्चा अथवा भाषण नहीं होगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या श्री जगपाल सिंह के मामले की भी सुनवाई होगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपने सुना नहीं है। जब लोग भावुक हो जाते हैं तो विवेक भी खो जाते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : कुछ बिना भावुक हुए अपना विवेक खो जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह यह कभी नहीं कहा कि श्री सत्यसाधन अपना विवेक खो रहे हैं।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : पारिवारिक झगड़े में भी यदि सम्बद्ध व्यक्ति संसद सदस्य है तो मामला सभा में आता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि प्रो० मधु दण्डवते श्रीमती प्रमिला दण्डवते को पीटते हैं यह विशेषाधिकार भंग का मामला होगा और इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : निश्चत रूप से, यह सभा पर निर्भर करता है।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : वह अहिंसा के अनुयायी हैं। अतः वह अपनी पत्नी को नहीं पीटेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : हाँ, कृपया श्री बी० डी० सिंह।

नियम 377 के अधीन मामले जारी

(सात) चीनी उद्योग का विकास करने के लिए एक स्वस्थ चीनो नीति बनाने की आवश्यकता

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में स्पष्ट चीनी नीति के अभाव में चीनी उद्योग पुनः संकटग्रस्त हो चुका है। आज उद्योग के सामने चीनी की निकासी की समस्या उत्पन्न हो गई है। किसी भी वस्तु नीति का आवश्यक तत्व है कि वस्तु का भंडार आवश्यकता से न तो बहुत अधिक हो और न बहुत कम। परन्तु चीनी की अतिरिक्त मात्रा बहुत अधिक हो चुकी है। गत 30 सितम्बर को आवश्यक भंडार 12 लाख टन का होना चाहिए था, जबकि वह 33 लाख टन का था। इस प्रकार लगभग 21 लाख टन का भंडार सामान्य से अधिक था। प्रारम्भ होने वाले मौसम में अतिरिक्त भंडार को मात्रा में और बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार समस्या और भी गम्भीर होने वाली है। मांग एवं पूर्ति में सामंजस्य के अभाव की स्पष्ट आशंका है। अगला मौसम आसन्न है और गन्ने का पिछला भुगतान अवशेष है। किसानों का करोड़ों रुपया चीनी मिलों पर बकाया है। मिलों के पास धन का अभाव है। भंडारण की समस्या है। मांग एवं पूर्ति के सामंजस्य को बनाए रखने का हर सम्भव प्रयास ही इस प्रकार के संकट से मुक्ति दिला सकता है। आवश्यकतानुसार उत्पादन को नियंत्रित करना होगा तथा चीनी की निकासी को बढ़ाना होगा। उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए खंडसारी एवं गुड़ उद्योगों को विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। जहां तक चीनी की निकासी का प्रश्न है, विश्व बाजार में चीनी के मूल्यों में ह्रास होने के कारण हमें निर्यात के 7 लाख टन के निर्धारित लक्ष्य को ही प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। घरेलू बाजार में मूल्यों की ऊंची दर के कारण उपभोग में आशातीत वृद्धि नहीं हो पा रही है। हानि उठा कर चीनी के निर्यात की गुंजाइश सीमित है। एकमात्र विकल्प घरेलू उपभोग में वृद्धि ही है और यह तभी संभव है, जब मूल्यों में पर्याप्त ह्रास हो। इसके लिए चीनी के उत्पादन व्यय को कम करने के लिए गम्भीरता से प्रयास

होना चाहिए। चीनी पर लगे केन्द्रीय करों को कम करने पर विचार करना होगा। चीनी के क्रय-विक्रय, भंडारण एवं आवागमन सम्बन्धी प्रतिबन्धों को समाप्त करना होगा।

नियंत्रित एवं अनियन्त्रित चीनी की कीमतों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार को चीनी पर से नियन्त्रण हटाने की दिशा में गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

मैं माननीय कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह सम्बन्धित संस्थाओं के सहयोग से एक सुविचारित दीर्घकालीन समन्वित दृष्टिकोण के आधार पर चीनी नीति निर्धारित करें, जिससे चीनी उद्योग आये-दिन अनिश्चितता के वातावरण से मुक्ति पा सके।

(आठ) राजस्थान के बांसवाग-डूंगरपुर स्थित लघु तथा कुटीर उद्योगों को सुविधाएं देने की आवश्यकता

श्री मीखा भाई (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन-क्षेत्र बांसवाग-डूंगरपुर के बन्द होते हुए छोटे एवं कुटीर उद्योगों की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्रीमन् इस क्षेत्र के उद्योगों सम्बन्धी कठिनाईयों के बारे में समय-समय पर सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया गया है, परन्तु इन उद्योगों की गिरती हुई स्थिति को अनदेखा किया जाता रहा है।

अनेक क्षेत्रों में भारत सरकार के लघु उद्योग विकास आयुक्त ने बहुत सी योजनाएं इस सम्बन्ध में बनाई हैं और वे कार्यान्वित हो रही हैं। ऐसी ही एक योजना दिल्ली के उद्योग-धन्धों को पनपाने के लिए अभी हाल ही में लागू हुई है। मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में भी इसी तरह की योजना लागू की जाए।

इस क्षेत्र में उद्योगों के समक्ष सबसे बड़ी कठिनाई तो विद्युत की है। अन्य कठिनाईयों में कच्चे माल का न मिलना, समय पर अपर्याप्त वित्तीय सहायता, मौजूदा प्रतिस्पर्धा का होना एवं इन उद्योगों द्वारा बनाई हुई चीजों के बेचने में कठिनाई आदि हैं। रेल सेवा का अभाव, टेलीफोन व्यवस्था का सुचारु रूप से न चलना इन कठिनाईयों को और भी बढ़ावा दे रहे हैं। ये व्यवस्थाएं शीघ्र ही इन उद्योगों के बचाव से लिए आवश्यक है। छोटे उद्योगों के घाटा उठाने की क्षमता अधिक नहीं होती। इस कारण वे शीघ्र ही बन्द हो जाते हैं। इससे जनता के छोटे तबकों को विशेषकर संकट हो जाता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे इस ओर तुरन्त कार्यवाही करे।

(नौ) महाराष्ट्र में कक्षा आठ की इतिहास की पाठ्यपुस्तक को बाधित करने की मांग

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने प्रायः इस सम्बन्ध में अपनी गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है कि पाठ्यपुस्तकें ऐतिहासिक विकृतियों एवं साम्प्रदायिक पक्षपात से मुक्त होनी चाहिए। किन्तु दुर्भाग्य से अभी भी हमारी शिक्षा संस्थाओं में इसी प्रकार

की पाठ्यपुस्तकें ही अध्ययन के लिए निर्धारित की जाती हैं। महाराष्ट्र के स्कूलों में आठवीं श्रेणी के लिए निर्धारित इतिहास की पाठ्यपुस्तक के सम्बन्ध में वहाँ पर लोगों में जबरदस्त उत्तेजना, चिन्ता और असन्तोष व्याप्त है क्योंकि लगभग सभी भाषाओं में और विशेष रूप से मराठी और उर्दू में इस पुस्तक के 'इस्लाम का उरुज' अध्याय में दी गई सामग्री बहुत ही भ्रान्ति पूर्ण, धर्म विरोधी एवं उत्तेजनापूर्ण है। इस पाठ्यपुस्तक के विरुद्ध वहां जन आन्दोलन हो रहा है। इतिहास की इस पुस्तक के अन्य अध्यायों में भी अशुद्धियों, विकृतियों तथा गैर-जिम्मेदार बयानों की भरमार है। इस पुस्तक में कई स्थानों पर तो तिथियों भी हास्यास्पद रूप से गलत दी गई है जिनके कारण दो-दो शताब्दियों तक का लम्बा अन्तराल पैदा हो गया है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पुस्तक को गैर-कानूनी घोषित करने तथा उसे जब्त करने की तुरन्त आवश्यकता है तथा सरकार इस सम्बन्ध में सदन में वक्तव्य दे कि इस प्रकार की पाठ्यपुस्तक को अध्ययन के लिए कैसे निर्धारित किया गया और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इस सम्बन्ध में उठाये गए कदमों के बारे में भी बताया जाये।

(दस) डिंडिगल, तमिलनाडु के लोगों को पेय जल तथा बिजली की आपूर्ति

श्री के. मायातेवर (डिंडीगल) : उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु सरकार किसानों को सिंचाई के पम्पसेटों के लिए बिजली देने में असफल रही है। मेरे डिंडिगल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में किसानों को बिजली सप्लाई में अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ रहा है। शहरों एवं गांवों में भी बिजली नहीं मिल रही है। वहां पर समूचे कृषि एवं औद्योगिक उत्पादनों पर गम्भीर रूप से प्रभाव पड़ा है। डिंडिगल के शहरों तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्य शहरों में पांच दिनों में एक बार ही पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र की जनता को पीने का पानी खरीदना पड़ रहा है। जिसके लिए उन्हें 25 नये पैसे से लेकर 1.50 पैसे प्रति घड़े के देने पड़ते हैं। बिजली सप्लाई के अभाव में किसान न तो अपनी खड़ी फसलें ही बचा पा रहे हैं और न नई फसलें ही उगा सकते हैं। मैंने कुछ महीने पहले डिंडिगल शहर में इन मांगों के लिए भूख हड़ताल की थी। किन्तु सम्बद्ध प्राधिकारियों ने उन मांगों के कार्यान्वयन की घोर उपेक्षा की है क्योंकि मैं वहां विपक्षी डी. एम. के. पार्टी से सम्बद्ध हूँ।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार, विशेष रूप से बिजली एवं सिंचाई मन्त्रालय से अनुरोध करता हूँ कि वे तमिलनाडु सरकार को निर्देश दें कि वे सभी किसानों एवं मेरे निर्वाचन क्षेत्र की समस्त जनता के लिए (1) पीने का पानी, एवं (2) बिजली की सप्लाई की व्यवस्था करें।

(ग्यारह) कृषि मजदूरों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु उनकी मजदूरी में वृद्धि करने की तत्काल आवश्यकता

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन

देश के कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी के महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

देश के विभिन्न भागों में कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी आज के महंगाई से त्रस्त समय में सबसे कम है। देश के उन्नत व समृद्ध राज्य महाराष्ट्र के मजदूर को अधिकृत सूचना के अनुसार केवल 4 रुपये से साढ़े-पांच रुपये तथा उड़ीसा में 5 रुपये प्रतिदिन कृषि मजदूर को मजदूरी दी जाती है। कुछ अन्य राज्यों में मजदूरों की स्थिति इससे बेहतर नहीं है और असंगठित होने के कारण खेतिहर मजदूरों का शोषण जारी है।

कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के मामले में हरियाणा, पंजाब व केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ सबसे आगे हैं, जहां न्यूनतम मजदूरी 14 रुपये प्रतिदिन है।

केन्द्रीय सरकार ने कुछ ही समय पूर्व केन्द्रीय क्षेत्रों के कृषि मजदूरों के लिए 5 रुपये 75 पैसे से 10 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी घोषित की थी। यद्यपि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित ये दरें राज्य सरकारों के लिये अनिवार्य नहीं है तथापि कृषि के मामलों में उन राज्यों को जिनमें मजदूरी दर 7 रुपये प्रतिदिन से कम है, सलाह दी गई थी कि वे न्यूनतम मजदूरी छः रुपये पचहत्तर पैसे प्रतिदिन निर्धारित करने के लिये कार्यवाही करें।

अगस्त, 81 में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि न्यूनतम वेतन गरीबी की रेखा के नीचे न जाये, न्यूनतम वेतन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बन्ध जोड़ने का तरीका निकाला जाए, लेकिन महाराष्ट्र उड़ीसा तथा अन्य कुछ राज्यों में खेतिहर मजदूरों को जो न्यूनतम मजदूरी मिल रही है उससे इस निर्णय से कोई लाभ नहीं पहुँचा, ऐसा लगता है।

भारत के 5 करोड़ 40 लाख खेतिहर मजदूरों की आर्थिक दशा सुधार कर उन्हें कम से कम भरपेट रोटी देने के लिये उनके असंगठित होने के कारण शोषण से बचाने के लिये आवश्यक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार को तुरन्त करना चाहिये।

(बारह) सोडा-ऐश की कृत्रिम कमी

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : हरबार सोडा ऐश का कृत्रिम अभाव पैदा करना एक आम बात हो गई है जिसके परिणामस्वरूप छोटे उद्योगों एवं धोबियों के लिये बहुत ही कठिनाईयां पैदा हो गई हैं। सोडा ऐश की ऊंची कीमतों के कारण अनेक छोटे छोटे उद्योग बन्द हो गये हैं।

किसी कानूनी नियन्त्रण के अभाव में सोडा ऐश का उत्पादन चार एकाधिकारियों के पास है, जिनका सोडा ऐश के उत्पादन, वितरण एवं मूल्यों पर पूर्ण नियन्त्रण है। मूल्य-वृद्धि का आमतौर पर जो आधारभूत कारण बताया जाता है, वह विश्वसनीय नहीं है। उत्पादकों के तुलनपत्रों की सूक्ष्म जांच से यह स्पष्ट है कि एक टन सोडा ऐश का मूल्य 700 रुपये से 800 रुपये

तक से अधिक नहीं होना चाहिये। दुर्भाग्य से काला बाजार भी चल रहा है। बाजार में सोडा ऐश की कीमतें 2000 रुपये से बढ़ कर 2800 रुपये प्रति टन हो गई हैं। अतः इस प्रकार की स्थितियां पैदा करनी होगी जिससे कि उत्पादक उत्पादन मूल्यों के अनुरूप अपने मूल्यों में कमी कर दें। अतः निम्नलिखित कदम शीघ्र उठाने की आवश्यकता है :—

(क) उत्पादकों को उत्पादन में कमी करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए;

(ख) उत्पादक एकदम मूल्य कम कर उन्हें जुलाई, 1982 में प्रचलित मूल्य स्तर तक ले आये;

(ग) आयात शुल्क घटा कर 20 प्रतिशत कर दिया जाये ताकि उत्पादक सोडा ऐश के मूल्य घटा कर 1200 रुपये से 1300 रुपये प्रति टन कर दें। वे उत्पादन की बहुलता का झूठा नारा लगाकर और बलगेरिया द्वारा स्टाक जमा करने की बात कह कर मूल्यों में कमी करने के विरोधकों और कड़ा करते जा रहे हैं।

———

विमान अपहरण निवारण विधेयक और सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन विधेयक-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विमान अपहरण निवारण विधेयक तथा सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन विधेयक, जिन्हें श्री आजाद द्वारा प्रस्तुत किया गया है, पर आगे विचार करेंगे। इन पर चर्चा के लिये आवंटित 2 घण्टे के समय में से कल एक घण्टा और 5 मिनट चर्चा हुई थी और अब 55 मिनट शेष बचे हैं। हम इन दोनों विधेयकों को समाप्त करेंगे और तत्पश्चात मध्याह्न भोजन के लिये सभा स्थगित होगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, इस विधेयक के माध्यम से उस समझौते को कानूनी बनाया जायेगा जो आधे दशक से भी पहले पारित किया गया था किन्तु जिसे अब तक कानूनी बनाने की आवश्यकता उचित नहीं समझी गई थी। अतः प्रश्न यह उठता है—यह जिज्ञासा का विषय है—कि इस विमान अपहरण निवारक विधेयक को इस समय पेश क्यों किया गया है।

जहां तक मैं समझता हूं, इसका कारण यह है कि सरकार को अपने ही विमान अपहरण-कर्त्ताओं के साथ निपटने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले तो अन्य देशों के विमान अपहरणकर्त्ताओं के बारे में राजनीतिक दृष्टिकोण की समस्या होती थी। उदाहरण

के तौर पर यदि फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के सदस्य विमान अपहरण कर भारत ले आते और यदि अन्य देश अपहरणकर्त्ताओं को वापस आने की मांग करते तो भारत के लिए कठिन स्थिति पैदा हो जाती क्योंकि हम फिलिस्तीनी दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। इसी प्रकार, यदि भुट्टो का अनुयायी पाकिस्तान से हवाई जहाज अपहरण कर भारत ले आता तो हमें उसे पाकिस्तान को वापस करना पड़ता जो कि भारत के लिये एक अजीब स्थिति होती किन्तु खालिस्तान के समर्थकों के कारण सरकार इस विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा अपना रही है जब खालिस्तान समर्थक विमान अपहरण कर लाहौर ले गये और वहां गिरफ्तार कर लिये गये और मुझे कहना चाहिये कि पाकिस्तान इस बात के लिये बधाई का पात्र है कि उसने प्रत्येक बार भारतीय यात्रियों को बिना किसी हिंसा के मुक्त करवा सुरक्षित वापस भेजने में सहायता की—किन्तु भारत ने अपहरणकर्ताओं को जिन्हें पाकिस्तान द्वारा गिरफ्तार किया गया था, वापस करने के लिये पाकिस्तान से कहा। पाकिस्तान सरकार ने केवल एक ही प्रश्न पूछा कि यदि आप उन्हें वापस लेना चाहते हैं तो आप किस कानून के अन्तर्गत उनके विरुद्ध मुकदमा चलायेंगे और दूसरी बात, यदि आप उन्हें वापस चाहते हैं और हम उन्हें वापस देते हैं और यदि कल को कोई पाकिस्तानी व्यक्ति विमान अपहरण कर भारत ले आते हैं तो क्या आप भी ऐसा करोगे और हमारे व्यक्ति हमें वापस कर दोगे ? इस सरकार से यह प्रश्न पूछा गया था और हमारी सरकार के पास उसका कोई उत्तर नहीं था क्योंकि उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया था। अब इस सम्बन्ध में अधिनियम लाया गया है और इसके अनुच्छेद 7 में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि वे भी ऐसा ही करेंगे। अतः मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ क्योंकि यह स्थापित परम्परा, अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा के अनुरूप है कि विमान अपहरण करना एक बुरी बात है। चाहे यह भारतीय करे, खालिस्तान समर्थक करे चाहे फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा के लोग करें, कोई भी करे, हम आतंकवादी दृष्टिकोण से विमान अपहरण अथवा राजनीतिक दृष्टिकोण अथवा किसी अन्य दृष्टिकोण से विमान अपहरण को उचित नहीं मानते हैं। किन्तु एक नैतिक प्रश्न भी है जिसका मन्त्री महोदय को जवाब देना चाहिये। एक विमान अपहरण की घटना हमारे देश में ही हुई थी जिसमें दो व्यक्ति, जिनका नाम देवेन्द्र नाथ पांडे और भोला नाथ पांडे था, एक विमान लखनऊ से अपहरण कर वाराणसी ले आये थे। अतः उन्हें वाराणसी में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और उनके विरुद्ध एक मुकदमा दायर किया गया था और मुझे पता चला है कि वे अब जेल में नहीं हैं। अतः मैंने जांच पड़ताल की और यह जानने का प्रयास किया कि अब वे कहां हैं और मुझे पता चला कि वे अब कांग्रेस (ई०) में हैं और वे अब विधान सभा के सदस्य हैं। मैंने यह प्रश्न तत्कालीन गृह मंत्री श्री ज्ञानी जैल सिंह से भी पूछा था कि आप खालिस्तान के विमान अपहरणकर्त्ताओं की भर्त्सना कैसे कर सकते हैं जबकि आपने विमान अपहरणकर्त्ताओं भोला नाथ पांडे एवं देवेन्द्र नाथ पांडे को उसका इनाम दिया है। उन्होंने देश में ही विमान का अपहरण किया था जहां तक खालिस्तान समर्थकों का सम्बन्ध है, वे विमान अपहरण कर देश के बाहर

ले गये थे। मैं मन्त्री महोदय से यह स्पष्ट करवाना चाहता हूं कि क्या देश के अन्दर विमान अपहरण करना अथवा विमान का अपहरण कर उसे देश के बाहर ले जाना विमान अपहरण करना माना जाता है और यदि आप देश के अन्दर विमान अपहरण करते हैं तो उसके लिये आपको किसी न किसी तरह इनाम मिलता है। मेरे विचार से यह सत्तारूढ़ दल पर नैतिक कलंक है। अतः मैं यह कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि हमारे हवाई अड्डों पर विमान अपहरण निवारण उपाय बहुत ही अपर्याप्त हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राज्य सरकार ने मामले वापस ले लिए हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हां, मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि मामले वापस ले लिए गये हैं। अतः मेरे विचार से वहां उपकरण आधुनिक होने चाहिए क्योंकि हवाई अड्डा एक बड़ी सिर-दर्दी है—वहां जाओ और अपने बैग खोलो और सभी आवश्यक औपचारिकताओं में से गुजरो। यह बेहतर होगा यदि सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर कैमरा, एक्स-रे मशीनें लगा दी जायें। आज दिल्ली में यह प्रयोगात्मक उपाय के रूप में हैं किन्तु मेरे विचार से यह सभी हवाई अड्डों पर होने चाहिए और इस पर थोड़ा व्यय करने से कोई हानि नहीं है। दूसरा, वहां संसद सदस्यों की भी ऐसी तलाशी ली जाती है जैसे सामान्यतया अपराधियों की तलाशी ली जाती है। मेरी तलाशी इसलिए नहीं ली जाती क्योंकि अधिकांश पुलिस के व्यक्ति मुझ पहचानते हैं कि वह वही व्यक्ति हैं जो आपातकाल में भाग निकले थे। अतः वे कहते हैं कि यदि आप भाग निकलना चाहेंगे तो आप किसी न किसी तरह ऐसा कर लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी तलाशी नहीं ली जा सकती क्योंकि आप तो विमान में उनकी जानकारी के बिना ही घुस जाएंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे कहते हैं कि यदि मैं कोई शरारत करना चाहूंगा, किसी न किसी तरह कर डालूंगा। मेरी शरारत करने की क्षमता स्थापित हो चुकी है। किन्तु मेरे सह-योगियों को इस प्रकार की त्रासमयी स्थिति से गुजरना पड़ता है और मैं इसका कोई कारण नहीं देख पाता हूं। यदि संसद सदस्यों का कर्त्तव्य राष्ट्र की सुरक्षा करना है तो उनकी स्थापित पहचान और नाम होना चाहिए। उनकी पहचान का प्रश्न नहीं होना चाहिए। क्या कोई इस प्रकार का विशेष उपाय नहीं किया जा सकता, या तो उन्हें पहचान कार्ड देकर ऐसा किया जाए या उन्हें सुरक्षा सम्बन्धी जांच से छूट मिलनी चाहिए क्योंकि हम प्रायः यात्रा करते रहते हैं और इस प्रकार की तलाशी लेना बड़ा बुरा लगता है। चूंकि मन्त्री महोदय यहां उपस्थित हैं अतः मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि विमान अपहरण निवारण सम्बन्धी उपाय पुराने किस्म के नहीं होने चाहिए। अब मैं उन पुराने किस्म के उपायों का उदाहरण देना चाहूंगा जिनका आप प्रयोग कर रहे हैं। हमें यह बताया गया है कि दिल्ली हवाई अड्डे का फोटो लेना मना है। यह

इस प्रकार का नियम है जो विश्व के किसी भी लोकतन्त्र देश में मौजूद नहीं है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली हवाई अड्डे का उपग्रह द्वारा हर समय चित्र लिया जा रहा है। पर्यटक आते हैं और वे हवाई जहाज से आते और उतरते और चढ़ते हुए लोगों का चित्र लेना चाहते हैं। यदि आप अमरीका, जापान अथवा जर्मनी जाएं तो आपको वहां चित्र लेने की अनुमति है। कुछ बातें लोग संजो कर रखना चाहते हैं। किन्तु यह सरकार सन् 1983 के युग में रह रही है या हवाई अड्डे के चित्र लेना वर्जित करने में क्या है। यदि कोई हवाई अड्डे का चित्र लेना चाहता है तो मैं उसे उपग्रह द्वारा लिया गया चित्र दे सकता हूं और उसे विश्व भर में व्यापारिक स्तर पर बेचा जा सकता है। किन्तु हमारे भारतीय नागरिक हमारे अपने ही हवाई अड्डे का और यात्रियों का चित्र नहीं ले सकते। मेरे विचार में इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। हवाई अड्डा अधिनियम, जोकि पुराना पड़ चुका है, की समीक्षा की जानी चाहिए।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो विधेयक लाया गया है, उसका समर्थन करता हूं। इस प्रश्न पर 10-12 वर्षों तक विचार नहीं किया गया जबकि नागर विमानन संगठन के द्वारा इस प्रश्न पर बहुत पहले यह निर्णय लिया गया था कि अक्सर वायु में परिवहन की व्यवस्था को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय जगत में जो कुछ करारनामे हुए हैं उनके अनुसार हमको चलना चाहिए। लेकिन उस निर्णय को लेने के बाद 10-12 वर्ष तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज दुनिया में वायुयान द्वारा यात्रा बहुत लोकप्रिय हो गयी है आम आदमी भी इसमें आने-जाने लगे हैं। लेकिन इसके साथ ही विध्वंसात्मक कार्यवाहियां भी काफी मात्रा में बढ़ गयी हैं। वायुयानों के अपहरण के मामले भी दिनोंदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर भी भारत सरकार ने पिछले 10-12 वर्षों में इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की और अन्तर्राष्ट्रीय करारों का अनुकरण नहीं किया।

हमने देखा कि पिछले वर्षों में अपने देश में भी इस तरह की कई घटनाएं हुईं। भारत का वायुयान पाकिस्तान ले जाया गया और उसे वहां जलाया गया। पता नहीं उसके मुआवजे लेने या अन्य तरह से उसकी क्षतिपूर्ति की भी कोई व्यवस्था हो सकी है या नहीं। अगर अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हुए इकरारनामों के अनुसार इस पर कोई ठोस कार्यवाही करने पर कुछ विचार किया जाता तो अच्छा होता। न जाने क्यों इस दिशा में कुछ नहीं किया गया।

इस विधेयक में कुछ कमियां रह गयी हैं। वायुयान द्वारा धर्म और धार्मिक भावना से भी लोग यात्रा करते हैं। हवाई जहाजों के नियमों के अनुसार किसी धर्म वगैरह के लिए यात्रा करने वालों को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। यात्रियों की सुरक्षा प्रमुख चीज होनी चाहिए। वायु-

यान से यात्रा बहुत मंहगी है और अगर यात्रा करने वालों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था न हो तो विकट बात हो जाती है और खतरे का वातावरण बन जाता है। इससे यात्रियों को वायुयान से यात्रा करने के सम्बन्ध में निरुत्साहित होना पड़ता है। धार्मिक भावना से यात्रा इस तरह से नहीं होनी चाहिए जिस तरह से खालिस्तान के समर्थकों ने की और अपनी मांग के लिए भय और आतंक का वातावरण उत्पन्न किया या किसी तरह की अपनी अन्य कार्यवाहियों के द्वारा वायुयान को अपहरण करना चाहा। ऐसे मामलों में सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ऐसा न हो कि ऐसे कार्य के लिए किसी को पुरस्कार दिया जाए जैसा कि उत्तर प्रदेश के श्री भोलानाथ पांडे और देवेन्द्र पांडे को दिया गया। इस तरह के अपराधियों को एम० एल० ए० बना दिया गया। इससे दूसरे लोगों में भी ऐसा काम करने के लिए उत्साह पैदा होता है। ऐसी तब हुई जबकि यूथ कांग्रेस का आन्दोलन चल रहा था। उस समय जिन्होंने ऐसी कार्यवाही की उनको उस समय हीरो बनाया गया। ऐसा किसी अपराधी के लिए नहीं होना चाहिए, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से सम्बन्धित हो, चाहे किसी भी धर्म से सम्बन्धित हो या किसी भी मत-मतान्तर से सम्बन्धित हो। ऐसे अपराध करने वाले सभी लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए तभी लोगों में अपहरण की कार्यवाही करने के लिए भय उत्पन्न हो सकता है।

लेकिन, अगर किसी को छूट या राजनीतिक प्रश्रय दिया गया तो यह भावना बढ़ती जायेगी। व्यास जी ने कहा था कि ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए, मैं खास तौर से इसका विरोध करता हूं, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। अपराधकर्मियों को अगर यह मालूम हो जायेगा कि पकड़े जाने के बाद गोली मार दी जायेगी तो वे विस्फोटक या विध्वंसकारी पदार्थ रख कर एयरक्राफ्ट को डैमेज कर सकते हैं जिससे सभी के जान-माल की क्षति हो सकती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसे आजीवन कारावास देनी चाहिए, साथ ही साथ जमानत भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह भी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जगत के लिए बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। ऐसे लोगों को जरा भी प्रश्रय नहीं देना चाहिए। इस बिल में उसकी कमी है।

जहां तक सुरक्षा के सम्बन्ध में जांच की बात है, उसमें भेदभाव की नीति होती है। बहुत से विकसित देशों में आधुनिकतम तरीके से जांच करने की व्यवस्था है। लेकिन हिन्दुस्तान में सुरक्षा प्रहरी शरीर को इस तरह से पकड़ते हैं जिससे उनके शरीर में दर्द हो और किसी विशेष व्यक्ति को ऐसे ही छोड़ते हैं। इस तरह का भेद-मूलक व्यवहार नहीं होना चाहिए इसलिए सरकार को आधुनिकतम व्यवस्था की ओर ध्यान देना चाहिए। जब तक एयरक्राफ्ट रहता है कोई उसमें आयल में पानी मिला देता है तो ऐसी जगह पर कोई भार-साधक प्रहरी को रखा जाना चाहिए। उसकी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर एयरक्राफ्ट में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो उसके लिए वह जिम्मेदार होगा। ऐसी अवस्था में ही एयरक्राफ्ट सुरक्षित रह सकता है।

इसी दृष्टिकोण से सरकार को विचार करना चाहिए। अन्तरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार हेग कन्वेन्शन और मान्ट्रियल कन्वेशन के अनुसार 70 देशों ने इसे पहले ही अपना लिया लेकिन हम पीछे हैं। इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक या कूटनीतिक भावना हो सकती है। यही कारण है कि बहुत से राजनीतिक और क्रान्तिकारी अपराधकर्मियों का होसला बढ़ा है और इसी वजह से चार-पाँच बार ऐसा हुआ है। सुरक्षा प्रहरी सभी लोगों की जांच करते हैं—संसद सदस्य और कुछ ऐसे विशेष लोगों की भी जांच करते हैं जैसे ईमानदारी दिखा रहे हैं। लेकिन जिनके पास रिवाल्वर या बम रहता है उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। केवल हम लोगों को दिखाते हैं कि हम कितने सक्षम हैं और कितनी बहादुरी से जांच कर रहे हैं। अपराधकर्मियों का पता लगाने के लिए कुछ ऐसे लोगों को विशेष ट्रेनिंग दें जैसा विदेशों में होता है और उसी का अनुसरण करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय विमान अपहरण विधेयक, 1982 एवम् सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन विधेयक, 1982 जो सदन में प्रस्तुत किए गए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ। यों तो इस कानून का, विरोधी पार्टी के सदस्यों ने और इस पार्टी के सदस्यों ने समर्थन किया है।

परन्तु जो इस बात पर जोर दिया गया है और सरकार पक्ष को बिलकुल स्पष्ट करना चाहिए कि जब हमने कन्वेंशन पर 1970-71 में हस्ताक्षर कर दिये फिर इतने विलम्ब से यह कानून क्यों लाया गया ? और जब देरी से लाया गया तो इसमें यह भी लिखना चाहिए था कि यह तुरन्त लागू होगा। लेकिन यह भी नहीं बिल में लिखा गया है। जब कि हमने सैलरीज और पेंशन बिल को परसों यहां पास किया और राज्य सभा ने कल पास किया और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर जल्दी से जल्दी लागू हो जायेगा, उसी प्रकार को कार्यवाही इस बिल के बारे में भी करनी चाहिए। नोटिफिकेशन में जारी करने वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। इसलिए कानून में स्पष्ट लिखना चाहिये।

बिल में व्यवस्था है कि अपहरणकर्ता को लाइफ इमप्रिजनमेंट होगी। तो जब लाइफ इमप्रिजनमेंट होती है तो मतलब यह होता है कि यह अपराध काग्नीजेबिल और नान-बेलेबिल होगा। यह प्रोवीजन इस बिल में होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। आई० पी० सी० और क्रिमनल प्रोसीजर कोड के यह प्रोवीजन इसमें लागू होंगे कि नहीं इसकी व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। मंत्री जी को इस बारे में संशोधन करना चाहिए। अन्यथा लाइफ इमप्रिजनमेंट होने के बाद भी यह प्रश्न आयेगा कि यह आफेंस नान-बेलेबिल और काग्नीजेबिल है कि नहीं। यह बात इसमें स्पष्ट नहीं की गई है।

तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान में जो हमारा विमान अपहरण करके लाहौर ले जाया गया था और बाद में हमको लौटा दिया गया, लेकिन उस अपहरणकर्ता को अभी तक हमें नहीं लौटाया गया है। यह चिन्ता का विषय है। इस सम्बन्ध में दोनों सरकारों के बीच क्या कर-स्पोंडेंस हुई है, क्यों नहीं उस अपहरणकर्ता को लौटाया गया यह भी हमें बताया जाना चाहिए।

क्या इसलिए नहीं लौटाया है कि हमारे यहां कोई कानून नहीं था जिसके अधीन ऐक्शन ले सकते ? लेकिन इस कानून के बाद ऐक्शन ले सकते हैं तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिए और अपहरणकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए । जो उसका लक्ष्य था खालिस्तान का और पंजाब की अभी जो स्थिति है तो अपहरणकर्ता से पूछताछ करके जानकारी की जा सकती है कि उसके पीछे कौन-सी शक्तियां थीं या हैं जिन्होंने उसको यह काम करने के लिए प्रेरित किया । इसलिए आवश्यक है कि उस अपहरणकर्ता को हम अपने देश में वापस लायें ताकि पूरी जांच कर सकें और क्या कांस्प्रेसी है उसका पता हमें चल सके ।

वह अपहरणकर्ता कृपाण ले कर चला गया उसके लिए कौन कर्मचारी दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही करनी चाहिए । और हमारी सरकार कृपाण ले जाने की परमीशन दे यह भी स्थिति हम ठीक नहीं समझते ।

क्योंकि अगर कृपाण रिलीजस प्वाइंट से है तो दूसरे रिलीजन वाले भी कह सकते हैं कि हम यह हथियार उपयोग करते हैं, हमें भी एलाऊ करना चाहिए। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए ।

किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर कोई भी किसी किस्म का हथियार अपने पास रखता है, चाहे धार्मिक दृष्टि से हो या किसी भी कारण से हो और उसको प्रयोग करने की उसकी इच्छा नहीं है तो भी कभी भी उसकी प्रवृत्ति हिंसा की हो सकती है और वह उस हथियार को प्रयोग में ला सकता है । इसके लिए हमें आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए ।

तलाशी की जो बात कही गयी है, मेरा कहना है कि सबका समान चैक किया जाना चाहिए, चाहे एम० पी० हो या मंत्री हो । ऐसा नहीं हो सकता है कि एम० पी० जुर्म नहीं कर सकते हैं । यह आवश्यक नहीं है कि जुर्म करने वाला साधारण व्यक्ति या इंडस्ट्रियलिस्ट ही हो सकता है जो कि कस्टम के ओफेन्स कर सकता है । कोई भी व्यक्ति ओफेन्स कमिट कर सकता है, इसलिए तलाशी के लिए गाइड लाइन्स होनी चाहिये और सबके लिए बराबर की गाइड लाइंस जारी करके सबकी तलाशी की जानी चाहिए । इस सम्बन्ध में जो कानून प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम चर्चा समाप्त करेंगे । श्री ए० के० राय ।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : महोदय, मैं तो कभी कभार ही हवाई जहाज से सफर करता हूं । मैं विमान अपहरण सम्बन्धी मामलों के बारे में बहुत ही कम जानता हूं । हम कुछ भी कहते रहें, भारत के लोग हवाई जहाजों से सफर नहीं करते हैं । केवल अति महत्वपूर्ण व्यक्ति ही हवाई जहाजों से सफर करते हैं । और यह भी हो सकता है कि जनता के दुश्मन हवाई जहाज

से सफर करते हों। किन्तु आम आदमी तो जमीन पर चलते हैं। अतः मेरे विचार से इस विधेयक की उत्तम महता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से अति महत्वपूर्ण व्यक्ति जनता के दुश्मन नहीं हैं।

श्री ए० के० राय : हमने उस समझौते को जो सातवें दशक के आरम्भ में पास एवं स्वीकृत किया गया था, कानूनी आकार देने में एक दशक का विलम्ब किया गया है। हम न केवल प्रौद्योगिक दृष्टि से पीछे हैं बल्कि कानूनी बातों में भी पिछड़ गये हैं।

मैं इन बातों पर कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि इन पर पहले ही कहा जा चुका है।

मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। विमान अपहरण कोई सामान्य अपराध नहीं है। विमान अपहरण एक राजनैतिक अपराध है। अतः प्रश्न यह उठता है कि क्या दण्ड की मात्रा में वृद्धि करने से हम इस राजनीतिक अपराध पर नियंत्रण कर सकते हैं? मेरे विचार से हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो लोग इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं, वे चाहे किसी दल अथवा विचारधारा के क्यों न हो, परिणामों की परवाह नहीं करते। यदि हम अपने ही विचारों में रम रहे और इस प्रकार के अपराधों को कम करने के लिए दण्ड को और अधिक कड़ा कर दें तो भी हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं।

आपको इस अपराध के विरुद्ध कुछ न कुछ सामाजिक एवं राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना होगा और इसके विरुद्ध कुछ न कुछ चेतना उत्पन्न करनी होगी। यह कानूनी मामला नहीं है।

आज जिन्हें अपराधी समझा जाता है, उन्हें कल के मुक्तिदाता समझा जा सकता है।

अतः हमें इस अपराध के विरुद्ध राजनीतिक एवं सामाजिक समर्थन पर जोर देना होगा।

आपने देखा होगा कि यह विधेयक अधिकांशतः गैर-विवादास्पद है। तब भी प्रत्येक सदस्य इसकी प्रभावशीलता पर सन्देह कर सकता है और आपने भाषणों के दौरान प्रश्न पूछ सकता है अथवा कोई कटु बात सह सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों को इस सरकार की इमानदारी पर ही सन्देह है। क्योंकि इसकी कथनी और करनी में बहुत अन्तर है।

हमने लखनऊ से वाराणसी विमान अपहरण वाले मामले अथवा इसी प्रकार के किसी मामले का उल्लेख किया है। मैं उसके बारे में भी जानता हूं क्योंकि उस पर इस सदन में चर्चा हुई थी। विमान अपहरण पर ही एक विशेष बहस की गई थी। महोदय, कांग्रेस दल ने उस समय जो रवैया अपनाया था उसे जान कर आप को आश्चर्य होगा। इसलिए मुझमें इस बहस में भाग लेने की रुचि उत्पन्न हुई।

लोग बुद्धिमान इसलिए नहीं हो जाते वे अपना पक्ष बदल लेते हैं। महोदय, श्री वेंकटरामन अब रक्षा मन्त्री हैं और वे बड़े मधुर भाषी हैं। वे बड़ी स्पष्ट बातें करते हैं। उस बहस के दौरान उन्होंने क्या कहा था ? उन्होंने कहा था;

"महोदय, मैं विमान अपहरण के बारे में केवल दो मिनट ही बोलूंगा। इस विमान अपहरण का जब समाचारपत्रों में पहले-पहले जिक्र हुआ तो इससे देश में काफी रोष उत्पन्न हुआ। हमें सबको उस बारे में चिन्ता हुई थी किन्तु जब यह पता चला कि खिलौना पिस्तौल और क्रिकेट की गेंद से विमान अपहरण किया गया था तो यह उस वर्ष का मजाक बन गया था।"

एक माननीय सदस्य : वे एक रोब था।

"**श्री वेंकटरामन :** इसके अतिरिक्त, इन लोगों ने तो धमकी अथवा उसी प्रकार की कोई कोई अन्य बात भी नहीं की। उन्होंने स्वयं ही आत्म-समर्पण कर दिया था। महोदय, यदि यह घटना पहली अप्रैल को होती तो हम सब यही कहते यह अप्रैल फूल की तरह का मजाक था।"

इस घटना के केवल दो वर्ष बाद ही यह कहा गया कि खालिस्तान समर्थक लोगों द्वारा विमान अपहरण एक बुरी बात है। उन्होंने एक खिलौना पिस्टल अथवा अमरुद दिखाकर विमान का अपहरण किया था और बाद में वह मजाक की बात बन गई। मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं। यद्यपि मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है किन्तु सभी को एक ही पक्ष अपनाना चाहिए। यदि कोई बात हो जाती है तो सभी चाहे वे विपक्ष में हों, अथवा सरकार में, गम्भीरता पूर्वक सोचना चाहिए। आपको एक बात नहीं भूलनी चाहिए। बात यहां कहते हैं, वे रिकार्ड का हिस्सा बनजाती है। उसे कोई भी उदधृत कर सकता है और उसका उल्लेख कर सकता है। संसदीय कार्यवाही का बहुत ही महत्व होता है। आज आप विपक्ष में हैं। कल आप मन्त्री बन सकते हैं। जब आप विपक्ष में हैं और अब कुछ कहते हैं तोकल मन्त्री बन जाने पर उसे उदधृत किया जा सकता है।

अब मैं एक और बात कहना चाहूंगा। एक प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा है कि 1980 और 1982 के पश्चात विमान अपहरण की चार घटनाएं हुई हैं। तीन मामलों में विमान अपहरणकर्त्ता दिल्ली से विमान में चढ़े थे और केवल एक ही मामले में वे उदयपुर से विमान में बैठे थे। इसका अर्थ यह हुआ कि दिल्ली, जो देश की राजधानी है, में सुरक्षा सम्बन्धी प्रबन्ध अपर्याप्त हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। आपने एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया है।

"इस प्रयोजन के लिए अधिक से अधिक अत्याधुनिक डिक्टेशन उपकरण जैसे हैंड हेल्ड

मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर तथा एकसरे हैंड बैगेज स्केनर लगाये जा रहे हैं।"

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में किस गति से प्रगति हो रही है। आप अनेक कदम उठा रहे हैं। आप फिर भी कहते हैं कि यह राजनीतिक अपराध है। इन पर दण्ड को कड़ा करके नियन्त्रण नहीं किया जा सकता। यही मेरी धारणा है। आपको उसके लिए वातावरण तैयार करना होगा और उसे राजनीतिक आधार पर निपटाना होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय उत्तर दे सकते हैं।

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद): उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों विधेयकों पर जिन माननीय सदस्यों ने यहां अपने विचार प्रकट किए हैं, उसमें वे एक बात पर एकमत हैं कि उन्होंने इन दोनों ही विधेयकों का समर्थन किया है। श्री सुधीर गिरि, जिन्होंने इस बहस को प्रारम्भ किया, बहुत सुन्दर और कम शब्दों में इसकी पृष्ठभूमि आपके सामने रखी। क्या नियम हैं, उसको रखा, क्या प्रावधान हैं, उनको बताया और साथ साथ और अधिक क्या करना चाहिए, उसको भी कहा। इसके साथ ही कहीं कहीं उन्होंने राजनैतिक छींटाकशी भी की, जो कि करनी चाहिए थी और आवश्यक भी उनके लिए था कि वे ऐसा करते। लेकिन मैं इस बात के लिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं कि उनके साथ सर्वश्री गिरधारी लाल व्यास, हरीश कुमार गंगवार, जयपाल सिंह कश्यप, डा० स्वामी, रामबतार शास्त्री, राम विलास पासवान तथा अन्त में श्री ए० के० राय सभी ने इन दोनों विधेयकों का समर्थन किया।

लेकिन साथ-साथ तीन प्रकार की समालोचनाएं सामने आईं। एक तो यह कि इस कानून को तुरन्त लागू किया जाए। दूसरे, जो पांच अपहरणकर्ता अभी भी पाकिस्तान में हैं, उनको लाने का प्रयास किया जाए। तीसरे, सुरक्षा के प्रबन्ध को और मजबूत और आधुनिक बनाया जाए। अधिकांश मेम्बरों ने राय प्रकट की कि सुरक्षा की जांच के सम्बन्ध में सुधार किया जाए।

इसके अलावा जो दूसरे प्रकार की समालोचना थी, वह देश के अन्तर्गत चलने वाली वायुयान सेवाओं, उनमें देरी, भोजन और भारतीय भाषाओं के अखबार देने के सम्बन्ध में थी।

तीसरे प्रकार की समालोचना थी राजनैतिक। मैं तीसरे प्रकार की समालोचना के सम्बन्ध में पहले कह दूं कि मैं माननीय सदस्यों की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि अपहरणकर्ता चाहे किसी भी पार्टी या राजनैतिक दल का हो, चाहे वह किसी विचार को बड़ा उदात्त बना कर कहता हो कि मैं इतने बड़े काज के लिए यह काम कर रहा हूं, उसकी कार्यवाही चाहे

किसी सिद्धान्त के लिए और किसी भी अवसर पर हो, वह बिलकुल गलत है, वह समाज का सबसे निकृष्ट प्राणी है और इसलिए उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि इस कानून को तुरन्त लागू किया जाए, जो कि शास्त्री जी ने कहा, यह बिलकुल सही है। हम इस कानून को तुरन्त लागू करना चाहते हैं, क्योंकि 19 नवम्बर से एशियाड प्रारम्भ हो रहा है और इसके बाद गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का सम्मेलन हो रहा है और उनके लिए इस कानून को लाना जरुरी है और हम यह काम कर रहे हैं। ज्यों ही इस कानून को राष्ट्रपति की एसेंट मिल जाएगी, हम इसको तुरन्त लागू करेंगे। इसलिए वह तुरन्त लागू हो जाएगा। इस वजह से इस बिल में "एट वन्स" नहीं लिखा गया है।

लेकिन इस सम्बन्ध में एक कठिनाई है। हमने जो दो कन्वेन्शन माने हैं, उनके अनुसार संसार के तीन राष्ट्रों को नोटिफाई करना है। उसमें दो, चार, पांच दिन का वक्त लग जाएगा। हम इस कानून को तुरन्त ला कर देंगे। इसलिए इसका उल्लेख इस बिल में नहीं कर पाए हैं।

हमने सुरक्षा प्रबन्ध के प्रश्न को बहुत गम्भीरतापूर्वक लेना है। जिन राष्ट्रों में वायुयान की सेवाएं अधिक हैं—उदाहरणार्थ अमरीका में—वहां हाईजैकिंग भी अधिक है। उसकी तुलना में हमारे देश में पिछले वर्षों में चार हाईजैकिंग हुए हैं। मगर हम समझते हैं कि अगर एक भी हाईजैकिंग हुआ है, तो वह गलत हुआ है। इसलिए सुरक्षा प्रबन्ध पर हम अधिक से अधिक जोर दे रहे हैं।

यह कहना सही नहीं होगा कि हम पुराने तरीकों से जांच कर रहे हैं। जांच करने के जो लेटेस्ट, आधुनिकतम, तरीके हैं, वे हमने लागू कर दिए हैं। उनमें से एक तो हैंड मेटल डिटेक्टर है और दूसरा डोर फ्रेम है। तीसरा उपकरण वह है, जो अभी तक नहीं आया था, जिसको हम अब लाए हैं और आगे अधिक तेजी से लायेंगे। जो व्यक्ति जा रहे हैं, उनकी जांच तो हम हैंड मेटल डिटेक्टर और डोर फ्रेम डिटेक्टर से कर देते हैं। लेकिन उनके बैगेज की जांच हम अभी तक प्रापरली नहीं कर पाते थे। उसके लिए हमने एक्सरे गैजेट बम्बई और दिल्ली में लगाए हैं। सबसे बड़ी परेशानी इसके मिलने की थी; वह बाहर मिलता है। वह अपने ही देश में बन जाए—ई० सी० आई०एल० बना दे या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की कार्पोरेशन बना दे—और वह जल्दी मिल जाए, इस उधेड़-बुन में थोड़ी देर हो गई है। लेकिन अब हम इस बात के लिए कृतसंकल्प हैं कि खासकर हमारे बहुत सेन्सिटिव एरियाज में जो एयरपोर्ट्स हैं, वहां इस उपकरण को हम जल्द से जल्द लाएंगे—दिल्ली में लगाया है, एशियाड विलेज में लगाया है, बम्बई में लगाया है और अमृतसर और श्रीनगर में बहुत जल्दी लगाएंगे। सुरक्षा जांच के जो तीन प्रमुख आधुनिकतम तरीके हैं उनको हम लगा रहे हैं। लेकिन इसमें इससे अधिक आवश्यक यह है कि जो लोग इन तरीकों को यूज करने वाले हैं, जो इनका प्रयोग करने वाले आफिसर्स हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। इन आफिसर्स को हम विभिन्न राज्यों से लेते हैं, उधार, लीयन पर लेते हैं। हम चाहते हैं कि दुर्भाग्य से यदि किसी राज्य में ऐसी घटना हो जाती है तो उस राज्य का

हमें पूरा सहयोग मिले। हम अपना एक अलग कैडर 5-6 हजार आदमियों का बनायें, यह बात भी आती है लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी एयरपोर्ट हैं वहां राज्य प्रशासन से हमारा अधिक से अधिक सहयोग और सम्बन्ध रहे। इसीलिए हम राज्यों से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें लीयन पर अधिकारी दें और अधिक समय के लिए दें, ऐसा न हो कि 6-8 महीने के बाद उनको वापिस बुला लें। हम यह भी चाहते हैं कि हमको अच्छे अधिकारी दें।

जांच के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि संसद सदस्यों में भेदभाव किया जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि यह इसलिए नहीं है कि जांच की ही जाये, सच बात तो यह है कि हम, हमारा मंत्रालय, एयर-इंडिया और इण्डियन एयर लाइन्ज यह बिलकुल नहीं मानते हैं कि हमारे संसद सदस्य हाइजैकिंग करेंगे। प्रश्न इस बात का है कि जब वर्षों में कोई एक बार एक व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो उसको रोकने के लिये इतनी अधिक सावधानी करनी पड़ती है और इतने अधिक व्यक्तियों की जांच की जाती है। जहां व्यक्ति की सुबुद्धि ने प्रगति की है, उसकी कुबुद्धि ने उससे अधिक प्रगति कर ली है। आज एक व्यक्ति अपने पास चार-चार-फोर्ज्ड पासपोर्टस रखता है। वह एक माननीय सदस्य के फोर्ज्ड-आइडेन्टिटी कार्ड से निकल भी सकता है। यदि इस प्रकार से कभी एक व्यक्ति भी निकल जाता है तो हमारे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो जायेंगे। प्रश्न यह है कि उन हजारों व्यक्तियों में कोई एक कुबुद्धिवाला व्यक्ति भी हो सकता है और वह उनके नाम से निकल सकता है। इसलिये उसको रोका जाये। मेरे पास विधान सभाओं के एम० एल० एज० के पत्र आये हैं, राज्य सरकारों के मंत्रियों के पत्र भी आये हैं और अमृतसर में तो एक बड़े अधिकारी ने भी प्रोटेस्ट की थी कि जब आई० ए० एस०, आई० पी० एस० आफिसर्ज को आप छोड़ते हैं तो मेरे को क्यों नहीं ? मैं भी एक बड़ा आफिसर हूं। इसलिये प्रश्न यह नहीं है और हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि कोई एम० पी० हाइजैकिंग करेंगे। परन्तु अपहरण को रोकने का प्रश्न इतना कठिन है कि दूसरे व्यक्तियों के साथ-साथ मैं अपने को भी जांच के लिए समर्पित करता हूं। आप इसको इस रूप में देखें कि मैं जो स्वयं मंत्रिमण्डल में हूं, मुझे भी वर्तमान नियमों के अनुसार सुरक्षा जांच के लिए अपने को समर्पित करना पड़ता है। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं या जो मुख्य मन्त्री है, ऐसे कुछ लोगों को छोड़ कर बाकी सभी व्यक्तियों पर यह बात लागू है। यह बात दूसरी है कि कोई व्यक्ति जांच करने के काम में अपना रोब न दिखाये, बदतमीजी न दिखाये, उस काम को नम्रतापूर्वक करे, ठीक से करे। इस बात के लिये सुधार की बराबर गुंजाइश है और हम बराबर प्रयास करते रहेंगे। उनको कहते हैं कि आप इस काम को इस रूप में कीजिये। इसलिए मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य इसको इस रूप में देखेंगे तो सन्तुष्ट हो जायेंगे।

इस बिल के अतिरिक्त भी कुछ बातें कही गई हैं—जैसे इण्डियन एयर लाइन्ज के लिए कहा गया कि हवाई जहाज लेट चलता है। मैंने प्रथम बात यह कही है, अपने दोस्तों को,—

जैसे कुछ मित्रों ने अखबारों में लिख दिया कि भागवत झा आजाद ने कहा—मैं बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हूं।

अपने फर्स्ट ब्रीफिंग में अपने अफसरों को मैंने ऐसा नहीं कहा है।—मैंने यह कहा है किअपने फर्स्ट ब्रीफिंग में अपने अफसरों को आप निर्भिकतापूर्वक जो आपकी इच्छा हो, वह लिखो, सामने रखो राष्ट्र को और भगवान को। यदि भगवान को नहीं मानते हैं तो डायलैक्टिकल-मैटीरियलिज्म के अन्तर्गत जो गरीब आदमी हैं उसकी तस्वीर सामने रखो। लेकिन उसके बाद मन्त्री जी निर्णय करें तो वह मन्त्री का निर्णय नहीं सरकार का निर्णय मान कर उसका प्रतिपालन होना चाहिये। उसी ब्रीफिंग में मैंने यह भी कहा कि एअर इण्डिया और इण्डियन एअर लाइन्ज के लिये कुछ गौरव हमको भी पहुँचाना चाहें तो सबसे पहला सुधार यह करें कि लेट चलना बन्द हो और दूसरे—भोजन में सुधार कर दें। मैं इन दोनों बातों के लिये जो लगा रहा हूं। मैंने अपने सचिवालय के सचिव से जो नये और जोरदार व्यक्ति हैं, कहा है कि हम हर एअरक्राफ्ट का हिस्टीशीट रखें। पता लगायें कि कब, किस समय अमुक एअरक्राफ्ट कितना लेट हुआ और क्यों हुआ है। मैंने यह भी कहा है कि यह नार्मली नहीं होना चाहिये—मुझे विलम्ब के लिये खेद है, उसकी मैं क्षमा चाहता हूं। यह आदत नहीं बननी चाहिये। कभी-कभी देर हो जाती है लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिये।

मुझे कुछ सदस्यों ने कहा है कि आपने भोजन में सुधार कर दिया है, लेकिन कुछ ने व्यंग भी किया है कि पटना वाले में सुधार हुआ है। मैंने कहा है कि बम्बई वाले में भी कर दूंगा, आसामवाले में भी कर दूंगा, कलकता वाले में भी कर दूंगा। आप का कहना ठीक है।

तीसरी बात—इन वायुयानों में भारतीय भाषाओं के पत्र होने चाहिये—इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। जो हवाई जहाज जिस जगह से उड़ता है, उसमें अंग्रेजी अखबार तो होते ही हैं, लेकिन उसमें भारतीय भाषाओं के पत्र भी हों, यह आदेश मैंने राज्य सभा में भी कहा है—मैं तुरन्त प्रसारित करा दूंगा। यह आवश्यक है कि अगर मद्रास से हवाई जहाज चलता है तो तमिल के प्रमुख पत्र भी उसमें हों, अगर वह नागपुर से होकर गुजरता है तो उसमें महाराष्ट्र के के भी प्रमुख मराठी पत्र हों। अगर वह पटना जाता है तो हिन्दी के प्रमुख पत्र हों। कलकत्ता से उड़े तो उस में अंग्रेजी के अलावा बंगाली तथा हिन्दी के पत्र भी होने चाहियें। यह इंतजाम मैं फौरन करा दूंगा।

माननीय सदस्यों ने जिन बातों का उल्लेख किया, उनके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूं, लेकिन कृपा कर इसमें कोई और बात मत पढ़ियेगा। इस बिल से अलग जो बातें कही गई हैं उन पर भी हम विचार करेंगे और जो उचित होंगी उनको मान लेंगे। जहां तक राजनीति वाली बात

कही गई थी, वह आपको मुबारक हो। जहां तक देर की बात है कि इतनी देर क्यों हुई—मैं उसका कोई जवाब दूं तो आप सहमत नहीं होंगे, इसलिये मैं कोई जवाब नहीं देता हूं और आप से क्षमा चाहता हूं। कहते हैं-देर-आयद-दुरुस्त-आयद-इसी दृष्टि से आप सन्तोष मान लें। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि आप इसका पूर्ण समर्थन करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिविल विमानन की सुरक्षा के प्रति विधिविरुद्ध कार्यों के दमन के लिए कन्वेंशन को प्रभावी करने और उससे संबंधित विषयों वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में इस विधेयक पर खण्ड-वार विचार होगा। प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2 से 11 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 11 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 1—पंक्ति 4 और 5 के स्थान पर

"(3) यह तुरन्त ही लागू होगा" प्रतिस्थापित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रामावतार शास्त्री द्वारा पेश किये गये संशोधन को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री भागवत झा आजाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन विधेयक, 1982 के सम्बन्ध में विचार करने के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये रखता हूं :—

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि सिविल विमानन सुरक्षा के विधिविरुद्ध कार्य के दमन के लिए कन्वेन्शन को प्रभावी करने और उससे संबंधित विषयों वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में विधेयक पर खण्ड-वार विचार होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 10 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 10 विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के खण्ड 1 श्री रामावतार शास्त्री का एक संशोधन है क्या आप उसे पेश कर रहे हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : जी, हाँ मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ट 1—पंक्ति 1 और 2 के स्थान पर

"(3) यह तुरन्त लागू होगा" प्रतिस्थापित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री रामावतार शास्त्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री भागवत झा आजाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजकर 45 मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 50 मिनट पर म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वेंकटसुब्बय्या।

संघ लोक सेवा आयोग

29वां, 30वां और 31वां प्रतिवेदन

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पो० वेंकटसुब्बय्या) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा संघ लोक सेवा आयोग के 1 अप्रैल, 1978 से 31 मार्च, 1979, 1 अप्रैल, 1979 से 31 मार्च, 1980 और 1 अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1981 तक की अवधि से सम्बन्धित क्रमश: 29वें 30वें और 31वें प्रतिवेदनों तथा उनमें उल्लिखित आयोग की सलाह को स्वीकार न किए जाने के मामलों में सरकार के ज्ञापनों, जो क्रमश: 26 फरवरी, 1981, 18 सितम्बर, 1981 और 28 अप्रैल, 1982 को सभा पटल पर रखे गये थे, पर विचार करती है।"

इस सम्बन्ध में मैं आगे यह कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि अतीत में उनके द्वारा आयोग के पहले प्रतिवेदनों के बारे में दिए गए सुझावों पर बहुत ध्यान दिया गया है और मुझे विश्वास है कि इस सदन में इस प्रतिवेदन पर होने वाली चर्चा कार्मिक प्रशासन में सुधार सम्बन्धी नये विचार पैदा करने में वैसे ही अब भी सहायक होगी। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि सरकार तथा आयोग सिविल सेवाओं में भर्ती की प्रक्रिया में आगे सुधार करने के लिए सदन के सुझावों का स्वागत करेगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि आज सत्र का अन्तिम दिन है और हमारे पास मुश्किल से 10 मिनट हैं। सांविधानिक अनुबन्ध-पत्र के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और उस रिपोर्ट पर इस सदन द्वारा चर्चा की जाएगी। लेकिन यहां हम देखते हैं कि हम क्रमश: 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1979 तक, 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 और 1 अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1981 तक की अवधि की रिपोर्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। अत: यह सदन संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट पर उसे राष्ट्रपति को समक्ष प्रस्तुत किए जाने के काफी लम्बे अर्से के बाद चर्चा कर रहा है। मैं यह यह जानना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने के तुरन्त बाद सरकार ने इसे सदन में विचारार्थ प्रस्तुत क्यों नहीं किया। अनियमितता बरते जाने के तुरन्त बाद सदन को उस पर चर्चा करनी चाहिये; यदि इसमें देर की गई, तो इस पर चर्चा करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। संविधान निर्माताओं ने सरकार के लिए आवश्यक नहीं बताया कि वह संघ लोक सेवा आयोग का सुझाव स्वीकार करे; यह आदेशात्मक नहीं है, यह सलाह देने वाली संस्था है। यह प्रश्न पैदा हुआ था कि क्या यह अधिदेशात्मक है अथवा इसे सलाहकार संस्था बनाया जाना चाहिए और जब यह पूछा गया कि संघ लोक सेवा आयोग को सलाहकार निकाय क्यों बनाया गया, तो उसका यह उत्तर दिया गया कि जब रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश की जाती है, वह सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। जनता के प्रतिनिधियों की प्रभुसत्ता प्राप्त समिति इसकी जांच करेगी, वह रिपोर्ट पर चर्चा करेगी और यदि कुछ अनियमितताएं हैं तो सरकार उसका स्पष्टीकरण करने के बाध्य है। दुर्भाग्य से, यह सांविधानिक उपबन्ध को अधिकतर बेकार किया जा रहा है जबकि हमने 1978-79 की रिपोर्ट की चर्चा 1982 में की है। ऐसा क्यों है ? मंत्री महोदय को इस देरी

का कारण बताना चाहिए क्योंकि यह लोक सेवाओं, भर्ती, और देश के प्रशासन सम्बन्धी बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूं क्योंकि यदि हम सचमुच अपने विकास संबंधी कार्यक्रम को या जो भी कार्यक्रम हम संसद में वाद-विवाद करने के बाद अपनाते हैं, उन्हें कार्यान्वित करना चाहते हैं, जो कि अधिकारी वर्ग द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं, और तो जब तक हम इस विषय पर चर्चा नहीं करते और उनके कार्यों को सुधारने का प्रयत्न नहीं करते, तब तक इसका अधिकारी-वर्ग उन्हें क्रियान्वित करने में सफल नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य से इतने महत्वपूर्ण विषय को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है।

प्रथमत: मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में लोगों और प्रशासन-तंत्र के बीच बहुत बड़ी खाई है। अंग्रेजों ने उच्च सेवाओं में कृत्रिम रूप से अपनी तरह की प्रतिष्ठा बनाई जिसका उद्देश्य आम जनता से जानबूझकर दूरी बनाए रखना था। यह दूरी जानबूझकर रखी गई थी। पुराने औपनिवेशक तरह का प्रशासन, जहां प्रशासन लोगों की आकांक्षाओं से अलग होता है, जिसे अंग्रेजों ने जानबूझकर हमारे देश में उत्पन्न किया, अभी भी जारी है। जैसा कि उन्होंने हमारे देश में शिक्षा प्रणाली बनायी, जो शिक्षित लोगों को सामान्य लोगों से, हमारे देश के अधिकांश लोगों से अलग रखने के उद्देश्य से बनाई गई थी, उसी तरह उन्होंने ऐसा प्रशासन बनाया जिसका उद्देश्य लोगों से दूरी बनाए रखना था। हमें इसे गम्भीरता से लेना चाहिए। अन्यथा हमारे प्रयास असफल हो जाएंगे। संसद की इस पर चर्चा करनी चाहिए कि भर्ती कैसे की जाती है, परीक्षाएं कैसे ली जाती हैं और कौन से लोग भर्ती किए जाते हैं, उनका प्रशिक्षण क्या है और वे लोगों की सेवा कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं। और इस सदन का अधिकार है कि वह इन सब बातों पर चर्चा करे और ठीक नीति को लागू करे।

मैं एक अन्य बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं। संविधान का अनुच्छेद 309 केन्द्रीय सेवाओं और राज्य सेवाओं का निर्माण करता है। लेकिन अनुच्छेद 312 में सभी सेवाओं का निर्माण है।

प्रारुप संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं सम्बन्धी कोई उपबन्ध नहीं था। यह बाद में जोड़ा गया। अब, अनुच्छेद 312 के कारण, जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं जैसे भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, आदि बनाने की व्यवस्था है, राज्य की स्वायत्तता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण बाद में जारी रखेंगे। अब, हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा करेंगे।

———

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयको तथा संकल्पों संबंधी समिति

52वां प्रतिवेदन

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सभा, 3 नवम्बर, 1982 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बावनवें प्रतिवेदन से सहमत है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है—

"कि यह सभा 3 नवम्बर, 1982 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बावनवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पुरःस्थापित

मंदिरो, मठों और अन्य धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्तियों का प्रबन्ध विधेयक

श्री रणजीत सिंह (छत्तरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंदिरों, मठों और धार्मिक लक्ष्यों वाली अन्य संस्थाओं की सम्पत्तियों का प्रबन्ध करने के लिए लोक न्यासों की स्थापना का का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है—

"कि मंदिरों, मठों और धार्मिक लक्ष्यों वाली अन्य संस्थाओं की सम्पत्तियों का प्रबन्ध करने के लिए लोक न्यासों की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रणजीत सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक

(धारा 4 आदि का संशोधन)

श्री जार्ज फर्नांडीस (मुजफ्फरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है—

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जार्ज फर्नांडीस : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

पशु बीमा विधेयक

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में पशु बीमा के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है—

"कि देश में पशु बीमा के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा—अनुपस्थित।

खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक

(धारा 16क आदि का अन्त:स्थापन)

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नागिरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है—

"कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

दंड विधियां (संशोधन) विधेयक

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नागिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है—

"कि भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री बापू साहिब परूलेकर : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

पैतृक सम्पत्ति में समान भागीदारी विधेयक

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पैतृक सम्पत्ति में लड़कों और लड़कियों की समान भागीदारी के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है—

"कि पैतृक सम्पत्ति में लड़कों और लड़कियों की समान भागीदारी के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक

(धारा 3 आदि का संशोधन)

श्री ए० टी० पाटिल (कोलाबा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है—

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव पास हुआ।

श्री ए० टी० पाटिल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं

एकान्तता अधिकार विधेयक जारी किया जाना चाहिए। पक्ष में मतदान हुए

राष्ट्रीय उपवन विधेयक

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय उपवनों की स्थापना और नियंत्रण तथा उनसे सम्बद्ध मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है—

"कि राष्ट्रीय उपवनों की स्थापना और नियंत्रण तथा उनसे संबद्ध मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

वन राजस्व (संरक्षण) विधेयक

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वन उत्पादों से अर्जित राजस्व का उपयोग वन उद्योग के प्रयोजनार्थ करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है—

"कि वन उत्पादों से अर्जित राजस्व का उपयोग वन उद्योग के प्रयोजनार्थ करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

एकान्तता अधिकार विधेयक जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वी० एन० गाडगिल के एकान्तता अधिकार विधेयक पर आगे चर्चा आरम्भ करने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि इस विधेयक पर एक घंटा और 57 मिनट का समय पहले ही लिया जा चुका है। इस प्रकार से इस चर्चा के लिए सभा द्वारा निर्धारित 2 घंटे का समय लगभग समाप्त हो हो चुका है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि

क्या सभा यह चाहती है कि इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए समय और बढ़ाया जाये और यदि चाहती है तो कितना समय और बढ़ाया जाये ।

कुछ माननीय सदस्य : एक घंटा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः सभा यह चाहती है कि हम इसके लिए एक घंटे का समय और बढ़ायें । श्री ए० टी० पाटिल अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री ए० टी० पाटिल (कोलाबा) : महोदय मैं एकान्तता अधिकार एवं एकान्तता अधिकार पर लगायी गयी सीमाओं के बारे में पहले ही बता चुका हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाटिल, आप 21 मिनट का समय पहले ही ले चुके हैं ।

श्री ए० टी० पाटिल : मैं केवल कुछेक मुद्दों का उल्लेख करूंगा । मैं इसके लिए किए गए उपचार का उल्लेख कर रहा था और हमने इस पर यह कहते हुए टिप्पणी की है कि यदि मामला तथा कथित विधि न्यायालय में ले जाया जाता है तो मुझे यह कहना चाहिए है कि विलम्ब और अन्य बातें, जिनसे वादी के प्रति एक प्रकार से अन्याय होता है, बाधक बन सकती हैं और फिर प्रश्न यह उठेगा कि इसके लिए क्या उपचार होना चाहिए । प्रत्यक्ष रूप से एक सभ्य समाज में न्यायालय में जाने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है । सभ्य से मेरा मतलब है वह सभ्यता जो आधुनिक समाज में समझी जाती है । तब प्रश्न यह उठेगा कि क्या जनमत, जिसमें अधिनियम की आलोचना की गई है के माध्यम से कोई अन्य उपचार उपलब्ध हो सकता है और यदि ऐसी कोई आलोचना की जाती है तो क्या जनता द्वारा की गई आलोचना को कानून के अन्तर्गत संरक्षण प्रदान किया जा सकता है । और यदि इस उपचार को स्वीकार कर लिया जाता है तो शायद एकान्तता अधिकार के उल्लंघन के लिए लोगों का समर्थन मिलेगा और इस विशेष अधिकार के उल्लंघन के लिए संभवतः एक प्रतिबन्ध, विधिमान्य प्रतिबन्ध और प्रभावी प्रतिबन्ध लग सकता है । मैं उपचार और राहत आदि के बारे में विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं । मैं एक बात का उल्लेख करता हूं, क्योंकि इसका उल्लेख दूसरे पक्ष के माननीय मित्र ने किया था और वह जानने के अधिकार, जानकारी के अधिकार के बारे में था । अब, जानकारी का अधिकार निस्सन्देह कहीं, कुछ समय के लिए और कुछ हद तक स्वीकार किया जाता है परन्तु जानकारी का वह अधिकार जानने के अधिकार के रूप में इस अर्थ में स्वीकार नहीं किया जाता है जिसमें माननीय सदस्य द्वारा इस सभा में पेश करने का प्रयास किया जाता है । इस सम्बन्ध में मैं कुछ लेखकों को उद्धृत कर सकता हूं जहां यह कहा गया है :

> "किसी घटना के बारे में जानने की जनता की रुचि और उसका अधिकार उस घटना के स्वरूप पर निर्भर है न कि इसमें भाग लेने वालों पर ।"

किसी व्यक्ति पर बल नहीं दिया गया है, बल तो घटना के स्वरूप पर है । अतः दृष्टिकोण व्यक्तिपरक के बजाय विषयपरक है । यदि इस अधिकार का प्रयोग करना है तो घटना में भाग

लेने वाले व्यक्तियों के बजाय घटना के स्वरूप के बारे में विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश, आम अनुभव में हम देखते हैं कि इस बल में परस्पर परिवर्तन हो जाता है, घटनाओं की बजाय व्यक्ति पर बल दिया जाता है। इस अधिकार को एक न्यायिक निर्णय में इस भाषा में व्यक्त किया गया है :

> "अभिव्यक्ति और प्रेस के लिए गारंटी राजनीतिक अभिव्यक्ति के संरक्षण या सार्वजनिक कार्यों की आलोचना के लिए इतनी आवश्यक नहीं है जितनी स्वस्थ सरकार के लिए। व्यापक प्रकाशित सामग्री को जानने के लिए कोई भी किसी समाचारपत्र या पत्रिका को उठाकर देख ले जिसमें लोगों को नागरिकों और सरकारी अधिकारियों को जनता के समक्ष उद्घाटित किया गया है। स्वयं को विभिन्न प्रकार से दूसरों के समक्ष उद्घाटित करना सभ्य समाज का एक अंग ही है। इस उद्घाटन का जोखिम ऐसे समाज में जीवन की एक आवश्यक घटना है जो भाषण और प्रेस की स्वतन्त्रता को मुख्य रूप से महत्व प्रदान करता है।"

पुन: जब स्वतन्त्रता दी जाती है, ग्रहीत या स्वीकार की जाती है तो बल उस समाज के ढांचे पर दिया जाता है जो भाषण और प्रेस की स्वतन्त्रता को मुख्य रूप से महत्व प्रदान करता है :

जहां तक हमारे समाज का सम्बन्ध है, निस्सन्देह मूल अधिकार हैं जिनमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। परन्तु इसके साथ-साथ हमारे संविधान की मूल धारणा अर्थात् व्यक्ति को अपनी गरिमा बनाये रखने के लिए दिये गये आश्वासन द्वारा सीमित किया जाता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में "व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाली बन्धुता" के बारे में उल्लेख है। अत: जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, अन्तत: बात व्यक्ति की गरिमा की आती है जिस पर समाज द्वारा माने जाने वाले अधिकार की सीमा पर विचार करते समय विचार करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यक्ति समाज का एक अंग है, क्या ऐसा नहीं है ?

श्री ए० टी० पाटिल : व्यक्ति समाज का एक अंग है। व्यक्ति के बिना समाज नहीं बन सकता। अन्तत: व्यक्ति तो एक केन्द्र है। अत: आप इस प्रकार का संविधान किसी भी स्वतन्त्र समाज में पायेंगे जिसमें व्यक्ति को केन्द्र माना जाता है जिसके चारों ओर सामाजिक या राजनैतिक ढांचे की समूची व्यवस्था का निर्माण होता है। हमारे संविधान में, इसकी प्रस्तावना में भी, जिसमें संविधान के मूल लक्ष्यों का प्रतिपादन किया गया है, "व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाली बन्धुता" का उल्लेख है। इसलिए व्यक्ति की गरिमा को, जिसको संरक्षण प्राप्त है, संविधान की समूची संरचना का आधार माना जाता है। इस संविधान में अन्य उपबन्ध

तो "न्याय···स्वतन्त्रता···समता और व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाली बन्धुता की भावना के अध्यधीन हैं। अतः व्यक्ति समूची संरचना गति, राजनीतिक और सामाजिक दोनों प्रकार की गतिविधि का केन्द्र है।

अतः मेरा निवेदन है कि इस विधेयक के प्रस्तावक द्वारा प्रतिपादित रूप में एकान्तता का अधिकार हर प्रकार से प्रशंसनीय है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री अमला दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय जहां तक भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सम्बन्ध है, मेरे विचार में यह विधेयक कुछ पहले लाया गया है। इस तरह का विधेयक ब्रिटिश संसद के समक्ष लाया गया था। यद्यपि 10 वर्ष भी नहीं हुए हैं। वह प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अधिक उन्नतशील समाज है और इसका कारण कि इस तरह का विधेयक एक गैर-सरकारी सदस्य द्वारा ब्रिटिश संसद के समक्ष लाया जाना क्यों आवश्यक समझा गया यह था कि चिकित्सीय रिकार्ड, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली साख प्रणाली, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में इन कारणों से सरकार व्यक्ति के जीवन के सम्बन्ध में अत्यधिक शक्तियां अपने हाथ में लेना चाहती थी, व्यक्ति के बारे में, उसके जीवन और उसके परिवार के बारे में अत्यधिक जानकारी हासिल करना चाहिए थी जिसे कोई भी व्यक्ति सरकार को या इस मामले में किसी निगम या किसी को भी बताना नहीं चाहता था। इसके अतिरिक्त इस विधेयक को लाये जाने का एक और कारण यह था कि अमरीका में वाटरगेट कांड के बाद यह विचार किया गया कि यदि ब्रिटिश सरकार इस तरह की दखल देने की कार्य वाही करती जैसा कि अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति-निक्सन-ने लोकतंत्रीय दल प्रत्याशी मुख्यालय में दखल देने के लिए आदेश दिया था, तो यह अमरीका में निक्सन को पदच्युत करने के लिए तो सम्भव था जो कि इंग्लैंड में सम्भव नहीं हो सकता, जहां कार्यपालिका और न्याय-पालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण नहीं है और जहां नोकरशाह विशेष रूप से घृणित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, जो कि संयोगवश आज भी भारत में है, के कारण एक साथ हो जायेंगे। इन सभी बातों पर विशेष रूप से इस कारण कि राजनीतिक व्यक्तियों के ही नहीं, बल्कि नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन पर भी आक्षेप किया गया है जो कि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, चिकित्सा प्रणाली, साख प्रणाली द्वारा किया गया है, यह विधेयक इंग्लैंड में लाया गया था। भारत में आज हम इनमें से एक भी पहलू नहीं देखते हैं। हमारे यहां सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नहीं है जिसके द्वारा स्वभावतः लोगों के स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, आय और बेरोजगारी की अवधि के बारे में सभी तरह की जानकारी प्राप्त हो या इसके लिए न तो चिकित्सा प्रणाली है जैसाकि इंग्लैंड में है या साख प्रणाली ही है जो कि प्रत्येक पश्चिमी देश में है। अतः शुरू में मैंने जो कुछ कहा है उसके समर्थन में मुझे यह कहना है कि भारत के सन्दर्भ में यह विधेयक अपरिपक्व है।

ब्रिटिश संसद के समक्ष इस विधेक के लाये जाने का एक और कारण सरकार को दखल देने से रोकना है। परन्तु यहां भारत में हमारी ऐसी सरकार है जिसे विशेष रूप से संसद सदस्यों समेत प्रत्येक नागरिक की डाक को खोलकर पढ़ने की शक्ति प्रदान की गयी है। हमारे यहां ऐसा

अधिनियम है जिसमें सरकार को बीच में टेलिफोन सुनने और तार पढ़ने का अधिकार तार अधिनियम, जो टेलिफोन लिए की है, द्वारा प्रदान किया गया है।

इस सभा में विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव तब लाया गया है जब यह पता लगाया जाता है कि सदस्य की डाक खोलकर पढ़ी गयी और माननीय अध्यक्ष ने सदस्य का संरक्षण करने के अपनी असहायता व्यक्त करते हुए एक विनिर्णय दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि संसद सदस्यों के लिए कोई पृथक कानून नहीं है। सरकार को नागरिकों की डाक खोलकर पढ़ने की व्यापक शक्ति प्राप्त है जिसमें वह डाक भी शामिल है जोकि संसद सदस्यों को उसके निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों या अन्य लोगों द्वारा भेजी जाती है। अन्य शब्दों में डाक खोलकर पढ़े जाने, टेलिफोन काटे जाने जैसे हस्तक्षेप जिससे उसको संसदीय कार्य करने में बाधा पड़ेगी, विशेषाधिकार भंग नहीं समझा गया। परन्तु उस समय माननीय अध्यक्ष ने अपना विनिर्णय देते समय विचार किया कि संसद में 1898 के भारतीय डाकघर अधिनियम के आपराधिक धारा के सम्बन्ध में गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक लाया गया है। जब यह विधेयक पेश किया गया था तब तत्कालीन संचार मंत्री श्री स्टीफन ने उस आपराधिक धारा को हटाने के लिए एक विधेयक लाये जाने के बारे में वचन दिया था। आज मुझे विश्वास है कि विधेयक संसद के समक्ष समग्र रूप से इसे हटाने के लिए नहीं लाया गया है अपितु उन नागरिक को, जो इस तरह के सेंसर से क्षुब्ध है, न्यायालय में जाने और लोकहित में किए गए सेंसर को चुनौती देने का अधिकार प्रदान करने के लिए लाया गया है। इस तरह का परिवर्तन करने का प्रयास किया जाना है।

भारत में आज जो मुख्य बात हो रही है वह उस एकान्तता का दखल नहीं है जैसा कि पश्चिमी देशों में हो रहा है अपितु स्वयं सरकार द्वारा सुचारू रूप से कार्य करने के लिए दिए गए राजनीतिज्ञों के अधिकारों पर दखल है। सरकार ने यह ज्ञात करने के लिए शक्ति ले ली है कि अन्य दलों के राजनीतिज्ञ यहां तक कि स्वयं उसके लोग क्या कर रहे हैं। यह आवश्यक क्यों है? क्योंकि ज्ञात ही शक्ति है और स्वयं को सत्ता में बनाये रखने के लिए यह बात जानने की है अपेक्षा होती कि अन्य लोग क्या कर रहे हैं। अन्य किसी कारण से, लोकहित और देश हित से प्रेरित होकर नहीं बल्कि इसी कारण से, और अपने को सत्ता में बनाए रखने के कारण से सरकार टेलिफोन बीच में सुनने, बातचीत की कनसुई करने और डाक खोलकर पढ़ने के अधिकार को नहीं छोड़ेगी। इस देश के लोकतंत्र के संचालन में यह एक बहुत बड़ी क्षति है। इस विशेष स्थिति के लिए कोई उपचार करने में यह विधेयक बुरी तरह से असफल रहा है। सरकारी दखल और अन्य लोगों द्वारा किये जाने वाले दखल के बीच इस विधेयक में कोई अन्तर नहीं किया गया है। अतः इससे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसमें किसी नागरिक को एकान्तता पर दखल और उस व्यक्ति की एकान्तता पर दखल के बीच कोई अन्तर नहीं है जो स्वेच्छा से राजनीति में आकर सार्वजनिक व्यक्ति बन जाते

हैं। यदि जन प्रतिनिधि इतना महत्वपूर्ण बन जाता है और यदि उनकी समूची गतिविधि पर सदैव निगरानी रखी जाये तो वह एकान्तता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता जो कि विधेयक उसे प्रदान करने का प्रयास करता है। राजनीतिज्ञ के लिए लिए यह कहना संभव नहीं है कि उसके जीवन का यह कार्य प्राइवेट है और आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, आप ऐसी कोई बात नहीं कह सकते और आप इसकी पूछताछ भी नहीं कर सकते, आप उनके बारे में किसी को जानकारी नहीं दे सकते। मान लीजिए, एक राजनीतिज्ञ किसी ऐसे तस्कर से मिलता है जो 'कोफेपोसा' के अन्तर्गत जेल में रहा हो, और यदि वह एकान्तता के अधिकार का दावा करेगा तो क्या होगा ? मैं जो कुछ कह रहा हूं वह पहले ही हो चुका है। मान लीजिए किसी राजनीतिज्ञ को अपराधियों के साथ मेलजोल रखते हुए पाया जाता है, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को जो बिना किसी पैसे से सार्वजनिक जीवन में आया है, एकाएक देखा जाता है कि उसने काफी धन एकत्र कर लिया है, तो क्या होगा ? एकान्तता के अधिकार का अर्थ किसी व्यक्ति का अपनी, अपने परिवार या अपनी सम्पत्ति की अन्य व्यक्तियों से पृथकता बनाए रखना है। कोई भी यह पता लगाने की कोशिश भी नहीं कर सकता कि उसने यह कैसे किया है, क्योंकि ऐसा करने की कोशिश करना इस विधेयक के अन्तर्गत एक अपराध होगा। कोई भी यह पता नहीं लगा सकेगा कि भ्रष्ट राजनीतिज्ञों और अन्य लोगों ने भ्रष्ट तरीके अपनाकर किस तरह से धन इकट्ठा कर लिया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को केवल संरक्षण प्रदान करना है जो लोकहित में नहीं अपितु अपनी रुचि के कारण सार्वजनिक जीवन में आये हैं। अतः इस विधेयक को पूर्ण रूप से अस्वीकृत किया जाना चाहिए।

भाषण समाप्त करने से पहले मैं इस विधेयक में व्याप्त अन्य दोषों के बारे में बताना चाहता हूं।

ऐसा प्रतीत होता है कि विधेयक में प्रतिवादी, की अर्थात वह व्यक्ति जिस पर अतिलंघन के आरोप है अवश्य ही कुछ अधिकार दिये गये हैं।

प्रथमतः कार्यवाही का कारण क्या है ? इससे सारी बात हास्यास्पद हो जाती है। इसमें कहा गया है;

> "किसी भी व्यक्ति को, जिसके एकान्तता अधिकार का कोई गम्भीर या अनुचित अतिलंघन हुआ है..."

'गम्भीर' क्या है और 'अनुचित' क्या है, इसका निर्णय कौन करेगा ? उस निर्णय के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं ? प्रत्येक बात को इतना अस्पष्ट रखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के निजी जीवन के बारे में अथवा किसी व्यक्ति ने क्या किया है इसके बारे में मालूम नहीं होगा। निश्चय ही एक राजनीतिज्ञ को 24 घंटे जनता की नजरों में रहना पड़ता है। वह जहां चाहे नहीं जा सकता है। यहां तक कि जब किसी विशेष राजनीतिज्ञ की किसी दूसरे

राजनीतिज्ञ से मुलाकात हुई हो और चाहे इससे दल-बदल की कोई सम्भावना हो अथवा कोई षड्यंत्र चल रहा हो तो जनता को राजनीतिज्ञों की गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है जिनको उन्होंने चुना है और यह जानने का अधिकार है कि संसद में और उसके बाहर राज्यों में अथवा राजधानी में, जहां कहीं भी वे जाते हैं, क्या कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : अथवा हरियाणा भवन में।

श्री अमल दत्त : इसकी जनता को जानकारी होनी चाहिए। अन्यथा वे कैसे यह फैसला करेंगे अथवा यह निर्णय करेंगे कि उन्होंने अमुक व्यक्ति को चुनने में गलती की है अगली बार वे ऐसी गलती नहीं करेंगे ? यदि ये सभी बातें उनके ध्यान में नहीं लाई जाती हैं तो वे इस बारे में निर्णय कैसे करेंगे ?

कार्यवाही का कारण ही पूर्णतया स्वयं अस्पष्ट है। केवल यही व्यावहारिक बचाव दिया गया है कि "सामान्य लोकहित के किसी विषय पर निष्पक्ष रूप से टिप्पणी करना आवश्यक ही है।" यह कैसे मालूम हो कि यह सामान्य लोकहित का विषय है या नहीं ? यदि किसी राजनीतिज्ञ को किसी अपराधी के साथ देखा गया तो वह कहेगा, "वह बचपन से मेरा मित्र है अतः मैं उससे मिला।" दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि केवल किसी राजनीतिज्ञ के साथ देखे जाने से कोई अपराधी जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है, उसके साथ सम्बन्ध बतायेगा और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पायेगी। अतः जहां तक भारतीय परिस्थितियों का सम्बन्ध है यह विधेयक के अपरिपक्व होने के अलावा अत्यधिक भ्रामक है।

इसमें भारतीय राजनीति में जीवन के तथ्यों तथा गत 15 वर्षों में भारत में हमने जो दल-बदल देखे हैं, उन्हें ध्यान में नहीं रखा गया है। ऐसा दल-बदल पश्चिम के उन देशों में नहीं होता है जिसके आधार पर इस विधेयक को तैयार किया गया है। हमारे देश में राजनीतिक जीवन में जिस प्रकार भ्रष्टाचार व्याप्त है उसे भी इसमें ध्यान में नहीं रखा गया है। ऐसा किसी भी पाश्चात्य देश में नहीं हुआ है। अतः यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन के सभी तथ्यों को जनता की नजर में रखा जाये और इसी पर विधेयक में प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री गाडगिल साहब ने यहां पर "राइट टू प्राइवेसी" जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक एकान्त के जीवन का सम्बन्ध है, यदि हम अपने पिछले इतिहास को देखें, तो हमारे महर्षियों और तीर्थंकर आदि एकान्त का जीवन व्यतीत किया करते थे। उनका जीवन इस प्रकार का होता था। क्यों कि वे अपने जीवन में पवित्रता लाना चाहते थे, शुद्धता लाना चाहते थे।

वे जीवन में शुद्धता लाना चाहते थे और अगर कोई उनके जीवन के बारे में, उसकी गुप्त बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहे, तो उनको कोई एतराज नहीं होता था। उनका जीवन खुला जीवन था। अब हम चाहते हैं कि हमारा निजी जीवन इस प्रकार का हो कि उसके बारे में कोई जान न सके। क्या हम अपने मतदाताओं को धोखा देना चाहते हैं ? मतदाता तो यह जानना चाहते हैं कि आपका जीवन कैसा है, आपका चरित्र किस प्रकार का है, आप किस तरह का ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आप किस प्रकार अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार का कानून बनाना बिलकुल निरर्थक होगा।

श्री गाडगिल ने यह जो बिल प्रस्तुत किया है, मैंने इसका अध्ययन किया है। इसमें "डिफेंसिज" की जो सूची दी गई है, उसको देखते हुए कोई भी डिफेंडेंट इस कानून में फंस नहीं सकता है। टार्ट के आधार पर डैमेजिज का कोई भी सूट सबसेसफुल नहीं हो सकता और डिफेंडेंट अपना डिफेंस देकर अपना बचाव कर लेगा।

हमारा देश एक प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में हमने अपना संविधान बनाया है और उसमें लोगों को बड़े विशाल और मूलभूत अधिकार दिए हैं। उन अधिकारों का हनन एक जुर्म है। अगर कोई डीफेमेशन करे, मारपीट करे, प्रापर्टी को नुकसान पहुँचाए, तो उसके सम्बन्ध में कानून बने हुए हैं और टार्ट के आधार पर डैमेजिज का दावा किया जा सकता है। अगर कोई इस प्रकार की बात कहे, या अखबारों में पब्लिसिटी करे, जो डीफेमेशन की डेफिनीशन में आती है, तो हम कार्यवाही कर सकते हैं और अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं।

लेकिन जहां आवश्यक हो, वहां अधिकारों को सीमित रखना आवश्यक है। जैसे अगर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए टेलीफोन को टैप करने की आवश्यकता हो, तो क्यों न टैप किया जाए ? अगर कोई बड़े से बड़ा राजनीतिज्ञ ऐसी कार्यवाही करता है, जो राष्ट्र के हित में नहीं है, तो उसका टेलीफोन क्यों न टैप किया जाए ? अगर वह किसी व्यक्ति से बात करना चाहता है, तो वह उससे मिल कर बात कर ले, संघर्ष की योजना बना ले। लेकिन अगर वह डाक के जरिये से पत्र लिखता है या तार देता है, या टेलीफोन से बातचीत करता है, जो राष्ट्र के लिए घातक है, तो किसी भी देश में ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है, जो ऐसी कार्यवाहियों को करने दे। ऐसी कार्यवाहियों पर प्रतिबन्ध लगाने होंगे। इसके लिए कॉस्टीट्यूशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्राविजन रखा गया है और ऐसे लोगों की लिबर्टी पर अंकुश लगाया गया है। अगर कोई स्मगलिंग का धन्धा करता है या ऐसी कार्यवाही करता है, जो राष्ट्र-हित के विरुद्ध हो, तो उसके लिए कांस्टीट्यूशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्राविजन किया गया है।

समाज की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि हम कुछ इस प्रकार के कदम उठायेंगे, जिनमें कुछ अधिकारों को सीमित करना पड़ेगा तथा अधिकारों को सीमित करके राष्ट्र की रक्षा करनी पड़ेगी। इसी तरह से जहां तक पुलिस के अधिकार हैं—पुलिस यदि किसी जुर्म के बारे में जानना चाहे, जैसे किसी क्रिमनल के साथ, किसी डाकू के साथ कोई बड़ा

आदमी होता है तो सन्देह होता है, किसी डाकू के साथ कोई मेम्बर आफ पार्लियामेन्ट या कोई विधान सभा सदस्य या कोई मंत्री है, तो उसका क्या कारण है—इसके बारे में पुलिस जानकारी प्राप्त करना चाहे तो उसे वह अधिकार होना चाहिए, उसके अधिकार को कम नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस ऐसे मामलों में जानकारी प्राप्त करती है, जांच करती है, अन्य बहुत से बातें मालूम करती है, उस क्रिमनल के साथ क्या राजनीतिक-गठबन्धन है। इसी तरह से जो डाक्टर इलाज करता है, उसको मरीज के व्यक्तिगत जीवन की पूरी जानकारी मिलनी चाहिये, अगर उसको उस मरीज के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी नहीं होगी तो वह उस मरीज का इलाज अच्छी तरह से नहीं कर सकता। होम्योपैथी में तो ऐसा होता है कि मरीज के पिछले इतिहास को दृष्टि में रख कर इलाज करना पड़ता है।

कहने का अर्थ यह है कि राइट आफ प्राइवेसी के कानून पर आज जो हम विचार कर रहे हैं, गाडगिल साहब ने शुरू में ही अपने भाषण में कहा है कि यह अभी प्रीमैच्योर है, यहां की सोसायटी में अभी लागू नहीं है। जब यह यहां की सोसायटी में लागू नहीं है तो इसको यहां लाने का क्या लाभ है। अमरीका या ब्रिटेन में जो जीवन है वह यहां के जीवन से थोड़ा भिन्न है। जैसे नंगी तस्वीरों को हम यहां बिलकुल पसन्द नहीं करते, फिल्मज में भी हम इस प्रकार का प्रावीजन करना चाहते हैं कि नंगे चित्रों का प्रदर्शन न हो, हम उनका विरोध करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब श्री गाडगिल ने विधेयक पुरःस्थापित किया तो उन्होंने एक भाषण दिया था। क्या आप तब सभा में थे ?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मैं यहां था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन मुद्दों का उत्तर दीजिए।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो कानून यहां लाया गया है इससे हमारे किसी भी मन्तव्य की पूर्ति नहीं होती। हमारे यहां की परिस्थितियों को दृष्टि में रख कर इस प्रकार का कानून नहीं बनाया जा सकता। अगर इस प्रकार का कानून बनाया जायेगा तो हमें व्यक्तियों के जीवन के बारे में जानकारी नहीं हो सकेगी, हमारी गवर्नमेंट को जानकारी नहीं हो सकेगी कि वह किस प्रकार का आदमी है, कोई व्यक्ति ऊपर से कुछ हो लेकिन अन्दर से वह अपनी शक्ति भोग-विलास की क्रियाओं में लगाता हो, रंग-रेलियां मनाता हो—इस प्रकार का जीवन हम अपने लोगों को नहीं देना चाहते। हम चरित्रवान महापुरुष पैदा करना चाहते हैं और ऐसे चरित्रवान महापुरुष हमारे देश ने पैदा किए हैं जिनका अनुकरण हम करना चाहते हैं, तथा अपनी संस्कृति को ऊंचा बनाना चाहते हैं। इसलिए यह कानून इस देश के लिए लागू नहीं हो सकता है तथा मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री। अन्तिम वक्ता श्री गिरधारी लाल व्यास होंगे, फिर मंत्री महोदय हस्तक्षेप करेंगे और श्री गाडगिल उत्तर देंगे। श्री व्यास के भाषण के बिना कोई भी चर्चा निरर्थक होगी।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, मुझे इस पर बहुत ज्यादा नहीं कहना है, मैं सिर्फ अपना विरोध प्रकट करने लिए खड़ा हुआ हूं। इस तरह के विधेयक की हमारे मुल्क में अभी आवश्यकता नहीं है···

श्री गिरधारी लाल व्यास : और न कभी होगी।

श्री रामावतार शास्त्री : कभी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, फिलहाल की बात कर रहा हूं।

मुझे इस सिलसिले में एक बात कहनी है जो इस विधेयक के दायरे में आ सकती है, बल्कि आती है। आज हमारे समाज में कुछ लोग नारा देते ह कि "भाई, हमारी राजनीति को देखो, हमारे राजनीतिक जीवन को देखो, व्यक्तिगत जीवन को देखने की आवश्यकता नहीं है। हम लीडर हो सकते हैं लेकिन हम डिवाच भी हो सकते हैं यानी जो चाहें वह करें।" मैं इसमें बहुत ज्यादा खुलासे में नहीं जाना चाहता हूं। अगर इनके बिल को स्वीकार कर लिया जाएगा तो इस तरह का जो नारा देने वाले हैं, उनको लाइसेंस मिल जाएगा और व राजनीति में कुछ करेंगे और घर में कुछ और करेंगे और मैं अपने सूबे की बहुत सारी बातें जानता हूं राज-नेताओं की और मंत्रियों की कि उनकी प्राइवेट लाइफ क्या है। उनका घर में जीवन कुछ और है और बाहर जीवन कुछ और है और जब लोग इसको जानते हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया बड़ी तीक्ष्ण होती है।

हमारे देश में परम्परा दूसरी है। अगर हमारे देश में कोई शराब पीकर बाजार में घूमे, तो लोग बुरा मानते हैं क्योंकि यह हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी परम्परा में फिट नहीं बैठती जबकि दूसरे देशों में यह फिट कर जाती है। अगर दूसरे देशों की ऐसी बातों को देख कर हम यह बात करते हैं, तो यह ठीक नहीं होगा और आप यह भी देखें कि जब हम राजनीति में कोई ऐसा काम करते हैं तो, जनता प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है कि आपका व्यक्तिगत आचरण जब ठीक नहीं है, तो हमारी सेवा आप क्या कर सकते हैं, आप समाज में एक आदर्श कैसे उपस्थित कर सकते हैं। जब ऐसी स्थिति हमारे यहां है, तो लोग इसके बारे में भी पूछेंगे और पूछना भी चाहिए। हम यह देखते हैं कि जो जितना चरित्रवान होता है, सीधा-साधा होता है, उतना ही उसकी बातों का असर ज्यादा पड़ता है और वे ये समझते हैं कि यह हमारी तरह रहता है लेकिन अगर आप एकान्तता के नाम पर इस तरह का लाइसेंस दे देंगे, तो उससे हमारी प्रतिष्ठा घटती है, बढ़ती नहीं है और इसमें बहुत से लोग बच जाएंगे। हमारे दादा ने तो नाम भी दे दिये लेकिन मैं नाम नहीं देना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि इस तरह के जो बहुत से लोग हैं, उनको एक ढाल मिल जाएगी। इसलिए ऐसी ढाल मत दीजिए, जिससे जो समाज में बुराइयां हैं, समाज में भ्रष्टाचार है और आचरण सम्बन्धी अनैतिकता है, वह खुल कर सामने न आए। मैं तो यह समझता हूं कि यहां की जनता यह तय करे कि हमारे समाज में जो काम करने वाले हैं, वे हमारे नेता बनने लायक है या नहीं ? अगर यह बिल आप ले आएंगे और मैं

जानता हूँ कि सरकार इसको स्वीकार नहीं करेगी और न उसे स्वीकार करना ही चाहिए लेकिन मान लीजिए कि अगर वह स्वीकार कर ले, तो ऐसे लोगों के पास एक ऐसा लाइसेंस हो जायेगा कि वे जो चाहेंगे करेंगे। उनको इस तरह का लाइसेंस नहीं देना चाहिए। हमारे देश का वायु-मंडल, वातावरण और सारी चीजें अलग हैं। इसलिए मेरी यह राय है कि राजनीतिक जीवन में जो मापदंड आप रखना चाहते हैं व्यक्तिगत जीवन में भी वही मापदंड रखना चाहिए और यह न हो कि व्यक्तिगत जीवन में एक आदमी जो चाहे, वह करे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री जी आप से एक स्पष्टीकरण है। आप जब रात को सोते हैं तो आप अन्दर से दरवाजे बन्द करते हैं···

श्री रामावतार शास्त्री : दरवाजा बन्द करते हुए किसी के साथ कोई और भी हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अन्दर से अपना दरवाजा बन्द करते हैं। यही एकान्तता है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अकेले कर सकता हूं, मैं अपने परिवार के साथ कर सकता हूं···

उपाध्यक्ष महोदय : आप हमेशा दरवाजा खुला नहीं रखते। क्या आप रखते हैं?

श्री रामावतार शास्त्री : मैं दरवाजा खुला रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में गया है कि आप रात को भी अपना दरवाजा खुला रखते हैं। अब तक कई लोगों को इसके बारे में मालूम हो गया होगा।

श्री रामावतार शास्त्री : जब जरूरत होती है मैं बन्द करता हूं। प्रत्येक आदमी ऐसा करता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कल समाचारपत्रों में भी आयेगा।

श्री रामावतार शास्त्री : कोई समाचारपत्र वाला इसे नहीं देगा।

मुझे और अधिक इस बिल के बारे में नहीं कहना है। बस यही कहना है कि इस बिल की हमारे देश में जरूरत नहीं है। हमारे देश की और मामलों में बढ़ाइये, हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं है, उनका समाधान निकालिये।

मुझे आशा नहीं कि यह बिल पास होगा। अगर बिल पास भी हो तो पोलिटिशियंस को कभी एग्जेम्प्ट मत कीजिए क्योंकि वह तो सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर है। उसको हम इसकी आजादी नहीं दे सकते हैं। (व्यवधान)

यह बात मेरे ऊपर भी लागू होती है।

उपाध्यक्ष जी, मेरा यही कहना है कि इस तरह का बिल खतरनाक है। इससे हमारे देश का लाभ नहीं होने वाला है, नुकसान ही होने वाला है। पहले ही हम बहुत नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं, काहे को अब आप अपने देश को और नुकसान पहुँचाना चाहते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो प्रस्तुत किया गया है, इसमें दोनों तरह की बातें कही गयी हैं। कुछ तो ऐसी बातें हैं जिनका समर्थन करना चाहिए, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका विरोध करना चाहिए। दोनों तरह की बातें हैं। इसीलिए मैं माननीय गाडगिल साहब से निवेदन करूंगा कि यह बिल पूरा नहीं है, अधूरा बिल है, इसलिए आप इस पर पुनर्विचार कीजिए और वापस ले लीजिए ताकि कोई अच्छा बिल आप प्रस्तुत कर सकें।

इसमें दो प्वाएंट हैं। एक तो यह कि हमारे देश में जो पीली पत्रकारिता है उसकी वजह से अच्छे से अच्छे आदमी को धरातल पर लाकर पटक दिया जाता है, चाहे उसकी गलती हो या न हो। यह राजनीतिक विद्वेष की वजह से होता है और उसके कारण उसे बदनाम किया जाता है। इसको रोका जाना चाहिए।

दूसरे, हमारे शास्त्री जी जो कह रहे थे उस प्वाएंट का मैं भी समर्थन करता हूं। हमारे देश में बहुत से खराब लोग हैं, जैसे स्मगलर्स हैं, होर्डर्स हैं, डकोइट्स हैं जो कि राष्ट्र की सम्पत्ति को लूटना चाहते हैं, जो हर प्रकार के अन्याय और अत्याचार करते हैं, उनके सम्बन्ध में निश्चित तरीके से जनता का ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। जब तक यह नहीं होगा तब तक ठीक तौर से ऐसे लोगों का पर्दाफाश नहीं होगा।

यह ठीक है कि हमारे देश में बहुत सारे और भी कानून हैं जिनके तहत हम दावा कर सकते हैं, डिफेमेशन का दावा किया जा सकता है। यह कहा गया कि इतने कानून होने के बाद इस कानून की आवश्यकता नहीं है। हमारे कम्युनिस्ट भाई बढ़-चढ़ कर बात कर रहे थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे कम्युनिस्ट भाइयों की कथनी और करनी में बहुत अन्तर है। खास तौर से इनका मोटो यह है कि ईट, ड्रिंक एण्ड बी मेरी। ये वैसे तो सब तरह के काम करते हैं मगर दुनिया को जाहिर नहीं होने देते और दुनिया को यह बताते हैं कि हम से अच्छा कोई नहीं है। इस प्रकार की प्रवृत्ति को निश्चित तरीके से रोका जाना चाहिए। जैसा कि शास्त्री जी ने कहा कि हमारे देश में चरित्र की आवश्यकता है, अच्छे लोगों की आवश्यकता है, यह मैं भी मानता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसे ढकोसलेबाज लोगों की भी आवश्यकता नहीं है जो बाहर से मल्टी मिलियनर्स की बुराई करते हैं और अन्दर से मल्टी मिलियनर्स बनते हैं। इस प्रकार की स्थिति हमारे कम्युनिस्ट भाई चाहते हैं। इस प्रकार की स्थिति जो हमारे कम्युनिस्ट भाई चाहते हैं उसको खास तौर से रोकने की आवश्यकता है। अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाई गयी तो ऐसे लोग लोगों को बराबर धोखा देते

रहेंगे और गलत बातें कह कर, लोगों को समझा कर अपने आपको फायदा पहुँचाते रहेंगे। इस प्रकार की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की नितान्त आवश्यकता है।

विदेशों में निक्सन के समय वाटरगेट कांड हुआ, इंग्लैंड में परफ्युमी कांड हुआ और अन्य प्रकार के कांड हुए। हम उस प्रकार के कांड अपने देश में निश्चित तरीके से नहीं चाहते। इस प्रकार के कांड निश्चित तरीके से हम अपने देश में रोकना चाहते हैं। मगर इसके साथ उन लोगों की कथनी और करनी के अन्तर को भी रोकने की बहुत आवश्यकता है जिन लोगों की कथनी और करनी में अन्तर है। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग हल्ला बहुत मचाते हैं, सुनना इन्हें पसंद नहीं है। थोड़ी-सी बात कहो तो खड़े हो जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक का इससे क्या सम्बन्ध है ? मेरी माननीय सदस्यों से अपील है कि वे इसमें राजनीति न लाएं। गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य में राजनीति न लाइए। कम से कम आज इस चर्चा में मेरा आप से निवेदन है कि आप अपने साम्यवादी मित्रों को भूल जायें और मुख्य विषय पर आइए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अगर आप प्रजातंत्र में विश्वास रखते हों तो औरों की बात भी सुन लीलिए। मैं सही बात कह रहा हूं। ये लोग जो हैं सुनने के आदि नहीं हैं। कोई दूसरा आदमी इनके खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द न करे, इस प्रकार की भावना रखते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इनकी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है।

मैं आपसे करप्शन के बारे में यह निवेदन कर रहा था कि जीवन में शुद्धता बहुत आवश्यक है, इस देश में नितान्त आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री व्यास, एक स्पष्टीकरण है। मुझे बताया गया है कि आप साम्यवादी दल के सदस्य थे।

श्री गिरधारी लाल व्यास : जी, बिलकुल भी नहीं। मैं शुरू से ही कांग्रेस दल का—इस कांग्रेस दल का सदस्य था।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस ओर से यह सूचना मिली है। अतः मैंने आपसे पूछा है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : जब तक हम अपने देश के जीवन में शुद्धता नहीं लायेंगे तब तक कोई व्यवस्था नहीं बैठ पायेगी। इसको लाने के लिए बड़े से बड़ा आदमी चाहे वो इनका लीडर हो जिन्होंने लाखों-करोड़ों रुपया कमा लिया, चाहे हमारी तरफ के लोग हो, कोई भी हो, जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, उनके खिलाफ पब्लिक ओपीनियन तैयार की जानी चाहिए तब जाकर व्यवस्था बैठेगी।

हमारे शास्त्री जी बहुत बढ़चढ़ कर बात करते हैं। लेकिन खुद यह नहीं सोचते कि किस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों पर आरोप लगाते हैं लेकिन स्वयं कितने गहरे पानी में हैं यह नहीं सोचते।

आज कई तरीके से घपलेबाजी हो रही है। जिस तरीके की व्यवस्था आज हमारे देश में होनी चाहिए उस प्रकार की व्यवस्था को ठीक करने में सहयोग नहीं कर रहे हैं बल्कि बिगाड़ने में सहयोग कर रहे हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां देश के अन्दर हैं, खासतौर से वामपंथी पार्टियां जो हैं, धन-सम्पत्ति संचय करने में बराबर लगी हुई हैं ताकि इसके जरिए से वे अपना वर्चस्व कायम रख सकें।(व्यवधान)

मैं क्या आपकी पोल खोलूं। मैं आपकी सारी बातें जानता हूं कि किस प्रकार से करोड़ों रुपया इकट्ठा किया जा रहा है। ये लोग कह सकते हैं कि यह बात गलत है, लेकिन मैं इनके बारे में अच्छी तरह से जानता हूं कि किस तरीके से इन्होंने धन-सम्पत्ति अर्जित की है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था बिलकुल गलत है और इस तरह से नुकसान होता है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया समाप्त कीजिए। यदि कुछ अपमानजनक है तो मैं कार्यवाही वृत्तान्त देखूंगा।

श्री मनी राम बागड़ी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी का व्यवस्था का प्रश्न है। यह क्या है ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बैठना है। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री मनी राम बागड़ी : माननीय सदस्य ने खड़े होकर यहां सदन के अन्दर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि करोड़ों रुपया इन्होंने भ्रष्टाचार के तरीके से लिया है। और यह कहा है कि मैं साबित करने को तैयार हूं

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पोलिटिकल पार्टी के लिये कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त देखूंगा। यदि कोई बात अपमानजनक है। तो मैं देखूंगा। कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं कानून के तहत बोल रहा हूं। इस प्रकार की गलत बातें नहीं होनी चाहियें, इस सम्बन्ध में मैं कह रहा हूं। .....

(व्यवधान)

आप देखिये क्या हुआ ? मैं आपको इस बात की नजीर दूं । गरीब आदमियों को पालने के लिए जो भारत सरकार धन देती है उसका भी ठीक से उपयोग नहीं होता है । करोड़ों रुपये के अनाज का क्या हुआ ? इस प्रकार की गलत बातें इस देश के अन्दर कर रहे हैं । काम के बदले अनाज व्यवस्था का क्या हुआ ?

इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त देखूंगा । हमारी चर्चा का स्तर बनाए रखा जाना चहिए ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यहां पर मुझको कहने का अधिकार है इसलिए मैं कहूंगा मुझे कोई डर नहीं है । मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप कमीशन बैठा दीजिये और जांच करवा लीजिये जो बात मैंने कही हैं । ...

(व्यवधान)

यह चैलेंज करते हैं मुझको कि बाहर चलो, बाहर क्या कर लेंगे ?

एक माननीय सदस्य : बाहर चलो ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : बाहर चलता हूं चलो, देखें क्या कर लोगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : दुनिया भर की बात करते हैं और हम कुछ नहीं कह सकते हैं । जब सही बात कहते हैं तो गुस्सा आता है और धमकी देते हैं बाहर चलने की । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हर एक अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना खड़ा हो रहा है । किसी भी पक्ष से जो कुछ भी बोला जायेगा वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । प्रत्येक सदस्य को संसद की भद्रता तथा शिष्टता बनाई रखनी चाहिए ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री वी० एन० गाडगिल ने लोक सभा में एकान्तता अधिकार विधेयक, नाम का एक गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक पेश किया है । विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को पेश करते हुए श्री गाडगिल ने एक विद्वत्तापूर्ण भाषण दिया और भारत, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका से विस्तृत रूप से उद्धरण देते हुए विधेयक में एकान्तता अधिकार के उद्देश्यों और भावना के बारे में विस्तार से कहा । उन्होंने नये तथा आधुनिक इलेक्ट्रानिक और वैज्ञानिक उपकरणों का भी विस्तार से वर्णन किया है जिनका उपयोग किन्हीं व्यक्तियों के 'निजी' जीवन के बारे में सम्बद्ध व्यक्ति की जानकारी के बिना जासूसी करने, उनके बारे में सुनने, बीच में उनके टेलीफोन सुनने, उनकी बात को छिपकर बीच में सुनने, फोटो लेने, और उनके बारे में

वस्तुतः असीमित मात्रा में आंकड़े और सूचना रिकार्ड करने, इकट्ठा करने तथा उसे पुनः प्रस्तुत करने के लिए किया जा सकता है।

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

उन्होंने पाश्चात्य देशों में इस समस्या की व्यापकता के उदाहरण भी दिये हैं और एकान्तता के अतिलंघन के तीन स्रोतों अर्थात् सरकार बड़े निगम और प्रचार माध्यम को बताया है। श्री गाडगिल ने कहा कि यह विधेयक इस विचार से एक प्रत्याशित विधेयक है क्योंकि भारत में इसके खतरों की पूर्ण व्यापकता के प्रभाव को अवस्था तक हम अभी नहीं पहुचे हैं।

महोदय, हमारे कई माननीय सदस्यों ने इस विषय पर कहा है। श्री मूलचन्द डागा ने अपना भाषण समाप्त करते हुए कहा है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने से विधेयक को पेश करने वाला वस्तुतः क्या हासिल करना चाहता है। श्री जेठमलानी ने भी पूछा है कि इस विधेयक का क्या प्रयोजन है। श्री नरसिम्हा रेड्डी का विचार था कि अर्थपूर्ण चर्चा के लिए 'एकान्तता' की परिभाषा की आवश्यकता है। श्री त्रिलोक चन्द्र ने सुझाव दिया है कि एकान्तता के अधिकार कि सुपरिभाषित सीमाएं होनी चाहिए। श्री ए० टी० पाटिल ने एकान्तता के अधिकार को सीमाएं बताई हैं। श्री दत्त ने वाटरगेट और ब्रिटेन के कुछ उदाहरण दिये हैं। उनके विचार से यह विधेयक भारत में अपरिपक्व है और मांग की है कि विधेयक अस्वीकृत किया जाये। श्री जैन ने प्राचीन समय के कुछ उदाहरण दिये हैं और जहां तक एकान्तता अधिकार का सम्बन्ध है वह किसी कानून की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। उनके विचार से प्रत्येक व्यक्ति को लोगों के समक्ष एक खुली पुस्तक की तरह होना चाहिए। श्री रामावतार शास्त्री ने कहा है कि इस अवस्था में ऐसे विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री व्यास ने भी सभा का ध्यान सनसनीखेज पत्रकारिता की ओर दिलाया है। इन सभी सुझावों तथा विधेयक को ध्यान में रखते हुए मैं इसके प्रस्तुतकर्ता का उद्देश्य समझता हूं। दोनों पक्षों के अधिकांश मित्रों ने विधेयक प्रस्तुतकर्ता की आलोचना की है। मैं समझता हूं कि वे कुछ हद तक मुख्य विषय से हट गये हैं।

महोदय, यह मालूम होगा कि दो विशेषज्ञ निकायों अर्थात् भारत के विधि आयोग तथा द्वितीय प्रैस आयोग ने इस विषय के विभिन्न पहलुओं की जांच की है और कुछ उपायों की सिफारिश की है, जैसे फोटो लेने और रिकार्ड करने के उपकरणों का अनाधिकृत प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता में दण्ड उपबन्धों की व्यवस्था करना तथा एकान्तता सम्बन्धी मामलों में अनुचित प्रकाशन की शिकायतों पर विचारण के लिए प्रैस आयोग को शक्ति प्रदान करना।

महोदय, ये सुझाव तथा सम्बद्ध मामले सरकार के विचाराधीन हैं और माननीय सदस्यों

तथा विशेषज्ञ समितियों के सुझावों और सिफारिशों पर विचार करने के बाद उचित समय सभा के समक्ष उपयुक्त विधान लाया जायेगा।

इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं अब माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह इस विधेयक को वापस लें।

श्री वी० एन० गाडगिल (पुणे) : सभापति महोदय, मैं उन सदस्यों और साथियों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे विधेयक पर चर्चा में भाग लिया है।

विधेयक की कुछ आलोचनाएं अज्ञानता पर आधारित हैं। कुछ सदस्यों ने कहा कि हमें डाक्टरों को कई बातें बतानी पड़ती हैं और उनके अनुसार इस विधेयक से इसमें रुकावट आएगी। इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान मेरे विधेयक की धारा 4 (घ) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है 'कि वादी ने स्पष्टतया या अपने आचारण से अतिलंघन की सम्मति दे दी थी। अतः यह उसकी सम्मति से है। अधिकार का अस्तित्व नहीं है। ऐसी बातें कही गई कि जैसे मैं यह विधेयक तस्करों की रक्षा के लिए लाया हूं, श्री रामावतार शास्त्री के शब्दों में मैं इसे व्यभिचारी और अनैतिक राजनीतिज्ञों के बचाव के लिए लाया हूं। पर इस विधेयक का यह उद्देश्य कदापि नहीं है। विधेयक में एक स्पष्ट खण्ड है जिसमें कहा गया है कि एकान्तता का अधिकार तब खण्डित किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति उस समय प्रदत्त कानून द्वारा उसे प्रदत्त प्राधिकार के अनुसार काम करता है। मेरे विचार से इसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य ऐसे कानून शामिल हैं जिनके अन्तर्गत तस्करों, आदि के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। मैं इसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता, पर कुछ का जिक्र अवश्य करना चाहूंगा।

श्री डागा जी ने अपने तरीके से अपने भाषण के दौरान पूछा है कि इस विधेयक का उद्देश्य क्या है। एक घण्टे तक मेरा भाषण सुनने के बाद वे पूछते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। यह तो वही बात हुई कि सारी रात रामायण सुनने के बादआप पूछें कि सीता राम की कौन थी। और श्री जेठमलानी ने गलत मंच पर भाषण किया। यह लोक सभा में रात्री-भोजन पश्चात् भाषण के समान था। अपनी विशिष्टता के अनुरूप उन्होंने 'व्यभिचारिता' का उल्लेख करते हुए अपना भाषण आरम्भ किया। उनके भाषण के बारे में मैं इससे अधिक नहीं कहना चाहता।

श्री जेठमलानी और श्री रेड्डी ने विधेयक के प्रारूपण की आलोचना की। इस सम्बन्ध में मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। उन्होंने पूछा है कि उचित और अनुचित, आदि से मेरा क्या अभिप्राय है। महोदय, आप उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील हैं आप जानते हैं कि इन शब्दों की न्यायालयों में कैसे परिभाषा की जाती है। जो कानून जानते हैं उन्हें पता है कि इन शब्दों के दुष्कृति कानून में कुछ विशेष अर्थ हैं। इसमें अस्पष्टता का कोई प्रश्न नहीं है। अतः यह आलोचना आधारहीन है कि इसका प्रारूपण अस्पष्ट है।

इस देश के कुछ लोग विशेषकर वकील अंग्रेजी में प्रारूप बनाने में माहिर हैं। पर यह जानकर उन्हें आश्चर्य होगा कि यह विधेयक शब्दशः उस विधेयक का प्रतिरूप है जिसे ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स में पुरःस्थापित किया गया था। यदि उस सभा में विधेयक का प्रारूप अच्छा होता है तो यह प्रारूप भी अच्छा है। अतः इसके प्रारूप के बारे में मुझे कोई क्षमा याचना नहीं करनी है।

श्री दत्ता ने कहा कि यह मामला ब्रिटेन में 'वाटरगेट' कान्ड के बाद उठाया गया था मैं उनकी जानकारी के लिये बता दूं कि इसी प्रकार का विधेयक 1957 में लार्ड मैनक्राफ्ट द्वारा हाउस आफ लार्डस में तथा अलेक्स लायड एवं 12 अन्य ब्रिटिश लेबर पार्टी के संसद सदस्यों ने हाउस आफ कामन्स में पेश किया था। ऐसा बात नहीं है कि 'वाटरगेट' काल के बाद ही इनकी आंखें खुलीं। यह आन्दोलन 1890 में उस समय से आरम्भ हो गया था जब न्यायमूर्ति ब्रांडीस ने 'हार्वर्ड लॉ रिव्यु' में एक लेख लिखा था। मेरे विचार में प्रजातन्त्र में एकान्तता का अधिकार जरूरी है। पर मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि इस देश में तकनोलाजी का उस सीमा तक विकास नहीं हुआ है। पर मैंने अपना पिछला भाषण यह कह कर आरम्भ किया था कि यह विधेयक भावी भावनाओं या प्रतीक है। यदि आप 10 वर्ष बाद जागे, जब समस्या बहुत ही विकट हो जाएगी, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। हमें भविष्य का ध्यान कर इस बारे में विधान बनाना चाहिए, ताकि एकान्तता के अधिकार की रक्षा की जा सके।

श्री जैन ने ऋषियों और महर्षियों की बात कही। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कहूँगा। मैं उनसे केवल इतना कहूँगा। उन्होंने कहा कि आजकल नंगे चित्र लिए जा रहे हैं और साथ ही उन्होंने एकान्तता अधिकार के प्रति आपत्ति जाहिर की। मैं उनसे इस विषय में 14 फरवरी 1982 की 'सण्डे' पत्रिका पढ़ने को कहूंगा। उसमें एक अमरीकी राजनीतिज्ञ की औरत का लगभग नग्न चित्र प्रकाशित किया गया है। उसका क्या दोष है ? संयोगवश वह अमरीका के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति की पत्नी है। क्या उसे एकान्तता का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। कोई भी पत्रकार जा कर उसकी नंगी तस्वीर ले कर उसे पत्रिका में प्रकाशित कर सकता है। यह पत्रिका कलकत्ता से निकलती है। उसने यह फोटोग्राफ छापा है। मैं इसका औचित्य सिद्ध नहीं कर रहा। क्या किसी राजनीतिज्ञ के कुटुम्ब को एकान्तता का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : आप वह चित्र सदस्यों को दिखा रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। (व्यवधान)

सभापति महोदय : 'सण्डे' काफी लोकप्रिय होगा। (व्यवधान)

श्री वी० एन० गाडगिल : अतः विधेयक की आलोचना कई बातों में गलत धारणा पर आधारित है। इसका उद्देश्य यह नहीं है। इसका उद्देश्य जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा है,

प्रजातन्त्र में किसी भी व्यक्ति को एकान्तता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए । इस एकान्तता के अधिकार पर तीन ताकतों द्वारा प्रहार किया जा रहा है । ये अन्ततः मनुष्य की गरिमा ही समाप्त कर देंगे । विधि आयोग ने अपने 42वें प्रतिवेदन में ऐसी समस्याओं के पैदा होने का जिक्र किया है । उसने अध्याय 19 को किसी अन्य अध्याय द्वारा प्रतिस्थापित करने की सिफारिश की है जिसके द्वारा इस विषय पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए जाएंगे और एकान्तता के अधिकार की रक्षा होगी । मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि लोकतन्त्र में एकान्तता का अधिकार अनिवार्य है और इसकी रक्षा की जानी चाहिए ।

तथापि विधि उप मन्त्री द्वारा जो विचार व्यक्त किए गये हैं उन्हें देखते हुए मैं विधेयक को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एकान्तता अधिकार का उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एकान्तता अधिकार का उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री वी० एस० गाडगिल : मैं विधेयक वापस लेता हूं ।

अगरतला में एक उच्च न्यायालय की स्थापना विधेयक

श्री अजय बिश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अगरतला, त्रिपुरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

महोदय, इस विधेयक को लाने का प्रयोजन अगरतला में एक उच्च न्यायालय स्थापित करना है । इस समय स्थिति क्या है । असम में गोहाटी में एक उच्च न्यायालय है, जो छः राज्यों का काम देख रहा है । उच्च न्यायालय की एक पीठ अगरतला में है । पर उससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती । त्रिपुरा के लोग अगरतला में एक अलग उच्च न्यायालय की स्थापना में दिलचस्पी रखते हैं ।

यह पीठ वस्तुतः 2 या 3 मास के अन्तराल में बैठती है । इस पीठ की नियमित बैठकें नहीं होती । परिणामस्वरूप, बहुत बड़ी संख्या में मामले इकट्ठे हो गये हैं । इस समय 2 हजार

से भी अधिक मामले लम्बित हैं। इस सत्र के दौरान मैंने लम्बित मामलों के बारे में एक प्रश्न पूछा था। मेरा प्रश्न इस प्रकार था।

"गोहाटी हाइकोर्ट की अगरतला पीठ में कितने मामले विचाराधीन हैं, इसका मंत्री जी ने यह उत्तर दिया :

"त्रिपुरा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार गोहाटी उच्च न्यायालय की त्रिपुरा पीठ में 1.6.1981 को 1 हजार 7 सौ 65 मामले बकाया थे।

महोदय, अब नवम्बर, 1982 है। निश्चय ही और मामले इनमें जुड़ गये होंगे। अतः मैं कह सकता हूं कि 2 हजार मामले लम्बित पड़े हैं। त्रिपुरा एक छोटा सा राज्य है, जिसकी जनसंख्या 20 लाख है। त्रिपुरा जैसे राज्य में 2 हजार मामले शेष हैं। अतः आप इस समस्या की गम्भीरता की कल्पना आसानी से कर सकते हैं।

महोदय, यह स्पष्ट है कि गोहाटी उच्च न्यायालय की पीठ इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके विपरीत इससे लोगों को अधिक कठिनाई होती है और उन्हें अधिक पैसा भी खर्च करना पड़ता है। यदि अभियोग में देरी होती है तो यह निश्चित है कि मुकदमें में अन्तर्गत व्यक्ति को कठिनाई होगी अतः मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की इस बारे में क्या मंशा है। क्या सरकार ने यह फैसला किया है कि वह उत्तरी आंचल को पिछड़ी ही रखेगी ? या उसके साथ न्याय करेगी। इन परिस्थितियों में त्रिपुरा के लोग इस पीठ को समाप्त करना चाहते हैं और त्रिपुरा के लिए एक अलग उच्च न्यायालय की मांग करते हैं। स्थिति यह है कि इस पीठ की 2 या 3 महीनों तक कोई बैठक नहीं होती इसलिये त्रिपुरा के लोगों को गोहाटी जाना पड़ता है। गोहाटी त्रिपुरा से बहुत दूर है और मार्ग भी बहुत दुर्गम है तथा खर्चीला है। इसके साथ ही गोहाटी दूसरे राज्य यानि असम की राजधानी है। उसकी भाषा भिन्न है। त्रिपुरा के लोगों के लिए यह एक अनजाना स्थान है। जब कोई व्यक्ति गोहाटी में न्यायालय में जाता है तो उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विशेषकर इस समय जो स्थिति वहां चल रही है, जो पृथकतावादी आन्दोलन वहां चल रहा है उसके कारण त्रिपुरा के लोगों को और भी कठिनाई होती है। वस्तुतः इस समय लोग अपने मामलों के सम्बन्ध में गोहाटी जाने में कतराते हैं। इसीलिये यह सारे मामले अनर्णीत पड़े हुए हैं।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है—इतने सारे मामलों के एकत्र हो जाने के क्या कारण हैं, और सरकार लम्बित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है।

मंत्री महोदय का उत्तर था कि इसके बहुत से जटिल कारण थे। वे जटिल कारण ये हैं जिनका उल्लेख मैं अब कर रहा हूं। लेकिन मन्त्री महोदय ने, अपने उत्तर में, जटिल कारकों के बारे में कुछ नहीं बताया है।

मंत्री महोदय का क्या सुझाव है ? मंत्री महोदय ने कहा कि सरकार ने राज्य के सम्बन्धित अधिकारियों को गोहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा था ताकि न्यायालय के लम्बित मामलों को निपटाया जा सके तथा इसके 'सर्कट' पीठों, जिसमें अगरतला की पीठ भी शामिल हैं के कार्यों को प्रभावी ढंग से निपटाने में सहायता मिल सके।

इससे समस्या हल नहीं होगी। इससे त्रिपुरा के लोगों की वर्तमान समस्याएं और बढ़ जायेंगी, न्यायालय में 2000 मामले लम्बित पड़े हैं। यदि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार और न्यायाधीश नियुक्त करती है और मामलों को तेजी से पूरा करने का प्रयत्न करती है, तो भी 2 या 3 साल के बाद मामलों की कुल संख्या निश्चय ही 3000 या 3500 से अधिक ही होगी। यह संख्या दिन प्रतिदिन और बढ़ती जायेगी। आप इस संख्या को कम नहीं कर पायेंगे।

मेरा अगला प्रश्न है : लोग आसाम कैसे जायेंगे। यह काफी दूर है। लोगों को पहले बस से धर्मनगर तक यात्रा करनी पड़ती है। अगरतला से धर्मनगर की दूरी रेल द्वारा 200 किलोमीटर है। सानरोम से यह 300 किलोमीटर से भी अधिक दूर है।

मैं नहीं जानता कि क्या मन्त्री महोदय के लिए अगरतला से धर्मनगर तक बस द्वारा यात्रा करना सम्भव होगा। यदि वह यह यात्रा करते हैं तो उन्हें पता चलेगा कि यह कितनी मुश्किल है क्योंकि त्रिपुरा में 62 प्रतिशत क्षेत्र पहाड़ों से घिरा हुआ है। आपको टेढ़े-मेढ़े रास्तों से गुजरना पड़ता है। धर्मनगर से गोहाटी तक, आपको 452 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करनी पड़ती है। यद्यपि यह दूरी इतनी है फिर भी इसमें 20 से 22 घंटे लग जाते हैं।

यदि मंत्री महोदय, अगरतला से धर्मनगर तक बस द्वारा यात्रा करें तो मुझे विश्वास है कि (व्यवधान) उस यात्रा के बाद वह अपना विचार बदल देंगे।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : जिन स्थानों का आप उल्लेख कर रहे हैं मैं वहां पहले दो बार जा चुका हूं।

श्री अजय बिश्वास : त्रिपुरा के आम आदमी गोहाटी से अपरिचित हैं। अतः जब वह गोहाटी के उच्च न्यायालय में मामले पर कार्यवाही के लिए जाता है तो वह उसके लिए अधिवक्ता अगरतला से ले जायेगा। अधिवक्ता बस या गाड़ी से यात्रा नहीं करेगा। वह हवाई-यात्रा करेगा। तो इस पर कितना खर्च आयेगा। क्या आप इस बात का अन्दाज लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति पर आपने कितना भार डाला है ? और फिर एडवोकेट अकेला नहीं जायेगा। वह किसी आम आदमी को अपने साथ ले जायेगा। वह ऐसे एक और आदमी को अपने साथ ले जायेगा जिसे गोहाटी के बारे में तथा वहां की स्थिति की जानकारी हो। आप जानते हैं कि आज स्थिति

बहुत जटिल है। वह होटल में ठहरेगा। त्रिपुरा एक निर्धन राज्य है जहां के 83 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जी रहे हैं। क्या वे उचित न्याय पाने के लिए गोहाटी जाने का खर्च दे सकेंगे ? यह सम्भव नहीं है।

मैं संविधान से उसके प्रयोजन को उद्धृत करता हूं। मैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से उद्धृत कर रहा हूं। अनुच्छेद 39 क में कहा गया है—

"राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ हो, और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य असमर्थता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या अन्य प्रकार से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।"

क्या यह पालन किया जा रहा है ?

(श्री वी० एन० गाडगिल पीठासीन हुए)

त्रिपुरा के मामले में हमारी मांग यह नहीं है कि वहां निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाये बल्कि हमारा निवेदन यह है कि केन्द्रीय सरकार त्रिपुरा के नागरिकों के कंधों पर और अधिक वित्तीय भार न डालें। त्रिपुरा में वास्तव में यही कुछ हो रहा है। मैं स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि वहां न्याय प्राप्त करने के लिए अवसर नहीं दिए जाते हैं और उसके लिए केन्द्रीय सरकार ही जिम्मेदार है। देरी से न्याय दिलाने का अर्थ है न्याय से वंचित करना।

आप त्रिपुरा में अलग न्यायालय स्थापित करने की लागत के बारे में विचार कर सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि यदि आप अलग उच्च न्यायालय की स्थापना करते हैं तो उसकी लागत उससे अधिक कहीं होगी जितना आप आज खर्च कर रहे हैं। मेरा विचार यह है कि एक न्यायापीठ पहले से ही है और सरकार को न्यायाधीशों को यात्रा-भत्ता और महगाई-भत्ता बर्दाश्त करना ही पड़ता है न्यायाधीशों को वह केवल उस समय के लिए मिलता है जब वे अगरतला में रह रहे हों। उन्हें अपने चपरासियों के लिए भी यात्रा भत्ता दिया जा रहा है। यदि आप कुल खर्च मिलायें तो आप देखेंगे कि आप वर्तमान न्यायपीठ पर अत्याधिक राशि खर्च कर रहे हैं। मैं न्यायाधीशों को यात्रा-भत्ता और मंहगाई-भत्ता देने के विरोध में नहीं हूं। उसे प्राप्त करने का उनका हक है और उन्हें वह खर्च मिलेगा। मेरा प्रश्न यह है कि एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना करने से वर्तमान खर्च में कमी आयेगी।

एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है, जिसका प्रयोग आज गोहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा किया जा रहा है। अगरतला न्यायालय के वर्तमान कर्मचारी भी उपलब्ध हैं क्योंकि उनकी सेवाएं गोहाटी उच्च-न्यायालय की पीठ को सुपुर्द की गई हैं। अतः अधिरचना तो है ही

और यदि सरकार त्रिपुरा के लिए एक पृथक उच्च-न्यायालय की स्थापना का निर्णय लेती है तो उसे किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है और मैं चुनौती दे सकता हूं कि ऐसा करने से सरकार का खर्च उससे अधिक नहीं होगा जितना खर्च वह इस समय पीठ के रख-रखाव पर कर रही है। इसके अलावा, संविधान के निदेशक सिद्धांतों के अनुसार भी सरकार का यह कर्तव्य है कि वह निर्धन लोगों को न्याय दिलाये। अतः सरकार को एक व्यापारी की भांति बर्ताव नहीं करना चाहिए।

मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि मैं सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहता हूं। क्योंकि यह सब सरकार के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आप उच्च न्यायालय की स्थापना के विरुद्ध काफी कुछ कह सकते हैं। लेकिन यदि आपका दृष्टिकोण पूर्वी क्षेत्र के विकास के प्रति है तब उच्च न्यायालय स्थापित करने में कोई समस्या नहीं है क्योंकि इसमें अधिक खर्च नहीं होगा। क्योंकि, स्वभावतः आप यह निर्णय लेंगे कि कुछ न्यायाधीशों की आवश्यकता तो है ही। लेकिन मेरा प्रश्न है, कि वास्तव में सरकार पूर्वी-क्षेत्र के विकास में रुचि ही नहीं रखती। त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड के मामले में आपने हमेशा यह देखने का प्रयत्न करते रहे हैं कि सभी राज्य केन्द्र अथवा पड़ोसी राज्यों पर निर्भर करेंगे। मैंने उच्च न्यायालय के बारे कहा है। विश्वविद्यालय और अन्य मामलों में भी आप यही कर रहे हैं। अब त्रिपुरा पूर्ण राज्य है, नागालैंड भी पूर्ण राज्य है। पूर्वी क्षेत्र में दो या तीन अन्य क्षेत्रों को भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है। जबकि त्रिपुरा अथवा नागालैंड जैसे राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका है तो उसके प्रति आपका क्या कर्तव्य है? आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान करें ताकि वहां के लोग महसूस कर सकें कि उन्हें वास्तव में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है। लेकिन वास्तव में आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपका मुख्य प्रयोजन देरी करना अथवा उस ओर से उनका ध्यान हटाना और क्षेत्र का शोषण करना है। यही कारण है कि आप देखते हैं कि नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और मणिपुर, सब जगह लोगों को निराशा है और वे केन्द्रीय सरकार से ऊब गए हैं। कुछ स्थानों पर तो कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि भारत सरकार उनकी सरकार नहीं है। वे कहते हैं कि भारत सरकार यह महसूस नहीं करती कि वे भारत के ही लोग हैं। यह भावना उनमें कैसे आई है? उन्होंने यह कैसे महसूस किया कि वे भारतीय नहीं है और भारत से अलग हैं? इसका कारण आपका उनके प्रति दृष्टिकोण है और पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए कोई सुविधा न प्रदान करना है। यही कारण है कि मैंने यह विधेयक प्रस्तुत किया। यह बहुत छोटी सी बात है। इसमे अधिक समय नहीं लगेगा। यदि आप एक उच्च न्यायालय की स्थापना करते हैं तो त्रिपुरा के लोग बहुत खुश होंगे। वे महसूस करेंगे कि केन्द्र सरकार उनके लिए कुछ कर रही है। यदि आप नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, के लोगों की कुछ मांगे स्वीकार कर लेंगे, तो उन्हें महसूस होगा कि केन्द्र सरकार उनके लिए कुछ कर रही है और वे भारत के अंग हैं। यह विधेयक प्रस्तुत करने का मेरा मुख्य प्रयो-

जन उस प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालना है। राज्य के मुख्य मन्त्री इस मामले पर केन्द्र सरकार से पहले ही चर्चा कर चुके हैं। राज्य विधानमंडल ने एकमत से प्रस्ताव पास किया है और इसे केन्द्र सरकार को भेजा है ताकि वहां एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सके। इतना ही नहीं अगरतला विधि संगठन ने भी एक पृथक उच्च न्यायालय के लिए एक संकल्प पारित किया है। वे आपसे मिले हैं। लेकिन आपने कोई परवाह नहीं की। यहां तक कि आपने उन्हें उत्तर देने की भी परवाह नहीं की। तब उन्होंने आंदोलन शुरू किया। हाल ही में उन्होंने न्यायालयों का बहिष्कार किया। अतः वहां यह स्थिति बनी हुई है। यह मेरा विधेयक नहीं है। इसे त्रिपुरा के राज्य सभी लोगों का समर्थन प्राप्त है।

मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इसके कारणों को देखें और इस विधेयक को स्वीकार करें, ताकि त्रिपुरा के लोगों की काफी लम्बे समय से लम्बित मांग पूरी की जा सके।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति जी, यह बिल बहुत ही छोटा है और इसका एक ही मकसद है, और ऐसा कोई मकसद नहीं है इसका जिसमें सरकारी पक्ष की ओर से कहीं कोई विरोध की गुंजाइश हो। सवाल यह है कि सरकार की यह घोषित नीति है कि देश की जनता को सरकार सस्ता न्याय दिलाना चाहती है, सहज न्याय मिल सके और न्याय में शीघ्रता हो। और यह बिल कि त्रिपुरा में हाई कोर्ट की स्थापना हो मैं समझता हूं कि सरकार की घोषित नीति के पूरी तरह अनुकूल है। देश के अन्दर जो इलाके पिछड़े हुए हैं खास तौर पर वहां से और जहां से इस तरह के न्याय में अभी पूरे देश के बारे में कई बार सवाल यहां उठते रहते हैं और दूसरे हाई कोर्टस की क्या हालत है, जजेज की जगह खाली हैं बड़ी मात्रा में, हर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अन्दर भी केसेज पैंडिंग हैं... ऐसी स्थिति में उस फ्रन्ट पर जो समस्याएं हैं, उनको सुलझाने की दिशा में, मैं समझता हूं कि यह बिल एक पौजिटिव स्टैप देता है। त्रिपुरा में अगर अस्थायी तौर पर एक बेंच हो जाता है, जैसा कि कहा गया है कि त्रिपुरा एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, 83 फीसदी लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, तो यह एक अच्छी चीज होगी। यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि त्रिपुरा के लोग उन मौकों पर जबकि बेंच वहां नहीं बैठता हो, वह गोहाटी जा सकें और न्याय की उम्मीद कर सकें ?

देश के दूसरे हिस्सों में भी न्याय काफी महंगा है, बहुत कम लोगों की पहुँच न्याय तक हो पाती है। जो बिल लाया गया है, और बिल को पायलट करने वाले सदस्य ने जो तर्क दिये हैं, मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहब को और सरकार को कन्विन्स करने के लिए उसमें काफी मसाला है, काफी तथ्य उसमें दिये गये हैं। यह कोई पोलिटिकल बात नहीं है। वहां की बार एसोसिएशन के चेयरमैन खुद कांग्रेस (आई) के लोग हैं, वहां की असेम्बली ने इसको पास किया है, आर्थिक तौर पर भी कोई ज्यादा बर्डन गवर्नमेंट को नहीं होने जा रहा है। हालांकि ऐसे मामले में मेरी राय यह है कि यदि आर्थिक बोझ भी सरकार को पड़ता हो तो उसे उठाना

चाहिए ताकि आम जनता को, खासतौर से गरीब लोगों को आसानी से न्याय मिल सके। सरकार को यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए।

मैं इस सिलसिले में कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मकसद साफ है, डिमांड एक ही है मैं समझता हूं कि त्रिपुरा और ऐसे जो भी स्टेट्स हैं, वहां आम धारणा यही होती है कि जब किसी को स्टेट-हुड दिया जाता है तो न्याय के मामले में भी हाई कोर्ट उनको मिलेगा। मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि इस मामले में मंत्री महोदय पौलिटिक्स नहीं करेंगे, वह बराबर विरोधी लोगों से सहयोग की बात करते हैं, त्रिपुरा के लोगों की यह साधारण सी मांग है, यह उनको माननी चाहिए और हाई कोर्ट के मामले में जो बिल आया है, उसके लिए सरकार को अपनी सहमति जाहिर करनी चाहिए।

सभापति महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : सभापति महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे नए सक्रिय युवा मंत्री सरकार की ओर से उत्तर देंगे और हमें आशा है कि इस मामले में उनका नकारात्मक उत्तर होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह विधेयक विशेषकर त्रिपुरा के संबंध में है। उस क्षेत्र के लिए विशेष न्यायिक न्यायाधिकरण की आवश्यकता का खंडन नहीं किया जा सकता लेकिन इससे कुछ मूलभूत मुद्दे सामने आते हैं। जैसा कि आप इस देश में न्यायिक निकायों के कार्यों का अनुभव रखते हुए यह समझेंगे, भविष्य के अनुभव के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं कुछ मूलभूत मुद्दों का उल्लेख करूं। हमारे संविधान में जैसा कि पहले बताया जा चुका है नीति निदेशक तत्वों के रूप में आम आदमी द्वारा न्याय प्राप्त करने की सजीव कल्पना की गई है।

हमारे देश में बहुत सी बाधायें हैं, गरीबी के कारण होने वाली बाधायें, पहुँच से परे होने की वजह से पैदा हुई बाधायें तथा लोगों की जिन समस्याओं का समाधान किये जाने की आवश्यकता है उनकी जानकारी की कमी के कारण होने वाली बाधायें हैं और इनके कारण कठिनाई पैदा होती है। लोग गरीब हैं तथा मुकद्दमेबाजी पर अधिक खर्च आता है। इस सबके अतिरिक्त यदि कोई यात्रा के खर्च तथा वकीलों को दूरस्थ स्थानों पर ले जाने के खर्च का हिसाब लगाये तो इससे और बोझ अधिक बढ़ जाता है।

जहां तक हमारे संविधान का सम्बन्ध है न्यायपालिका की स्वतन्त्रता हमारी एक मूलभूत स्वतन्त्रता है। इसको चाहे कोई पसन्द करे या न करे परन्तु संसदीय लोकतन्त्र के हमारे देश में जिस प्रकार का राजतन्त्र मूलभूत कानून द्वारा स्थापित किया गया है, यह संवैधानिक स्वरूप के आधार का एक संरक्षण है।

अतः एक सार्थक स्वतन्त्र न्यायपालिका के लिए लोगों की न्यायपालिका तक पहुंच बहुत आवश्यक है। यह आवश्यक सदगामी व्यवस्था है और इसके बारे में अधिक कहने की आवश्यकता

नहीं है अदालतों की यह मांग न केवल त्रिपुरा से बल्कि विभिन्न स्थानों से की गई है। उत्तर प्रदेश से मांग की गई थी, पंजाब से और अन्य बहुत से स्थानों से भी मांग की गई है। उग्र-राष्ट्रीयता के दबावों के अतिरिक्त और जो भी दबाव हो सकते हैं तथा जिनके सामने हमें घुटने नहीं टेकने चाहिए। मैं ऐसे मामलों में अतिराष्ट्रीयता का आरोप की बात नहीं करना चाहता जब तक ऐसे कुछ लोग इस आधार पर मामले न उठायें। परन्तु हमने एक बहुत ही दुखद दृश्य देखा है मैं इस पर खुश नहीं हूं कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लोग उच्च न्यायालय की पीठ को अपने-अपने क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए कह रहे हैं, चाहे यह मेरठ हो, मुरादाबाद हो या कोई अन्य स्थान। अभी पिछले दिन हमने देखा कि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश के औरंगाबाद में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने के निर्णय को खत्म कर दिया था और उच्चतम न्यायालय ने इसके विपरीत निर्णय दिया।

ये मांगें क्यों की जा रही हैं ? पिछले दस वर्षों से पांचवीं लोक सभा से मुझे इस महान सभा में प्रश्न उठाने का मौका मिला है। मैं लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के क्षेत्रग पीठों की स्थापना का जोरदार समर्थन करता हूं। मैं उत्तरी बंगाल में भी एक क्षेत्रग पीठ का समर्थन करता रहा हूं जो कि ऐसा स्थान है जहां पर जाना बड़ा कठिन है। श्री गनी खान चौधरी द्वारा मालदा रेलवे स्टेशन की पुनः मरम्मत कराने के बावजूद भी वहां पर जाना बड़ा कठिन है। वास्तव में मैं क्षेत्रग पीठ के या देश के सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के क्षेत्रग पीठ की स्थापना के बहुत अधिक पक्ष में हूं।

दिल्ली आने वाले लोगों की हालत के बारे में सोचिए। एक बर्खास्त श्रमिक का उदाहरण है जिसके पक्ष में निर्णय हो गया था। उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उस निर्णय के विरुद्ध निर्णय दिया। फिर उसको उच्चतम न्यायालय आना पड़ा। उसकी दशा के बारे में सोचिए मुकदमे के खर्चों के अतिरिक्त जो कि काफी बड़ी राशि है वह खर्च कैसे पूरा करेगा।

अतः हमारे जैसे विस्तृत देश में, जहां पर इस प्रकार की विनाशकारी गरीबी है जो देश के महत्वपूर्ण अंगों को नष्ट कर रही है, लोगों को न्याय प्रदान करने की आवश्यकता है, यदि आप इस बात में विश्वास करते हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए तो आपको लोगों को न्याय दिलाने के लिए दूरस्थ स्थानों पर जाने के लिए कहने की बजाय न्याय को उन लोगों तक ले जाना चाहिए। यह केवल अदालत तक सुगम पहुँच प्रदान करने का ही प्रश्न नहीं है। आपको लोगों में न्यायिक प्रणाली के प्रति विश्वास पैदा करना है। यदि आप संबद्धता चाहते हैं, यदि आप लोगों में कानूनी व्यवस्था और न्यायपालिका के न्याय के प्रति लोगों में विश्वास पैदा कराना चाहते हैं तो आपको लोगों को उसमें अन्तर्ग्रस्त करना पड़ेगा।

लोगों में इस तन्त्र के प्रति विश्वास इस प्रकार पैदा किया जा सकता है कि यदि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो मैं आसानी से न्यायालय में जा सकता हूँ और अपने सीमित साधनों से भी कानून के मुताबिक न्याय प्राप्त कर सकता हूँ परन्तु यदि आप इसको कठिन बना देते हैं तो इससे अवश्य ही समूचे न्यायतन्त्र में लोगों का विश्वास कम होगा और उससे देश के संवैधानिक

तंत्र में भी लोगों का विश्वास कम होगा अतः मैं आपसे एक बात का निवेदन करूंगा, जैसे कि ठीक ही कहा गया है कि मैं ऐसा कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं कि इस पर राजनैतिक आधार पर विचार किया जायेगा। मैं जानता हूं कि कभी-कभी व्यापक रुख अपनाना पड़ता है। इस मामले में विस्तृत दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा और इसपर अधिक लोगों के अधिक लाभ की दृष्टि से विचार करना पड़ेगा और अधिकांश लोगों के गरीब होने की वजह से हमें उनको न्यायालय में सुगम पहुँच कराके अनिवार्यतः उनकी सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। त्रिपुरा को ही देखिए। मुझे मालूम है कि इस सभा में तथा इससे पहली सभाओं में भी सरकार ने उच्च न्यायालय की पीठें स्थापित करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किये हैं इसके पीछे कुछ नैतिकता तथा सिद्धान्त हैं। सिद्धान्त स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिसमें 65 जिले हैं, यदि मुझे गलत न समझा जाये, स्वभावतः इलाहाबाद तथा लखनऊ के दो उच्च न्यायालय पर्याप्त नहीं हैं। महाराष्ट्र इतना बड़ा क्षेत्र है। आपको महाराष्ट्र जाकर और फिर यहां आना पड़ेगा। आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में तीन स्थान हैं—बम्बई, नागपुर, औरंगाबाद और अब गोवा भी।

श्री गुलाम नबी आजाद : यह जनसंख्या के आधार पर है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह केवल जनसंख्या के आधार पर ही नहीं, निःसंदेह जनसंख्या महत्वपूर्ण है परन्तु केवल जनसंख्या ही नहीं। नागालैण्ड को ले लीजिए, अरुणाचल को ले लीजिए, मिजोरम को ले लीजिए। गोहाटी में जाकर आपको कैसा लगेगा जहां पर वे किसी को भी नहीं जानते। वकीलों को कोई नहीं जानता। जिला अदालतों में, उप मंडलीय अदालतों में वकील हो सकते हैं जिनसे उन्हें विश्वास है वे गोहाटी कैसे आयें? और यदि आ जायें तो कौन सा वकील चुनें? आप इन बातों को भूल नहीं सकते, ये दिन प्रतिदिन के अनुभव हैं क्या एक से अधिक उच्च न्यायालय बनाने का सिद्धान्त है तथा इसकी नैतिकता है? और यदि यह सिद्धान्त है और यदि उस सिद्धान्त में विश्वास किया जाता है तो मेरे पास इस विधेयक का कोई उत्तर नहीं है।

मुझे मालूम है कि इस विधेयक के माननीय प्रस्तावक श्री विश्वास ने हमारे विधि मंत्री श्री कौशल द्वारा दिये गए उत्तर का संदर्भ दिया है। 19 अक्तूबर 1982 को ही उन्होंने स्वीकार किया है।

"अगरतला पीठ के त्रिपुरा जैसे छोटे स्थान पर 5 जून 1981 को 1765 मामले थे।"

आपके पास पिछले एक वर्ष के भी आंकड़े नहीं हैं और फिर यह स्वीकार किया गया :

"कि उच्च न्यायालय से निवेदन किया गया है तथा राज्यों से भी निवेदन किया गया है कि समस्त न्यायालय के बकाया मामलों को निपटाने के लिए गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाये तथा उच्च न्यायालय के पीठों के, जिसमें अगरतला पीठ भी सम्मिलित

है, प्रभावी कार्यकरण को सुगम बनाया जाये, अत: अगरतला क्षत्रग पीठ की बैठकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है।"

इस पर सहमति दी गयी है। जिस बात पर यहां बल दिया गया है, मैं विश्वास करता हूं कि वह संगत है। यदि कोई अंकगणितीय गणना भी करे, यदि यहां पर आने वाले खर्च पर इसी प्रकार से विचार किया जाये, यदि न्यायाधीशों को अगरतला में वर्ष में चार पांच या छः महीने रखने और बाकी दिनों वहां पर कोई भी उपलब्ध न हो, तो इससे सरकार पर खर्च करने या राज्य में एक पृथक उच्च न्यायालय रखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। खर्च अधिक नहीं आता। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं माननीय मंत्री से इस बात को ध्यान में रखने के लिए निवेदन करूंगा कि आपको न केवल उच्च न्यायालय की ही स्थापना करेंगे बल्कि उसके साथ साथ लोगों को सन्तुष्टी भी होगी।

लोगों की आकांक्षाओं को भी पूरा किया जायेगा। दूसरी ओर आपको अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा तथा आप अधिक लोगों को न्याय प्रदान कर सकते हैं। अत: मैं माननीय मंत्री से उस पर विचार करने का निवेदन करूंगा। फिर इसके लिए विधान सभा का एकमत से संकल्प पास किया है तथा यदि इसकी कोई संगति है तो विभिन्न राजनैतिक तत्वों से निर्मित बार एशोशिएशन की भी सहमति है। उन्होंने भी इसकी मांग की है। उन्होंने एक आन्दोलन शुरू किया है; उन्होंने अदालतों का भी बहिष्कार किया है। एक अधिक नियमित क्षेत्रग पीठ की स्थापना करने के बजाय उच्च न्यायालय की स्थापना करना अधिक अच्छा है।

मुझे अगरतला अदालत में जाने का व्यक्तिगत अनुभव है। मुझे मालूम है कि वहां पर वकीलों की क्या हालत है वह बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस बात से सहमत होंगे कि एक अच्छी पीठ के लिए अच्छा 'बार' होना आवश्यक है। वे एक दूसरे के पूरक हैं। एक अच्छे 'बार' के बिना आप अच्छी पीठ नहीं रख सकते और एक अच्छी पीठ के बिना अच्छा 'बार' नहीं हो सकता। उस बार के बारे में आप क्या सोचते हैं जहां पर लोग बेताबी से इस बात का इन्तजार कर रहे हैं वर्ष में एक या दो महीने के लिए गोहाटी से एक या दो विद्वान न्यायाधीश आयेंगे? आप इस प्रकार की परिस्थितियों में एक उन्नत, उत्तरदायी, परिश्रमी तथा सजग 'बार' की कैसे आशा करते हैं? यह महत्वपूर्ण है। और वे धन सम्बन्धी विचार से प्रेरित होकर इसकी मांग नहीं कर रहे हैं। परन्तु वास्तव में पेशेवार लोग होने की वजह से उन्हें अपनी कमाई के बारे में भी सोचना है क्योंकि यह उनकी रोजी है। परन्तु जैसा कि मैंने कहा कि उच्च न्यायालय के बिना आप एक अच्छा और उन्नतबार नहीं रख सकते। परन्तु फिर भी मैंने अपने अनुभव के आधार पर देखा है कि त्रिपुरा में यद्यपि बहुत ही छोटा बार है परन्तु वे बहुत ही प्रसिद्ध, मेहनती तथा होशियार वकील हैं। हम जब वहां जाकर उनके साथ काम करते हैं तो हमें खुशी होती है।

इन मामलों को ध्यान में रखते हुए तथा न्याय प्रदान करने के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए और इस मांग के पीछे जो भावना है उसको ध्यान में रखते हुए इस पर सहमति होनी चाहिए···(व्यवधान)

संविधान का अनुच्छेद 226 हमारे संविधान की आत्मा है, इसको संविधान का अन्तः-करण माना गया है। अनुच्छेद 226 के कार्य-क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है और जनहित में मुकदमे दायर किये जा रहे है। आम जनता इसका सहारा लेने के लिए बहुत उत्सुक है। यद्यपि कुछ बड़े लोग धनी लोग भी इसका लाभ उठायेंगे फिर भी जैसा कि मैंने कहा आम जनता संविधान के अनुच्छेद 226 की सहायता लेने के लिए उत्सुक है और जिला अदालतें अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत न्याय नहीं दे सकतीं। यह केवल उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ही कर सकते हैं। यदि उच्च न्यायालय लोगों से दूर हैं तो आप निश्चित रूप से लोगों को इस कार्यक्षेत्र का लाभ उठाने से रोक रहे हैं जो कि, जहाँ तक हमारे देश की न्यायपालिका का सम्बन्ध है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

मुझे आशा है कि धनराशि की कमी का तर्क अब नहीं दिया जाएगा। माननीय प्रधान मन्त्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि सरकार विकसित क्षेत्रों में कम कीमत पर उद्योग स्थापित करने के स्थान पर पिछड़े क्षेत्रों में अधिक धनराशि खर्च कर उद्योग स्थापित करेगी। क्या इस सिद्धान्त, जिसे कुछ दिन पहले प्रधानमन्त्री महोदया ने सदन में स्पष्ट किया था, को कार्यरूप दिया जायेगा। इस सिद्धान्त का और भी महत्व बढ़ जाता है यदि आप जनता को न्याय दिलाने के बारे में उसी प्रकार के मानक, उसी प्रकार का रवैया अपनाना चाहते हैं। त्रिपुरा में अमीर, बहुराष्ट्रिक अथवा इसी प्रकार के अन्य लोगों का बाहुल्य नहीं है। यदि आप वहां न्यायपीठ की व्यवस्था कर दें जिससे वहाँ सुगमता से पहुंच हो सके तो आप वहाँ गरीब लोगों को सुगम उपाय उपलब्ध कर सकेंगे। वहाँ पर 83 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। यह सुविधा वहाँ उपलब्ध करना एकाधिकारियों, बड़े-बड़े व्यापारियों और बड़े भूस्वामियों को छूट देना नहीं है यह तो देश की उस जनता को, जो स्वयं को समूचे देश से अब भी कटा हुआ महसूस कर रही है, राहत देने तथा उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के समान होगा। माननीय मन्त्री जी स्वयं वहां की यात्रा कर चुके हैं और वे यात्रा की कठिनाईयों को समझते हैं और उस यात्रा पर लगने वाले समय और व्यय के बारे में भी जानते हैं। आप 24 घन्टे की यात्रा किए बिना गौहाटी नहीं पहुंच सकते हैं।

अतः मैं माननीय मन्त्री महोदय से जोरदार अनुरोध करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि वे उस विधेयक को स्वीकार करेंगे और किसी उप सचिव द्वारा तैयार किया गया घिसा-पिटा उत्तर नहीं देंगे।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : माननीय सभापति जी, श्री अजय विश्वास द्वारा इस प्रस्ताव का "कि अगरतला, त्रिपुरा में एक न्यायालय की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए", मैं समर्थन करता हूं।

श्रीमन्, संविधान के अनुसार जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए हम कटिबद्ध हैं लेकिन इस न्याय को सुलभ करने के लिए, जन-सुलभ बनाने के लिए हमने बहुत कम

प्रयत्न किये हैं उसी प्रकार से जैसे कि हमने अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं में हर देहात को सड़क से जोड़ने की बात नहीं की। इतना बड़ा डेमोक्रेटिक सैट-अप जहां आप ने नागरिकों को दिया है और बहुत से मौलिक अधिकार दिये हैं, वहां जनता को सस्ता और सुलभ न्याय यदि आप नहीं दिला पाएंगे, तो आपका प्रजातंत्र का ढांचा बहुत लचर हो कर रह जाएगा और रह गया है। पिछली बार जब श्री हरीश रावत ने बरेली में इलाहाबाद की हाईकोर्ट के सामान एक हाई कोर्ट बनाने की या एक बेंच की स्थापना करने के लिए एक बिल मूव किया था, तो उस समय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि बहुत से कारण हैं, जिन पर वे विचार करते हैं और विचार कर रहे हैं कि कहां कहां हाई कोर्ट की स्थापना की जाए। बहुत सी स्थितियां होती हैं और अधिक आबादी की भी एक स्थिति है, जैसे एक करोड़ की आबादी वाला जो प्रदेश है, वहां भी एक हाई कोर्ट है और 12 करोड़ की आवादी वाला जो प्रदेश है, वहां भी एक हाई कोर्ट हो, तो कैसे लोगों को न्याय मिल सकेगा।

दूसरी बात यह है कि राज्य की भौगोलिक स्थिति भी देखनी पड़ती है। अगर अगरतला, त्रिपुरा की जो स्थिति है, वह आपके सामने बताई गई। 30-30 घंटे वहां जाने में लगते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर हम जाएं, तो ट्रेन में भी 20-22 और 24 घटे लगते हैं। मान लीजिए कि इलाहाबाद में हाई कोर्ट में अपने केस के लिए अल्मोड़ा और पिथौड़ागढ़ या तिब्बत से मिले धारचूल नामक स्थान से किसी को जाना है, तो न्याय लेने के लिए उस आदमी को कितना लम्बा सफर करना पड़ेगा और कितना अपने काम का हर्ज करना पड़ेगा, इसको सभी जानते हैं। आजकल के युग में भौगोलिक स्थिति या जो सामाजिक स्थिति है, उसको देखते हुए कोई निश्चित पालिसी आप को देश में हाई कोर्टों की नई बेंचें स्थापित करने के लिए बनानी चाहिए, जिससे लोगों को सस्ता न्याय मिल सके। इसी सदन में उस समय के न्याय मन्त्री श्री शिवशंकर ने इसके बारे में आश्वासन दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि आप ने इस सम्बन्ध में क्या पग उठाए हैं। और क्या उनके आश्वासन पर आप अभी अटल हैं, क्या आपके आने से वह आश्वासन समाप्त हो गया है ?

देश में विभिन्न स्थानों से बड़ी वास्तविक मांग हाई कोर्ट की बेंच बैठाने की की जाती है लेकिन आप इस पर ध्यान नहीं देते। इसलिए लोगों में बड़ा असंतोष है। ऐसा कहा जाता है कि आप पोलिटिकल प्रेशर जब पड़ता है तो गांव में, नागपुर में बेंच बना देते हैं और औरंगाबाद में भी अब बनाने जा रहे हैं। अन्य स्थानों के बारे में आप ध्यान नहीं देते। उत्तर प्रदेश के बरेली और उसके आस पास के जिलों के वकीलों ने हड़ताल की और आजकल भी वे हर शनिवार को हड़ताल करते हैं, अदालतों में काम नहीं करते हैं। इस बात को महीनों गुजर चुके हैं, मेरे ख्याल से साल हो गया है। आपने यहां घोषणा कर दी कि उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की कहां बेंच बिठायी जाए इसके लिए एक कमीशन मुकर्रर कर दिया है। वह कमीशन अब तक क्या कर चुका है और क्या कर रहा है, इसका कुछ पता ही नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में

हाई कोर्ट की बेंच बिठाने के लिए आपने जो कमीशन मुकर्रर किया था उसने अब तक क्या किया ? क्या उसने किसी पदाधिकारी से मुलाकात की, किसी की गवाही ली ? क्या उसने उत्तर प्रदेश का कोई सर्वे किया, उस कमीशन ने उन परिस्थितियों को जानने के लिए कौन-सा कदम आज तक उठाया जो कि एक हाई कोर्ट की बेंच के लिए होनी चाहिए ? मैं कहता हूं कि वह कमीशन अभी तक डिफेक्ट है, वह बना ही नहीं है, केवल कागज पर है। आप अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह चाहते हैं कि जब तक आमे वाले चुनाव न हो जाएं तब तक उस कमीशन की रिपोर्ट न आने पाये। यह तरीका आपने अपना लिया है।

जिन-जिन स्थानों पर हाई कोर्ट हैं, वहां के वकील लोग यह कभी नहीं चाहेंगे कि हाई कोर्ट की बेंच किसी दूसरी जगह पर बिठायी जाए। अगर वहां के लोगों से आप डरेंगे तो कोई कदम नहीं उठा पाएंगे और कोई काम नहीं कर पायेंगे। इसलिए इस ढीली-ढाली पालिसी को आप छोड़ दीजिए और हमें आश्वासन दीजिए कि कब तक आप अगरतल्ला या उत्तर प्रदेश में जिसके लिए आपने आश्वासन दिया हुआ है हाई कोर्ट की बेंच बिठा देंगे। यह भी आश्वासन दीजिए कि इस देश के सम्पूर्ण भाग का अध्ययन करके कितनी बेंच कब तक आप बिठा देंगे, कब तक इसकी घोषणा करेंगे और कब तक इसके सम्बन्ध में बिल लायेंगे और इसके सम्बन्ध में कितना सोचने में समय और लेंगे ? यह मैं आप से इस अवसर पर जानना चाहता हूं।

जहां तक सस्ते और सुलभ न्याय की बात है वही कानूनी सहायता अच्छी होती है और सस्ती होती है जो आसानी से मिल सके। अगर आसानी से कानूनी सहायता सुलभ नहीं होती है तो कैसे काम चलेगा। हमारे देश में कितनी गरीब जनता रहती है। हमारे देश में आधे से ज्यादा ऐसे लोग रेहते हैं, जिन्हें आप कहते हैं कि दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। ऐसे लोगों को हजारों मील जब न्याय के लिए जाना पड़ेगा तो कैसे सस्ता और सुलभ न्याय न मिल पाएगा ? ऐसे लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए इतनी दूर जाने में कितनी तकलीफ होती है, इसका आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। आप अगर अपने देशवासियों को खासतौर पर गरीब लोगों को ऐसा न्याय नहीं दे सकेंगे जिसमें कि मुकद्दमें में उनसे फीस न ली जाए, जिसमें कि उनको शीघ्र न्याय प्राप्त हो और बहुत आसानी से प्राप्त हो तो बड़े लोग अपने पैसे के बल पर अपने मतलब का न्याय प्राप्त करने में सफल होते रहेंगे जैसा कि आज तक हो रहा है। वे लोग अपने पैसे के बल पर अपने मतलब का न्याय प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। आप ऐसी व्यवस्था करें कि हमारे देश में देहात में रहने वाला छोटे से छोटा, निर्धन से निर्धन, हरिजन और बैकवर्ड भी सस्ता, सुलभ और आसानी से न्याय प्राप्त कर सके।

मैं इस बिल के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी घोषणा करें कि वे उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर हाई कोर्ट की बेंच बनाने जा रहे हैं।

इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है और ऐसे ही देश के विभिन्न भागों में किन परिस्थितियों के आधार पर जैसा कि माननीय कानून मन्त्री ने आश्वासन दिया था, कहां-कहां आप

हाई-कोर्ट के बेंचों की स्थापना करने जा रहे हैं। इन शब्दों के साथ, श्रीमन् मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री चित्त बसु (बारसार) : मैं अपने सहयोगी श्री अजय विश्वास द्वारा पेश किये गये विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक त्रिपुरा में एक पृथक उच्च न्यायालय की शीघ्र स्थापना करने का सम्बन्ध है, मेरे विचार से आप इसके बारे में उन तथ्यों को जानते हैं जिन्हें आप अस्वीकार नहीं कर सकते, इसका यह अर्थ नहीं कि आपको राजनीतिक दृष्टि से इसे मानने में रुचि है बल्कि इसलिए कि आप जीवन के तथ्यों को झुठला नहीं सकते। हमारे संविधान में निहित निदेशक सिद्धान्तों में हमें यह आश्वासन दिया गया है कि प्रत्येक नागरिक के लिये न्याय की व्यवस्था हो; केवल यहीं नहीं, सस्ते न्याय दिलाने पर भी विचार किया जाएगा। न्याय प्राप्त करने में व्यय के तथ्य से आप अनभिज्ञ नहीं रह सकते क्योंकि मुकदमा करने के लिए त्रिपुरा से गोहाटी जाने के लिये अतिरिक्त व्यय भार वहन करना पड़ता है। आपको इस बात का विश्वास दिलाने के लिये मुझे अतिरिक्त समय की अथवा कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं कि अगरतला में एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना सिद्धान्त रूप से आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, आपको यह वास्तविकता भी नहीं भुलानी चाहिए कि त्रिपुरा एक राज्य है। प्रत्येक राज्य का अपना एक व्यक्तित्व एवं विशेषता होती है और यह स्वाभाविक बात है कि किसी भी राज्य के लिये एक पृथक उच्च न्यायालय न केवल राज्य के स्तर का प्रतीक ही है बल्कि इससे राज्य की प्रतिष्ठा एवं स्तर ऊंचा होता है। त्रिपुरा राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना न करके आप राज्य को उसका सही स्थान प्रदान नहीं कर रहे हैं। मैं सरकार से यही प्रार्थना करूंगा कि कृपया आप इस तथ्य को मत भूलें कि त्रिपुरा एक राज्य है; यह राज्य भी देश के अन्य राज्यों के समान है। अतः त्रिपुरा के विशिष्ट व्यक्तित्व के लिये वहां की जनता चाहे उसकी संख्या कितनी भी क्यों न हो, एक उच्च न्यायालय की स्थापना न्यायसंगत है। चाहे वहां की जनसंख्या 20 लाख ही क्यों न हो, किन्तु इस जनसंख्या की अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है। इस राज्य में विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं जिनसे यह राज्य बना है और यह भारत गणराज्य का एक राज्य है। अतः मेरे विचार से जब इस सम्बन्ध में पहले भी निर्णय लिया गया था, मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि इस वास्तविकता को कि त्रिपुरा भी भारत गणराज्य का एक राज्य है, भुला दिया गया था और त्रिपुरा की जनता यही चाहती है कि उनकी आशाएं एवं आकांक्षाएं भी पूर्ण हों। इस मांग का समर्थन राजनीतिक राय रखने वाले लोगों के सभी वर्ग कर रहे हैं। इस मामले पर कहीं कोई मतभेद नहीं है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि इस सम्बन्ध में काफी समय से हिचकिचाहट है, बार परिषद ने सर्व-सम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। त्रिपुरा विधान सभा ने भी एक सर्व-सम्मत प्रस्ताव पारित किया है। अब आप कह सकते हैं, "हम राज्य विधान मंडल की परवाह क्यों करें? क्योंकि यह

है तो राज्य विधान मंडल ही है, किन्तु वे तो जनता के प्रतिनिधि हैं और जब समूचा विधान मंडल सर्व-सम्मति से कोई प्रस्ताव पारित करता है तो आप उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। क्या इससे देश का संघीय ढांचा सशक्त बनता है ? मैं इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता हूं। क्या इससे हमारा संघीय ढांचा प्रभावित नहीं होता ? क्या आप केन्द्र-राज्य सम्बन्ध मजबूत बनाना चाहते हैं ? क्या आप चाहते हैं कि जनता की आकांक्षाएं यथासम्भव रूप से पूरी होनी चाहिये ? अतः यह सभी बड़े-बड़े राजनीतिक मामले हैं किन्तु पक्षपातपूर्ण मामले नहीं हैं। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि यह राजनीतिक मामले हैं। किन्तु प्रत्येक राजनीतिक मामले को पक्षपातपूर्ण मामला नहीं कहा जाना चाहिए। यह पक्षपातपूर्ण मामला नहीं है किन्तु यह एक राजनीतिक प्रश्न है कि क्या किसी राज्य को राज्य की विशेषता के बने रहने बिना कार्य करने दिया जा सकता है ? अतः इन आधारभूत मामलों पर विचार करते हुये तथा प्रत्येक राज्यों के विशिष्ट व्यक्तित्व के मामले पर विचार करते हुये मैं समझता हूं कि आप एक उचित निर्णय लेंगे। त्रिपुरा एक बहुत छोटा राज्य है इसमें कोई संदेह नहीं है। किन्तु त्रिपुरा में कई उपलब्धियों की सम्भावनाएं हैं। त्रिपुरा में गैस उपलब्ध हुई है। यह त्रिपुरा की जनता के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार है। यह समूचे पूर्वी क्षेत्र में बहुत बड़ा समाचार है। वहाँ पर न केवल गैस ही बल्कि अन्य पेट्रोलियम पदार्थ भी उपलब्ध हो रहे हैं। वहां पर उद्योग सम्बन्धी सम्भावनायें बढ़ रही हैं और इस प्रकार से समूचे त्रिपुरा का रूप ही बदल जायेगा। त्रिपुरा अब एक गरीब कृषि राज्य के स्थान पर एक खुशहाल औद्योगिक राज्य बन जायेगा चाहे इसका भौगोलिक आकार कोई भी हो।

त्रिपुरा में रबड़ की खेती आरम्भ हो गई है। यदि वहां पर रबड़ की खेती सफल हो जाती है तो वहां औद्योगिक विकास की सम्भावनायें भी बढ़ जायेंगी। तब चाहे इसकी आबादी मुश्किल से 20 लाख ही क्यों न हो यह राज्य अपने पड़ोसी राज्यों की तरह खुशहाल हो जायेंगे।

मैं इस विषय पर और अधिक विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहता। मैं केवल सरकार से यही अनुरोध करता हूं कि इस बात को ध्यान में रखें कि उन्हें न केवल वहाँ पर न्याय की व्यवस्था करनी है बल्कि सस्ते न्याय की भी व्यवस्था करनी है। इन सभी मामलों पर विचार करते हुए हमें त्रिपुरा में एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना करने के लिए रास्ता निकालना होगा। यदि आप आज संघीय ढांचे में विश्वास रखते हैं तो आपको त्रिपुरा की एक राज्य के रूप में उसके विशिष्ट व्यक्तित्व की व्यवस्था भी करनी होगी। संघीय ढांचे को मजबूत बनाने की दृष्टि से मेरे विचार में त्रिपुरा के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय की शीघ्र आवश्यकता है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अन्त में, यद्यपि त्रिपुरा अब एक गरीब राज्य है किन्तु यह एक खुशहाल औद्योगिक राज्य बन सकता है और मेरे विचार से इस प्रकार का निर्णय लेना गलत नहीं होगा। जो त्रिपुरा को एक खुशहाल राज्य बनाने में सहायक बने। अतः मैं श्री अजय विश्वास द्वारा पेश किये गये

विधेयक का जोरदार समर्थन करता हूं और आशा करता हूं और मुझे यह विश्वास है कि सरकार इन सभी पक्षों पर विचार करेगी और त्रिपुरा की जनता की मांगों को, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरीश रावत।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, सवाल केवल अगतरला में एक हाई कोर्ट के बेंच की स्थापना का नहीं है, सवाल इस बात का भी है कि संवैधानिक रूप से हमारी प्रतिबद्धता है कि हम लोगों को सस्ता न्याय देंगे, उनको सस्ता न्याय उपलब्ध करायेंगे। इस समय न केवल वहां से बल्कि देश के कई और भागों से भी इसी प्रकार की मांग लोगों की है। उत्तर प्रदेश में भी लम्बे अर्से से लोगों की यह मांग है। कि उत्तर प्रदेश में एक बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ऐस्टेबलिश की जाये। सरकार इन मामले को लम्बे समय से टाल रही है। मुझे अफसोस है कि यहां पर न्याय विभाग के बड़े मन्त्री जो उपस्थित नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि डिप्टी मिनिस्टर साहब मेरी भावना को उन तक पहुँचा देंगे कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में एक अतिरिक्त बेंच की स्थापना की जो मांग थी जिसके लिए श्री जसवन्त सिंह आयोग की स्थापना की गई थी उसके द्वारा जो साक्ष्य लिए जा रहे हैं वह संतोषजनक नहीं हैं, बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है। किसी न किसी बहाने से ऐसा लगता है कि सरकार या यह आयोग जल्दी अपनी रिपोर्ट पेश न करके इस मामले को टालना चाहता है। लोगों में इस को लेकर बड़ा असंतोष है। यदि आपने इस मांग को पूरा नहीं किया, और ज्यादा देर लगाई तो हो सकता है एक और आंदोलन उत्तर प्रदेश में हो। और उसके बाद यदि आप अतिरिक्त बेंच स्थापित करते हैं तो वह उचित नहीं होगा।

अगरतला में बेंच हाई कोर्ट की स्थापित होनी चाहिए तथा उत्तर प्रदेश की इस मांग को सरकार को तात्कालिक लेना चाहिए और जो आयोग इस काम के लिए गठित किया गया है उसके लिए एक समय निर्धारित करना चाहिए कि उस निश्चित समय के अन्दर वह अपनी रिपोर्ट दे दे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री गुलाम नबी आजाद : श्री विश्वास जी ने विधेयक का संचालन करते समय एक आरोप लगाया है, कि केन्द्रीय सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों की ओर अधिक ध्यान नहीं दे रही है। मैं इस आरोप का खण्डन करना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार इन राज्यों के बारे में बहुत अधिक चिन्तित है। प्रधान मन्त्रीजी भी उत्तर-पूर्वी राज्यों की स्थिति के बारे में विशेष रूप से जानकारी लेती रही हैं वह वहां जाती रहती हैं, तथा उन्होंने प्रत्येक स्थिति में उत्तर-पूर्वी राज्यों के प्रत्येक पहलू पर अधिक समय दिया है।

जहां तक आकार तथा जनसंख्या के आधार पर धनराशियों केआवंटन का सम्बन्ध है, हम अन्य

राज्यों की तुलना में इनके लिए सामान्य से अधिक धनराशियों का आवंटन करते रहे हैं।

विधेयक को प्रस्तुत करते समय मेरे मित्र ने यह कहा है कि त्रिपुरा ही केवल ऐसा राज्य है जहां पर उच्च न्यायालय नहीं है। मेरे दूसरे माननीय मित्रों ने भी अधिकतर यह उल्लेख किया है, कि चूंकि इसको राज्य का दर्जा प्राप्त है, इसलिए यहां पर एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए उनको यह बताना चाहता हूं कि मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा जैसे कुछ अन्य राज्य भी हैं जहां उच्च न्यायालय नहीं हैं। पंजाब तथा हरियाणा जैसे दो बड़े राज्यों का भी चण्डीगढ़ में ही एक सम्मिलित उच्च न्यायालय है। इस समय देश में 18 उच्च न्यायालय हैं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 के संगत उपबन्धों के अनुसार उत्तर-पूर्व क्षेत्र के सभी राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा तथा मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्रों के लिए गोहाटी में एक ही उच्च न्यायालय है। ऊपर बताये गये अधिनियम को लागू होने से पूर्व असम तथा नागालैंड उच्च न्यायालय के नाम से एक ही उच्च न्यायालय था। जिसका क्षेत्राधिकार असम तथा नागालैंड राज्यों तक था। मणिपुर तथा त्रिपुरा के लिए पृथक रूप से न्यायिक आयुक्त के न्यायालय थे।

इस समय उत्तर-पूर्व (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 31 (3) के अन्तर्गत गोहाटी उच्च न्यायालय की क्षेत्रग पीठ अगरतला, इम्फाल, को दिया तथा शिलांग में कार्य कर रही हैं। मेरे मित्र ने यह बताया है कि बहुत से मामले विचाराधीन पड़े हुए हैं। जहां तक नये न्यायालयों का सम्बन्ध है इनके लिए दो अथवा तीन बातों का ध्यान रखना होता है। जिसमें से एक जनसंख्या है तथा दूसरा विचाराधीन मामले हैं। लेकिन मैं उत्तर-पूर्व राज्यों में विचाराधीन मामलों का जिक्र करना चाहता हूं। वर्ष 1977, 1978, 1979, 1980 तथा 1981 के दौरान क्रमशः 241, 310, 345, 563 तथा 681 मामले दर्ज किये गये थे। जब हम इनकी तुलना बाकी उच्च न्यायालयों के मामले से करते हैं, तब पता चलता है कि यह संख्या बहुत कम है। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से यह अपेक्षा की जाती है कि वह एक वर्ष में कम से कम 650 प्रमुख मामलों को निपटाये। अगरतला में जितना कार्य है, उसके लिए एक न्यायाधीश पर्याप्त है। इससे त्रिपुरा के लिए पृथक रूप से एक उच्च न्यायालय को स्थापित करने का न तो कोई औचित्य ही प्रमाणित होता है और न ही एक स्थाई पीठ की स्थापना का ही कोई औचित्य है। एक स्थाई पीठ में कम से कम दो न्यायाधीश होने चाहिए और यदि तीन हों तो और अच्छा है। इन त्रुटियों को समाप्त करने के लिए विधि मंत्रालय ने विशेष रूप से त्रिपुरा की राज्य सरकार को सुझाव दिये हैं। तथा बाकि मामलों को निपटाने के लिए भी सुझाव दिये हैं। गोहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को चाहिए कि वह न्यायाधीशों को इस प्रकार से तैनात करे ताकि अगरतला में एक न्यायाधीश हर समय उपलब्ध हो सके। खण्ड पीठ को स्थापित करने के लिए दूसरा न्यायाधीश ऐसे स्थानों पर जा सकता है। उनकी क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए इससे पूर्व ये व्यवस्थायें नहीं की गई थीं। क्योंकि गोहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या पूरी नहीं थी इस समय गोहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति पद-संख्या नौ है। अप्रैल, 1981 तक वहां पर केवल पांच न्यायाधीश ही थे। दो न्यायाधीशों को अप्रैल, 1981

में नियुक्त किया गया था तथा एक और न्यायाधीश की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार उच्च न्यायालय में कार्य करने वाले न्यायाधीशों की संख्या आठ होगी। केवल मुख्य न्यायाधीश का पद ही रिक्त रह जाता है। न्यायाधीशों के दो और पदों का सृजन करने के लिए गोहाटी उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा भी प्रस्ताव किया गया है तथा मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड के राज्यपाल के परामर्श से असम तथा मेघालय के राज्यपाल को अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा गया गया है। विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री ने असम के राज्यपाल को भेजे अपने पत्र में इस प्रस्ताव की सिफारिश की है। यदि कार्य करने वाले दस अथवा ग्यारह न्यायाधीश मौजूद रहें तब क्षेत्रीय पीठ की पर्याप्त बैठकों की संभावना रहेगी तथा इम्फाल और अगरतला में कम से कम एक न्यायाधीश हर समय उपलब्ध हो सकेगा।

जहां तक नई पीठ का सम्बन्ध है, इसकी मांग केवल अगरतला से ही नहीं की गई है। मणिपुर तथा नागालैंड की सरकारों द्वारा भी अपने राज्यों के लिए पृथक रूप से उच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। इम्फाल तथा कोहिमा में अगरतला की तुलना में भी कार्यभार कम है। यदि अगरतला में एक उच्च न्यायालय स्थापित कर भी दिया जाये तब भी उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के अन्य राज्यों द्वारा और उच्च न्यायालय स्थापित करने की मांग की जायेगी।

इन सभी कठिनाइयों तथा समस्यों को ध्यान में रखते हुए मेरे विचार से मेरे मित्र श्री विश्वास जी मेरी बात से सहमत होंगे। मेरे विचार से देश में 31 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र हैं, लेकिन इस समय केवल 18 उच्च न्यायालय ही हैं, अतः इस समय तेरह अन्य ऐसे स्थान हैं जहां पर उच्च न्यायालय नहीं हैं। इन सभी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने माननीय मित्र श्री विश्वास जी से निवेदन करता हूं वे अपना विधेयक वापस ले लें।

श्री अजय विश्वास : महोदय एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में जीमंत्री द्वारा दिये गये तर्क मान्य नहीं हैं। मंत्री जी ने एक बात कही है कि अगरतला पीठ में इस समय जो विचाराधीन मामले पड़े हुए हैं, वे बहुत कम हैं। मैं मंत्री महोदय को स्मरण कराना चाहता हूं कि जब असम उच्च न्यायालय प्रारम्भ किया गया था। तब बकाया मामलों की संख्या 50 से भी कम थी। अतः मंत्री महोदय ने जो तर्क दिया है वह त्रिपुरा के लोगों पर लागू नहीं होता है।

उन्होंने एक और प्रमुख तर्क यह दिया था कि यदि त्रिपुरा के लिए पृथक रूप से उच्च न्यायालय स्थापित करने की अनुमति दे दी जाये तो अन्य राज्य भी इस प्रकार का निवेदन करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके निवेदनों पर भी सहमति दी जाये। उदाहरण के लिए यदि नागालैंड एक पृथक उच्च न्यायालय की मांग करता है तो उसके लिए आपको स्वीकृति दे देनी चाहिए। यही बात मणिपुर अथवा मेघालय के लिए भी लागू की जानी चाहिए। यह बात आश्चर्यजनक है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार का तर्क दिया जा रहा है कि यदि त्रिपुरा में एक उच्च न्यायालय स्थापित करने की अनुमति दी जाये तो अन्य मित्रों से भी इसकी मांग की जायेगी।

अतः मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि मैंने जो कुछ बताया है उसको ध्यान में रखते हुए वह इस प्रश्न पर पुनः विचार करें। उनको लोगों की मांगें तथा आकांक्षाओं का आदर करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप विधेयक को वापस ले रहे हैं ?

श्री अजय विश्वास : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि अगरतला, त्रिपुरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया गया।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

देवदासी तथा मुरली प्रथा (उन्मूलन) विधेयक

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी (अमरावती) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं : "कि भारत में देवदासी तथा मुरली प्रथा को समाप्त करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : आप बाद में अपना भाषण जारी रखना।

आधे घण्टे की चर्चा

बैलगाड़ी के पहिए का सुधरा हुआ डिजाइन प्राप्त करना

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आधे घन्टे की चर्चा लेते हैं। श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार। आप अपना नाम श्री एन० एल० डी० नाडार क्यों नहीं रख लेते हैं ?

श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : आप मुझे इस नाम से पुकार सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आधे घण्टे की चर्चा है। इसके समाप्त होने के पश्चात मैं श्री वाजपेयी जी को पुकारूंगा।

श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार : महोदय, पण्डित नेहरू जी ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि भारत बैलगाड़ी का प्रयोग करता रहेगा। उनका यह मत आज भी सत्य है हालांकि भारत ने हाल ही में अन्तरिक्ष तथा अन्य प्रौद्योगिकियों में प्रगति की है।

हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। योजना आयोग द्वारा 1959-60 में किये गये एक अध्ययन के अनुसार देश की 58 से 95 प्रतिशत कृषि उपज को बैलगाड़ियां द्वारा ढोया

जाता है। भारत में लगभग 140 लाख बैल उपयोग में लायी जाती हैं। बैलगाड़ी परिवहन प्रणाली (बैलों के मूल्य सहित) पर औसतन पूंजी निवेश का अनुमान 3,000 करोड़ रुपये है, जबकि भारतीय रेलों में यह पूंजी निवेश 4,000 करोड़ रुपये है तथा सड़कों पर चलने वाले पब्लिक गुड्स ट्रान्सपोर्ट पर 2,500 करोड़ रुपये का अनुमान है।

महोदय, यह खेद की बात है कि भारत सरकार और हमारे कृषि अनुसन्धान संस्थान भारत में बैलगाड़ियों के स्वरूप और किस्म तथा उनके सुधार की ओर अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं। अतः सरकार के आंकड़ों के अनुसार केवल 5% बैलगाड़ियां सुधरी हुई किस्म की हैं। अतः हम नई सुधरी हुई किस्म की बैलगाड़ियों के बारे में सोचने के लिए बाध्य हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा 8 मार्च, 1982 को बैलगाड़ियों के नए पहियों के बारे में प्रश्न पूछा गया था :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जनवरी, 1982 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में बैलगाड़ी के आस्ट्रेलिया में बनाए गए नये पहिये के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार परीक्षण के लिए इस बैलगाड़ी का आयात करने का है, जिससे भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के उन वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने में भी सहायता मिलेगी जो इसी प्रकार की परियोजनाओं पर वर्षों से कार्य करते रहे हैं;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा अपनी भोपाल स्थित संस्था अथवा आई० ए० आर० आई०, नई दिल्ली अथवा एन० डी० आर० आई० करनाल में इसी तरह की किसी बेहतर बैलगाड़ी का डिजाइन तैयार किया है, और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह एक महत्वपूर्ण अनुसन्धान होगा और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को निदेश दिये जाने चाहिए कि वह इस पहलू की ओर, विशेषकर देश के सामने ऊर्जा संकट को देखते हुए ध्यान दे ?

यह उत्तर दिया गया था।

"(क) जी हां, श्रीमान।

(ख) आस्ट्रेलिया से इन्जीनियरी ड्राइंग तथा विस्तृत जांच पड़ताल के परिणाम मंगाए जा रहे हैं। यदि यह स्थानीय दशाओं के अन्तर्गत उपयोगी पाए गए तो देश में उपलब्ध परम्परागत तथा उन्नत बैलगाड़ियों की तुलना में, प्रारूप तैयार किए जाएंगे, उनकी जांच की जाएगी तथा उनका मूल्यांकन किया जाएगा।

(ग) नहीं, श्रीमान। केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान में कोई भी ऐसी उन्नत बलगाड़ी

विकसित नहीं की गई है जो 70 के बाद वाले वर्षों में शुरू की गई थी। तथापि केन्द्रीय कृषि इन्जीनियरिंग संस्थान, भोपाल में उन्नत बैलगाड़ियों के विकास पर अनुसन्धान प्रायोजना का कार्य हाथ में लिया गया है। राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान में जहां पर पशुओं की, जिनमें संकर पशु भी सम्मिलित हैं, दुलाई के लिए बैलगाड़ियों को खींचने की शक्ति का अध्ययन किया जाता है कई अन्य स्थानों पर बैलगाड़ियों पर किए गए अध्ययनों के फलस्वरूप सुधरी किस्म के नमूनों का विकास किया गया है जिनमें रगड़-रोधी बियरिंग, हवा वाले टायर के पहिए, ठोस रबड़ की पहिए वाली गाड़ी, इस्पात की बाडी वाली बैलगाड़ी, अधिक सामान ले जाने की क्षमता वाली गाड़ियां, अच्छे जुए वाली बैलगाड़ियां और ऐसी गाड़ियां जिनमें ब्रेक लगाने का तन्त्र है, शामिल हैं।

(घ) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद में बैलगाड़ियों का विकास अनुसन्धान की प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है, विशेष रूप से इसका कारण ऊर्जा संकट और भारत में केवल पांच प्रतिशत सुधरी किस्म की बैलगाड़ियों का होना है।

इसका उत्तर मार्च में दिया गया था। अब इसे आठ महीने हो गए हैं। बैलगाड़ियों के संशोधित डिजाइन के पहियों को प्राप्त करने के बारे में श्री हरीश कुमार गंगवार द्वारा 11 अक्तूबर, 1982 को एक प्रश्न पूछा गया था। इस सम्बन्ध में दिए गए उत्तर से पता चलता है कि आठ महीने का समय बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं किया गया है। मैं इस बारे में पूछे गए प्रश्न और उसके उत्तर को यहां दोहरा देता हूं :

"क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे" कि :

(क) क्या सरकार ने आस्ट्रेलिया से बैलगाड़ी के पहिए का सुधरा हुआ डिजाइन प्राप्त कर लिया है जैसा कि संसद में घोषणा की गई थी और यदि हां तो मूल्यांकन का ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में 10 सितम्बर, 1982 के फारईस्टर्न इकनामिक रिव्यू में प्रकाशित श्री एम० के० टिक्कू की समाचार रिपोर्ट को देखा है ?

उत्तर यह है :

"(क) जी हां, श्रीमान्। आस्ट्रेलिया हाई कमीशन ने मेलबोर्न विश्वविद्यालय के श्री जेरेंड द्वारा विकसित पहिए के बारे में ब्योरा उपलब्ध कराया है। इसकी जांच की गई है और उसका सीमित उपयोग पाया गया है। फिर भी, प्रायोगिक परीक्षणों के लिए अधिक जानकारी की आवश्यकता है। श्री जेरेंड से सम्पर्क स्थापित किया गया है। सूचना की प्रतीक्षा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि श्री जेरेंड अभी भी पशुओं द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियों के लिए प्रस्तावित पहियों के बारे में प्रयोग कर रहे हैं जिसमें इस्तेमाल किए गए ट्रक-टायरों जिसमें कम वायु दबाव वाली ट्यूब अथवा नारियल जटा,

लकड़ी की सख्त तिलियां तथा इस्पात की गोल छड़ों से पृथक किए गए जी० आई० पाइपों से बने सुघरे हुए रोलर बेयरिंग्स लगे होंगे ।

(ख) जी, हां, । "सरकार को फार ईस्टर्न इकोनोमिक रिव्यू के 10-16 सितम्बर, 1982 के अंक में प्रकाशित श्री टिक्कू के लेख की पूरी जानकारी है ।"

वास्तव में आस्ट्रेलियन इन्फर्मेशन सर्विस के 27 नवम्बर, 1981 की एक पुस्तिका में इस नई खोज का ब्यौरा प्रकाशित किया गया है । इसमें लिखा है :

"आस्ट्रेलिया के एक मैकेनिकल इंजनियर ने बैलगाड़ी के पहिए का एक नया डिजाइन तैयार किया है जिस पर पारम्परिक लकड़ी के पहिए की अपेक्षा केवल 1/5 लागत आती है ।

छठे दशक के उत्तरार्ध से मेलबोर्न के श्री फेन जेरेंड ने पशुओं द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियों, ठेलों तथा हाथ-गाड़ियों के लिए सस्ते और आसानी से बनाए जा सकने वाले, पहियों के बारे में प्रयोग किया है ।

भारतीय परिवहन प्रणालियों के 1980 के अध्ययन दौरे तथा संभावित भावी आवश्यकताओं ने ट्रक-टायरों के नवीनतम डिजाइनों में सुधार करने में सहायता की है । मेलबोर्न विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में उनका क्षमता परीक्षण हो रहा है ।

श्री जेरेंड ने कहा कि पारम्परिक 4 फुट व्यास का बैलगाड़ी का पहिया कला का वह काम है जिसे पूरा करने में दस्तकार को एक महीना लग सकता है । उदाहरणार्थ भारत में इस पर मजदूर को 100 दिन का वेतन देना पड़ता है । चूंकि भारत में 120 लाख बैलगाड़ियां हैं और 1990 तक इनकी संख्या दुगुनी होने की संभावना है, इसलिए पहियों की वहां स्पष्ट जरूरत है और इसे थोड़ी सी कुशलता के साथ कुटीर उद्योग में बनाया जा सकता है ।"

अब यह स्पष्ट है कि एक मित्र राष्ट्रमण्डल देश के एक इंजीनियर ने इस सम्बन्ध में 1960 से प्रयोग करने आरम्भ किए । उन्होंने अपने कुछ मित्रों के साथ भारत का अध्ययन-दौरा किया परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली तथा केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, भोपाल सहित हमारे कृषि अनुसंधान संस्थानों को इस प्रगति की कोई जानकारी नहीं है । निस्सन्देह हमारे सरकार के कुछ विभाग जैसा भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम तथा अन्य संस्थानों को इन बातों की जानकारी है । बहरहाल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा अन्य कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है । क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या पिछले दो वर्षों में किसी वैज्ञानिक अथवा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किसी प्रतिनिधि ने आस्ट्रेलिया का दौरा किया है ? यदि हां, तो क्या उसने उस इंजीनियर श्री जेरेंड से सम्पर्क स्थापित किया और उस

खोज का ब्यौरा एकत्रित किया ? उनसे सम्पर्क स्थापित करने का क्या परिणाम निकला ? यदि उनके साथ संपर्क स्थापित नहीं किया तो उसका कारण क्या है ? क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा सरकार के अन्य कृषि अनुसंधान संस्थानों को इस इंजीनियर के 1980 के अध्ययन दौरे की जानकारी है ? यदि हां, तो क्या उन्होंने उनसे सम्पर्क रखा तथा उनकी खोजों के बारे में कुछ ब्यौरा प्राप्त किया ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी गति बैलगाड़ी जैसी नहीं होनी चाहिए अब कृपया समाप्त कीजिए ।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : इस सूचना को एकत्रित करने में हो रहे विलम्ब को मैं नहीं समझ सकता । यहां तक कि मार्च, 1982 और अक्तूबर, 1982 के उत्तर में उन्होंने कहा है कि वे प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं । मैं एक विस्तृत प्रतिवेदन तथा एक राष्ट्रमण्डल मित्र देश के इंजीनियर द्वारा की गई खोज के ब्यौरे को प्राप्त करने में विलम्ब को नहीं समझ सकता । इसका क्या कारण है ?

महोदय, यह स्थिति मुझे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में कुछ कहने के लिए बाध्य कर रही है । वे क्या कर रहे हैं ? उनकी गतिविधियां क्या हैं ? वे अमरीका के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कृषि अनुसंधान सिस्टम होने का दावा करते हैं । परन्तु वे कुछ भी ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं । वास्तव में उनके अपने वैज्ञानिक आत्महत्या कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कृषि मंत्रालय अथवा भारत सरकार ने कभी उस बात की जांच की है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के इतने वैज्ञानिक आत्महत्या क्यों कर रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : आप विषय से हट रहे हैं, मेरे प्रिय मित्र ।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का वार्षिक बजट प्राप्त होता है । पिछले तीन वर्षों में वह इन निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं कर सका है और पिछले वर्ष ही उन्होंने लगभग 40 करोड़ रुपए वापस किए हैं । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सर्वोच्च प्रबन्ध के हाथों में सम्पूर्ण देश में 300 क्षेत्रीय स्टेशनों आदि में स्थित 35 संस्थानों में 25 हजार कर्मचारियों का भाग्य है । इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 300 से अधिक उप-स्टेशनों के साथ 23 कृषि विश्वविद्यालयों के मामलों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का काम कर रहा है ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : आप इसे समा पटल पर रख सकते हैं ।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : दुर्भाग्यवश, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय संस्कृति पर आधारित नहीं है बल्कि अमरीकी सभ्यता पर आधारित है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने भाषण को बैलगड़ियों तक ही सीमित रखें ।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : इस प्रकार वे अनुदान के धन को खर्च नहीं कर

सकते हैं और उन्हें धन वापस करना पड़ता है। इस सबके बावजूद वे राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना हेतु विश्व बैंक से ऋण ले रहे हैं। यह एक दुःखद बात है।

अतः क्या मैं आपके माध्यम से यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की गतिविधियों की जांच करते समय सावधानी रखेगी और क्या सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की भांति बनाने में रुचि दिखाएगी ? इसके पक्ष में अत्यधिक जनमत है। मैं इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार देश में बैलगड़ियों के आधुनिकीकरण और सुधार हेतु व्यापक कार्यक्रम चला रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन तथा माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि देश में आज जो बैलगाड़ियां है उनका आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है। हमारा कृषि अनुसंधान संस्थान कुछ रास्ता निकालने के लिए इस ओर ध्यान दे रहा है, क्योंकि वर्तमान बैलगाड़ियों में सीधा बैलों के गर्दन पर भार पड़ता है जिससे उन पशुओं पर दबाव पड़ता है। यही कारण है कि हम नए प्रकार की बैलगाड़ियों का निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में न केवल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ही दिलचस्पी है बल्कि कुछ अन्य संस्थान भी इस क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे हैं। सदन की जानकारी के लिए मैं उन संस्थाओं का उल्लेख करना चाहता हूं। वे संस्थान हैं—मैसर्स डनलप इंडिया लिमिटेड; कृषि इंजीनियरिंग विभाग, आई० आई० टी०; खड़गपुर; कृषि सम्बन्धी औजारों और मशीनों पर आई० सी० ए० आर० की योजना, पुणे केन्द्र और फसलों और फसलों उपरान्त प्रौद्योगिकी के अध्ययन के सम्बन्ध में अखिल भारतीय समन्वित आई० सी० ए० आर० की योजनाएं रायचूर केन्द्र; केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली; भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर; केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, भोपाल और पी० एस० जी० प्रौद्योगिकी संस्थान, कोयम्बतूर। आई० सी० ए० आर० के अतिरिक्त ये सभी संस्थान बैलगाड़ियों में सुधार और उन्हें आधुनिक बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं।

माननीय सदस्य ने आस्ट्रेलिया के एक सज्जन का उल्लेख किया था जिन्होंने इस देश का दौरा किया। यह सच है कि आस्ट्रेलिया के फेन जेरेन्ड ने 1978 में भारत का दौरा किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस देश के लिए उपयुक्त बैलगाड़ी का आविष्कार किया है। वह उसके कुछ नमूने देना चाहता था। उन्होंने उस नमूने की एक प्रति दी। उसके बाद, उन्होंने कहा कि वह कुछ नमूने भेजेगा। उन्होंने वे नमूने नहीं भेजे हैं। हमने उन्हें उस बारे में लिखा है और उससे कुछ अन्य नमूने आदि भेजने के लिए कहा है। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है। तब हमने स्थिति का पता लगाने के लिए दिल्ली में आस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त से सम्पर्क स्थापित किया। उन्होंने भी उस व्यक्ति से सम्बन्ध स्थापित किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति उन्हें कोई उत्तर नहीं दे रहा है। उन्होंने श्री जेरेंड का पता दिया ताकि सरकार का कृषि

विभाग उससे मिल सके। हमने फरवरी 1982 में उसे एक और पत्र लिखा कि वह हमें विस्तार से ये जानकारी दे। उसका कोई उत्तर नहीं मिला। स्थिति यह है।

जहां तक बैलगाड़ियों का सम्बन्ध है, हमें कुछ ऐसी विधि निकालनी चाहिये जो हमारी स्थिति तथा कृषकों के लिए उपयुक्त हो। हमारे बैलगाड़ियों द्वारा ढोये जाने वाले भार का 59 प्रतिशत तो कृषि की उपज होती है। वह केवल बैलगाड़ियों द्वारा भेजी जाती है। अत: हमें बेहतर बैलगाड़ियों के विकास के लिए कुछ तरीके निकालने ही होंगे।

प्रत्येक बैलगाड़ी, जो हमारे गांवों में छोटे बैलों द्वारा खींची जा सकती है, की कीमत 500 से 600 रुपये तक होती है। वे छोटे गांवों में बैलगाड़ियों के लिए उपयुक्त हैं। अन्य गांवों में, बड़ी बैलगाड़ियों की आवश्यकता है। इन बड़ी कम्पनियों का कहना है कि ऐसी गाड़ियों की कीमत 5000 से 6000 रुपये तक पड़ेगी। इन गाड़ियों को खींचने के लिए उन्हें बड़े बैल खरीदने होंगे जिनका मूल्य 4000 से 5000 रुपये तक है। तब इस बैलगाड़ी का मूल्य, बैलों और गाड़ी सहित 10,000 रुपये होगा। भारत की स्थिति को देखते हुए कितने खेतिहर किसान और छोटे किसान 10,000 रुपये की बैलगाड़ी खरीद सकते हैं? अत: यह उपयुक्त नहीं हो सकती है।

हमें ऐसी बैलगाड़ियां बनानी चाहिये, जो सभी किसानों के लिए किफायती हों। यहां तक कि आस्ट्रेलिया के सज्जन भी यदि हमें अपनी योजना बतायें, तो मेरे विचार से वह भी हमारे अनुकूल नहीं होगी। अत: मैं महसूस करता हूं कि यह हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं होगी। हमें ऐसी बैलगाड़ियों का निर्माण करना चाहिए जो हमारे अनुकूल हों और हमारे किसानों को स्वीकार्य हों। कोई किसान इतनी अधिक कीमत वाली बैलगाड़ी कैसे खरीद सकता है?

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : आप ऐसी बैलगाड़ी निकालने में कितना समय लेंगे?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : हमें आस्ट्रेलिया के उस सज्जन को पहले ही लिख चुके हैं। आपके मित्र श्री जेरेंड का कोई उत्तर नहीं आया है। वह हमें उत्तर नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है। मैं तुम्हें उनका पता दूंगा। आप उन्हें पत्र लिखकर उनका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।

अत: मुझे सदन को यह बताना है कि हमारी रुचि कुछ ऐसी बैलगाड़ियों बनाने के तरीके जानने में है जो हमारे किसानों और हमारी परिस्थितियों के अनुकूल हों। आजकल, हमने भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी है। हमारे देश में छोटे और सीमांत कृषक हैं जिनके पास केवल दो, तीन या पांच एकड़ भूमि होती है। उनकी संख्या बहुत अधिक है। हमारे देश में ऐसे किसान बहुत कम संख्या में हैं जिनके पास 15 से 20 एकड़ जमीन होती है। अत: हमारे किसानों के लिए बैलगाड़ी बहुत आवश्यक है। हमें उनके अनुकूल बैलगाड़ी बनाने के कुछ तरीके निकालने ही चाहिएं।

मुझे आशा है कि माननीय सदस्य मेरे उत्तर से संतुष्ट होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछने वाले चार सदस्य हैं और ये प्रश्न छोटे ही होने चाहिएं। उन्हें पांच मिनट में ही चारों प्रश्न पूछ लेने चाहिएं। यदि वे ऐसा नहीं करते, तो मैं श्री वाजपेयी को बुला लूंगा। आप केवल सीधे प्रश्न पूछिये और भाषण न दीजिए।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, मैं बैलगाड़ी वाले परिवार से आता हूं इसलिए मैं जानता हूं कि बैलगाड़ी क्या होती है। बैलगाड़ी का किसान के जीवन से बहुत ही अभिन्न सम्बन्ध है। हमारे देश के योजना आयोग के अध्ययन के मुताबिक 60.95 प्रतिशत किसानों का काम बैलगाड़ियों से होता है जैसे कि फसल ढोना और शहरों में ले जाना और फिर शहरों से सामान लादकर ले आना और इस काम पर बैलगाड़ियों पर तीन हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, रेलवे पर चार हजार करोड़ रुपए, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर है ढाई हजार करोड़ रुपये। इसी से अन्दाज लगा सकते हैं कि बैलगाड़ी का हमारे किसानों के जीवन से कितना सम्बन्ध जुड़ा हुआ है।

मैं यह जानना चाहूँगा कि इन्होंने कहा है, फेन जेरेंड ने डिजाइन का आविष्कार किया, वह डिजाइन लिमिटेड ही पाया गया लेकिन यह नहीं बताया कि लिमिटेड यूज किस अर्थ में है। इस्टर्न इकानामिक रिव्यू में श्री डिक्कू जो भारतीय लेखक हैं, उन्होंने एक लेख लिखा है। उस लेख में क्या बताया गया है, वह मेहरबानी करके बताइए कि उसके बारे में आपका विचार क्या है ?

क्या सरकार ने बैलगाड़ियों की संख्या का पता लगाया है। अगर लगाया है तो वह क्या है ? क्या सरकार ने यह भी पता लगाया है कि लकड़ी के पहिये से चलने वाली बैलगाड़ी जिसमें लोहे का हल लगाया जाता है जो कि बहुत ही वजनदार हो जाता है और बैल को ढोने में मशक्कत करनी पड़ती है, उसके मुकाबले में टायर वाली बैलगाड़ी चलने लगी है तो उनकी संख्या क्या है ? इसको और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए आपने क्या कोई उपाय किया है ? सस्ते दर पर किसानों को टायर मिले, अगर वह नहीं मिलेंगे तो वह कुछ नहीं कर सकेगा। पहिये में बाल-बियरींग की व्यवस्था करने के लिए आपने क्या किया है ?

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया कि उसमें चार हजार या पांच हजार का खर्चा लगेगा, मैं कहना चाहता हूं कि पहले-पहल हिन्दुस्तान में जिसने भी बैलगाड़ी बनाई होगी, वह बहुत बड़ा अपने को वैज्ञानिक समझता होगा। आज के वैज्ञानिक, जिनके ऊपर आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं और आपके यहां इण्डियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट है जिसका सालाना बजट आपके यहां एक सौ करोड़ रुपए का है, उसका काम क्या है ?

अभी आपके यहां पूरे देश में 14 मिलियन बैलगाड़ी चल रही हैं। देहात में आप चले जाएं, वहां कोई भी सड़क सुरक्षित नहीं है। उस सड़क के सुरक्षित न रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो चक्का है, वह काठ का है। काठ के चक्के से या लोहे की व्हील लगाएं तो भी सुरक्षित नहीं रहता है। टायर लगाने से ही फायदा होगा। (व्यवधान)

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आपके यहां इम्प्रूव्ड क्वालिटी के टायर वाली कुल कितनी बैलगाड़ियां हैं ?

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने अपने तरीके से कोई इन्वेंशन किया है, कोई आविष्कार किया है जिससे कम-से-कम पैसे में अधिक से अधिक सामना ढोया जा सके और बैल व भैंसे पर उसका कम-से-कम भार पड़े ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० अजित कुमार मेहता। एक मिनट। आपको पहले ही अतिरिक्त समय दिया गया है। एक अत्यन्त महत्वपूर्ण चर्चा जारी है। आप सबको सहयोग देना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता, तो यह कहता कि मेरा कोई प्रश्न नहीं है। मैं यही कहता। आपको समझदार बनना चाहिए।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अभी मंत्री महोदय ने बताया कि इनके यहां भी इस पर अनुसंधान चल रहा है। हमें पता नहीं कि कितने दिना तक इनके यहां अनुसंधान चलेगा और कब इसका फल प्राप्त होगा ? लिस्ट तो मंत्री महोदय ने गिना दिया है कि इतनी जगह अनुसंधान चल रहा है।

आस्ट्रेलिया में जहां पर कि बैलगाड़ी की आवश्यकता कम है, वहां 1960 से अनुसंधान चल रहा है और वह किसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं और आप अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे, इसके लिए मैं समझता हूं कि आप निश्चित रूप से दोषी हैं।

आई. सी. ए. आर. के सम्बन्ध में गजेन्द्र गडकर कमेटी ने 1972 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इस सम्बन्ध में एस्टीनेट्स कमेटी ने भी कुछ जांच करके अपनी संस्तुतियां दी हैं हम जाननाचाहते हैं कि उनकी जांच के आधार पर क्या आप आई. सी. ए. आर. जैसी संस्था को समाप्त करके फिर से इसको सरकार के अण्डर में लेने का कोई विचार करेंगे अथवा यदि यह संभव न हो तो सी. एस. आई. आर. के साथ इसको मर्ज करवा देंगे जिससे सारे के सारे वैज्ञानिक इकट्ठे होकर एक मंत्रिमंडल में चले आ सकें ?

आप जानते हैं कि बैलगाड़ी हिन्दुस्तान के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आप हिसाब लगाइये कि बैलगाड़ी पर जो भी शक्ति खर्च होती है अगर उसको ट्रेक्टर और और दूसरी चीजों से रिप्लेस करेंगे तो कितना खर्चा होगा ?

श्री वृद्धि चन्द्र जी (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आई० आर० डी० प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र में ऊंट गाड़ी अभी भी हैं जो कि लोन पर सब्सीडाइज करके दी जाती हैं। उससे आप उन किसानों की इकनामी को स्ट्रेन्थन करना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऊंट गाड़ी का भी कोई ऐसा माडल तैयार करवा रही है जिससे गरीब से गरीब आदमी उसे लेकर अपनी स्थिति सुधार सके ?

आधुनिकीकरण के मामले में बालबीयरिंग, एक्सल, व्हील स्टीयरिंग की आवश्यकता होती है और टायर ट्यूब की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार से उन पर भारी कास्ट आ जाती

है। कोई ऐसा उपाय निकालना चाहिए जिससे आधुनिकीकरण भी हो और इनकी कास्ट भी कम आये। आज 75 परसेंट गरीब किसान चाहता है कि आधुनिकीकरण भी हो और साथ ही साथ खर्च भी कम हो। और बैलों के गले पर भी ज्यादा वजन न पड़े, इन सभी दृष्टिकोणों के आधार पर क्या आपने अभी तक अपने यहां रिसर्च करके, दिमाग से, कौन सा माडल या नमूना निकाला है और वह कहां कहां प्रचलित हैं, मैं उस सम्बन्ध में समस्त जानकारी जानना चाहता हूँ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : श्री रामावतार शास्त्री जानना चाहते हैं कि हमारे देश में कितनी बैलगाड़ियां हैं। हमने हाल में इसका कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। लेकिन वर्ष 1959-60 में एक सर्वेक्षण किया गया था और यह पाया गया था कि उस समय देश में कुल 140 लाख बैलगाड़ियां थीं।

श्री पासवान टायर लगी गाड़ियों का प्रतिशत जानना चाहते है ऐसी गाड़ियों की संख्या देश में उपलब्ध बैलगाड़ियों की कुल संख्या का 5 प्रतिशत है।

प्रो० अजीत कुमार मेहता संस्थानों का नाम जानना चाहते हैं। मैं पहले ही पांच या छः ऐसे संस्थानों का नाम बता चुका हूं जो इस क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे हैं।

श्री जैन जानना चाहते हैं कि ऊंटगाड़ियों की संख्या कितनी है। सभी तरह की गाडियों पर, चाहे वे बैलों द्वारा, ऊंटों द्वारा या घोड़ों द्वारा खींची जाती हैं, अनुसंधान किया गया है। हमारी रुचि एक ऐसी अनुकूल और सस्ती बैलगाड़ी बनाने की है जो हमारे कृषकों के लिए किफायती हो।

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य मेरे उत्तर से संतुष्ट होंगे।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 4 नवम्बर 1982 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 3 नवम्बर 1982 को पारित किए गए संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन (दूसरा संशोधन) विधेयक 1982 से बिना किसी संशोधन सहमत हुई।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनु-

सरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 4 नवम्बर 1982 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 20 अक्तूबर 1982 को पारित किए गए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1982 से बिना किसी संशोधन सहमत हुई।"

पंजाब की स्थिति के बारे में चर्चा

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नयी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब की स्थिति के सम्बन्ध में गृहमंत्री महोदय ने 4 नवम्बर को इस सदन में जो वक्तव्य दिया था, आज मैं उस पर चर्चा उठाना चाहता हूं···(व्यवधान)

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आज की जो यह चर्चा उठायी जा रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय एकता का सवाल पंजाब के सवाल के साथ जुड़ा हुआ है। इस बारे में मेरा यह निवेदन है कि चूंकि राज्यसभा में आज इसी विषय पर चर्चा हुई है, इसलिए इस सदन में भी इस पर चर्चा के लिए पूरा समय चाहिए। जब कि आज हम 6 बजे के बाद यह चर्चा शुरू कर रहे हैं, अच्छा हो कि यदि हम इस चर्चा को अगले सत्र तक के लिए स्थगित कर दें। क्यों कि इस विषय से एक महत्वपूर्ण सवाल जुड़ा हुआ है। इस बारे में सभी लोगों की सहमति है और मेरी अपनी भी धारणा है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार के लिए अगले सत्र तक इसको स्थगित किया जाना चाहिए···(व्यवधान)

जैसा सदन कहेगा, वैसा ही करना पड़ेगा।

श्री नवल किशोर शर्मा : हमारे स्पैरो साहब भी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री आर० एस० स्पैरो (जालंधर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत थोड़ी सी बात कहनी है। मेरा निवेदन है कि अकाली मोर्चे के कारण पजाब की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम इस चर्चा को समाप्त नहीं कर सकते। समूचे राष्ट्र को पता होना चाहिए कि यह क्या है। मैं यह केवल एक मिनट में ही बता देना चाहता हूं।

महोदय, अमृतसर में कल अकाली दल की बैठक में जो उत्तेजक और राष्ट्र-विरोधी भाषण दिए गए, वह सभी भारतीयों को स्पष्ट रूप से बताये जाने चाहियें। उदाहरण के लिए, अकाली दल की नेता और राज्य सभा की सदस्य, श्रीमती राजिन्द्र कौर, ने वहां एकत्र हजारों अकालियों को यहां तक ललकारा कि वे राष्ट्रीय झंडा जला कर केसरी अकाली दल झंडा फहरायें··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यदि आप चर्चा आरम्भ कर रहे हैं तो मैं सोचता हूं कि

श्री अटल बिहारी वाजपेयी को पहले बोलने की अनुमति देनी चाहिए। मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं कभी कोई बाधा नहीं डालता हूं। लेकिन यदि वाद-विवाद उस तरह से आरम्भ किया जा रहा है, तो इसकी अनुमति नहीं है (व्यवधान)

श्री आर० एस० स्पैरो : महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि श्री उमरानांगल और श्री तुलजिन्दर सिंह भी खालिस्तान-समर्थक नारों के बीच उसी ढंग से बोले। (व्यवधान)

श्री मधु दण्डवते : महोदय, चाहे आप चर्चा को स्थगित कीजिये या प्रक्रिया का अनुसरण कीजिए (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : यह उचित प्रक्रिया नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिये।

एक मननी सदस्य : महोदय उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिये। कभी-कभी आपको हमारे कहने से भी कुछ बात रिकार्ड से निकाल देनी चाहिये, महोदय। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें कुछ कहने तो दीजिए। हम इस पर बात करेंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला : उचित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिये।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है या जमीन हिल गई है ? (व्यवधान) ऐसी क्या बात है ? क्या आप जुबान बन्द करोगे ? (व्यवधान) आपको क्या दर्द हो रहा है ? यह एन्टी-नेशनल बात है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : यह बहस अटल जी ने शुरू की है। पहले उन्हें बोलना है।

श्री मनी राम बागड़ी : उन्होंने बहस नहीं की है, दलील दी है। (व्यवधान) कैसे छोड़ो ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। बैठ जाइए। सारे हाउस का कान्सेन्सस यह है कि यह डीबेट अगले सत्र में की जाए। तो मेरे ख्याल में हम इसको अगले सत्र के लिए रख लें।

अब लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है

6.10 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा निश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

1982 1980 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और ए० जे० प्रिंटिंग, नई दिल्ली-2 द्वारा मुद्रित।